लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 4th LOK SABHA DEBATES

[ग्यारहवां सत्र
Eleventh Session]

Preservation Unit
12-1-92
Fumigated
On 9.84
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
No 61642
Date 11·12·70

[खण्ड 43 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 15, शुक्रवार, 14 अगस्त, 1970/23 श्रावण, 1892 (शक)

No. 15, Friday, August 14, 1970/Sravana 23, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — **ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० U. Q. Nos.		
421 पालघाट और कोयम्बटूर में कुछ लोगों से भारतीय और विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Indian and Foreign Currency from Persons in Palghat and Coimbatore	1-5
422 डकोटा विमान सेवा वाले चार मार्गों को गैर-सरकारी विमान चालकों को सौंपने का प्रस्ताव	Proposal to Hand over four Dakota Operated Routes to Private Operators	5-7
·24 श्रीनगर में दिल्ली के कलाकृति व्यापारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Delhi Curio Dealers in Srinagar	7-10
425 प्रशासन सुधार आयोग के 14वें प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करना	Implementation of Recommendations contained in Fourteenth Report of A. R. C.	10-11
427 'साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों पर सामूहिक जुर्माने'	Imposition of Collective Fines on Areas Affected by Communal Riots	11-16
428 डाकू विरोधी अभियान के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Help to States for Anti-Dacoity Campaigns	
अल्प सूचना प्रश्न	**SHORT NOTICE QUESTION**	
6 सैंट जेवियर कालिज, कलकत्ते में दाखिला	Admission to St. Xavier's College Calcutta	16-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
423 दिल्ली परिवहन द्वारा बसों के किराये में वृद्धि करने का सुझाव	Suggestion to increase Bus Fare by D. T U.	22-23
426 विश्वव्यापी हवाई सेवा	Round-the-World Air Service	23

*किसी नाम पर अंकित यह +चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the flor of the House by him.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
429 विश्व संस्कृत सम्मेलन	World Sanskrit Conference	23-24
430 गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों की तुलना में सरकारी-क्षेत्र में होटलों को हुई हानि	Losses suffered by Public Sector Hotels as compared to Hotel in Private Sector	24-25
431 आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जनता के न्यायालय	People's Courts in Srikakulam District of Andhra Pradesh	25
432 इंडियन एयरलाइन्स के विमानों के छूटने तथा गंतव्य पर पहुंचने में निरन्तर बिलम्ब	Constant Delays in Arrivals and Departures of Indian Airlines Planes	25-27
433 संविधान की द्वितीय अनुसूची में वर्णित गवर्नर जनरल और राज्यपाल के विशेषाधिकार	Privileges of Governor-General and Governors mentioned in Second Schedule to the Constitution	27-28
434 दिल्ली में टाऊन हाल के निकट खम्भों के गिराये जाने के बारे में न्यायिक जांच की मांग	Demand for Judicial Enquiry into Demolishing of Pillars outside Town Hall in Delhi	28
435 दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राइवेट रूप से बैठने की सुविधा	Facility to Appear Privately for Post Graduate Examination in Delhi University	28-29
436 सब प्रकार के मौसमों में चलने वाले जहाज	All-Weather Ships	29-30
437 दिल्ली में धानी सिविल सर्विस के लिए पंजाब के वेतनमान	Punjab Pay-scales for DHANI Civil Service in Delhi	30
438 कलकत्ता स्थित नेताजी संग्रहालय का विकास	Develolment of Netaji Museum, Calcutta	30
439 मैसूर में हुबली में हवाई अड्डा	Aerodrome at Hubli in Mysore	31
440 जम्मू में पाकिस्तानी जासूसों के एक गिरोह का पता लगना	Unearthing of Paak. Spy Ring in Jammu	31
441 गैर-सरकारी कालेजों द्वारा दान लिया जाना	Collection of Donation by Private Colleges	31-32
442 परिक्षाओं में पुस्तकों के उपयोग की अनुमति	Permission to use Books in Examinations	32
443 केन्द्रीय सरकार के फाजिलका के हस्तान्तरण से सम्बन्धित निर्णय पर पुनर्विचार के लिए पंजाब सरकार का अनुरोध	Request by Punjab Government for Review of Union Governments Decision re:transfer of Fazilka	32-33

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
444 संयुक्त समाजवादी दल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by S. S. P.	33
445 कलकत्ता पत्तन से एक जहाज का गायब होना	Disappearance of a Ship from Calcutta Port	34
446 पंजाब सरकार द्वारा फाजिलका और अबोहोर के लिये नहर के पानी की सप्लाई कम करना	Curtailment of Canal Water supply to Fazilka and Abohar by Punjab Government	34-35
447 भारत में विदेशी मानव कल्याणकारी संघटनों की गतिविधियाँ	Activities of Foreign Philanthropic Organisations in India	35
448 शिक्षा मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् को मान्यता	Recognition to Akhil Bharitya Vidyarthi Parishad by Education Ministry	35-36
449 दिल्ली में पुलिस द्वारा अपराध के आंकड़ों का छिपाना	Suppression of Crime Figures by police in Delhi	36
450 एशिया प्रतिष्ठान तथा शान्ति कोर	Asia Foundation and Peace Corps	36-37
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
2791 विदेशी छात्रवृत्तियों के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिए निर्धारित प्रतिशतता	Percentage fixed for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for Foreign Scholarships	37
2792 केन्द्रीय सरकार के आधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, इंजीनियरों; तकनीशियनों तथा विशेषज्ञों के मध्य तृतीय श्रेणी वालों का अनुपात	Ratio of Third Divisioners among I. A. S. Officers and Engineers. Technicians and Expers under Centeral Government	37-38
2793 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा के अन्तर्गत लिये गये अधिकारियों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग का 19वीं प्रतिवेदन	Nineteenth Report of U. P. S. C. on Intake of Officers of Central Engineering Services in C. P. W.	38-39
2794 गुजरात में तटवर्ती राजपथ के निर्माण पर व्यय	Expenditure Incurred on Construction of Coastal Highway in Gujarat	39
2795 चोरी हुई पत्थर की लघु मूर्तियों तथा कांस्य मूर्तियों की संख्या तथा उनका मूल्य	Number and Value of Stone Figures and Bronzes Stolen	39-40

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
2796	इंडियन एयर लाइन्स द्वारा 'डकोटा' विमानों की बिक्री	Disposal of Dakotas by Indian Airlines	40
2797	पालम तथा सान्ताक्रुज हवाई अड्डों पर हैंगरों के ढह जाने के लिये उत्तरदायी ठेकेदारों, इंजीनियरों तथा डिजाइनरों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Contractors Engineers and Designers Held Responsible for Collapse of Hangers at Santa Cruz and Palam Airports	40-41
2798	जनवरी, 1970 के दौरान नई दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं	Road Accidents Occurred in New Delhi during January 1970	41-42
2799	जम्मू तथा काश्मीर में गिरफ्तारियां	Arrests made in Jammu and Kashmir	42
2800	शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग के अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of Officers from Administrative Division of Education Ministry	42
2801	शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Education Ministry	42-43
2802	मैसर्स रोयला कारपोरेशन द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange Violation by M/s. Royala Corporation	43
2803	विदेशी मुद्रा के घुटाले के संबंध में गिरफ्तार किये गये लोग	Persons arrested in Foreign Currency Racket	43-44
2804	अवैध रूप से शस्त्रास्त्र और गोला बारूद रखने पर दण्डित व्यक्ति	Persons Punished for Illegal Possession of Arms and Ammunition	44
2805	राजस्थान में सीमा सड़क परियोजनाओं के गोलमाल का मामला	Bungling Case of Border Roads Projects in Rajasthan	45
2806	बिहार में गिरफ्तार की गई मिस टेलर से मिलने की अनुमति के लिए ब्रिटेन के उच्चायोग द्वारा अनुरोध	Request by British High Commission for Permission to meet Miss Taylor arrested in Bihar	45
2807	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार	Processing of recommendations of Administrative Reforms Commission	45-46
2808	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं का विभाजन तथा उनका सम्बन्ध मंत्रालयों के साथ जोड़ा जाना	Splitting up of C. S. I. R. laboratories and attaching them with respective Ministries	46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
तारांकित प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2809 काश्मीर में हथियारों की तस्करी करने वाला अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह	Internatiknal Arms Smugglers gang in Kashmir	47
2810 पाकिस्तान द्वारा अपहरण किये गये सीमा सुरक्षा बल के जवानों की मुक्ति	Release of Border Security Force Personnel kidnapped by Pakistan	47
2811 विभिन्न समितियों और शिष्टमंडलों में व्यक्तियों का नामानिर्देशन	Nomination of personnel for various Committees and Delegations	47-48
2812 चण्डीगढ़ की तीन मजदूर बस्तियों को हटाना	Removal of three Labour Colonies of Chandigarh	48
2813 सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता देना	Recognition of Government Employees Unions	48-49
2814 आन्ध्र तथा तेलंगाना क्षेत्रों के लिये योजना राशि का आवंटन	Allocation of Plan Funds between Andhra and Telenganna Regions	49
2815 राष्ट्रीय विज्ञान तथा औद्योगिक परिषद् की स्थापना	Establishment of a National Council of Science and Technology	49-50
2816 कलकत्ता पत्तन में हड़ताल के कारण निर्यात-कर्त्ताओं को हानि	Losses sustained by Exporters due to Strike at Cacutta Port	50
2817 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	Council of Scientific and Industrial Research	50-51
2818 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित खानाबदोश और अर्ध खाना बदोश आदिम जातियों को छात्रवृत्तियां तथा मार्ग व्यय देने के लिये आवेदन-पत्र	Applications for Grant of Scholarships and Passage Grants to S. C. S. T, Denotified Nomadic and Semi-nomadic Tribes	51-52
2819 हुगली नदी पर दूसरे हावड़ा पुल का निर्माण	Construction of second Howrah Bridge on Hooghly River	52
2820 लाटरियों के माध्यम से लाभ तथा खर्चे	Profits and Expences through Lotteries	52-53
2821 अनुसूचित जाति की लड़की को विमान परिचारिका के रूप में नियुक्त किया जाना	Appoinment of a Scheduled Caste girl as Air Hostess	53

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं०		
U. S. Q. Nos.		
2822 तेलंगाना के लिये धनराशि के नियतन हेतु तेलंगाना पुनरावकोलन समिति की बैठक	Meeting of Telengana Review Committee for allocation of funds for Telengana	54
2823 तेलंगाना (आंध्र प्रदेश) के लिये धनराशि का नियतन	Allocation of Funds for Telengana (Andhra Pradesh)	54-55
2824 प्रधान मंत्री के मैसूर राज्य के दौरे पर किया गया व्यय	Expenditure incurred on Prime Minister's tour of Mysore State	55-56
2825 महानदी नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करना	Declaration of Mahanadi River as a National waterway	56
2826 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए अतिरिक्त लाभ	Additional benefits for I. A. S Officers	56-57
2827 प्रधान मंत्री द्वारा काश्मीर का दौरा	Prime Minister's visit to Kashmir	57
2828 कछार जिले में चीन के सचित्र और छपे इश्तहारों का बरामद होना	Recovery of Chinese illustrated and Printed leaflets in Cachar District	57-58
2829 दिल्ली में ब्लेक आउट अभ्यास का असफल होना	Failure of Black out exercise in Delhi	58
2830 प्रधान मंत्री द्वारा मैसूर राज्य का दौरा	Prime Minister's tour of Mysore State	59
2831 सीमा पर स्थित गांवों में पूर्वी पाकिस्तानियों द्वारा हमला	East Pakistanis raid on border villages	59
2832 भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक	Pakistani Ntionals residing in India	59-60
2833 विश्व भारती विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Teachers of Visva-Bharati University	60
2834 निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्क को बंदरगाहों पर उतारना चढ़ाना	Handling of iron ore exoprt by ports,	60-62
2835 कम्प्यूटर द्वारा मौसम की पूर्व सूचना देने की पद्धति अपनाना	Change over to computerised weather forecasting	62
2836 विद्रोही नागाओं द्वारा बफादार नागाओं का अपहरण	Kidnapping of loyal Nagas by hostiles	62-63
2837 भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे का औचित्य	Justification of Chinese occupation of Indian territory	63

विषय अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2838 पश्चिमी बंगाल में भारतीय साम्यवादी-दल (मार्क्सवादी) की एकता-विरोधी नीति तथा राष्ट्रपति के शासन के विरुद्ध अभियान	Campaign against anti-unity poilcy of C. P. I· (M) and President's Rule in West Bengal	63-64
2839 गैर-सरकारी युवकों के लिए राष्ट्रीय योजना	National Plan for non-student youths	64
2840 विश्वविद्यालय की पुस्तकों को सस्ते मूल्यों पर देने की योजना	Scheme to supply University books at cheaper rates	64
2841 केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों का तबादला	Transfer of teachers of Central Schools	64-65
2842 नौवहन उद्योग के विकास के लिये आवश्यक विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange required for development of Shipping Industry	65
2843 गोआ में राजनीतिक संकट	Political crisis in Goa	65-66
2844 राज्यों में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखना	Maintenance of Law and order in States	66
2845 दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति	Appointment of second States Reorganisation Commission	66
2846 एयर इन्डिया के जनरल मेनेजर का उसके कर्मचारियों द्वारा घेराव	Gherao of Air India's General Manager by its Staff	66-67
2847 संसोपा तथा किसान तथा मजदूर दल द्वारा भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा करने का अभियान	Land-grab campaign by S. S. P. and peasants and workers party	67
2848 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के निधन के बारे में जांच करने के लिए आयोग	Commission to enquire into the death of Netaji Subhas Chandra Bose	67
2849 कलकत्ता पुलिस एसोशिएशन द्वारा अपनाया गया संकल्प	Resolution adopted by Calcutta Police Association	67-68
2850 गैर-विद्यार्थी युवकों पर नक्सलवाद और साम्प्रदायिकता का प्रभाव रोकने के लिये सलाहकार बोर्ड	Advisory Board to check the influence of Naxalism and Communalism on non-students youths	68
2851 युवक छात्रावासों की स्थापना	Setting up of Youth Hostels	68-69

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2852 हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित केन्द्रीय सरकार के प्रकाशनों के नाम तथा मूल्य	Titles and prices of publications of Central Government brought out in Hindi and English	69
2853 दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारी	Scheduled Castes and Scheduled Tribes officers in Education Department of Delhi Administration	69-70
2854 दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में पदोन्नति	Promotion in Education Department of Delhi Administration	70
2855 दिल्ली में उच्चस्तर माध्यमिक स्कूलों में समाज शास्त्र का पढ़ाया जाना	Teaching of Sociology in Higher Secondary Schools in Delhi	70
2856 चौथी योजना में पश्चिमी बंगाल के लिए 'शिक्षा शीर्षक के अन्तर्गत निधारित राशि	Allocation of Funds under the Head 'Educatin' for West Bengal in Fourth Plan	70-71
2857 पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन तथा बरहामपुर में काम का बन्द होना	Agitation by West Bengal Government Employees and stoppage of Work at Berhampur	71
2858 24 परगना (पश्चिम बंगाल) में शरणार्थियों के लिये राहत कार्य	Relief work for refugees in 24 Parganas (West Bengal)	72
2859 वाहनों की नम्बर प्लेटों पर केवल संख्या लिखने का प्रस्ताव	Proposal to have only numbers on number plates of vehicles	72
2860 आकाशवाणी, नई दिल्ली के युववाणी कार्यक्रम में शिक्षा मन्त्रालय का सहयोग	Education Ministry's Cooperation in YUV VANI programmes of A. I. R. New Delhi	72-73
2861 बन्धों में केन्द्रीय पुलिस कार्य	Role of Central Police in Bandhs	73
2862 बेरोजगार इन्जीनियर	Unemployed Engineers	73-74
2863 प्रशासनिक कार्य करने वाले भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय सिविल सेवा के अवर अधिकारी	I. A. S. and I. C. S. Officers on Executive Duties	74-75
2865 मणिपुर में छिपे नागा	Underground Nagas in Manipur	75

विषय अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	Sbject	पृष्ठ/Pages
2866 कलकत्ता पत्तन पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का तैनात किया जाना	Deploying of Central Industrial Security Force at Clacutta Port	75-76
2867 स्वतन्त्रता के पश्चात् सेवा करने से इन्कार करने वाले आई० सी० एस० के अधिकारी	Members of I. C. S. who refused to serve the Government upon achievement of Independence	76
2868 विदेशियों से यात्री चेकों का ठगा जाना	Duping of foreigners of their travellers Cheques.	76
2869 केरल के एक मन्दिर के सन्दूक में पाये गये चीनी नोटों के सम्बन्ध में जांच	Enquiry re. recovery of Chinese Notes in a temple box in Kerala	77
2871 एयर इन्डिया द्वारा यात्रा के दौरान गोमांस परोसने का विज्ञापन	Advertisement by Air India re. Service of beef on Air India travel	77
2872 नरसिंहगढ़ (मध्य प्रदेश) के प्रागेतिहासिक कालीन गुफा का पता लगाया जाना	Discovery of Prehistoric caves at Narsingarh (Madhya Pradesh)	77-78
2873 नागालैंड और नेफा में धार्मिक प्रचार पर प्रतिबन्ध	Restrictikns on Religious Preaching in Nagaland and NEFA	78
2874 जलन्धर के कालेजों का पटियाला विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध होना	Affiliation of Colleges in Jullundur to University of Patiala	78-79
2876 खाकसार संगठन	Khaksar Organisation	79
2877 नक्सलवादियों का बन्दी बनाया जाना	Arrest of Naxalites	79-80
2878 भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में महिलाओं की नियुक्ति	Appointment of Women to I. A. S. Cadre	80-81
2879 दिल्ली में भूमि पर कब्जा करने का आन्दोलन	Land Grab Movement in Delhi	81
2880 पर्यटक यातायात के लिए चम्बा से मिलाने वालो सड़क की आवश्यकता	Need for Road Link with Chamba for Tourist Traffic	81
2881 ग्रेड तीन के आशुलिपिकों की प्रवरता	Seniority of Grade-III Stenographers	81-82
2882 जनमत संग्रह मोर्चे द्वारा भारत के विरुद्ध प्रचार	Plebiscite Front propaganda against India	83
2883 आन्ध्र प्रदेश के पंचायत चुनावों के समय मारे गये व्यक्ति	Persons killed during Panchayat Elections of Andhra Pradesh	83

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2884 लातीनी अमरीका और योरूपीय देशों से पर्यटकों को प्रोत्साहन देने की योजना	Plan to encouuage Tourists from Latin American and European Coun.ries	84
2885 पश्चिम बंगाल में गांधी साहित्य के विक्रय में कमी	Fall in sale of Gandhian Literature in West Bengal	84
2886 एडिनबरा में हुए नौवें राष्ट्र-मण्डलीय खेल	Ninth Commonwealth Games held at Edinburgh	84-85
2887 जम्बोजेट	Jumbo Jets	85
2888 भारत मूलक विदेशी छात्रों के अध्ययन के लिए भारत में सुविधाएं	Faicilties for Overseas Students of Indian Origin for studying in India	85-86
2889 केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम की मोटर गाड़ियाँ	Vehicles under Central Road Transport Corporation	86-87
2890 नक्सलपंथियों से पीड़ित लोगों को मुआवजा	Compensation to Victims of Naxali.ies	87
2891 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् का विदेशी संस्थानों से सम्बन्ध	Association of Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad with Foreign Institutions	87
2992 साम्प्रदायिक तनावों के सम्बन्ध में जिला प्रशासनों को सशक्त बनाना	Stengthening of District Administrations in Connection with Communal Tensions	88
2893 बिहार के भूतपूर्व मन्त्रियों के विरुद्ध लगाये आरोपों के बारे में केन्द्रीय जांच व्यूरों द्वारा जांच	C. B. I. Inquiry into Charges against Ex-Ministers of Bihar	88-89
2894 दिल्ली में मैजिस्ट्रेटों को विशेष भत्ते का दिया जाना	Grant of Special Allowance to Magistrates in Delhi	89
2897 पालम हवाई अड्डे पर निःशुल्क डाक सुविधा को समाप्त करने का प्रस्ताव	Proposal to stop Free Postage Facility at Palam Airport	89-90
2898 पालम हवाई अड्डे पर पुलिस चौकी	Police Post at Palam Airport	90
2899 दिल्ली में नक्सलवादियों की गतिविधियां	Activities of Naxalites in Delhi	90-91
2900 भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल द्वारा आन्दोलन	Agitation by C. P. I. (M)	91

विषय Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	
2901 बर्दवान हत्याकाण्ड की जांच Inquiry into Burdwan Murder Case	91
2902 आगरा में जवाहरलाल नेहरू पुल Jawaharlal Nehru Bridge at Agra	91-92
2903 नेफा का विकास Development of N. E. F. A.	92
2905 नई दिल्ली में सोवियत दूतावास की एक महिला से बटुआ छीना जाना Snatching away of the Purse of a Woman of Soviet Embassy in New Delhi	92-93
2906 त्रिपुरा में विद्रोही मिजो Hostile Mizos in Tripura	93
2907 एडिनवरा में राष्ट्रमंडल खेल आयोजकों द्वारा भारतीय अधिकारियों के प्रति किया गया भेदभावपूर्ण व्यवहार Discriminatory Treatment Meted out to Indian Officials by Commonwealth Games Organisers in Edinburgh	93-94
2908 भारत के पर्यटन विकास निगम का विकास Development of India Tourism Development Corporation	94
2909 जुम्बो जेट विमानों के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे में सुधार Improvement of Calcutta Airport for Jumbo Jets	94-95
2910 विदेशों में पर्यटक कार्यालय Tourist Offices in Foreign Countries	95
2911 ब्रिटेन से पौण्ड लाने वाला भारतीय नागरिक Indian National involved in bringing sterling from U. K.	95
2912 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम राजनैतिक दलों और संगठनों से इमारत खाली कराने के बारे में वाराणसी के जनसंघ द्वारा अभ्यावेदन Representations by Jan Sangh Organisation in Varanasi Re: Vacation of Building Occupied by Muslim Political Parties and Organisation in Aligarh Muslim University	95-96
2913 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना Grant of Scholarships to Students in Rural Areas	96
2914 मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए योजनायें Schemes for Development of Tourism in Madhya Pradesh	96
29 15 नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहरों और कस्बों में खुदाई Excavation in Cities and Towns on the Bank of River Narmada	97
2916 मध्य प्रदेश में अतिथि गृहों, अवकाश गृहों और विश्राम कक्षों की व्यवस्था करना Provision of Guest Houses, Holiday Homes and Retiring Rooms in Madhya Pradesh	97-98

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2917 कलकत्ता में नक्सलवादियों द्वारा पुलिस कर्मचारियी की हत्या	Killing of Policemen by Naxalities in Calcutta	98
2918 आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों द्वारा हत्याएं	Murders by Naxalites in Andhya Pradesh	98
2919 जलपाईगुड़ी में नक्सलवादियों के दो दलों के बीच संघर्ष	Clash between two groups of Naxalites in Jalpaiguri	98-99
2920 नक्सलपंथियों द्वारा अपहरण तथा हत्या	Kidnapping and Murder by Naxalites	99
2921 दिल्ली के उच्चतर माध्यमिकि स्कूलों में पंजाबी भाषा के स्नातकोतर अध्यापक	Post-Graduate Punjabi Language Teachers in Higher Secondary Schools Delhi	99
2922 दिल्ली में 5 वर्षों से अधिक एक ही स्कूल में लगे हुए अध्यापक	Teachers working in Delhi Schools for more Than Five Years	100
2923 बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कब्जे वाली इमारत का खाली किया जाना	Vacation of Building occupied by R. S. S. in Banaras Hindu University Campus	100
2924 कोरके में एक प्राचीन पत्तन का पता लगाना	Discovery of Ancient Port at Korkay	100-101
2925 बम्बई के पत्तन में जहाजों की भीड़ भाड़ में वृद्धि	Increase in Congestion in Bombay Port	101
2926 मनीपुर के कालेजों में विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश	Admission to Pre-University Course in Manipur	101-102
2927 मनीपुर के सुरक्षा आयुक्त के कर्त्तव्य	Duties of Security Commissioner in Manipur	102
2928 मैसूर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती	Recruitment of I. A. S. Officers in Mysore State	103
2930 माउंट एवरेस्ट तथा नन्दादेवी नामक चोटियों पर चढ़ने वाले भारतीय पर्वतारोही दल	Indian Teams to Mount Everest and Nanda Devi	103-104
2931 शिक्षा को व्यवसाय-प्रधान बनाना	Vocationalization of Education	104
2932 धार्मिक स्थानों पर पर्यटन की व्यवस्था का सुधार करने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Improvement of Tourism in Religious Places	104

विषय अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2933 पुरी से कोणार्क तक सड़क का निर्माण	Construction of Road from Puri to Konarak for Promotion of Tourism	104-105
2934 मानचित्र को छापने का लासेन्स देना	Issue of Licences for Publishing Maps	105
2935 वायुयानों की सीटों तथा पट्टियों के निर्माण के लिए देशी सामग्री का उपयोग	Use of Indigenous Material for Aircraft Seats and Safety Belts	105
2936 सिंधिया हाउस, नई दिल्ली में एयर इंडिया के प्रदर्शन तखते	Air India's hoarding on display at Scindia House, New Delhi	106
2937 जनपरिवहन में यात्रियों की वृद्धि के संबंध में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था की टिप्पणी	Observation of Central Road Research Institute Re. Increase in Passenger Trips by Mass Transport	106-107
2938 दिल्ली परिवहन बसों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की टिप्पणी	Observations of Central Road Research Institute Re. D. T. U. Buses	107
2939 एयर जम्बो जेट विमानों के उतारने के लिये भारतीय हवाई अड्डों का विकास	Development of Indian Airports for receiving Jumbo jets	107-108
2940 हवाई अड्डों के लिये इटली निर्मित राडार	Italian Radars for Airports	108-109
2941 वायुयानों की खरीद के लियेइंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष का वाशिंगटन जाना	I. A. C. Chariman's Trip to Washington for Purchase of Planes	109
2942 विदेशी फर्मों के सहयोग से होटलों का निर्माण	Construction of Hotels in Collaboration with Foreign Firms	109-110
2943 साहु जैन सेवा आलोकोद्योग सेवाओं द्वारा एक विदेशी फर्म के सहयोग से होटल का निर्माण	Construction of a Hotel by Sahu Jain Services Alokudyog Services in Collaboration with a Foreigna Firm	110
2944 नर्मदा नदी तट से रेत का हटाया जाना	Dredging of Sand Bars from Narmada River	111
2946 केरल के प्राचीन मन्दिरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Renovation of ancient Temples in Kerala	111
2947 जनगणना आयुक्त	Census Commissioner	111
2948 भारतीय नौवहन निगम द्वारा दिया गया प्रतिवेदन	Reports submitted by shipping Corporation of India	112

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
2949 श्री ज्योति बसु की हत्या के प्रयत्न के सम्बन्ध में की गई जांच का परिणाम	Result of Enquiry re: attempt on the life of Shri Jyoti Basu	112
2950 भारतीय शैक्षिणिक सेवायें	Indian Educational Service	112-113
2951 मणिपुर में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य तथा उपप्रधानाचार्य की नियुक्ति संबन्धी नियम	Recruitment rules for Principal and Vice-Principal of Higher Secondary Schools, Manipur	113
2952 मणिपुर में स्कूलों में स्नातक हेडमास्टरों के वेतनमान	Pay Scales of Graduate Headmasters in Manipur Schools	113-114
2953 पश्चिमी बंगाल के अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा की गई हड़ताल	Strike by non-Gazetted Officers of West Bengal	114-115
2954 राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के कार्यकर्ता और इससे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति	R. S. S. Workers and Sympathizers	115
2955 सलेम में हवाई-अड्डे का निर्माण	Construction of an Airport at Salem	115-116
2956 पश्चिम बंगाल के कोयला खान वाले क्षेत्र में कानून भंग	Lawlessness in Coal Mine Areas of West Bengal	116
2957 पश्चिम बंगाल में साम्प्रदायिकता को उकसाना	Communal instigation in West Bengal	116
2958 प्रधान मन्त्री को धमकी भरे पत्र	Letters Threatening the Life of Prime Minister	116-117
2959 भुवनेश्वर, दिल्ली, बम्बई और मद्रास के बीच वायुयान सेवा	Air Link between Bhubaneswar, Delhi, Bombay and Madras	117
2960 अखिल भारतीय पर्यटक बस आरंभ करना	Introduction of All-India Tourist Bus Service	117-118
2961 चौथी योजना में भिन्न भिन्न स्थानों पर होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव	Proposal to Construct Hotels at various Places during Fourth Plan	118
2962 असम तथा मेघालय में पर्यटन संबन्धी विकास योजनायें	Development schemes for Tourism in Assam and Meghalaya	119
2963 पाकिस्तानी नागरिकता प्राप्र करने के लिए प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति	Receipt of Applications from Pakistani Nationals for Indian Citizenship	119-120
2964 गवर्नमेंट हिन्दी टीचर ट्रेनिंग कालेज, कलकत्ता	Government Hindi Teachers Training College Calcutta	120

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
2965	भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की सिफारिश	Recommendation of A. R. C. to raise Maximum age Limit of Admission for I. A. S. Examination 120-121
2966	शिक्षा का स्तर	Standard of Education 121-122
2967	जिला चम्पारन (बिहार) के अन्तर्गत आने वाली पार्श्व सड़क का निर्माण	Construction of lateral road falling in District Champaran (Bihar) 122
2969	भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भरती किये जाने वालों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन	Study of Socio-economic background of recruits to I. A. S. 122
2970	गोआ के स्वतन्त्रता संग्रामी संघ द्वारा गृह मन्त्री को ज्ञापन	Memorandum Presented to Home Minister by Freedom fighters Association of Goa 122-123
2971	बड़ी आयु के अशिक्षित लोगों को शिक्षा देने की राष्टीय योजना	National scheme to educate uneducated old people 123
2972	एंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमानों द्वारा यात्रियों, माल तथा डाक का परिवहन	Passengers, freights and Mails is carried by I. A. C. planes 123-124
2973	सीमावर्ती जिलों में कम्युनिस्ट पार्टियों की गतिविधियो में तीव्रता	Intensification of activities by Communist parties in Border Districts 124
2974	नई दिल्ली में बैरे की हत्या	Murder of a waiter in New Delhi 124-125
2975	साम्प्रदायिकता के आधार पर चल रहे कालेजों तथा विश्वद्यिालयों को आर्थिक सहायता	Aid to Colleges and Universities running on Communal basis 125
2976	आसाम में घुसपैठ करने वाले पूर्व पाकिस्तान के मुसलमान	Intrusion of East Pakistani Muslims into Assam 125
2977	दिल्ली में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा हिप्पियों जैसी वेषभूषा पहनने पर प्रतिबन्ध	Ban on use of Hippy Dress by students and teachers in Delhi 125-126
2978	राष्ट्रीय स्वस्थता दल के विकेन्द्रीकरण का पुनर्विलोकन	Review of decentralisation of National Fitness Corps 126

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U, S. Q. Nos.		
2979 दिल्ली के स्कूल अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड में नियमित किया जाना	Regularisation of Delhi School Teachers in P. G. T. Grade	126-127
2980 दिल्ली-आगरा विमान सेवा के लिये डकोटा चार्टर	Dakotas Chartered for Delhi-Agra Air Service	127-128
2981 भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त करने के लिये कानून	Legislation for Abolition of Privileges of Indian Civil Service Officers	128
2982 पश्चिम बंगाल में चौकीदार तथा दफादारों को मजदूरी का भुगतान	Payment of Wages to Chowkidars and Dafadars in West Bengal	128-129
2983 नाविकों के लिये वेतन आयोग की नियुक्ति	Appointment of Pay Commission for Seamen	129-130
2984 विश्वभारती विश्वविद्यालय में गतिरोध	Deadlock in Viswa Bharati University	130
2985 बर्दमान विश्वविद्यालय की इमारत से टाइम बमों का बरामद होना	Recovery of Time Bombs in the Building of Burdwan University	131
2986 राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेननवादी) की गतिविधियां	C. P. I. (M. L.) Activities in States and Union Territories	131-132
2987 हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को पंजाब के वेतन.मान देना	Grant of Pungab Scales to Officer of Himachal Pradesh	132
2988 प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने हेतु विभागीय समिति की नियुक्ति	Appointment of Departmental Committee to Examine Recommendations made by A. R. C.	132
2989 एरोफ्लाट और एयर इंडिया के बीच समझौता	Agreement between Acroflot and Air India	132-133
2990 बिहार में नक्सलपंथी नेतागण	Naxalites Leaders in Bihar	133-134
अतारांकित प्रश्न संख्या 1898 दिनांक 1-8-1969 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 5133 दिमांक 3-4-1970 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य	Correcting Statament to the answers to Unstarred Qustion No 1898 dated 1. 8. 1969 and Unstarred Question No. 5133 dated 3. .4 1970	134-136
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling attention to matter of Urgent Public Importance	136-140

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
केरल में भीषण बाढ़	Flood havoc in Kerala	136-140
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papars Laid on the Table	141-143
विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	143
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes	143
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	143
सभा का कार्य	Business of the House	143-145
जर्मन गणतन्त्र संघ और सोवियत रूस के बीच हुई संधि के बारे में वक्तव्य	Statement re. Treaty signed between Federal Republic of Germany and USSR	145-147
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	148
पश्चिम बंगाल बजट, 1970-71 प्रस्तुत किया गया	West Bengal Budget, 1970-71 Presented	148-150
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव तथा अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव	Motions re. Reports of Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and Committee on Untouchability	150-155
श्री कार्तिक उरांव	Shri Kartik Oraon	
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	155
(अनुच्छेद 74 का संशोधन तथा नये अनुच्छेद 74क का, 74 ख आदि का रखा जाना) [श्रीहरदयाल देवगुण का]	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 74 and insertion of new Articles 74 A, 74 B, etc.) by Shri Hardayal Devgun	155 155-156
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	156
(नये अनुच्छेद 23क, 23ख, और 23ग का रखा जाना) [श्री हरदयाल देवगुण का]	Insertion of new articles (23A, 23 B and 23C etc.) by Shri Hardayal Devgun	156
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	156
(अनुच्छेद 370 का प्रतिस्थान) [श्री हरदयाल देवगुण का]	(Substitution of Aricle 370) by Shri Hardayal Devgun	156
संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill	156
(अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन) [श्री सूरज भान का]	(Amendment of articles 330 and 332) by Shri Suraj Bhan	156
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	156

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री अब्दुल गनी डार	Shri Abdul Ghani Dar	157
श्री बै० ना कुरील	Shri B. N. Kureel	157
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	157
श्री प० ला० बारुपाल	Shri P. L. Barupal	158
श्री राम चरण	Shri Ram Charan	158
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	159
श्री ब० प्र० मंडल	Shri B. P. Mandal	159
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	160
श्री तुलसी दास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	161
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	163
श्रीमती मिनीमाता अगमदास गुरु	Shrimati Minimate Agamdass Guru	163
श्री भारत सिंह चौहान	Shri Bharat Singh Chauhan	164
श्री सिद्दय्या	Shri Siddayya	165
आधे घंटे की चर्चा :	Half an Hour Discussion	165
पाकिस्तान को रूसी हथियारों की सप्लाई	Supply of Soviet Arms to Pakistan	165-171
श्री सभर गुह	Shri Sama Guhar	165
श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh	168

लोक-सभा

LOK-SABHA

शुक्रवार, 14, अगस्त, 1970/23 श्रावण, 1892 (शक)
Friday, August 14, 1970/ Sravana 23, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पालघाट और कोयम्बटूर में कुछ लोगों से भारतीय और विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना

+

*421. **श्री ई० के० नायनार :**
श्री नम्बियार :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री के० रमानी :
श्री के० एम० अब्राहम :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पालघाट और कोयम्बटूर में 11 व्यक्ति 35 लाख रुपये से अधिक की भारतीय मुद्रा के साथ पकड़े गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये व्यक्ति तस्करी और विदेशी मुद्रा के गड़बड़ घोटाले में हुए थे ;

(ग) पकड़े गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) इस बारे में जांच की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) से (घ) : 18 जून, 1970 से 2 जुलाई, 1970 की अवधि में प्रवर्तन निदेशालय ने तमिलनाडु और केरल राज्यों में कुछ व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के तथाकथित उल्लंघन के कुछ मामलों की जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में 20 छापे मारे और कुल 5,08,700 रुपये की भारतीय मुद्रा पकड़ी। इस सम्बन्ध में 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि ये व्यक्ति विदेश में रहने वाले व्यक्तियों के निदेशों के अन्तर्गत अथवा उनकी ओर से भारत में भुगतान करने और भुगतान लेने में अन्तर्ग्रस्त थे, जिससे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ।

गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के नाम इस प्रकार है :—

(1) श्री एम० के० एम० ताजुद्दीन
(2) श्री शेख मुहम्मद
(3) श्री ई० एम० एम० रजूक
(4) श्री ई० एम० एम० बशीर अहमद
(5) श्री ई० एम० एम० नरूल अमीन
(6) श्री एम० ए० सैफुद्दीन
(7) श्री पी० एस० हुसैन
(8) श्री काजा मोहिद्दीन
(9) श्री वी० खादर इब्राहीम
(10) श्री एम० एम० अब्दुल खादर

श्री ई० के० नायनार : कोयम्बटूर और पालघाट में विदेशी मुद्रा में अवैध व्यापार करने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ा गया जिससे 30 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। मगर सरकार केवल 5 लाख रुपये ही जब्त कर पाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि सिर्फ केरल में कितने लोग इस गिरोह में शामिल हैं और कहां गिरफ्तार किए गये लोगों के पास से कोई दस्तावेज बरामद हुए हैं और यदि हां, तो उन कागजातों से क्या जानकारी प्राप्त हुई है। क्या यह सच है कि गिरफ्तार किये गए लोगों का मलयेशिया और सिंगापुर में कुछ व्यक्तियों के साथ संबन्ध है और क्या यह भी सच है कि मलयेशिया और सिंगापुर के इन व्यक्तियों ने केरल के इन लोगों को कुछ गुप्त संकेत दिये और इन्हें 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक प्राप्त हुए। और यदि हां, तो इस गिरोह को एवं मलयेशिया और सिंगापुर के साथ इनके संबन्धों को निर्मूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : इस मामले की जांच 16 जून, 1970 को आरम्भ हुई। तामिलनाडु और केरल में कुछ व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन करने के मामलों की जांच के प्रसंग में प्रवर्तन निदेशक द्वारा 18-6-1970 से 2-7-1970 के बीच 20 छापे मारे गए जिसके फलस्वरूप 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 11 कोयम्बटूर के थे, 5 पालघाट के, दो मदुरै के, और एक ईरोड का था। इन लोगों के पास से कुल 5,08,700 रुपये की

भारतीय मुद्रा बरामद की गई हैं। पकड़े गए कागजातों से पता चलता है कि कुल 32,20,000 रुपए का व्यापार किया गया है। इन लोगों पर यह आरोप है कि ये विदेशों में रहने वाले लोगों के अनुदेशों पर या उनकी ओर से भारत में भारत के रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना भुगतान करते हैं अपना भुगतान स्वीकार करते हैं और इस प्रकार वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की घाटा का उल्लंघन करते हैं।

जहां तक मलयेशिया, और सिंगापुर के कुछ लोगों के साथ इन लोगों के संबन्ध के बारे में माननीय सदस्य के प्रश्न का संबन्ध है, यह सच है कि कुछ कागजात पकड़े गए हैं जिनसे पता चलता है कि उक्त राशि में से कुछ अंश सिंगापुर से भेजा गया है।

श्री ई० के० नायनार : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इन अवैध व्यापार करनेवाले व्यक्तियों द्वारा टोकन भेजे गए जो कि उन्हें मलयेशिया और सिंगापुर से मिले थे और क्या कोयम्बटूर के कुछ मिल मालिकों का इस गिरोह के साथ संबन्ध था। क्या यह भी सच है कि प्रवर्तन निदेशालय ने यह कहा कि रुपए पानेवाले लोग केवल केरल में ही हैं? उनमें से कितने लोग त्रिचूर, ओलबक्कोड्, वर्कला, और पालघाट में यह काम कर रहे हैं? कुछ दिन पूर्व मुझे सूचना मिली थी कि कोयम्बटूर और पालघाट की सीमा में 11 लाख रुपए की जाली मुद्रा पकड़ी गई है। मुझे कुछ अधिकारियों से मिलने का मौका मिला और मैंने इसके बारे में पूछताछ की **(व्यवधान)** श्रीमान्, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्या यह सच है कि पालघाट और कोयम्बटूर की सीमा से प्रवर्तन अधिकारियों ने 11 लाख रुपए की जाली मुद्रा बरामद की है? क्या यह भी सच है कि इस गिरोह का केरल के कालिकट, बड़गरा, और कासरगोड़ में रहनेवाले कुछ बड़े व्यापारियों के साथ संम्बन्ध है और अब उनका केरल सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के साथ संम्बन्ध है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि कुछ बड़े व्यापारी लोग जिनका 31 जुलाई-अगस्त के पहले तस्कर व्यापारियों के साथ संबन्ध था, अब सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के साथ संबन्धित है। इस मामले में किसी भी प्रकार के राजनैतिक हस्तक्षेप के बिना सरकार इस गिरोह को पकड़ने के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री रामनिवास मिर्धा : जैसा मैंने अभी कहा कोयम्बटूर, पालघाट, मदुरै और ईरोड में कुछ स्थानों में छापे मारे गए और कोयम्बटूर के कुछ व्यापारियों के घरों की तलाशी ली गई। इसके फलस्वरूप वहां के कई कागजात पकड़े गए। जाली मुद्रा के पकड़े जाने के संबन्ध में मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि वह इस मामले से संबन्धित नहीं है।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं इस प्रसंग में यह कहना चाहती हूँ कि न्याय के मार्ग में राजनैतिक विचारों को आने नहीं दिया जाता।

श्री ई० के० नायनार : कांग्रेस दल के कुछ बड़े व्यापारी इस तस्कर व्यापार से संबन्धित है।

डा० रामसुभग सिंह : वहां धपलेबाजी चलती है, प्रशासन नहीं चल रहा है।

श्री ई० के० नायनार : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापारो के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जैसा मैंने अभी कहा न्याय के प्रशासन में किसी भी प्रकार के रज-

नैतिक विचारों को आने नहीं दिया जायेगा चाहे वे विदेशी मुद्रा के मामले से संबन्धित हो अथवा अन्य किसी मामले से।

श्री पी० पी० एस्थोस : तस्कर व्यापार और जाली मुद्रा बनाने का काम आज देश में बहुत अधिक बढ़ गया है। हाल में, केरल में कोट्टयम जिले के मुंडक्कयम में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और 5 लाख रुपये की जाली मुद्रा बरामद की गई। वह आदमी अब पुलीस की हिरासत में है। क्या भारत सरकार तस्कर व्यापार और जाली नोट छापने का काम रोकने के लिये कुछ कड़ी कार्यवाही करेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा : इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार कुछ कानूनी एवं प्रशासनिक कार्यवाही कर रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दो सप्ताह में 5 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा का घोटाला किया गया और आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ कार्यवाही कर रही है, आप कितनी काल्पनिक बात कह रहे हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : हमारी सतर्कता के कारण ही इन लोगों को पकड़ा जा सका है।

श्री कं० लक्कप्पा : विदेशी चीजों का अवैध व्यापार और जाली नोट छापना इस देश में कोई नई बात नहीं है। यह काम सालों से चल रहा है। मुझे पता चला कि अकेले कोयम्बटूर में 1 करोड़ रुपए के मूल्य का तस्कर माल पकड़ा गया कई मन्दिरों की हुडियों में विदेशी मुद्रा पाई गई है। हाल में केरल में एक कृष्ण के मन्दिर में चीन की मुद्रा पाई गई जो शायद केरल के मन्दिरों तक में काम करनेवाले चीन के एजेंटों का काम है। अब चूंकि केरल और तमिलनाडु में विदेशी माल मुद्रा का अवैध व्यापार और जाली नोट छापने का काम चल रहा है और चूंकि कुछ मठ और अन्य धार्मिक संस्थाओं को भी इस सिलसिले में दोषी पाया गया है, क्या सरकार इन मठों और धार्मिक संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी हां। जब भी ऐसे मामले सरकार के ध्यान में आयेंगे, कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

श्री श्रद्धाकर सुपकार : प्रश्न किसी खास समय के अन्दर चले तस्कर व्यापार के बारे में नहीं था। मगर उसका जवाब इस वर्ष 18 जून और 2 जुलाई के बीच हुए तस्कर व्यापार के सम्बन्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जून, 1970 के पहले भी व्यापक तौर पर तस्कर व्यापार चल रहा था। और, यदि हां, तो उस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई।

श्री राम निवास मिर्धा : समय समय पर जरूर छापे मारे जाएंगे। मगर अधिक जानकारी के लिए आपकी सूचना देनी पड़ेगी।

Shri Yamuna Prasad Mandal : We are glad to note that between 18th June and 2nd July, twenty raids were carried out. May I know whether the Government will conduct such raids in other parts of the counrty also ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The Government always try to see that the Schemes of raiding the smuggling centres are carried out on an extensive scale. This has started yielding good results also.

Shri Ram Charan : May I know from the hon. Prime Minister whether she has received any complaint to the effect that an international glang of smugglers is operating here and importing paper from abroad and printing fake currency notes ?

अध्यक्ष महोदय : यहां एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है । मगर वे एक आप प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री प० गोपालन : हाल में केरल जैसे राज्यों में विदेशी मुद्रा का घोटाला तथा अन्य तस्कर व्यापार कार्य ज़ोरों से चल रहा है । मैं मन्त्री महोदय से निश्चित रूप से जानना चाहता हूँ कि क्या इन गिरोहियों और तस्कर व्यापारियों को किसी राजनैतिक दल का संरक्षण प्राप्त होता है ।

श्री रामनिवास मिर्धा : जैसा कि प्रधान मन्त्री ने कहा, किसी भी मामले में राजनैतिक विचार को आने नहीं दिया जाता ।

श्री प० गोपालन : मन्त्री महोदय एक सामान्य बात कह रहे हैं जबकि मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है । मैंने मन्त्री महोदय से यह नहीं पूछा था कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करते समय राजनैतिक विचार को ध्यान में रखा जाता है या नहीं । मैंने विशिष्ट रूप से पूछा था कि क्या सरकार ने इस मामले पर विचार किया है कि क्या कोई राजनैतिक दल इस अवैध व्यापार का समर्थन करता है ।

श्री रामनिवास मिर्धा : तस्कर व्यापारियों के साथ किसी राजनैतिक दल के संबन्ध के बारे में अब तक कोई तथ्य सरकार के ध्यान में नहीं आये हैं ।

श्री प० गोपालन : क्या आप सही स्थिति का पता लगाने की कोशिश करेंगे या जो कुछ कह रहे हैं विश्वास के साथ कह रहे हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा : पूरे विश्वास के साथ ।

डकोटा विमान सेवा वाले चार मांगों को गैर-सरकारी विमान चालकों को सौंपने का प्रस्ताव

†

*422. **श्री कोलाई बिरुआ :** **श्री नि० रं० लास्कर**

श्री नारायण : **श्री दंडपाणि :**

श्री मयावन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि डकोटा विमान सेवा वाले जिन चार अलाभप्रद मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमान चलाये जाते हैं उन्हें गैर-सरकारी विमान चालकों को सौंप दिया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उक्त मांगों पर विमान सेवा चलाने से इंडियन एयरलाइन्स को कुल कितनी हानि हुई ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) : जी, नहीं । इसके विपरीत, इंडियन एयरलाइन्स ने इन विमान सेवाओं का परिचालन जारी रखने का निर्णय किया है यद्यपि ये सेवायें अलाभप्रद है ।

(ग) : वर्ष 1968-69 के दौरान होने वाली हानि का अनुमान 48.95 लाख रुपये लगाया गया है ।

श्री कोलाई बिरुआ : इन मांगों को गैर सरकारी विमान चालकों को सौंपने की बजाये क्या सरकार बम्बई-सूरत, कोल्हापुर-शोलापुर और गोरखपुर-पटना-मुजफ्फरपुर आदि हवाई मार्गों पर

पर्याप्त रूप से विमान सेवा बढ़ाने सम्बन्धी किसी वैकल्पिक योजना पर विचार कर रही है । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ? दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1967-68 और 1968-69 में इन मार्गों पर विमान चलाने से इन्डियन एयर लाइन्स को कितनी आय हुई ।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न के अन्तर्गत यह कैसे आ सकता है ? उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या यह सच है कि इन्डियन एयर लाइन्स के डकोटा विमान के 4 अलाभकर मार्गों को गैर-सरकारी विमान चालकों को सौंपने का निश्चय किया है । अब आप अन्य मार्गों की विमान सेवाओं के बारे में पूछ रहे हैं ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : जहां तक मैं समझ पाया हूँ यह प्रश्न अन्य विमान मार्गों के सम्बन्ध में है जो मेरे द्वारा उल्लिखित मार्गों से भिन्न है मेरे विचार से, माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या कुछ अन्य मार्गों पर इन डकोटा विमानों को चलाने का सरकार का कोई विचार है । अन्य मार्गों पर विमान सेवा अभी आरम्भ नहीं की गई है और इन्डियन एयर लाइन्स का इन मार्गों पर नई अतिरिक्त विमान आरम्भ करने का विचार नहीं है । मुख्य बात यह है कि डकोटा विमान बहुत आलाभकर है । वास्तव में हम इसको धीरे-धीरे हटा रहे हैं । अतः नयी डकोटा सेवा शुरू करना असंभव है । फिर भी, अगर गैर-सरकारी विमान चालक उन मार्गों पर विमान सेवा आरम्भ करने के इच्छुक हैं, जहां विमान निगम अधिनियम के अन्तर्गत इन्डियन एयर लाइन्स की विमान सेवा नहीं है तो हम निश्चय उनके सुझावों पर विचार करेंगे ।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या यह सच नहीं है कि अब अधिकांश डकोटा विमान पुराने एवं अनुपयोगी हो गये हैं और यदि हां, तो क्या सरकार उनकी जगह अन्य विमान चलाने जा रही है ताकि ये मार्ग लाभकर बन सकें ।

डा० कर्ण सिंह : स्पष्टत : उसकी जगह नये विमान चलाने का हमारा विचार है नये विमानों से कानपुर में बनाये गये एच एस 748 भी शामिल हैं । डकोटा की जगह इन विमानों को चलाया जाएगा ।

श्री मनुभाई पटेल : क्या सरकार इन्डियन एयर लाइन्स कॉरपोरेशन और एयर इन्डिया दोनों के अधीन विमान सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की अपनी नीति से पीछे हट रही है ? माननीय मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि अगर गैर-सरकारी विमान संचालक तत्पर हैं, तो उन्हें उन हवाई मार्गों को देने पर विचार किया जायेगा जहां इन्डियन एयर लाइन्स की विमान सेवा कायम नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन कर रही है और गैर-सरकारी संस्थाओं को कुछ हवाई मार्गों पर विमान चलाने की अनुमति दे रही है ।

डा० कर्ण सिंह : जी नहीं, इसमें नीति में परिवर्तन करने की कोई बात नहीं है । जब विमान निगम अधिनियम पास किया गया था, तो उसमें एक विशिष्ट उपबन्ध था कि कुछ मार्गों पर गैर-सरकारी विमान चालक विमान चला सकते हैं । वर्तमान स्थिति यही है और 1953 से जब कि विमान निगम बनाया गया । अब तक यह स्थिति कायम रहती है । स्वीकृत नीति से पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता । यह हमारी नीति के बिल्कुल अनुसरण में है । मैं इस सम्बन्ध में एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जिन मार्गों में इन्डियन एयर लाइन्स अपने विमान चलाता है या चलाना चाहता है, वहां गैर-सरकारी विमान चालकों को विमान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

श्री हेम बरुआ : चूंकि अब नेफा में कलिंगा एयर लाइन्स की विमान सेवा नहीं है, क्या यह सच है कि श्री बिजू पटनायक ने अन्य स्थान पर अतिरिक्त विमान सेवा आरम्भ करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है, और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० कर्ण सिंह : मुझे इसकी कोई तुरन्त जानकारी नहीं है ।

हेम बरुआ : मन्त्री महोदय इससे इनकार नहीं करते । वे केवल कहते हैं कि उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं है ।

श्री लीलाधर कटकी : क्या यह सच नहीं है कि ये डकोटा विमान अलाभकर होते हुए भी उत्तरपूर्वी एवं अन्य दुर्गम स्थानों में प्रतिरक्षा की आवश्यक चीजें पहुंचाने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ? अगर वे पुराने पड़ गए और उत्तरपूर्वी दुर्गम पर्वतीय प्रदेशों की विमान सेवा के लिये अपर्याप्त हैं, तो क्या सरकार ने उन प्रदेशों में विमान सेवा चलाने के लिये डकोटा के किसी समुचित स्थानापन का पता लगाया है ?

डा० कर्ण सिंह : यह सच है कि उत्तरपूर्वी प्रदेशों में डकोटा विमान की सेवा महत्वपूर्ण रही है । यही कारण है कि यद्यपि इस वर्ष वहां की विमान सेवा के एक करोड़ रुपए की हानि का अनुमान है, फिर भी हम उसे वहां जारी रख रहे हैं । जहां तक इसको किसी अन्य विमान द्वारा बदलने का प्रश्न है । उन प्रदेशों में आव्रो 748 विमान अच्छी तरह चलाया जा सकेगा और पर्याप्त संख्या में विमानों का निर्माण होते ही, हम इसको चलाना आरम्भ करेंगे । अत: माननीय सदस्य के मन में इसके प्रति कोई आशंका नहीं होनी चाहिए ।

श्री नगर में दिल्ली के कलाकृति व्यापारियों की गिरफ्तारी

+

424. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : **श्री लखन लाल कपूर** :

श्री रामावतार शर्मा : **श्री मोहन स्वरूप** :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने श्रीनगर में बिजबेहारा के निकट दिल्ली के जिन कलाकृति व्यापारियों को गिरफ्तार किया है उनके पास से देश में अब तक प्राप्त सब से अधिक निषिद्ध मुद्रा का पता चला है और क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस काम में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : **(क) और (ख)** : जम्मू व काश्मीर राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 7 जुलाई, 1970 को राज्य पुलिस ने दिल्ली के तीन व्यक्तियों से, जबकि वे खानाबाल अनन्तनाग में कार से यात्रा कर रहे थे, 720845 और 741 (स्ट्रलिंग) बरामद किये । उन तीनों में से एक दिल्ली ब्रासवेयर दुकान का मालिक बतलाया जाता है । बताया जाता है कि इसमें वह पुरानी कलाकृतियों का व्यापार भी करता है । कार के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया ।

मामले की छानबीन की जा रही है ।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मेरे प्रश्न में विशिष्ट रूप से कहा गया है कि प्राप्त समाचार के अनुसार दिल्ली के तीन कलाकृति-व्यापारियों को श्रीनगर में बिजबहारा के निकट गिरफ्तार किया गया है। मन्त्री महोदय ने कहा कि उन्हें खानाबाल और अनन्त नाग में गिरफ्तार किया गया है। पता नहीं यह सच है या नहीं। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान ५ जुलाई के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छापे एक समाचार की ओर आकर्षित करता हूँ। विदेशी मुद्रा के घोटाले का प्रश्न सदन के अन्दर और बाहर बहुत अधिक हो गया है। दुर्भाग्यवश, ये दुखद घटनायें केरल से काश्मीर तक होती है। हिन्दुस्तान टाइम्स के समाचार में यह भी कहा गया है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा के तस्कर व्यापार के गिरोह में काश्मीर के कुछ बड़े लोग भी शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप कोई आरोप मत लगाइये

श्री बे० कृ० दासचौधरी : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं।

मैं सरकार की ओर से जानना चाहता हूँ कि क्या इस समाचार के सम्बन्ध में उन्हें कोई विशिष्ट जानकारी प्राप्त हुई है, और यदि हां, तो क्या कार्यवाही करने का उनका विचार है। दूसरे मैं जानना चाहता हूँ कि केरल और कश्मीर में हुई मुद्रा के घोटाले की घटनाओं को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक वर्ष देश को विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ रही है। यह चाहे 10 करोड़ रुपये की है या 15 करोड़ रुपये की क्या सरकार ने इसका कोई अनुमान लगाया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे माननीय मित्र ने अभी एक समाचार का जिक्र किया। मगर मैं राज्य सरकार के रिपोर्ट के आधार पर कहना चाहता हूँ। मैंने जो जानकारी दी है, वह राज्य सरकार द्वारा दी गई थी। कश्मीर के मामले में कुछ बड़े अधिकारियों के शामिल होने का जहाँ तक सवाल है, अगर वे जम्मू और काश्मीर सरकार के बारे में कहते हैं तो, मैं उनसे केवल यही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की पुलिस ने अवैध व्यापारियों को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार को सूचना दी। इससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिये। राज्य सरकार ने तुरन्त कार्यवाही की और दोषी लोगों को गिरफ्तार किया और सारा धन बरामद कर लिया गया है। जहाँ तक विदेशी मुद्रा के मामले का सम्बन्ध है; प्रश्न वित्त मन्त्रालय से पूछा जाना चाहिये।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : यह अच्छी बात है कि विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित प्रश्न का उत्तर देने से मन्त्री महोदय बचने की कोशिश करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन मामलों का पता लगाया है और कुछ कार्यवाही की है। यह एक अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापार गिरोह बन गया है। क्या केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इसकी जांच कराने को तैयार है क्योंकि इससे जम्मू और काश्मीर सरकार को तथा आम तौर पर भारत सरकार को विदेशी मुद्रा का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है ? क्या सरकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसकी जांच करायेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : लगता है कि माननीय सदस्य इस मामले की गम्भीरता को ठीक से समझाते नहीं हैं। इस देश में बाहर से चोरी छिपे माल लाया जाता है। इन तस्कर व्यापारियों को बाहर से राशि मिलती है। यह बात सुविदित है कि इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिए हम कई कदम उठाते आ रहे हैं और इन वर्षों में हमने इस सम्बन्ध में कानून भी बहुत कड़ा कर दिया है। प्रवर्तन विभाग के एजेन्सियों की संख्या बढ़ा दी गई और तटवर्ती क्षेत्रों में तस्कर व्यापार को रोकने का कार्य अधिक तेज कर दिया गया है। सुरक्षा दल को और अधिक गतिशील बना दिया गया है। हमारा गुप्त वार्ता विभाग देश के अन्दर और बाहर अच्छी तरह कार्य कर रहा है।

श्री बे० कृ० दासचौधरी : गिरोहों की संख्या भी बढ़ गई है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इन कार्यवाहियों के फलस्वरूप ही इनका अधिकाधिक पता लगाया जा रहा है। इसीलिए आपको उनकी अधिक जानकारी है।

Shri Ram Avtar Sharma : Mr. Speaker, Sir, before asking the question, I would like to draw your attention to this question. This was admitted in English. The English text of the question reads as follows :

"whether the arrest of three Delhi curio dealers was made by the police near Bijbehara in Srinagar which led to one of the largest hauls of contraband currency .....etc."

Please see, how ridiculously it has been translated into Hindi. This kind of negligence towards Hindi should not be there.

May I know whether the curio dealers who were arrested, were recognised as such and the incidence of such cases in the courtry every year. It appears that this has become regular business.

Secondly, the law relating to such cases, is so weak that it obstructs the police in taking stringent action against these culprits . This is the reason why smuggling operations are on the increase in the country. May 1, know why the Government is not entrusting this trade to the State Trading Corporation ?

Shri K. C. Pant: I could not catch your point. Do you want that this smug gling business be entrusted to the S. T. C. ?

Shri Ram Avtar Sharma : I want that this business with which big bungling in foreign exchange is associated should be entrusted to the S. T. C.

Shri K. C. Pant : The business can be entrusted to the S. T. C. But how can the smuggling be entrusted to them ?

Shri Ram Avtar Sharma : Mr. Speaker, Sir, none of my questions has been replied Are these dealers recognised, who were arrested ? The law which deals with t these cases, is very elastic and this—creates hurdles in the way of the police in taking action against these people. These questions should be answered.

Shri K. C. Pant : As I have mentioned in my statement one of the arrested persons, is said to be the owner of a shop in Delhi. But he was not arrested in connection with any malpractice in the shop. Foreign currency was recovered from him. The police have arrested him and the investigation is going on now. At present they are on bail.

Shri Ram Avtar Sharma : Is he a recognised dealer ?

Shri K. C. Pant : He is the owner of a brass ware shop and also deals in curio. As far as the question of recognition is concerned, I do not know whether it needs licence or not. But if he is possessing a licence, it may be for this purpose.

Shri Ram Avtar Sharma : The law is so elastic that the police is not able to take any strong action against these people. He did not say anything in this regard.

Shri Lakhan Lal Kapoor : Have any documents been recovered from the arrested person regarding the international gang of smugglers involving some big business men of Delhi and Stringar ?

Secondly, have the Government made any investigation to find out the political affiliations of the arrested persons ?

Shri K. C. Pant : Some instruments of forging of foreign currency were recovered from them on the back side of which were some initials in English. On the basis of these initials the police raided cerrtain business houses in Srinagar and recovered some materials from there also.

As far as the question of their connection with political parties is concerned, the report makes no mention in this regard. Hence it appears thzt these people might not be having any connections with political parties.

Shri Lakhan Lal Kapoor : Has the Government made any enquiry to find out whetheir they are having any political affiliations or not ?

Shri K. C. Pant : I do not think that the politics has fallen to such on extent as would make it an adjunct of smuggling .

श्री श्रीचन्द्र गोयल : माननीय मन्त्री एक सदस्य को बता रहे थे कि वह इस प्रश्न को गम्भीर रूप में नहीं ले रहे हैं। मगर मुझे ऐसा लगता है मन्त्री महोदय ने उल्टी बात कही है। असल में मन्त्री महोदय इस मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करते। मैं जानना चाहता हूं कि इन गिरोहियों का कुछ अन्य गिरोहियों के साथ संबन्ध है क्योंकि यह अवैध मुद्रा के व्यापार का मामला है। अत: हम इसको राज्य सरकार के जिम्मे पर नहीं छोड़ सकते हालांकि राज्य के पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की हैं। प्रश्न यह है कि क्या केन्द्रीय सरकार इसमें तत्परता दिखाती है और क्या वह इनका और गिरोहियों के साथ संबन्ध का पता लगाया है क्योंकि गत साल दिल्ली के और चण्डीगढ़ के अजायबघरों से कई चीजों की चोरी हो गई। अब इन कलाकृतियों की चोरी में इन अजायबघरों से हुई है, अत: क्या चोरी की पहले से इन घटनाओं से इसका कोई संबन्ध है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं समझता हूँ कि वह पहले प्रश्न के बारे में कह रहे हैं और इस संबन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि दोनों की जांच की जा रही है। अब इसके बारे में कुछ कहना कठिन होगा। पहला प्रश्न सिंगापुर और मलयेशिया से जो मुद्रा का अवैध व्यापार हुआ, उसके सम्बन्ध में और दिल्ली तथा कश्मीर के व्यापारियों के बीच हुए मुद्रा व्यापार तथा संभवत: कलाकृतियों की बिक्री के संबन्ध में है। स्पष्ट: अजायबघर की चोरी और इन घटनाओं के बीच कोई आपसी संबन्ध नहीं है।

Implementation of Recommendations contained in Fourteenth Report of A. R. C.

*425. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 882 on the 27th February, 1970 regarding the implementation of recommendations contained in the Fourteenth Report of the Administrative Reforms Commission and state :

(a) whether the recommendations contained in the 14th Report of the Administrative Reforms Commission have been considered for implementation ;

(b) if so, the conclusions arrived at ; and

(c) if not, the reasons for this delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) to (c) As most of the recommendations in this report primarily concern State Governments, the report has been sent to them for consideration.

Shri Molahu Prasad : Mr. Speaker, Sir, the Minister just now stated that most of the recommendations contained in the report concern state Governments and therefore it has been sent to them for consideration. May I know from the hon. Minister as to when the report was sent to the state Governments and what their reaction was thereto ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The Fourteenth Report of the Commission to which the question refers, concerns primarily State Governments and the main recommendation therein relate to the State administration. Therefore as soon as the Government received it on 4th November, 1969, it was sent to State Government for their comments.

Shri Molahu Prasad : Mr. Speaker, Sir, in view of the fact that the Report was sent to State Government as for back as November, 1969 and thus far they have not sent their comments in this regard may I know the reasons for the Central Governments apatyhy in the matter ?

Secondly, may I know whether the hon. Minister will lay on the Table of the House, the statement regarding the terms of reference of the Administrative Reforms Commission and also state how many items are there which have not been considered by the Commission and also why the Commission was wound up without considering these items ?

Shri Ram Niwas Midha : There is no question of helplessness on the part of the Government in this matter, because the central Government writes to State Governments from time to time requesting them to take necessary steps in this regard since this matter is concerned with them. The last one in this connection was written in July, 1970.

As regards the question of winding up the commission, I must say that the main work entrusted to them had been completed and apart from that the commission had prepared many other reports. Therefore, it was decided to wind up the Commission.

Shri Molahu Prasad : The question has not been fully answered. On how many items included in the terms of reference the commission made its recommendation and how many are left unconsidered ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Only one item is left unconsidered and that is regarding agricultural administration. Since this item concerns the Agricultural Commission that is going to be set up shortly it was felt proper not to consider this item. Apart from this, all other items were considered and reports were prepared on them..... **(Interruption)**.

Shri Prem Chand Verma : The Minister stated that the report was received on 4th November, 1969, and immediately after that, it was sent to state Governments. May I know whether the Government mentioned any time limit within which the State Governments were to send their replies if so, the time limit mentioned therein and if not, the reasons therefor ? In view of the fact that millions of rupees are spent on these reports, may I know whether the Central Government will take any tangible step in this regard so that the State Governments may send their replies within the prescribed time-limit ?

Shri Ram Niwas Mirdha : As I submitted earlier, we write to State Governments from time to time. The hon. Member will appreciate that the constitutional law under which we are functioning, there are so many matters on which only the State Governments can take any action. Therefore, to say that a time limit should be prescribed for the State Governments to take necessary action writhin that time does not seem to be proper..... **(Intrupption)**.

'साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित क्षेत्रों पर सामूहिक जुर्माने'

+

*427. **श्री गणेश घोष :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को साम्प्रदायिक दंगों से प्रभावित किसी भी क्षेत्र पर सामूहिक जुर्माने लगाने को कहा है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सब सम्बद्ध राज्यों की सहमति से उक्त निदेश भेजे गए हैं;

(ग) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि यह साम्प्रदायिक दंगे मुट्ठी भर लोगों द्वारा अपने स्वार्थ के लिए कराये जाते हैं जब कि अधिकांश जनता निर्दोष होती है और इसका शिकार बन जाती है;

(घ) क्या सरकार यह भी स्वीकार करती है कि इन सामूहिक जुर्मानों को लगाए जाने से निर्दोष लोग अवश्य प्रभावित होंगे; और

(ङ) यदि हां, तो दंगे से प्रभावित क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या को मुट्ठी भर लोगों के अपराध के लिए सरकार द्वारा दण्डित किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

23 मई, 1979 को कुछ मुख्य मंत्रियों के साथ देश में साम्प्रदायिकता की स्थिति पर अनौपचारिक बातचीत में सामान्य सहमति थी कि उन क्षेत्रों में, जहां साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं, दण्डकर लगाना शीघ्र शान्ति स्थापित करने के लिए कारगर हो सकता है । इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति राज्य सरकारों को स्पष्ट कर दी गई है । पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अधीन राज्य सरकार राज्य के अन्दर किसी भी क्षेत्र को दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकती है, किसी ऐसे दंगाग्रस्त क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस तैनात कर सकती है और उस क्षेत्र के निवासियों से ऐसे बल का खर्च वसूल कर सकती है । यह सिफारिश की गई थी कि बड़े साम्प्रदायिक दंगे के प्रत्येक मामले में ऐसी अधिसूचना एक सामान्य प्रक्रिया बन जानी चाहिये । ऐसी बसूलियों से छूट यथोचित और व्यक्ति निर्पेक्ष आधार पर होनी चाहिये जैसे उनके पक्ष में, जिनको सक्रिय रूप से शान्ति और व्यवस्था कायम करने में, या अपराधियों को पकड़ने में या लूटी हुई सम्पति बरामद करने में सहायता करते पाया गया हो या जो वास्तव में दंगे से पीड़ित हुए हों, इस संबंध में सरकार की नीति की स्पष्ट और निश्चित घोषणा की जानी चाहिये । इसके साथ-साथ ऐसी नीति के व्यापक प्रचार का सम्भवतः लाभदायक असर होगा और निश्चित रूप से साम्प्रदायिकता ग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश निवासी आर्थिक दण्ड से संबद्ध हो जायेंगे । इससे केवल साम्प्रदायिक दंगे रोकने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि तत्काल शान्ति व्यवस्था कायम करने में भी सहायता मिलेगी ।

श्री गणेश घोष : मुझे कोई विवरण नहीं मिला है ।

श्री राम निवास मिर्धा : अगर आपकी अनुमति हो, तो मैं विवरण पत्र पढ़कर सुना दूं । यह इस प्रकार है :

"कुछ मुख्य मंत्रियों के साथ अनौपचारिक विचार विमर्श के दौरान...

श्री लोबो प्रभु : विवरण पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है। इसलिए इसे पढ़कर सुनाये जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये। यह हमारे पास पहले से ही है। अगर वह इसे पढ़कर सुनाने लगे, तो इससे देरी ही होगी।

अध्यक्ष महोदय : उनको नहीं मिला। क्या वजह है कि अन्य सदस्यों को यह मिल गया है?

श्री लोबो प्रभु : यह सभी को मिल चुका है।

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम : विवरण-पत्र सभी को उपलब्ध नहीं किया गया है।

श्री गणेश घोष : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किन्हीं राज्य सरकारों से दण्डात्मक जुर्माने लगाने के बारे में सुझाव प्राप्त हुये हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने विवरण नहीं पढ़ा है और इसीलिए वह इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूं।

23 मई, 1970 को कुछ मुख्य मंत्रियों के साथ देश में साम्प्रदायिकता की स्थिति पर अनौपचारिक बातचीत में सामान्य सहमति थी कि उन क्षेत्रों में, जहां साम्प्रदायिक दंगे हुये हैं, दण्डकर लगाना शीघ्र शान्ति स्थापित करने के लिए कारगर हो सकता है। इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति राज्य सरकारों को स्पष्ट कर दी गई है। पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अधीन राज्य सरकार राज्य के अन्दर किसी भी क्षेत्र को दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकती है, किसी ऐसे दंगाग्रस्त क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस तैनात कर सकती है और उस क्षेत्र के निवासियों से ऐसे बल का खर्च वसूल कर सकती है। यह सिफारिश की गई थी कि बड़े साम्प्रदायिक दंगे के प्रत्येक मामले में ऐसी अधिसूचना एक सामान्य प्रक्रिया बन जानी चाहिये। ऐसी वसूलियों से छूट यथोचित और व्यक्ति-निर्पेक्ष आधार पर होनी चाहिये जैसे उनके पक्ष में, जिनको सक्रिय रूप से शान्ति और व्यवस्था कायम करने में, या अपराधियों को पकड़ने में या लूटी हुई सम्पत्ति बरामद करने में सहायता करते पाया गया हो या जो वास्तव में दंगे से पीड़ित हुए हों, इस संबन्ध में सरकार की नीति की स्पष्ट और निश्चित घोषणा की जानी चाहिये। इसके साथ-साथ ऐसी नीति के व्यापक प्रचार का संभवत: लाभदायक असर होगा और निश्चित रूप से साम्प्रदायिकता ग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश निवासी आर्थिक दण्ड़ से सम्बद्ध हो जायेंगे। इससे केवल साम्प्रदायिक दंगे रोकने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि तत्काल शान्ति और व्यवस्था कायम करने में भी सहायता मिलेगी।

श्री गणेश घोष : क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि जब इस प्रकार के दण्डस्वरूप जुर्माने अपराधी और निरपराध दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों पर लगाये जायेंगे, तो इस प्रकार के जुर्माने से दंगों को और ज्यादा बढ़ावा मिलने की सम्भावना है?

श्री राम निवास मिर्धा : 23 मई, 1970 को विभिन्न मुख्य मंत्रियों द्वारा इस प्रश्न पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई थी और उनका सर्वसम्मत निष्कर्ष यह था कि साम्प्रदायिक भावना से ग्रस्त क्षेत्रों में दण्डात्मक जुर्माने लगाने से साम्प्रदायिक दंगे या गड़बड़ी फैलने के बजाय वास्तव में उनके रोकने में मदद मिलती है, हालांकि कभी कभी यह पता लगाना आसान नहीं होता कि कौन उसमें शामिल थे और कौन नहीं।

श्री गणेश घोष : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भिवण्डी और जलगांव में अभी हाल में हुए दंगों के पश्चात् कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई अथवा मुकदमा चलाया गया ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह प्रश्न दण्डात्मक जुर्मानों के बारे में है और मेरे विचार में माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

Shri Mohammad Ismail : The Hon'ble Minister has stated in his Statement that in the course of informal discussions with some chief Ministers on May 23, 1970 on the Communal situation there was general agreement that punitive taxes should be imposed in the riot affected areas. In view of the recent riots and the reports and recommendations published there and also in view of the indictment of the administration and also in view of the Prime Ministers statement that nowadays Communal riots are ignited by anti-social elements and political parties, may I know whether it would be proper to give impunity to the anti-social elements and guilty police officers responsible for these riots and impose a punitive tax on the peaceful people of the riot affected areas ? I, therefore, want to know from the Prime Minister whether she has advised the chief Ministers to punish the guilty Police offcials and anti-social elements as well as political groups ? In view of the Prime Minister's unequivocal statement that the political parties are behind these communal riots, will the Government take steps to ban those parties ?

Shri Ram Niwas Mirdha : As I have already stated that the Chief Ministers of the State Governments had expressed these views. Whether this fine should be imposed or not would depend on the situation prevailing in various states and, therefore, the question of taking any action by Government of India does not arise. The State Government may take appropriate action keeping in view the situation previailing there.

Shri Mohammad Ismail : I wanted to know from the Prime Minister whether during the discussions with various Chief Ministers she had advised them to deal with the anti-social elements strictly and to punish the guilty police offcials ?

Mr. Speaker : Hon'ble Member may please sit down. Dr. Ram Subhag Singh,

डा० राम सुभग सिंह : अभी हाल में चाइबासा, जलगांव और भिवण्डी में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन दो राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने उन क्षेत्रों में सामूहिक जुर्माना लगाया है ? यदि नहीं, तो इस प्रस्ताव के पास करने और राज्यों के पास भेजने में क्या तुक थी कि केन्द्रीय सरकार और चूंकि कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, उन दोनों की अक्षमता और गलती के लिए जनता को दण्ड दिया जाये ?

श्री राम निवास मिर्धा : हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि चाइबासा और भिवण्डी क्षेत्र में सामूहिक जुर्माने का दण्ड लगाया गया था । ऐसा क्यों नहीं किया गया यह राज्य सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा...(**अन्तर्बाधायें**) ।

श्री रंगा : प्रश्न यह है कि क्या अर्थ दण्ड लगाया गया था; अगर नहीं लगाया गया था, तो क्यों नहीं लगाया गया था । उनके पास कोई भी सूचना नहीं है । क्या यह उनका दायित्व नहीं है कि वह सूचना प्राप्त करके यहां आयें ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने यह कहा था कि हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, अर्थ-दण्ड नहीं लगाया गया था ।

श्री रंगा : वे क्यों नहीं लगाये गये थे ?

श्री राम निवास मिर्धा : उसका मैंने उत्तर दे दिया है कि दण्डात्मक जुर्मानों का लगाया जाना राज्य सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा ।

श्री रंगा : क्या यह कहना उचित उत्तर है कि यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है ? फिर इस प्रश्न की ही कोई आवश्यकता नहीं है । भारत सरकार का समग्र उत्तरदायित्व है ।

डा० राम सुभग सिंह : साम्प्रदायिक दंगे आपकी असमर्थता के कारण हुए ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना यह है कि कार्यान्वयन आपका उत्तरदायित्व है ।

श्री रंगा : उन्हें पूछताछ करनी चाहिये और कारणों का पता लगाना चाहिये कि उन्होंने क्यों इसे नहीं लगाया...(**व्यवधान**)

श्री बलराज मधोक : अगर कानून और व्यवस्था राज्य-विषय है, तो इसमें केन्द्र को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है ?

Shri Chandrika Prasad : Mr. Speaker, This collective fine would be imposed in the areas where communal riots take place, but has it been proposed to take any action against those officers, on account of whose imprudence and inaction the communal riots, have taken place ? As an illustration I would like to tell that last year in Balia area, there was communal disturbance on the occasion o Mahaviri Jhanda, solely because of the imprudence and inaction of the Collector and the S. P. and one person had died as a result of that Hindu Muslim riot. In Amdaria the Muslims were challaned forcibly by the officers and they were harassed very much. In view of all this would the Government take action against such guilty officials ?

Shri Ram Niwas Mirdha : One of the several decisions taken at the Chief Minister's conference held on 23rd May, 1970, was to impose the punitive tax on the people of riot affected areas. Tnis decision was also taken at the same conference that whenever communal riots take place, the Government officials responsible and working under the District administration should be dealt with strictly. The state Governments have taken strong action in many cases and have complied with that decision.

Shri Ram Gopal Shalwale : Mr. Speaker, The Hon'ble Minister has just now stated that collective fines would be imposed in the riot affected areas. I want to know whether it is a just to impose punitive fines on the innocent people of riot affected areas and not to punish and not to take strong action against goonda-elements who, according to the reports of Hon. Home Minister of Government of India have taken part in 95 per cent of the riots ?

I want to know whether Government would collect the information regarding those people who initiated riots, but have gone unpunished or would it continue the practice of distributing money to the relatives of goonda-elements who initiated the riots and which was done in Chaunhasa ? What action has been taken against the guilty officials and such goonda elements ? 1

Shri Ram Niwas Mirdha : This question is related to the punitive fine only. So far as the detailed question is concerned. as to whether action should be taken against those who started the riots or who later on participated in the riots, all this depends on a particular situation. There cannot be two opinion that strong action should be taken against all the persons whether they initiate riots or later on participate in it.

Shri Ram Gopal Shalwale : You spoke of the situation. When there would be that situation ?

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

- भाग

14 अगस्त, 1970 । 23 श्रावण, 1892 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
30	ऊपर से पंक्ति 16 में The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State in the Departments of Electronics and Scientific and Ind strial Research (Shri K.C. Pant) के बाद पढ़िये ।
46	नीचे से पंक्ति 17, `प्र.सं.2804` के स्थान पर `प्र.सं.2808` पढ़िये ।
80	नीचे से पंक्ति 14 में `128` के स्थान पर `123` पढ़िये ।
83	नीचे से पंक्ति 8 में `श्री क.प्र. देव` के स्थान पर `श्री क.प्र. सिंह देव` पढ़िये ।
124	ऊपर से पंक्ति 3, `10,706, 342` के स्थान पर `10,706,842` पढ़िये ।
142	ऊपर से पंक्ति 20 में `एक व्याख्यात्मक ज्ञापन` के आगे (ग्रन्थालय में रखी गई `देखिए संख्या एल.टी.3966 ।70) पढ़िये ।

The Prime Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning : (Smt. Indira Gandhi) : It is a very strange question.

Shri Ram Gopal Shalwale : It is a very relevant question as to what action is taken by the government against the persons who start the riots. Until it is not done, occurrence of riots would not stop.

Shri Balraj Madhok : The question must be replied to. People who start the riots, how are you going to punish them ?

श्री सरदार अहमद अली : मान्यवर, हमें एडमण्ड वर्क के विद्वतापूर्ण कथन को याद रखना होगा। उन्होंने कहा था कि "राज्य के कोने-कोने में फौज नहीं रखी जा सकती।" एक सुसंस्कृत राज्य में, कानून और व्यवस्था कायम रखने का जनता और सरकार का संयुक्त दायित्व होता है। **(व्यवधान)**। दंगाग्रस्त क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से कर लगाने का निर्णय स्वागत योग्य है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार के कर से एकत्रित हुई समस्त राशि को दंगा-ग्रस्त क्षेत्र की प्रभावित जनता के पुनर्वास और राहत कार्य पर व्यय किया जायगा और यदि नहीं, तो किस प्रकार सरकार की उनकी क्षतिपूर्ति करने का विचार है। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री इसका उत्तर दें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह निर्णय कुछ मुख्य मंत्रियों की एक अनौपचारिक मीटिंग में लिया गया था; उसमें सभी मुख्य मंत्री उपस्थित नहीं थे। हम अन्य राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

जब इस प्रकार का जुर्माना किया गया, तो उनका किस प्रकार उपयोग किया जाय, इसके बारे में अनेक मत हैं। एक अभिमत तो वही है जो माननीय सदस्य ने व्यक्त किया है। एक अन्य मत यह था कि सरकार को यह राशि विशेष पुलिस पर हुए व्यय और इसी प्रकार को अन्य व्यवस्था पर खर्च करनी चाहिये। मगर ये सभी मामले विचाराधीन हैं।

डाकू विरोधी अभियान के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

*428. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री कमलनयन बजाज :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री रा० कृ० बिड़ला :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों के डाकू पीड़ित क्षेत्रों में चल रहे डाकू-विरोधी अभियानों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कितनी सहायता दी जा रही है;

(ख) किस राज्य को सबसे अधिक अनुदान दिया जा रहा है और उसके क्या कारण है; और

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मिले जुले प्रयत्न से अब तक इस कार्य में क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राज्य में डाकू पीड़ित क्षेत्रों में डकैती के आतंक का मुकाबला करने के उपायों का सम्बन्ध मूलरूप से राज्य सरकारों से है जिन्हें कानून व व्यवस्था कायम रखने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। किन्तु भारत सरकार चंबल घाटी में डकैती की समस्या से सजग है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिले आते हैं, जो इस आतंक से बुरी तरह प्रभावित हैं, और संबंधित राज्य सरकारों से सम्पर्क रखे हुए हैं और इस आतंक का मुकाबला करने के लिए संयुक्त उपाय निकाले जा रहे हैं। इस संबंध में कानून प्रवर्तन तंत्र को सशक्त करने हेतु राज्य सरकारों की मांगों पर राज्य के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर विचार-विमर्श किया गया था। किये जाने वाले उपायों में, राज्य को उनके पुलिस बल आदि के आधुनिकीकरण के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय आर्थिक सहायता का राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में पूरी तरह उपयोग करना शामिल है। आशय यह है कि ऐसी सहायता से खरीदे गये उपकरण इत्यादि प्रभावित क्षेत्र में पूर्ण रूप से प्रयोग किये जाये। गत्वर तथा स्थिर रेडियों सेटों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, संबंधित राज्यों के अनेक पुलिस अधिकारियों को टेकनपुर में स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी में डाकू विरोधी कार्यवाहियों में विशेष कौशल का प्रयोग करने में तथा विशेष उपकरण के इस्तेमाल में प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ हो चुका है। इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों में फिर से विश्वास उत्पन्न करने की दृष्टि से सीमा सुरक्षा दल के दस्तों की डकैती ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण-अभ्यास कराने के लिए प्रबंध किये जा रहे हैं।

सड़क संचार के विकास का कार्यक्रम भी योजना आयोग के विचाराधीन है जिन्होंने अभी हाल ही में तीनों राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था।

आशा की जाती है कि इन विशेष प्रयासों से स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा।

Shri Ram Kishan Gupta : Mr. Speaker, just as you expect us to to be to the point in our questions the hon. Ministers should also be relevant in their replies. None of the points raised in my questions has been answered or answered very wrongly. I may read the statement if you like, but, I am afriaid, you would ring the bell again and again. If you go through the whole of the statement, you would find that not a single question of mine has been replied.

Mr. Speaker : You ask your questions.

Shri Ram Kishan Gupta : My first question was whether any help was given to any State Government for anti-dacoity-campaign and if so, to what extent. This has not been replied to. Secondly, which of the State Governments has been given the maximum help and what are the reasons therefor ? This has also not been replied to. First of all, replies should be furnished to these questions.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, विवरण में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है, इसका विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। 3 अप्रैल, 1970 को इस सदन में पूछे गये एक अन्य प्रश्न के उत्तर में विशिष्ट सूचना दी गई थी। प्रश्न मध्य प्रदेश के बारे में था और उत्तर यह था कि पुलिस संगठन के आधुनिकीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 3.75 लाख रुपये का ऋण और 1.25 लाख रुपये की अनुदान स्वीकृत किया गया था। सामान्य प्रस्ताव यह है कि राज्यों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना है, जिसके लिए ऋण और अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार सहायता प्रदान करती है। गत वर्ष, राज्य सरकारों को इस शीर्ष के अन्तर्गत 50 लाख रुपये दिये गये थे जिनमें से 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में था और शेष 75 प्रतिशत ऋण के रूप में था। राज्य सरकारों द्वारा उपर्युक्त राशि का

उपयोग तार उपकरण खरीदने, परिवहन सुविधाओं में सुधार करने, फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेटरी तथा फिन्गर-प्रिन्ट लेबोरेटरी आदि को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करने पर किया जायगा। इस वर्ष, इस प्रयोजन के लिए 100 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

Shri Ram Kishan Gupta : It has been mentioned in the Statement that a B. S. F. Academy has been established, in which a special type of training is given in the application of special tactics in anti-dacoity operations. May I know the number of persons being trained in this institute as also the result of the training ? Does the Government contemplate to extend this scheme to other areas also ?

श्री कृष्ण चंद्र पंत : मैं यह नहीं कह सकता कि कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, परन्तु राज्य सरकार द्वारा यह सूचना दी गई है कि उन उपायों को अपनाने के बाद जिनकी व्यौरा मैंने विवरण-पत्र में दिया है, वहां की जनता में एक आत्म-विश्वास की भावना पैदा हुई है। यह आधुनिक तरीकों और प्रशिक्षण के कारण नहीं है, परन्तु बी० एस० एफ० के प्रशिक्षणार्थी, प्रशिक्षण की समाप्ति पर, उस क्षेत्र में कैम्प लगाते हैं और उस क्षेत्र के निवासियों में आत्म-विश्वास की भावना में वृद्धि करने के लिए अभ्यास करते हैं।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मैं मंत्री महोदय से और विशेष रूप से श्री मिर्धा से, जो कि राजस्थान में पड़ने वाली डकैतियों के तरीके से अवगत हैं, यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार डकैती की समस्या को समाप्त करने के लिए फौज का प्रयोग करेगी, क्योंकि पुलिस इस समाज-विरोधी बुराई की समाप्ति में पूर्णतया विफल रही है ? यह बहुत गंभीर समस्या है और इससे संघर्ष करने के लिए फौज और पुलिस सभी से हर संभव सहायता ली जानी चाहिए।

श्री कृष्ण चंद्र पंत : सेना को कुछ निश्चित दायित्वों का निर्वाह करना होता है। इस प्रयोजन के लिये, वे सशस्त्र सेनायें, जो पहले से निर्धारित हैं, अपना कार्य करेंगी।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether it is a fact that dacoity that kidnapped sisteen school children and some other persons from a villages in Madhya Pradesh and that Madhya Pradesh Police has asked for 350 automatic rifles from the Central Government because the dacoits are having automatic rifles and if so, the objection of the Central Government to their supplying 350 rifles to Madhya Pradesh Government when they are completent to solve the problem themselves ?

Shri K. C. Pant : It is a fact that children have been kidnapped. We have informed the Madhya Pradesh Government that the Central Government would provide all possible help in this connection. We have also asked them to send a report in this connection. Recently a discussion was held between I. G. P.s and the Home Ministry regarding automatic rifles and several other matters and these discussions would continue further. All necessary help will be provided by the Central Government.

अल्प-सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTIONS

सेंट जेवियर कालिज, कलकत्ते में दाखिला

\+

अ० सू० प्र० सं० 6. **श्री समर गुह** : **श्री हेम बरुआ** :

श्री बे० कृ० दास चौधरी : **श्री रवि राय** :

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैंट जेवियर कालिज, कलकत्ता में केवल उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है जिन्होंने स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा तथा उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो ;

(ख) क्या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में इस वर्ष बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में उक्त कालिज में प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया था क्योंकि उनका शिक्षा का माध्यम बंगाली था ;

(ग) यदि हां, तो उक्त कालिज में इस वर्ष ऐसे कितने विद्यार्थियों को बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० काम० और विश्वविद्यालय पूर्व (प्री यूनिवर्सिटी) कक्षाओं में प्रवेश दिया गया जिनका शिक्षा का माध्यम (एक) अंग्रेजी (दो) बंगाली था ;

(घ) क्या बंगाली के माध्यम से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाना देश में शिक्षा सिद्धान्त के विरुद्ध है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का इस मामले में जांच कराने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर वी० राव) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) दाखिल किए गए छात्रों की संख्या इस प्रकार है :—

(i) **जिनका शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है** : बी० ए० 61 ; बी० एस० सी० 71 ; बी० काम० 306 और पूर्व विश्वविद्यालय (कला) 18.

(ii) **जिनका शिक्षा का माध्यम बंगला अथवा अन्य कोई भारतीय भाषा है** : बी० ए० 78; बी० एस० सी० 201 ; बी० काम० 476 और पूर्व विश्वविद्यालय (कला) 74.

(घ) और (ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

श्री समर गुह : मुझे सैंट जेवियर कालिज सैंट पाल कालिज और स्काटिश कालिज, के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है । कलकत्ते में बहुत से मिशनरी कालिज हैं और वे शिक्षा क्षेत्र की बहुत सेवा कर रहे हैं । लेकिन इस बार कुछ विद्यार्थी मेरे पास आये और उन्होंने शिकायत की कि यद्यपि उन्होंने 75 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं लेकिन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी न होने के कारण उन्हें कालिजों में प्रवेश नहीं दिया गया । लेकिन आंकड़े इसके विपरीत हैं । क्या कलकत्ते के मिशनरी कालिजों के बारे में इस बात की जांच की जायेगी कि पश्चिम बंगाल या अन्य विश्वविद्यालय में हाईस्कूल या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में शिक्षा के माध्यम के बारे में कोई प्रतिबन्ध है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस बारे में मैं अवश्य जांच करूंगा ।

श्री समर गुह : क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से अनुरोध करेगी या स्वयं कालिजों, विशेषकर भारत में स्थित मिशनरी कालिजों को ये निदेश देगी कि उच्चतर माध्यमिक या हाईस्कूल परीक्षा में शिक्षा का कोई विशेष माध्यम होने के कारण किसी विद्यार्थी को किसी कालिज में प्रवेश से वंचित नहीं रखा जायेगा ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे लिये इस प्रकार के विस्तृत निदेश देना बहुत कठिन होगा।

श्री बे० कृ० दास चौधरी : क्या विश्वविद्यालय ने अपने सम्बद्ध कालिजों को, जिनका शिक्षा का माध्यम किसी विशेष कालिज के शिक्षा माध्यम के समान नहीं है, विद्यार्थियों को प्रवेश देने के बारे में कोई विशेष नीति सम्बन्धो निदेश दिये हैं और यदि हो, तो वे निदेश क्या हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक मुझे जानकारी है कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम अभी भी अंग्रेजी है। लेकिन वास्तव में अनेक ऐसे लड़के और लड़कियों को, जिनका स्कूल में शिक्षा का माध्यम बंगाली या अन्य भारतीय भाषा है, कलकत्ते के कालिजों में प्रवेश दिया गया है। जब मैं कलकत्ते में था तब मैंने इस बात की पूछताछ की थी कि कालिजों में वास्तव में प्रोफेसर किस भाषा में पढ़ाते हैं। मुझे बताया गया कि उनका शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। जहां तक उक्त कालिज का प्रश्न है उक्त कालिज में उन विद्यार्थियों के प्रवेश कर रोक नहीं है जिनका हाई स्कूल परीक्षा में शिक्षा का माध्यम बंगाली रहा हो।

बे० कृ० दास चौधरी : मेरा प्रश्न भिन्न था। मेरा प्रश्न यह था कि क्या विश्वविद्यालयों ने अपने सम्बद्ध कालिजों को, जिसका शिक्षा का माध्यम उक्त विशेष कालिज से भिन्न हैं, नीति सम्बन्धो निदेश दिये हैं।

डा० वी० के० आर० बी० राव : मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया हैं। जहां तक मुझे पता लगा है इस समय कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के लिये अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम माना है लेकिन ऐसे विद्यार्थियों को भो कालिजों में प्रवेश दिये गये हैं जिनका स्कूलों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजो न रहा हो...(**अंतर्बाधाएं**)

श्री समर गुह : आपकी सूचना ठीक नहीं है। यहां तक कि बी० ए०, बी० एस० सी० और बी० कॉम की परीक्षाओं में प्रश्नों का बंगाली में उत्तर देने की अनुमति दी जाती है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ते में विशेषकर सैंट जेवियर कालिज में और कलकत्ते के अन्य मिशनरी कालिजों में प्रवेश के लिये अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा शिक्षा का माध्यम होने पर सरकारी तौर पर कोई रोक नहीं है लेकिन उन कालिजों में प्रवेश पाने के लिये अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी शिक्षा माध्यम पर जोर दिया जाता है ?

डा० बी० के० आर० बी० राव : मुझे प्राप्त हुए आंकड़ों से ऐसा पता नहीं लगता। अल्प सूचना प्रश्न में दी गई जानकारी से मुझे बहुत धक्का पहुँचा लेकिन बाद में मुझे सूचना मिली कि विश्वविद्यालय से पूर्व कला कक्षाओं में प्रवेश 90 विद्यार्थियों के दिये गये प्रवेश में से 74 विद्यार्थियों का शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं था। बी० ए० में प्रवेश प्राप्त करने वाले 130 विद्यार्थियों में से 78 विद्यार्थियों का शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं था। बी० एस० सी० में प्रवेश प्राप्त करने वाले 300 विद्यार्थियों में से 200 विद्यार्थियों का शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं था। बी० कॉम में प्रवेश प्राप्त करने वाले 760 विद्यार्थियों में से 476 विद्यार्थियों का शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं था।

श्री हेम बरुआ : लेकिन आपने इस बारे में जाँच करने की स्वीकृति दी थी।

डा० बी० के० आर० बी राव : इन आंकड़ों के बारे में नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : ऐसी आपकी असफलता के कारण हुआ। आप देश में विद्यार्थियों की शिक्षा के बारे में पर्याप्त प्रबन्ध करने में असफल रहे हैं।

Shru Kanwar La Gupta : Hon. Minister has stated that there are no such restrictions in Calcutta University. A student having Bengali as medium of instructions gets admission. It is a good thing I want to know whether the hon. Minister will assure that admission will not be refused to those students in any Missionary School or Colleges who have different regional languages as medium of instructions ? I came to know that many students who want to study with different regional languages as their medium of instruction were refused admission. We are not opposed to maintain English. But those students should be given facilities who want to study with different regional languages as their medium of instruction. I want to know whether the Hon. Minister will issue instructions to this effect ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे दुःख है कि मैं इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दे सकता ।

Shri Kanwar La Gupta : I want to know the reasons why the Hon. Minister is not willing to issue such instructions. It is a very serious issue. When both of us are of the view to give encouragement to the refional languages I want to know the reasons why the hon. Minister does not want to issue instructions is this regard ?

अध्यक्ष महोदय : यह गैर-सरकारी संस्थानों से सम्बन्धित मामला है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह सरकार की नीति का प्रश्न है और इस सम्बन्ध में संविधान में क्या उपबन्ध है ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं ऐसा आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि शिक्षा का विषय राज्य का विषय है और यह मामला केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है ।

डा रामसुभग सिंह : अब वह केन्द्रीय शासित क्षेत्र है और माननीय मंत्री को इस प्रश्न का अवश्य उत्तर देना चाहिये ।

Shri Kanwar La Gupta : On a point of order, Sir, the Hon. Minister has stated that it is a State subject therefore he will not issue instructions. But the Central Government decides its policy on such important matters with the consultatios of the state Government. It has been decided several times that the regional languages will be encouraged and a ban will not be placed on them. The Hon. Minister can give guidance to that State in which such restrictions have been imposed. It is a very serious matter.

I want to know the reasons for not issuing such instructions.

डा० वी० के० आर० वी० राव : यदि माननीय सदस्य आश्वासन देने के स्थान पर मुझे यह सुझाव देते कि मुझे इस विषय पर राज्य सरकारों से सलाह करनी चाहिये तो मुझे यह सूचना देते प्रसन्नत होती कि मैं ऐसा करूंगा ।

श्री लोबो प्रभु : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़ों से यह भावना सामान्यतया ठीक प्रतीत होती है कि इस मामले में मिशनरी शिक्षा संस्थाएं दोषी हैं । सैंट जेवियर कालिज द्वारा बंगाली शिक्षा माध्यम के विद्यार्थियों को प्रवेश देने से यह सिद्ध हो जाता है कि मिशनरी की शैक्षिक संस्थाएं अंग्रेजी को प्रोत्साहन दे रही हैं । मैं इसके लिये माननीय मंत्री का आभारी हूं । मुझे आशा है कि अन्य सदस्य ऐसी भावना उत्पन्न नहीं करेंगे क्योंकि यह उचित नहीं हैं । मेरा मंत्री महोदय से विशेष प्रश्न यह है कि प्राथमिकता दिये जाने के बारे में जांच करते समय उन्होंने यह जांच मिशनरी संस्थाओं तक ही सीमित क्यों रखी, जो दोषी नहीं हैं । आप इस बारे में सामान्य जांच करें केवल मिशनरी शिक्षा संस्थाओं की नहीं ।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं माननीय सदस्य के सुझाव को स्वीकार करता हूँ। यह जांच केवल मिशनरी शिक्षा संस्थाओं तक ही सीमित नहीं रहेगी, हम राज्य सरकारों को इस बारे में सब संस्थाओं की जांच करने के लिये लिखेंगे।

श्री स० कुण्डू : क्या उक्त कालिज में शिक्षा के माध्यम के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे गये हैं या उक्त कालिज में कुछ स्थान उन विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से परीक्षा पास की है और कुछ स्थान उन विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं जिन्होंने बंगाली शिक्षा माध्यम से परीक्षा पास की हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरी जानकारी यह है कि स्थानों का इस प्रकार आरक्षण नहीं किया गया है।

श्री वि० प्र० मंडल : क्या सरकार का यह विचार नहीं है कि भारत के स्कूलों और कालिजों में शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिये और अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देना न तो राष्ट्रीय मान और न ही राष्ट्रीय गरिमा के अनुकुल है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं सभा में इस बारे में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि हम शिक्षा के अंग्रेजी माध्यम को प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से परिवर्तित करने के बारे में क्या कार्यवाही कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार भारतीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकों का अनुवाद तैयार करने या मूल लेखन के लिये धन की व्यवस्था कर इस मामले में विशेष सहायता कर रही है और इस दिशा में काफी प्रगति भी हुई है।

Shri Abdu Ghani Dar : Hon. Minister has just stated that encouragement will be given to regional languages or national language in not only Missionery Colleges but in all colleges and Schools in the Country. It was also stated that their medium of instruction will be their own regional language. Taking this into consideration I want to know whether his attention has been drawn to the fact that in Uttar Pradesh hundred percent urdu read Muslisms or Hindus, have been forced to take any langjage other than Urdu as their medium of instruction ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : यह प्रश्न तत्संगत कैसे है ? यह प्रश्न मूल प्रश्न से बिल्कुल भिन्न है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Suggestion to increase Bus Fare by D. T. U.

*423. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the General Manager of the Delhi Transport Undertaking has recommended that the bus fares should be increased ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether it is also a fact that the D. T. U. management has demanded that the new and old loans advanced to the Undertaking should be written off; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Parliamentary affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghu Ramaiah) : **(a) and (b)** The General Manager, D. T. U., has stated that he had placed a proposal for revision of fares of the D. T. U. before the Delhi Transport Committee on three occasions between August 1968 and December, 1969. The proposal did not, however, find favour with that Committee which is a statutory body established under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, for administering the D. T. U.

(c) and (d) The D. T. U. has not approached the Government of India to write off the loans but has made a request for grant of moratorium on payment of loan instalments and interest charges on the old loans. This request is under consideration.

Round the World Air Service

*426. **Shri Bhola Nath Master** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Air India proposes to start a round-the- world air service ; and

(b) if so, the progress made in this regard so far ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation : (Dr. Karan Singh) : (a) Air-India do not propose to start a round-the-world air service in the near future.

(b) Does not arise.

विश्व संस्कृत सम्मेलन

* 429. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : श्री वि० नरसिम्हा राव :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान जुलाई, 1970 में पेरिस में आयोजित विश्व तामिल विद्वतगण सम्मेलन की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत अधिक देशों में दीर्घकाल तक संस्कृत को स्वीकार किया गया, उसका स्वागत किया गया तथा अध्ययन किया गया, क्या वह एक विश्व संस्कृत सम्मेलन के आयोजन करने में पहल करेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) नव गठित केन्द्रीय संस्कृत परिषद ने 4 मई, 1970 की हुई अपनी पहली बैठक में यह सिफारिश की है कि संस्कृत के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू का अध्ययन करने और अन्तर्राष्ट्रीय सद्-भावना तथा सदाशयता के साधन के रूप में संस्कृत के प्रयोग के लिए, उपाय और साधनों को सुझाने; अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का गठन किया जाना चाहिए, जिसके लिए तुरन्त तैयारी की जा सकती हैं । परिषद की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है । भारत में

अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन करने के लिए यूनेस्को की सहायता प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों की तुलना में सरकारी क्षेत्र में होटलों को हुई हानि

* 430. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) 9 जुलाई, 1970, के दी इकोनोमिक टाइम्स में छपे समाचार के संदर्भ में 1968-69 में गैर-सरकारी क्षेत्र के पांच बड़े होटलों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के होटलों के लाभ का अनुपात क्यों बहुत कम है तथा होटलों में कमरों को अधिक समय तक किराये पर चढ़ाये रखने तथा व्यय में कमी करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) कुल व्यय का 25. 2 प्रतिशत मजूरी पर होने वाला खर्च इंग्लैंड, सोवियत रूस, इटली, अमेरिका और जापान के होटलों की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है ;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी क्षेत्र के दो होटलों की कुल परिसम्पत्ति 5.61 करोड़ रुपये थीं तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के पांच बड़े होटलो की कुल परिसम्पत्ति 15.77 करोड़ रुपये थी, इसके क्या कारण हैं कि गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों को तो 70 लाख रुपये का मुनाफा हुआ और उन्होंने 10 लाख रुपये के करों की व्यवस्था की किन्तु सरकारी क्षेत्र के होटलों को केवल एक लाख रुपये का मुनाफा हुआ और उन्होंने कर की कोई व्यवस्था नहीं की; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के होटलों को पट्टे पर देने के सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी तथा कितनी धन राशि देने का प्रस्ताव आया था और उसे स्वीकार न किये जाने के क्या कारण थे ?

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) वर्ष 1968-69 में लाभ में कमी होने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :–

(i) वेतन मंडल (वेज बोर्ड) के सिफारशों के क्रियान्वयन स्वरूप कर्मचारियों को 13.96 लाख रुपये की अतिरिक्त अदायगी ;

(ii) अशोक होटल की अनेक्सी के निर्माण के कारण अधिक मत्यह्रास एवं ब्याज की अदायगी ।

कार्य संचालन के परिणामों में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किये जा रहे है :–

(i) कड़े पर्यवेक्षण द्वारा तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करके सभी होटलों में सेवा व्यवस्था में सुधार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ;

(ii) रणजीत तथा लोधी होटलों में अतिरिक्त वातानुकलित आवास प्रदान किया जा रहा है ; तथा

(iii) लागत को कम करने तथा कार्य कुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से नया उपस्कर लगाया जा रहा है एवं नियंत्रण की कई प्रणालियां प्रचलित की जा रही है ।

(ख) विदेशों में होटलों के बारे में तुलनात्मक आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के होटलों में से केवल एक, अर्थात् अशोक होटल, 5 स्टार वाला होटल है । जनपथ ग्रुप के तीनों ही होटल अर्थात् जनपथ, रणजीत और लोधी, अलग-अलग निम्नवर्गीय श्रेणियों के है । सार्वजनिक क्षेत्र के होटलों में विशेषकर निम्नवर्गीय होटलों में किराये उक्त चार निजी क्षेत्रीय होटलों की अपेक्षा काफी कम हैं । सार्वजनिक क्षेत्र के होटल दिल्ली में स्थित है जहां कि परिस्थितियां उन स्थानों की अपेक्षा बहुत भिन्न है जहां निजी क्षेत्रीय होटलों में से अधिकांश स्थित है । कर्मचारी वर्ग के वेतन मानों तथा सेवा की परिस्थितियों में भी काफी अन्तर है ।

(घ) जी नहीं ।

आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जनता के न्यायालय

*431. **श्री गु० च० नायक :** **श्री रा० की० अमीन :**

श्री महेन्द्र माझी : **श्री अजमल खां :**

श्री मीठालाल मीना :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 जून, 1970 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित इस समाचार की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में साम्यवादी शासन और जनता के न्यायालय विद्यमान हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से अथवा अपने सूचना साधनों द्वारा कोई सूचना मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान ।

(ग) : आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के आंतरिक क्षेत्रों में कुछ अवसरों पर तथाकथित जनता के न्यायालय लगाये गये थे । ये नक्सल पंथियों और उग्रवादियों के संयुक्त वर्गों को अवैध गतिविधियों के एक अंश के रूप में हैं और वे प्रचार के प्रयोजन से इनका प्रयोग करते हैं । आंध्र प्रदेश सरकार इन तत्वों के विरुद्ध कानून के अधीन सख्त कार्यवाही कर रही है और उनकी गति विधियां गत एक वर्ष से काफी दबा दी गई हैं ।

इंडियन एयर लाइन्स के विमानों के छूटने तथा गंतव्य पर पहुँचने में निरन्तर विलम्ब

*432. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि ट्रन्क/रीजनल मार्गों पर इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विमानों के उड़ने तथा गन्तव्य स्थान पर पहुंचने में विलम्ब कोई अपवाद न होकर प्रतिदिन नियम का रूप ले रहा है ;

(ख) क्या ऐसे आंकड़े उपलब्ध हैं कि मौसम के हालात, वायुयानों की उपलब्धि न होने, दोषपूर्ण मशीनरी तथा व्यक्तिगत समस्याओं और अन्य दूसरे कारणों से कितने प्रतिशत उड़ानों में विलम्ब हुआ है ; और

(ग) इस बिगड़ती हुई परिस्थिति को तथा यात्रियों को होने वाली अनावश्यक असुबिधाओं के सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : मैं अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभापटल पर रख रहा हूं ।

विवरण

यह सच है कि गत कुछ महीनों में देरियों तथा रद्द की गई उड़ानों के प्रतिशत में कुछ वृद्धि हुई है तथा उसके परिणामस्वरूप यात्री जनता को असुविधा भी हुई है । अप्रैल, मई और जून, 1970, के महीनों के दौरान अनुसूचित सेवाओं में देरी को दिखाने वाला इन्डियन एयर लाइंस द्वारा तैयार किया गया एक विवरण इसके साथ अनुबद्ध है । इन्डियन एयर लाइंस इस प्रकार की देरियों में कमी करने का निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं और उड़ान में 30 मिनट से अधिक की देरी के हर मामले की कारपोरेशन तथा नागर विमानन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जाती है, देरी के कारणों को निर्धारित किया जाता है तथा यथा सम्भव उपचारी उपाय किये जाते हैं । इस समय धारिता की कमी तथा सीटों की बढ़ती हुई मांग बहुत हद तक इस परिस्थिति के लिये उत्तरदायी है । परन्तु कारपोरेशन को आशा है कि अगले वर्ष धारिता में वृद्धि हो जाने पर स्थिति में काफी सुधार हो जायेगा ।

विवरण

इंडियन एयरलाइन्स की अनुसूचित सेवाओं में विलम्ब

(30 मिनट से अधिक)

	अप्रैल 1970	मई 1970	जून 1970
1. आराहणों (टेक आफ) की कुल संख्या	8116	8384	8131
2. समय पर किये गये आराहणों (टेक आफ) का (30 मिनट के भीतर) प्रतिशत	85.95	80.09	71.38
3. विलम्बित आरोहणों (टेक आफ) का प्रतिशत	14.05	19.91	28.62

	अप्रैल 1970	मई 1970	जून 1970
4.मद 3 का विश्लेषण			
(i) इंजीनियरी	1.84	2.19	2.67
(ii) यातायात व खानपान	0.47	0.95	0.86
(iii) परिचालन	0.22	0.41	0.63
(iv) परिवहन	0.05	0.16	0.12
(v) मौसम	0.91	1.95	4.28
(vi) आनुषंगिक	9.99	13.87	19.08
(vii) विविध	0.53	0.31	0.93
(viii) विमान यातायात नियंत्रण (महानिदेशक नागर विमानन)	0.04	0.07	0.05
	14.05	19.91	28.62

संविधान की द्वितीय अनुसूची में वर्णित गवर्नर जनरल और राज्यपाल के विशेषाधिकार

*433. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री भारत के संविधान की द्वितीय अनुसूची के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूची में वर्णित गवर्नर जनरल और राज्यपाल के विशेषाधिकारों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन विशेषाधिकारों को बनाये रखने पर कितना रुपया खर्च होता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिये संविधान में संशोधन करने का है, जो देश को उदार, और जनतांत्रिक प्रणाली से मेल नहीं खाते ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) संविधान लागू होने से तुरन्त पहले भारत सरकार (राज्यपालों के भत्ते तथा विशेषाधिकार) आदेश 1950 द्वारा राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकारों को नियमित किया गया था। इस आदेश के अन्तर्गत राज्यपालों को कुछ सीमा शुल्क सम्बन्धी विशेषाधिकार थे। और वे इस प्रकार थे कि यदि राज्यपाल द्वारा, नियुक्त होने पर या अपने कार्यालय में, सीमापार से निम्नांकित वस्तुएं आयात की जाएं या खरीदी जाएं तो उन पर सीमा-शुल्क नहीं लगाया जायेगा :—

(1) राज्यपाल या उनके परिवार के किसी सदस्य के निजी प्रयोग, पहनने अथवा उपभोग करने की वस्तुएं।

(2) राज्यपाल के घर के सदस्यों या अतिथियों, भले ही वे शासकीय हों अथवा नहीं, के लिए भोजन, पेय और तम्बाकू।

(3) राज्यपाल के किसी भी राजकीय निवास को सजाने के लिए वस्तुएं ।

(4) राज्यपाल के प्रयोग के लिए दी जाने वाली मोटर कारें । गवर्नर जनरल को भी इसी प्रकार के विशेषाधिकार उपलब्ध थे ।

(ख) वर्तमान राष्ट्रपति इन विशेषाधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं कुछ राज्यपाल इस विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं और उन सभी के द्वारा सन् 1958-67 के 10 वर्षों में नि:शुल्क आयात की गई वस्तुओं का मूल्य लगभग 5 लाख और शुल्क मुक्त कुल राशि लगभग 2 लाख थी ।

(ग) 1967 के निर्देश द्वारा राज्यपालों से अनुरोध किया गया था कि वे विशेषाधिकारों का उपयोग मितव्ययता से करें तथा सीमा पार से विदेशी शराब और कमाया हुआ तम्बाकू (जैसे सिगार और सिगरेट) विदेशी अतिथि, जो राज्यपाल के यहां ठहरते, के लिए ही सीमित मात्रा में आयात या खरीदा जाय । सरकार नहीं समझती कि वर्तमान प्रणाली में कोई मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

दिल्ली में टाऊन हाल के निकट खम्भों के गिराये जाने के बारे में न्यायिक जांच की मांग

*434. **श्री मुहम्मद शरीफ :** **श्री जी० वेंकटस्वामी :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य अधिकारी पार्षद ने टाउन हाल के निकट हुई उस घटना के बारे में न्यायिक जांच की मांग की है जिसमें प्रधान मंत्री की मीटिंग के लिए बनाये गये मंच के खम्भों को निगम कर्मचारियों ने गिरा दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) : मुख्य कार्यकारी पार्षद ने इस तरह की जांच का सुझाव देते हुए 21 जून, 1970 को दिल्ली के उप-राज्यपाल को एक पत्र लिखा था ।

(ख) सूचित किया गया है कि 20 जून, 1970 को जब निगम पार्क के भीतर प्रधान मंत्री की सभा के लिये एक मंच बनाया जा रहा था तो नगर निगम के बाग विभाग के एक अनुभाग अधिकारी ने एक स्तम्भ की कुछ ईंटों को हटा दिया और मजदूरों के लिए लगाए गए एक छोटे शामियाने को गिरा दिया । इस अनुभाग अधिकारी को, अपनी शक्तियों से आगे बढ़ जाने के लिए, मुअत्तल कर दिया गया है; और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । इस बात को ध्यान में रखकर दिल्ली प्रशासन अदालती जांच का आदेश देना आवश्यक नहीं समझती है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षा में प्राइवेट रूप से बैठन की सुविधा

*435. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर परीक्षाओं में प्राइवेट रूप से बैठने के लिये छात्राओं (लड़कियों) को अनुमति प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा लड़कों को न देने के कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करने को कोई योजना बनाई है ;

(घ) यदि हां, तो यह योजना कब तक लागू हो जायेगी ; और

(ङ) प्रवेश के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या होंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : दिल्ली विश्वविद्यालय की परीक्षाएं लेने तथा, विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में रहने वाली गैर-कालेजीय महिला छात्राओं को डिग्रियां तथा अन्य शैक्षिक विशेष योग्यताएं स्वीकृत करने और प्रदान करने का अधिकार है । यह सुविधा, विश्वविद्यालय की स्थापना से ही विद्यमान है और यह महिला शिक्षा की उन्नति के लिए प्रेरणा प्रदान करने के विचार से दी गयी है । हाल ही में, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में, विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में वाह्य उम्मीदवारों की हैसियत से अपने आपको रजिस्टर कराने तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने की व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया गया है । विश्वविद्यालय, व्यौरे वार अध्यादेश तैयार कर रहा है, जिनमें, अन्य बातों के साथ ऐसी परीक्षाओं को निर्धारित किया जा रहा है, जिनमें ऐसे उम्मीदवारों को बैठने की अनुमति दी जाएगी ।

(ग) से (ङ) : एम० ए० के कुछ विषयों में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव विश्वविद्यालय के विचाराधीन है ।

सब प्रकार के मौसमों में चलने वाले जहाज

*436. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने सब प्रकार के मौसमों में चलने वाले यह जहाज हैं,

(ख) वह किन-किन बन्दरगाहों में (अलग) चलाये जाते हैं,

(ग) उनमें से कितने भारत में बने हुये हैं और कितने विदेशों में; और

(घ) विदेश निर्मित जहाजों को किन देशों से, किस कीमत पर तथा कौन सी शर्तों पर लाया गया है ?

संसद-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : सब प्रकार के मौसमों में चलने वाले जहाजों से आशय संभवतया समुद्र में जाने वाले जहाजों से है, इस समय भारतीय व्यापारिक बेड़े में ऐसे 254 जहाज हैं ।

(ख) ये जहाज या तो भारतीय पत्तनों के बीच तटों पर या भारतीय पत्तनों और विदेशी पत्तनों के बीच भारत के समुद्रपारीय व्यापार में विदेशी पतनों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय पारगमनी व्यापार में चलते हैं । जहाज सामान्य रूप से पत्तनों के किसी सेटों के बीच विशिष्ट रूप से नहीं चलते हैं । अतः जहाज के बारे में यह बताना संभव नहीं है कि वे किन पत्तनों के बीच चलते हैं ।

(ग) समुद्र में जाने वाले कुल 254 जहाजों में से 37 भारत में बने थे और शेष 217 विदेशी शिपयार्डों में बने थे ।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Punjab Pay-Scales for Dhani Civil Service in Delhi

*437. **Shri Sharda Nand :** **Shri Suraj Bhan :**

Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Jagannath Rao Joshi :**

Shri Ranjeet Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Civil servants borne on the cadre of the **Dhani Civil Service** (Delhi Himachal and Andaman and Nicobar Islands) and posted in Delhi at present, have demanded the same pay-scales as are in force in Punjab ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the steps taken or proposed to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research) : (a) Yes, Sir.

(b) They have been advised to present their case before the Third Pay Commission.

कलकत्ता स्थित नेताजी संग्रहालय का विकास

*438. **श्री समर गुह :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 अगस्त, 1969 को नेताजी संग्रहालय पर आधे घण्टे की चर्चा के दौरान सरकार ने कलकत्ता में नेताजी संग्रहालय के विकास के लिए नेता जी अनुसन्धान ब्यूरो को सहायता देने का वचन दिया था ;

(ख) क्या सरकार को इस संग्रहालय के विकास परियोजना की कोई रूपरेखा (ब्लयू प्रिंट) प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा नेताजी संग्रहालय की सहायतार्थ क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : जी हां । ब्यूरो ने नेताजी भवन में अतिरिक्त, अदल-बदल एवं मरम्मत के कामों के लिये 3,07,000.00 रुपये और संग्रहालय के पूर्णरूप से पुनर्गठन और विकास के लिये 2,29,700.00 रुपये मांगे हैं ।

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के जरिये संस्था से उनके आवेदन-पत्र भेजने को कहा कहा गया है । जैसे ही राज्य सरकार की टिप्पणियां प्राप्त होंगी, इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा । हम स्वयं भी राज्य सरकार को लिख रहे हैं ।

मैसूर में हुबली में हवाई अड्डा

*439. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मैसूर राज्य में हुबली-धरवार में एक हवाई अड्डे का तुरन्त निर्माण करने के महत्व को अनुभव किया है और भूमि अर्जन करने के आदेश जारी कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि ले ली गई है ; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक आरम्भ होने और पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : सरकार हुबली-धारवार में एक विमान क्षेत्र की आवश्यकता को महसूस करती है। निःशुल्क भूमि की व्यवस्था करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव कारपोरेशन से प्राप्त हुआ है तथा इंडियन एयर लाइन्स ने एक यातायात सर्वेक्षण भी किया है जिससे पता चलता है कि वहां यातायात संभाव्यता पर्याप्त है। समस्त साधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, मामले पर अब सक्रिय विचार किया जा रहा है।

जम्मू में पाकिस्तानी जासूसों के एक गिरोह का पता लगाना

*440. **श्री बलराज मधोक** :
श्री हर दयाल देवगुण :
श्री जयसिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर पुलिस ने जम्मू क्षेत्र में कार्यरत पाकिस्तानी जासूसों के एक गिरोह का पता लगाया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानी गुप्तचर संगठन के एक गुलाम कादिर को, जिसे, इस क्षेत्र में नई रेलवे लाइन, पुलों, सड़कों और सेना तथा सीमा सुरक्षा बल की तैनाती के बारे में सूचना एकत्र करने का कार्य सौंपा गया था, भी गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में जिन नए तथ्यों का पता लगा है उनका ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री और योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : जम्मू व काश्मीर सरकार ने सूचित किया है कि गुलाम कादिर नामक पाकिस्तानी राष्ट्रिक और पांच भारतीयों को जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। चूंकि मामले की जांच पड़ताल हो रही है अतः ब्यौरा बताना लोक हित में न होगा।

गैर-सरकारी कालेजों द्वारा दान लिया जाना

*441. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि देश में गैर-सरकारी जांच कालेजों में प्रविष्टि के समय विशेष तथा कक्षा शुल्क और बलात दान लिया है ;

(ख) क्या उन्हें यह भी विदित है कि मद्रास विश्वविद्यालय ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति की नियुक्त की है ;

(ग) देश में और किन स्थानों पर इस प्रथा का अनुसरण किया जाता है , और

(घ) इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां । कुछ गैर-सरकारी इंजीनियरी तथा चिकित्सा कालेजों के बारे में ज्ञात हुआ है कि वे दान अथवा प्रतिव्यक्ति शुल्क लेकर विद्यार्थियों को स्थान देते हैं ।

(ख) मद्रास विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी गैर-सरकारी कालेजों में समान शिक्षा शुल्क तथा विशेष शुल्क निर्धारित करने के लिए एक समिति स्थापित की है । यह समिति इन कालेजों द्वारा दान-संग्रह पर विचार भी करेगी । उपलब्ध सूचना के अनुसार, तमिल नाडु में कोई इंजीनियरी अथवा चिकित्सा कालेज दान या प्रति व्यक्ति शुल्क एकत्र नहीं कर रहा है ।

(ग) सभी इंजीनियरी कालेज जो दान एकत्रित कर रहे हैं मैसूर राज्य में स्थित है ; चिकित्सा कालेज मैसूर, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश तथा बिहार में हैं ।

(घ) जहां तक इंजीनियरी कालेजों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने इन कालेजों को वित्तीय सहायता दी है, यदि वे राज्य सहायता अनुदान संहिता के अनुशासन के अन्तर्गत आयें । इस प्रकार के दो कालेज ऐसा करने के लिए सहमत हैं ।

जहां तक चिकित्सा कालेजों का संबन्ध है, चिकित्सा शिक्षा-सम्मेलन ने सिफारिश की है कि दाखिले योग्यता के आधार पर होने चाहिए और केन्द्रीय राज्य सरकार की कालेजों को अपने हाथ में लेने के विचार से उनकी आर्थिक स्थिति की जांच करनी चाहिए । केन्द्रीय सरकार सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

परीक्षाओं में पुस्तकों के उपयोग की अनुमति

* 442. **श्री हेम बरुआ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने ऐसी परीक्षाएं चालू की हैं जिनमें पुस्तकों का उपयोग किया जा सकेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस नई पद्धति के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है और निरीक्षकों के बिना परिक्षाओं का प्रस्ताव किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : **(क) और (ख)** : उपलब्ध सूचना के अनुसार, जोधपुर विश्वविद्यालय परीक्षा भवन में पुस्तकें देखने के लिए परीक्षार्थियों को अनुमति प्रदान करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है । इस स्थिति में यह कहना सम्भव नहीं है कि प्रस्तावित रीति का क्या प्रभाव होगा । बिना निरीक्षकों के परीक्षाएं लेने के संबन्ध में सरकार को किसी प्रस्ताव का पता नहीं है ।

केन्द्रीय सरकार के फाजिलका के हस्तान्तरण से सम्बन्धित निर्णय पर पुनर्विचार के लिए पंजाब सरकार का अनुरोध

* 443. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह फाजिलका के उन क्षेत्रों के, जो हरियाणा को दे दिये गये हैं, के बारे में अपने निर्णय पर पुन: विचार करे ;

(ख) क्या पंजाब सरकार को इस क्षेत्र के लोगों से अनेक ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने पंजाब राज्य में ही रहने की इच्छा व्यक्त की है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) इस संबन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) **और (घ)** : प्रश्न नहीं उठता ।

Memorandum submitted by S. S. P.

*444. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the All India Samyukta Socialist Party ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government are aware of the fact that in the absence of their demands being met the S. S. P. proposes to launch countrywide Disobedience Movement with effect from the 9th August, 1970 ; and

(d) if so, whether Government propose to meet their demands ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Ram Nivas Mirdha : (a) to (d) : A statement is laid on the Table of the House.

Statement

A memorandum was received serving an ultimatum on Government that unless the following demands are complied with before 1st August, there would be a resort to countrywide agitations by the Samyukta Socialist Party :

(i) The convening of a new Constitutent Assembly,

(ii) Full employment or unemployment relief ;

(iii) Reduction of the qualifying age for adult franchise to 18 years ;

(iv) Ceilings on income and expenditure and a limit of Rs.1,500 per month for personal expenditure and

(v) Redistribution of land and imposition of a ceiling on family holdings.

The Government are of the view that democratic processes, parliamentary institutions and constitutional Government would be set at naught if every political party were to resort to extra-parliamentary devices and agitations to put pressure on Government in support of whatever that particular party deemed sppropriate.

कलकत्ता पत्तन से एक जहाज का गायब हो जाना

445. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री पी० विश्वम्भरन :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत मास हांगकांग का एक जहाज उचित अनुमति आदेश प्राप्त किये बिना कलकत्ता पत्तन से गायब हो गया था,

(ख) क्या उक्त जहाज में चीनी नागरिक थे जो अग्नेशास्त्र तथा माओवादी साहित्य ले जा रहे थे,

(ग) क्या उक्त माल कलकत्ते की एक फर्म के लिये था और यदि हां, तो उक्त फर्म का नाम क्या हैं, और

(घ) उक्त अनियमिततन का पता लगाने और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) से (घ) : विषय का संबन्ध वित्त मन्त्रालय से है जो अपेक्षित सूचना एकत्रित कर रहा है। इसे यथा संभव सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पंजाब सरकार द्वारा फाजिलका और अबोहोर के लिये नहर के पानी की सप्लाई कम करना

* 446. **श्री गोपाल साबू :** **श्री शिव चरण लाल :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**

श्री राम चरण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा चन्डीगढ़ के बदले में फाजिलका और अबोहोर हरियाणा को दिये जाने के पश्चात् पंजाब सरकार ने फाजिलका और अबोहोर के लिये नहर के पानी की सप्लाई काफी कम कर दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पंजाब सरकार ने स्कूलों तथा कालेजों में शिक्षा का माध्यम एकमात्र पंजाबी कर दिया है जिसके कारण मातापिता अपने बच्चों को अन्य स्थानों पर पढ़ाने के लिये मजबूर हो गये हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि देहातों में बिजली लगाना, सड़कों का निर्माण आदि जैसी विकासशील गतिविधियां रूक गई है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने उस क्षेत्र की जनता की शिकायतें दूर करने और उनके साथ न्याय करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग) : जी नहीं, श्रीमान्। बल्कि जब हाल ही में इस प्रकार की शिकायतें पंजाब सरकार की दृष्टि में लाई गई तो उन्होंने इस बात से

इन्कार किया कि इन क्षेत्रों के साथ विकास या नहर के पानी की सप्लाई के मामले में भेदभाव बरता जा रहा है। तथापि, उन्होंने यह संकेत दिया था कि न केवल फाजिलका क्षेत्र में बल्कि नहर के पानी की कम सप्लाई की सामान्य शिकायतें पूरे राज्य में हैं। यह गोबिन्द सागर में पानी की कमी के कारण थी।

(ख) पंजाब में, सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी स्कूलों में सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम पंजाबी है।

(घ) : (क) और (ख) के बारे में प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक (ख) का सम्बन्ध है, मामला पंजाब सरकार के साथ उठाया गया है।

भारत में विदेशी मानव कल्याणकारी संगठनों की गति विधियाँ

* 447. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक देश के उन मानव कल्याणकारी संगठनों के नाम क्या हैं जिन पर विदेशों का नियंत्रण है अथवा जो मुख्यतः विदेशों से प्राप्त धन से चलाये जाते हैं और जिनकी गतिविधियां भारत में चल रही है ;

(ख) प्रत्येक संगठन किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करता है ;

(ग) उनकी निधि के साधनों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार इन विदेशी मानव कल्याणकारी संगठनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि भारत में कार्य करने वाले कुछ संगठन अमरीका के केन्द्रीय गुप्तचर विभाग द्वारा प्रत्यायोजित किये जाते हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

Recognition to Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad by Education Ministry

448. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bureau of Cultural Activities under the Ministry of Education has granted recognition to the Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad set up by the Rashitriya Swayan Sewak Sangh ;

(b) whether it is also a fact that varicus types of concessions are given to the aforesaid by his Ministry ; and

(c) if so, the reaction of Government to communal agitations launched by the aforesaid Parishad ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) This Ministry has no rules for formal recognition of any youth organisation. The question of Cultural Division of this Ministry granting recognition to the Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad therefore does not arise.

(b) No, Sir. However, representatives of this Parishad were invited along with representatives of twenty-five other Youth Service Agencies/Organisations having varied political affiliation, to attend a meeting convened by this Ministry in April-May, 1969

(c) Does not arise.

दिल्ली में पुलिस द्वारा अपराध के आंकड़ों का छपाना

* 449. **श्री जो० ना० हजारिका :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकरण अभियान चलाये जाने के पश्चात् भी दिल्ली में पुलिस द्वारा सभी मामलों को दर्ज न करके अथवा कुछ मामलों को कम करके अपराध के आंकड़ों को छुपाने के संबन्ध में कोई रिपोर्ट अथवा कोई जानकारी प्राप्त हुई है ;

(ख) गत जनवरी में चलाये गये पंजीकरण अभियान के पश्चात् अपराधों में कितनी प्रतिशत वृद्धि पाई गई है ; और

(ग) दिल्ली में अपराधों के मामलों को दर्ज न करने के क्या कारण हैं तथा सभी मामलों को दर्ज न करने अथवा उनको कम करने के लिये दोषी पाये गये अधिकारियों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : दिल्ली में अपराधी का पंजीकरण न करने और गलत पंजीकरण के विरुद्ध जनवरी, 1970 में अभियान आरम्भ किया गया था। पंजीकरण न करने की शिकायतों की संख्या में कमी हुई है। अभियान के फलस्वरूप जुलाई, 1970 तक पंजीकृत घटनाओं में 1969 की समान अवधि के मुकाबले में 67.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अभियान आरम्भ करने से पहले हस्तक्षेप्य मामले ठीक प्रकार से पंजीकृत किये जा रहे थे; परन्तु यदि कार्यभारी अधिकारी को किसी वजह से यह सन्देह होता था कि तथाकथित अपराध नहीं किया गया है तो वह सीधे तौर पर मामला दर्ज करने के बजाय पंजाब पुलिस नियम 1934 के नियम 24.4 (1) के उपबन्धों के अधीन प्रतिदिन की डायरी में सूचना का सार दर्ज करता था। अतः कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

एशिया प्रतिष्ठान तथा शान्ति कोर

* 450. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि श्रीलंका सरकार ने अक्टूबर, तक एशिया फाउन्डेशन तथा 'पीस कौर' की गतिविधियों को समाप्त करने का निर्णय किया है क्योंकि वे 'तोड़-फोड़ करने वाली साम्राज्यवादी एजेंसियों' के रूप में कार्य कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार उक्त दो एजेंसियों को विभिन्न प्रकार की तोड़फोड़ की कार्यवाहियों, उनके सम्पर्कों, वित्तीय तथा अन्य सम्बन्धों, के बारे में जांच कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा उनसे वित्तीय अथवा अन्य प्रकार से काफी फायदा उठाने वालों की सूची क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार भारत में इन एजेंसियों तथा अन्य अमरीकी एजेंसियों की गतिविधियों पर रोक लगाने का है और यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : **(क) से (घ)** : उपलब्ध सूचना के अनुसार पता चला है कि श्रीलंका की सरकार ने निश्चय किया है कि उनके देश में एशिया फाउण्डेशन की गतिविधियां समाप्त कर दी जाएं। श्रीलंका में 'पीस कौर' की गतिविधियों के बारे में ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। सरकार भारत में सभी विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों पर निगरानी रखती है। सरकार ने पहले ही यह निश्चय कर लिया है कि भारत में एशिया फाउण्डेशन की गतिविधियों को समाप्त कर देना चाहिए। तदनुसार एशिया फाउण्डेशन ने अपनी गतिविधिया सन् 1968 से समाप्त कर दी हैं।

विदेशी छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए निर्धारित प्रतिशतता

2791. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार प्रबन्ध के प्रशिक्षण हेतु विदेशी छात्रवृतियों के मामले में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये निर्धारित कोटे की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) वर्ष 1970-71 में केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को ऐसी कितनी छात्रवृत्तियां दी गई थी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए व्यवसाय प्रबन्ध के प्रशिक्षण के हेतु कोई पृथक विदेशी छात्रवृत्तियों की योजना नहीं हैं। तथापि, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों, खानाबदोश तथा अर्ध-खाना बदोश आदिम जातियों के लिए समुद्रपार छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार से 9 छात्रवृत्तियां वितरित की जाती हैं :-

अनुसूचित जातियां	4
अनुसूचित आदिम जातियां	4
व्यनुसूचित, खनाबदोश/तथा अर्ध खानाबदोश आदिम जातियां	— ।

ये छात्रवृत्तियां विषय-वार वितरित नहीं की जाती हैं।

(ख) 1970-71 के लिए चयन अभी किये जाने हैं।

Ratio of third Divisionsers among I. A. S. Officers and Engineers, Technicians and Experts under Central Government

2792. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of I. A. S. Officers at present ;

(b) whether some of them are third divisioners and if so, their number ; and

(c) whether there are third divisioners also amongst Engineers, Technicians and Ex-

perts under the Central Government, and, if so, their number and their ratio as compared with those in the Indian Administrative Service ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) The number of I. A. S. Officers in position as on 1st January, 1970 is 2587.

(b) The recruitment of I. A. S. is by Open Competitive Examinetions as well as by promotion of State Service Officers. For recruitment against the promotion quota no minimum educational qualifications are prescribed under the rules. The total number of persons recruited through the Combined Competitive Examinations is 1637. Of this, 74 are third divisioners.

(c) The information is respect of organised Engineering Services is being collected from the concerned Ministries / Departments and will be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा के अन्तर्गत लिये गये अधिकारियों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिदेदन

2793. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सेवा आयोग ने अपने 19वें प्रतिवेदन में यह विचार व्यक्त किया था कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को कम संख्या में नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या आयोग ने, जैसा कि उसके 15वें प्रतिवेदन से विदित होता है, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गठन के समय विभिन्न श्रेणियों में शामिल किये जाने वाले अधिकरियों के नाम की सिफारिश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो आयोग द्वारा केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा के गठन के समय विभिन्न श्रेणियों में शामिल किये जाने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में समान सिफारिश करने की नीति न बरतने के क्या कारण हैं, जैसा कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिये 1954 में भर्ती सम्बन्धी नियमों में मांग की गई थी, बजाये इसके कि अब देरी से यह कहा जा रहा है कि इस बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दोषी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सम्भवतः संकेत संघ लोक सेवा अयोग के 19वें वार्षिक प्रतिवेदन के पैरा 34 की ओर है। प्रतिवेदन में जिस बात पर बल दिया गया है वह यह है कि सरकार द्वारा आयोग को वास्तव में सूचित की गई रिक्तियां, काफी सालों से, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षाओं के परिणामों से भरी जाने के प्रयोजन हेतु सूचित किये जाने के लिये वास्तव में अपेक्षित संख्या से कुछ कम रहीं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) विभिन्न सेवाओं में भर्ती विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा उनके अधीन भिन्न-भिन्न सेवा अथवा सेवाओं के लिए बनाये गये भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। अतः केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का प्रारम्भिक गठन और बाद की भर्ती उस सेवा के नियमों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। उसी प्रकार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा श्रेणी की भर्ती भी भूतपूर्व निर्माण, आवास व पूर्ति मंत्रालय द्वारा अनुसूचित

उस सेवा के लिए भर्ती नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाती है। इन नियमों में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की रूपरेखा पर प्रारम्भिक गठन की कोई व्यवस्था नहीं है।

गुजरात में तटवर्ती राजपथ के निर्माण पर व्यय

2794. **श्री बीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री गुजरात में तटवर्ती राजपथ के निर्माण के बारे में 27 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 935 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांगी गई अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) : जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने निम्नलिखित सूचना दी है :–

1—राज्य राजमार्ग के लुप्त भाग पदरा-जम्बूसार-बढ़ीच सड़क को जोड़ने वाली दहेज-गंधार अमोद सड़क को निर्माण करना।

31 मार्च 1970 तक कार्य पर 2,921 रु० व्यय किये गये।

कार्य तीन भागों में बांटा गया है :

(1) दहेज-मुलेर, (2) मुलेर-रोजा-तंकारिया (3) रोजा-तंकारिया-अमोद।

चोरी हुई पत्थर की लघु मूर्तियों तथा कांस्य मूर्तियों की संख्या तथा उनका मूल्य

2795. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1969 से जून 1970 तक चोरी हुई पत्थर की लघु मूर्तियों, तथा कांस्य मूर्तियों की संख्या तथा मूल्य क्या है तथा ये किन-किन स्थानों से चुराई गई ;

(ख) प्राचीन वस्तुओं, लघु मूर्तियों कांस्य-मूर्तियों आदि की चोरी के सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये तथा कितने लोगों को दोषी पाये जाने पर न्यायालयों द्वारा जेल भेजा गया ;

(ग) क्या यह सच है कि चोरी की गई सम्पत्ति को प्रायः चोर को ही दे दिया जाता है ; और

(घ) क्या कारण है कि न्यायालय दोषी व्यक्तियों को काफी दण्ड नहीं देते ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जब तक केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों से चोरियों का सम्बन्ध है, एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3978/70**] केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में मूर्तियां आदि बिक्री के लिए नहीं होती हैं, इसलिए उनके मूल्यांकन का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) चोरी के सभी मामलों की रिपोर्ट स्थानीय पुलिस के पास तुरन्त दर्ज करा दी जाती

है । इन मामलों से सम्बन्धित स्थिति विवरण के कालम 6 में दी गई है । वस्तुत: कितने गिरफ्तार किए गये अथवा कारागार भेजे गए, इस सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) ऐसे किसी मामले से सरकार को जानकारी नहीं है ।

(घ) यह अदालतों पर निर्भर हैं कि वे सम्बन्धित अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार दोषी व्यक्तियों को ऐसे दण्ड दें, जिन्हें वे उचित समझें ।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 'डकोटा' विमानों की विक्री

2796. **श्री बाबू राव पटेल :** **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के ऐसे कितने 'डकोटा' विमान सफदरजंग हवाई अड्डे पर खड़े हैं जिनकी बिक्री की जानी है और उन विमानों की संख्या कितनी है जिन्हें इंडियन एयर लाइन्स ने कुछ मार्गों पर चलाने के लिये रोक लिया है ;

(ख) 'डकोटा' विमान का वर्तमान मूल्य कितना है ;

(ग) क्या यह सच है कि उन 'डकोटा' विभागों के लिये खरीदार ढूढ़ना बहुत कठिन हो गया है जिसके लिये किसी समय प्रति 'डकोटा' 2 लाख रुपये कीमत मिल रही थी ; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का उन विमानों को कैसे बेचने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : इंडियन एयरलाइन्स के पास इस समय 23 'डकोटा' विमान हैं जिनमें से केवल नौ 'डकोटा' विमान वस्तुत: परिचालन में है । 14 भूमिस्त किये गये 'डकोटा' विमानों में से 10 विमान सफदरजंग विमान क्षेत्र पर खड़े हैं ।

(ख) से (घ) : आजकल डकोटा विमानों की कोई विशेष मांग नहीं है । तथापि कारपोशन इन विमानों को उच्चतम उपलब्ध मूल्य पर बेचने का प्रयत्न कर रही है ।

पालम तथा सान्ताक्रुज हवाई अड्डों पर हैगरों के ढह जाने के लिए उत्तरदायी ठेकेदारों, इंजीनियरों तथा डिजाइनरों के विरुद्ध कार्यवाही

2797. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ठेकेदारों, इंजीनियरों तथा डिजाइनरों के नाम क्या है जो दिनांक 16 फरवरी, 1970 को बम्बई के सान्ताक्रुज तथा 30 मार्च, 1970 को नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डों पर हैगरों के ढह जाने के लिये उत्तरदायी है ;

(ख) क्या ऐसी घटनाओं के बार-बार घटित होने की दृष्टि से सम्बन्धित लापरवाह ठेकेदारों तथा इंजीनियरों को अनर्ह कर दिया जायेगा ;

(ग) पालम हवाई अड्डे पर हैंगर के ढह जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मुख्य इंजीनियर तथा असैनिक उड्डयन के निदेशक द्वारा की गई जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) दोषी ठेकेदार तथा इंजीनियर के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है; और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) :

	सांताक्रुज	पालम
ठेकेदार	मैसर्स चमुंडी कस्ट्रक्शन कं०	मैसर्स ग्लोब हि–पैब्स नई दिल्ली ।
इंजीनियर	श्री वी० पी० सरालकर, अस्थायी अवर तकनीकी अधिकारी, साइट इंजीनियर, एयर इंडिया ।	श्री के० बी० साबनिस, अवर तकनीकी अधिकारी, साइट इंजीनियर, एयर इंडिया ।
डिज़ाइनर	मैसर्स इंजीनियरिंग कंसल्टैंट्स, भारत	श्री एच० ए० गिल्डर

(ख) और (घ) : सम्बन्धित इंजीनियरों की सेवायें समाप्त कर दी गई है । पालम पर किये गये कार्य के लिये उत्तरदायी डिजाइनरों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की कार्यवाही की गयी है तथा उनकी फीसें भी रोक ली गयी हैं । ठेकेदारों के साथ किये गये समझौते भी समाप्त कर दिये गये हैं ।

(ग) : इन दुर्घटनाओं के जांच परिणाम ये रहे कि ये दुर्घटनायें लापरवाही से किये गये डिजाइनों, कार्य के गलत निष्पादन तथा पर्याप्त निरीक्षण की कमी के कारण हुई ।

जनवरी, 1970 के दौरान नयी दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

2798. **श्री किन्दर लाल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1970 के दौरान नयी दिल्ली में कितनी सड़क दुर्घटनायें हुई और प्रत्येक दुर्घटना में मारे जाने वाले तथा जख्मी हुये व्यक्तियों के नाम तथा आयु क्या थी;

(ख) उक्त अवधि में हुई दुर्घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त ड्राइवरों के नाम तथा मोटर गाड़ियों के प्लेट नम्बर क्या है ;

(ग) प्रत्येक मामले में ड्राइवरों के विरुद्ध अलग-अलग क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) क्या कुछ मामलों में उन्हें दण्ड नहीं दिया गया और यदि हां ; तो इसके क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध कानून की किस धारा के अन्तर्गत मुकद्मा चलाया गया है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जनवरी 1970 के दौरान नई दिल्ली (दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली जिले) में 386 सड़क दुर्घटनाओं के मामलें सूचित किये गये हैं जिसमें से 29 घातक थे, 112 जख्मी (जिसमें 12 मामले छोटी चोट के है जहां व्यक्तियों के नाम अभिलिखित नहीं किये गये) और शेष 254 बिना चोट की दुर्घटनाएं थी । उन दुर्घटनाओं में मृतक और जख्मी व्यक्तियों के नाम और आयु अनुबन्ध में दिया गया है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3979/70]**

(ख) से (घ) : अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

जम्मू तथा काश्मीर में गिरफ्तारियां

* 2799. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजद्रोह के अपराध में जम्मू तथा काश्मीर में कितनी गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(ख) गत तीन वर्षों में जम्मू तथा काश्मीर में नजरबन्द किये गये लोगों की क्या संख्या है तथा उनमें से कितने लोग उच्चतम न्यायालय में गये तथा कितने लोगों को उच्चतम न्यायालय ने बरी कर दिया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है ।

Transfer of Officers from the Administrative Division of Education Ministry

*2800. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9026 on the 8th May, 1970, regrding the transfer of Officers from the Administrative Division of Education Ministry and state :

(a) whether it is a fact that a person, who was transferred to C. A. I. (I) under Office Order No. 475/69/E. 1, dated the 30th December, 1969, has been posted again in the Administrative Division ;

(b) if so, for what periods and in which sections of the said Division ;

(c) whether he proposes to post the said person again in the Administrative Division permanently ; and

(d) if so, whether the said person is not capable of working elsewhere ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : **(a) and (b)** Yes, Sir ; from the 3rd April, 1970 to 6th July, 1970, in the Coordination Section.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Use of Hindi in Education Ministry

*2801. **Shri Narayan Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question Nos. 9538 and 4608 on the 3rd May, 1968 and 19th December, 1969 respectively, regarding use of Hindi in Education Ministry and state :

(a) the number of sections in his Ministry which are shown in the various reports on the progress of Hindi, submitted to the Ministry of Home Affais, as doing noting and drafting work in Hindi fully and partially ; and

(b) the number of sections of his Ministry and the number of the persons among his personal staff doing noting and drafting in Hindi at present ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Eight Sections/Units in the Ministry have been shown in each of the three quarterly reports for the periods ended in September and December, 1969 and in March, 1970, submitted to the Ministry of Home Affairs as doing noting and drafting in Hindi. One amongst them is doing the work in Hindi fully.

(b) There are 90 Sections and Units in the Ministry of which 18 are doing some noting and drafting in Hindi at present, as revealed in the latest report for the quarter ended in June, 1970. None of the persons among personal staff does noting and drafting in Hindi.

मैसर्स रोयला कारपोरेशन द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

2802. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास की एक टाइपराइटर निर्माण कम्पनी (मैसर्स रोयला कारपोरेशन) के निदेशकों द्वारा अपने सौदों में किये गये गबन के एक मामले का केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पता लगाया है ;

(ख) क्या उक्त निदेशकों द्वारा किये गये सौदों की जांच करने के लिये आर्थिक अपराध शाखा इक्नोमिक्स आफिस विंग से अनुरोध किया गया है ;

(ग) क्या उनके निदेशकों के विरुद्ध किसी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियम का उल्लंघन करने के मामले का भी पता लगा था ; और

(घ) यदि हां, तो मामले को सिद्ध करने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) मैसर्स रोयला कारपोरेशन (पी०) लिमिटेड, मद्रास और इसके दो निदेशकों द्वारा विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन का एक मामला प्रवर्तन निदेशालय की निगाह में आया है ।

(घ) इस संबन्ध में निर्णय कार्यवाहियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं और मामला अब निर्णयादेश के लिए पड़ा हुआ है । कम्पनी के दो निर्देशकों के विरुद्ध आपराधिक षडयन्त्र के आरोप में एक अभियोग भी चलाया गया है और यह मामला न्यायाधीन है ।

विदेशी मुद्रा के घुटाले के संबन्ध में गिरफ्तार किये गये लोग

2803. **श्री मु० अ० खां** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 मई, तथा 24 जुलाई, 1970 के बीच संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, और जम्मू तथा काश्मीर में विदेशी मुद्रा के घुटाले के अपराध में न्यायालय दोष सिद्ध किये गये तथा गिरफ्तार किये गये भारतीयों और विदेशियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) क्या इन लोगों में राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारी तथा महिलायें सम्मिलित थी ; और

(ग) यदि हां, तो इनकी राज्यवार संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालत में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग) : दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि इस अवधि में इस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पंजाब, हरियाणा और जम्मू व काश्मीर के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

अवैध रूप से शस्त्रास्त्र और गोला बारूद रखने पर दण्डित व्यक्ति

2804. **श्री मु० अ० खां** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 मई, तथा 24 जुलाई, 1970 के बीच, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू तथा काश्मीर में अवैध रूप से शस्त्रास्त्र और गोला बारूद रखने के अपराध में न्यायालयों द्वारा दंडित तथा गिरफ्तार किये गये भारतीयों तथा विदेशियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उनमें राजपत्रित तथा अराजपत्रित दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारी तथा महिलायें भी शामिल थी ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी राज्यवार संख्या क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : पंजाब और दिल्ली के बारे में अपेक्षित सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। हरियाणा और जम्मू व कश्मीर के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	24 मई और 24 जुलाई, 1970 के बीच शस्त्र व गोला बारूद के अवैध रूप से रखने के लिये गिरफ्तार किये गये/दोष सिद्ध व्यक्तियों (भारतीय और विदेशियों दोनों) की संख्या		सरकारी कर्मचारियों की संख्या (राजपत्रित अथवा अराजपत्रित) तथा उनमें से महिलाएं
	गिरफ्तार व्यक्ति/दोषसिद्ध व्यक्ति		
दिल्ली	66 (चाकुओं के अवैध रूप से रखने के लिए गिरफ्तार किये गये 56 व्यक्तियों समेत)	4	शून्य
पंजाब	758	235	1 अराजपत्रित अधिकारी 2 महिलायें (सरकारी नौकरी में कोई नहीं थी)

राजस्थान में सीमा सड़क परियोजनाओं के गोलमाल का मामला

2805. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री मीठालाल मीना :**
श्री नन्दकुमार सोमानी :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने राजस्थान में सीमा-सड़क परियोजनाओं के गोलमाल का मामला किसी केन्द्रीय एजेंसी को सौंप दिया है, और

(ख) यदि हां, तो यह एजेंसी कौन सी है और उसका प्रतिवेदन क्या है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव किया है कि मामला चीफ इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भेजा जाय और प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

बिहार में गिरफ्तार की गई मिस टेलर से मिलने की अनुमति के लिए ब्रिटेन के उच्चायोग द्वारा अनुरोध

2806. **श्री स० कुन्दू :** **श्री लखनलाल कपूर :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत स्थित ब्रिटिश उच्च आयुक्त ने बिहार के दुगुडा वन-क्षेत्र में नक्सलवादियों के गिरोह के साथ गिरफ्तार की गई मिस मेरी टेलर से मिलने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ब्रिटिश सरकार ने मिस टेलर से संबन्धित व्यौरा देने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अनुमति दे दी गई है और सरकार की ऊपर (ख) भाग के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग) : भारत ब्रिटिश उच्चायुक्त के अनुरोध पर उच्चायुक्त के एक प्रतिनिधि को मिस टेलर से मिलने की अनुमति दी गई है। मिस टेलर के बारे में किसी प्रकार की सूचना के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त अथवा ब्रिटिश सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया गया।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर विचार

2807. **श्री मधु लिमये :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की इन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है कि गृह-कार्य मन्त्रालय से कर्मचारी प्रशासन का स्थानान्तरण प्रधान मंत्री को कर दिया जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की अन्य सिफारिशों पर भारतीय सिविल सेवा के एक सचिव के अधीन एक नये विभाग द्वारा विचार किया गया था ;

(ग) क्या सचिवों की जिस समिति ने इन सिफारिशों पर आगे विचार किया था उसमें भारतीय सिविल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अर्थात् सामान्य प्रशासक वर्ग के ही लोग थे ;

(घ) क्या सचिवों की समिति ने प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है तथा ऐसा निर्णय किस तर्क के आधार पर किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) प्रशासन सुधार आयोग ने भारत सरकार के शासन तंत्र और उसकी कार्य प्रणाली से सम्बन्धित अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि एक कार्मिक विभाग का निर्माण किया जाय और उसे प्रधान मन्त्री के अधीन रखा जाय, जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया है । कार्मिक प्रशासन रिपोर्ट में जो सिफारिशें प्रशासन सुधार आयोग ने की है वे अभी सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) से (ङ) : उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाओं का विभाजन तथा उनका सम्बद्ध मन्त्रालयों के साथ जोड़ा जाना

2804. **श्री द० रा० परमार :** **श्री सीताराम केसरी :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं का विभाजन करने तथा उन्हें सम्बद्ध मन्त्रालयों के साथ जोड़ने का प्रस्ताव किया है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के निदेशकों ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के विभाजन के प्रस्ताव का विरोध किया था क्योंकि वे वर्तमान व्यवस्था को सर्वोत्तम मानते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वैज्ञानिक विभागों के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में, जिसकी सिफारिशों का अब तक केवल सार प्राप्त हुआ है, सुझाव दिया गया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुसंधान के सम्बन्ध शिक्षकों के आधार पर चार अथवा पांच सुपरिभाषित वर्गों में विभाजित किया जाये । इन वर्गों का गठन परमाणु-ऊर्जा आयोग के नमूने पर पृथक-पृथक आयोगों में किया जाये ।

(ख) हाल ही में हुए एक सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों ने वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का विभाजन करने के हर प्रस्ताव का विरोध किया ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

काश्मीर में हथियारों की तस्करी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय गिरोह

2809. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काश्मीर में हथियारों की तस्करी करने वाले ऐसे गिरोह का हाल ही में पता लगाया है जिसका विदेशों से सम्बन्ध है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस गिरोह में बड़ी संख्या में व्यक्ति यूरोप के हैं;

(ग) क्या इन व्यक्तियों का संबन्ध एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

पाकिस्तान द्वारा अपहरण किए गये सीमा सुरक्षा बल के जवानों की मुक्ति

2810. **श्री जी० बेंकटस्वामी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने इस बीच सीमा सुरक्षा बल के पुलिस महानिरीक्षक के उस पत्र का कोई उत्तर भेजा है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स द्वारा अपहरण किये गये सीमा सुरक्षा बल के दो जवानों की मुक्ति की मांग की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन दो जवानों को मुक्ति कराने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा : (क), से (ग) : जी हां, श्रीमान् । पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स के महा-निदेशक द्वारा महा-निरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, पूर्वी सीमान्त, कलकत्ता को लिखे गये अपने 16 जून, 1970 के पत्र में यह आरोप लगाया कि पाकिस्तानी क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ; यह कि इस घटना की एक उच्च स्तर पर जांच-पड़ताल की जा रही है और इसके परिणाम बहुत जल्दी बतला दिये जायेंगे । इस विषय में उनसे और कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

खण्ड और महा-निरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल के स्तर पर विरोध करने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के स्तर पर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त को भी विरोध पत्र दिया गया था । भारत सरकार अपहृत सीमा सुरक्षा बल के व्यक्तियों को शीघ्रता से मुक्त करने के बारे में राजनयिक माध्यम से पाकिस्तान सरकार से इस मामले पर आगे बातचीत की जा रही है ।

Nomination of Persons for Various Committees and Delegations

2811. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have laid down any principles for nominating the persons on various committees and delegations—Parliamentary or otherwise ; and

(b) if so whether it is a fact that the said principle has not so far been followed in nominating the persons on various committees and delegations but nominations have been made on other considerations ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghuramaiah) : **(a) and (b)** : Following are the broad guide lines kept in view in making nominations on various Governmental Committees and Delegations :

(i) Appointments on Governmental Committees, etc. are made on the basis of the aptitude, interest, past experience, etc. of Members as ascertained from the 'Who's Who', the Index Cards and the Options given by Members for nomiation on Consultative Committees.

(ii) To give as wide a chance as possible to Members, names of those Members who have not already been elected or nominated on other Parliamentary or Governmental Committees are preferred.

(iii) Members serving on Financial Committees are not ordinarily nominated on other Committees.

(iv) Before finalising nominations, consent of the Members to the assignments is obtained.

There has been no deviation from the above guidelines in nominating members on Government Committees/Delegations. Nominations on Parliamentary Committees/Delegations are made by the Presiding Officers.

चण्डीगढ़ की तीन मजदूर बस्तियों को हटाना

2812. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने चण्डीगढ़ की तीन मजदूर बस्तियों को उनके वर्तमान स्थानों से हटाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो उन्हें हटाने में कितना समय लगेगा ;

(ख) नई बस्तियां स्थापित करने में कितना समय लगेगा; और

(ग) क्या इन बस्तियों के निवासी यह मांग कर रहे हैं कि नई बस्तियां बनाने के पश्चात ही उन्हें वहां से हटाया जाए और यदि हां, तो उनकी मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : **(क) से (ग)** : चण्डीगढ़ प्रशासन का विचार चण्डीगढ़ के मास्टर प्लान में जाने वाले क्षेत्र की सभी मजदूर बस्तियों को हटाने का है । इन बस्तियों के अधिकृत निवासियों के लिए वैकल्पित प्रबन्ध करने के बाद ही इन बस्तियों को हटाया जायेगा । मजदूर बस्तियों के निवासियों के लिए योजनाएं चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही है । इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता देना

2813. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता प्रदान करने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(ख) कार्मिक संघों की श्रेणी में सरकारी कर्मचारियों की किन श्रेणियों को शामिल किया जाता है ; और

(ग) भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वर्तमान कार्मिक संघ कौन से हैं और उनमें से प्रत्येक की सदस्या कितनी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) रेल तथा रक्षा मन्त्रालय जैसे कुछ मन्त्रालयों को छोड़कर अन्य कहीं भी सरकारी कर्मचारियों के संघों/युनियनों की मान्यता के लिये इस समय कोई नियम नहीं हैं। रेल के रक्षा मन्त्रालयों में मान्यता की शर्तों से सम्बन्धित नियमों के उद्धरण (अंग्रेजी में) संलग्न हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3980/70]** किन्तु केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त सलाहकार यंत्र और अनिवार्य मध्यस्थता की योजना के लिये उन महा-संघों / संघों / यूनियनों की तदर्थ मान्यता प्रदान की गई है, जिन्हें पहले मान्यता प्राप्त थी और जो किसी विभाग के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों का मोटे तौर पर तथा पर्याप्त रूप में प्रतिनिधित्व करती हैं, बशर्ते कि वे संयुक्त उद्देश्य की घोषणा का समर्थन करते हैं। पीछे जहां किसी विभाग में कोई मान्यता प्राप्त महा-संघ/संघ/यूनियन न हो अथवा जहां वर्तमान महासं/घसंघ/संघ/यूनियन पर्याप्त रूप से सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हो, वहां किसी दूसरे संघ। यूनियन को तदर्थ मान्यता प्रदान करने पर विचार किया जाता है।

(ख) प्रश्न का संकेत संभवत: कर्मचारियों की उन श्रेणियों की ओर है जो कार्मिक संघ बना सकती हैं। यदि ऐसा है, तो उन कर्मचारियों द्वारा कार्मिक संघ बनाए जा सकते हैं, जो भारतीय कार्मिक संघ अधिनियम, 1926 की धारा 2 (छ) के आशय में "वर्कमैन" हैं।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

आन्ध्र तथा तेलंगाना क्षेत्रों के लिए योजना राशि का आवंटन

2814. **श्री अदिचन :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री जनार्दनन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना पुनरीक्षण समिति ने आन्ध्र तथा तेलंगाना क्षेत्रों में योजना राशि के आवंटन के लिये कोई सूत्र (फार्मूला) तैयार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (कजी नहीं, श्रीमान्। पुनरीक्षण समिति की दूसरी बैठक में इस प्रश्न पर विचार किया गया था और यह तय किया गया कि योजना आयोग के सदस्य आंध्र-प्रदेश के मुख्य मन्त्री और क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष के साथ विचार-विमर्श करें।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिक परिषद् की स्थापना

2815. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री चन्दशेखर सिंह :**
श्री क० मि० मधुकर : **श्री जनार्दनन :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने वैज्ञानिक विभाग के बारे में दिये अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिक परिषद् की स्थापना करने का सुझाव दिया है, जो एक उच्च निकाय के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान संबन्धी सभी पहलुओं पर सरकार को सलाह देगा ;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सुझाव के बारे में अध्ययन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : सरकार को प्राप्त प्रतिवेदन की सिफारिशों के सार के अनुसार प्रशासनिक सुधार आयोग ने वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यापक पहलुओं पर सरकार को सलाह देने के लिये ऐसी एक परिषद की स्थापना करने का सुझाव दिया है । मामला विचाराधीन है ।

कलकत्ता पत्तन में हड़ताल के कारण निर्यात कर्त्ताओं को हानि

2816. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री न० कु० सांधी : **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन में लम्बी हड़ताल के परिणाम-स्वरूप निर्यात कर्त्ताओं को भारी हानि हो रही है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय ने माल को चढ़ाने तथा उतारने के लिए नौसेना की सहायता लेने के संबन्ध में विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) यह सच है कि 22 मई से 31 जुलाई 1970 तक की अवधि के दौरान कलकत्ता पत्तन में बजरे वालों और गोदी मजदूरों के हड़तालों और तट मजदूरों के धीमी गति से काम करने के आन्दोलन के फलस्वरूप निर्यात को धक्का लगा । यद्यपि जुलाई, 1970 के महीने के दौरान कलकत्ता से किये गये निर्यात के बारे में अंतिम आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है और 22 मई और 31 मई, 1970 के बीच में किये गये निर्यात के बारे में आंकड़े भी पृथक रूप से उपलब्ध नहीं हैं तथापि जून, 1970 के महीने में कलकत्ता पत्तन से किया गया निर्यात जून, 1969 के महीने में किया गया निर्यात की तुलना में लगभग 28 करोड़ रुपये कम था ।

(क) और (ग) : अब चूंकि हड़ताल और धीमी गति से काम करने का आन्दोलन वापिस ले लिया गया है प्रतिरक्षा सेना की सहायता लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

2817. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को भंग करने तथा इस परिषद के अधीन विभिन्न युनिटों को उनके कार्यों से संबन्धित विभिन्न मन्त्रालयों के अधीन न करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री द्वारा उस परिषद की अध्यक्ष के रूप में तथा शिक्षा

मन्त्री द्वारा उपाध्यक्ष के रूप में वैध-शासन से इस परिषद में गंभीर गड़बड़ी तथा कुशासन की स्थिति उत्पन्न हुई है ;

(घ) क्या यह सच है कि यद्यपि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद शिक्षा मन्त्रालय के अधीन कार्य कर रही थी ; परन्तु इससे संबन्धित जांच समिति का प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालय को नहीं बल्कि केवल उसके अध्यक्ष को भेजा गया तथा शिक्षा मन्त्रालय को उस बारे में केवल समाचार पत्रों के द्वारा जानकारी मिली ;

(ङ) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रभावी और उद्देश्य-पूर्ण ढंग से कार्य करने के लिए एक अलग वैज्ञानिक तथा टेकनोलोजीकल विकास मन्त्रालय स्थापित किया जायगा ; और

(च) यदि नहीं, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की वर्तमान बुराइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वैज्ञानिक विभागों के संबन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में, जिसकी सिफारिशों का अब तक केवल सार प्राप्त हुआ है, सुझाव दिया गया है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद को, अनुसंधान के संबद्ध शिक्षणों के आधार पर चार अथवा पांच सुधार-पाषित वर्गों में विभाजित किया जाय। इन वर्गों का गठन परमाणु-ऊर्जा आयोग के नमूने पर पृथक-पृथक आयोगों में किया जाय ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) वैध-शासन नियंत्रण नहीं है; वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियों की परिभाषा क्रमशः वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नियमों व विनियमों और उप-नियमों में दी गई है ।

(घ) वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष ने वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के विनियमों और नियमों के नियम 57 के उपबन्धों के अन्तर्गत जांच समिति स्थापित की थी। अतः कार्मिक नीतियों से संबन्धित समिति के प्रतिवेदन का भाग। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत किया गया था ।

(ङ) और (च) : वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के समस्त कार्य से सम्बन्धित सरकार समिति के प्रतिवेदन के भाग II के प्राप्त होने पर सरकार इन मामलों पर विचार करेगी ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित खानाबदोश और अर्धखानाबदोश आदिम जातियों को छात्रवृत्तियां तथा मार्ग व्यय देने के लिये आवेदन-पत्र

2818. **श्री सिद्धया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों, अनुसूचित, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश आदिम जातियों के उम्मीदवारों को 1970-71 में छात्रवृत्तियां तथा मार्ग-व्यय देने के उद्देश्य से आवेदन-पत्र मांगें गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणीवार, कितने उम्मीदवारों ने आवेदन-पत्र भेजे और कितने उम्मीदवारों को चुना गया ; और

(ग) अध्ययन के लिए वास्तव में कितने उम्मीदवार विदेशों में गए ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

हुगली नदी पर दूसरे हावड़ा पुल का निर्माण

2819. **श्री समर गुह** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली नदी पर दूसरे हावड़ा पुल के लिये विश्वभर से टेंडर मांगे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने टेन्डर प्राप्त हुये हैं ;

(ग) पुल का ठेका देने के प्रश्न पर सरकार अन्तिम निर्णय कब लेगी ;

(घ) क्या दूसरे हावड़ा पुल के शीघ्र निर्माण के लिए कोई समय सूची निर्धारित की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : पुल निर्मित हो जाने पर, स्थानीय सड़क पर पड़ेगा । अतः इस परियोजना के कार्यान्वित संबन्धी समस्त मामलों से पश्चिमी बंगाल मुख्यतः संबन्धित है । उन्होंने निम्नलिखित सूचना दी है :—

(क) इस आशय से कि भारतीय फर्मों को स्वयं जहां तक आवश्यक हो विदेशी सहयोग से कार्य की पहल करनी चाहिये निविदा आमन्त्रित करने वाला नोटिश भारतीय समाचार पत्रों में विज्ञापित किया गया ।

(ख) : निविदाएं प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 30 सितम्बर 1970 है । अभी तक कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) : निविदा के मूल्यांकन के बाद ।

(घ) : यह निविदा के स्वीकार हो जाने के बाद और किस प्रकार का पुल बनना है पर निर्णय हो जाने के बाद किया जायेगा ।

(ङ) : प्रश्न नहीं उठता ।

लाटरियों के माध्यम से लाभ तथा खर्च

2820. **श्री गणेश घोष** :
श्री क० अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री नम्बियार :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) राज्य सरकारों ने अपनी लाटरियों के माध्यम से कुल कितनी धनराशि एकत्रित की ; और

(ख) राज्य सरकारों ने विज्ञापनों, पुरस्कार देने आदि पर राज्यवार, कितना व्यय किया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : **(क) और (ख)** : बिहार, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश और

पश्चिम बंगाल की सरकारों से प्राप्त अपेक्षित सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। शेष राज्यों के बारे में, जो लाटरी चला रहे हैं, सूचना प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

क्रम संख्या	राज्य का नाम	राज्य लाटरियों के माध्यम से एकत्रित कुल राशि	इनामों, विज्ञापनों आदि पर व्यय
		(आंकड़े लाखों में)	
1.	बिहार (31-3-70 तक)	29.93	9.81
2.	हरियाणा (दिसम्बर, 1969 तक)	320.22	156.33
3.	केरल (दिसम्बर, 1969 तक)	504.44	214.42
4.	मध्य प्रदेश (दिसम्बर, 1969 तक)	38.68	19.62
5.	महाराष्ट्र (31-3-70 तक)	822.40	331.50
6.	उड़ीसा (31-1-70 तक) अनुमानित	6.85	4.96
7.	पंजाब (31-12-69 तक)	323.44	166.56
8.	राजस्थान (31-3-70 तक)	136.03	88.03
9.	तमिल नाडु (31-12-69 तक)	1180.10	511.48
10.	उत्तर प्रदेश (31-12-69 तक)	181.26	54.73
11.	पश्चिम बंगाल (31-12-69 तक)	71.91	26.32

अनुसूचित जाति की लड़की को विमान परिचारिका के रूप के नियुक्त किया जाना

2821. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस घटना की जांच की है जो कि एक अनुसूचित जाति की लड़की, जो कि अन्य प्रकार से विमान परिचारिका के पद के लिये योग्य थी, को अनुसूचित जाति की होने के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया था तथा अगले वर्ष उसको नियुक्त कर लिया गया क्योंकि तब उसने अपनी जाति का उल्लेख नहीं किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) उसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को यदि कोई दंड दिया गया है तो वह क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : एयर-इन्डिया तथा इन्डियन एयरलाइन्स ने सूचित किया है कि क्योंकि उम्मीदवार के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है अतः उनके लिये विमान परिचारिकाओं के पदों के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त किये गये प्रार्थना-पत्रों के आधार पर इन तथ्यों की जांच कर सकना संभव नहीं है।

तेलंगाना के लिये धनराशि के नियतन हेतु तेलंगाना पुनरावलोकन समिति की बैठक

2822. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलंगाना पुनरावलोकन समिति की बैठक नई दिल्ली में जून, 1970 में आयोजित हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तेलंगाना क्षेत्र के लिये योजना निधि के नियतन के बारे में क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(ग) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि तेलंगाना की विकास संबन्धी आवश्यकताओं को पहले समुचित रूप में पूरा नहीं किया गया था, उस क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सीधे ही और अधिक धनराशि का नियतन किया जायेगा ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) समिति ने इस मामले पर विचार किया और तय किया कि योजना आयोग के सदस्य आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री और क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष के साथ इस पर विचार-विमर्श करें ।

(ग) 18 फरवरी, 1970 को सरकार द्वारा तेलंगाना के संबन्ध में जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के पैरा 6 तथा 7 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी एक प्रति 6 मार्च, 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 276 के उत्तर में सदन के पटल पर रख दी गई थी ।

तेलंगाना (आंध्र प्रदेश) के लिए धनराशि का नियतन

2823. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में तेलंगाना को आन्ध्र प्रदेश के लिए नियत कुल धनराशि का 42 प्रतिशत भाग दिया जाना था ;

(ख) क्या नियत धनराशि वस्तुत: तेलंगाना पर खर्च की गई है ;

(ग) योजना के शेष तीन वर्षों के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(घ) क्या पहले उपेक्षित की जाती रही विकास संबंधी आवश्यकताओं को देखते हुए, तेलंगाना को केन्द्र से और अधिक उदारता तथा बड़ी मात्रा में धन का नियतन प्राप्त होगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ) : राज्य के सामान्य विकास खर्च की रकम में से तेलंगाना का यथोचित भाग क्या होना चाहिये इस पर निर्णय नहीं किया गया है । योजना के शेष वर्षों के लिए आवंटन इस विषय पर किये गए निर्णय पर निर्भर करता है । फिर भी, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने योजना के दो वर्षों से संबन्धित निम्नलिखित आंकड़ों की सूचना दी है :—

	समूचे राज्य के लिये (रुपये करोड़ में)	तेलंगाना के लिये (रुपये करोड़ में)
1969-70		
योजना-व्यय	94.62	44.77
(तेलंगाना के विशेष विकास सहित)		
खर्च की रकम (स्थाई आंकड़ों पर आधारित)	79.51	38.24
1970-71		
योजना-व्यय		
(1) विशेष विकास निधि को छोड़कर	78.56	30.59
(2) विशेष विकास निधि (तेलंगाना, रेयालासीमा और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिये)	15.00	9.00

(घ) सरकार-द्वारा 18 फरवरी 1970 को तेलंगाना से संबन्धित प्रेस विज्ञप्ति के पैराग्राफ 6 और 7 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसकी एक प्रतिलिपि तारांकित प्रश्न संख्या 276 के उत्तर में 6 मार्च 1970 को सदन के सभा पटल पर रखी गयी थी।

प्रधान मंत्री के मैसूर राज्य के दौरे पर किया गया व्यय

2824. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने जुलाई, 1970 में मैसूर राज्य का संगठन संबंधी दौरा किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने इस दल संबंधी दौरे का उपयोग अन्य दलों की, जिसमें मैसूर राज्य का सत्तारूढ़ दल भी शामिल है, निन्दा करने तथा उन्हें बदनाम करने के लिए किया था ;

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा उसकी विभिन्न एजेंसियों ने इस दौरे पर कुल कितना व्यय किया था ; और

(घ) नई कांग्रेस ने, जिसकी ओर से प्रधान मंत्री ने उक्त दौरा किया था, उसमें से कितना व्यय वहन किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : प्रधान मंत्री ने जुलाई में मैसूर राज्य का दौरा किया, किन्तु यह कहना सच नहीं है कि यह उनके दल की ओर

से किया गया केवल संगठन-संबंधी दौरा था। उन्होंने सरकारी कार्यक्रमों में भाग लिया जैसे सहकारी कपास बिक्री समिति, गदाग, गदाग के हीरक जयन्ती समारोहों की अध्यक्षता करना, बंगलौर में वाणिज्य मंडल में भाषण देना, मैसूर सरकार के युवक कल्याण केन्द्र की नींव रखना इत्यादि।

ऐसे दौरों अथवा सभी दूसरे अवसरों पर प्रधान मंत्री किसी दल की निन्दा नहीं करतीं। बल्कि उन्होंने मैसूर के दौरे में बार-बार कहा कि उन्हें निन्दा अथवा भर्त्सना करने में रुचि नहीं है। किन्तु प्रधान मंत्री को अपने भाषणों में, जहां कहीं दिये जाते हैं, अवश्य ही सरकार की नीति स्पष्ट करने और सरकार अथवा उनके विरुद्ध लगाये आरोपों का उत्तर देने का अवसर मिलता है।

(ग) प्रधान मंत्री सचिवालय के उन अधिकारियों के यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता के रूप में कुल व्यय 85.25 रुपये था, जो इस दौरे में प्रधान मंत्री के साथ गये। अन्य मंत्रालयों तथा संस्थाओं के अधिकारियों के बारे में इस प्रकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। रेल द्वारा की गई यात्राओं के बिलों की रेल प्राधिकारियों से अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) प्रधान मंत्री की सुरक्षा, सार्वजनिक सभाओं इत्यादि पर संबंधित राजनीतिक दल और राज्य द्वारा किए जाने वाले व्यय के बारे में निर्णय विद्यमान है।

महानदी को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करना

2825. **श्री दण्डपाणि :**
श्री नारायणन :
श्री कोलाई बिरुआ :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री मयाबन :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति ने सरकार को सुझाव दया है कि उड़ीसा में महानदी को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) इस सुझाव के समर्थन में समिति ने क्या कारण बताये हैं ; और

(घ) सरकार ने इस सुझाव पर कहां तक विचार किया है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) : जी, नहीं। सरकार को उड़ीसा के बारे में अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की सिफारिश अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) **से (घ)** : प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए अतिरिक्त लाभ

2826. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दो परिपत्रों की ओर दिलाया गया है जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने अपने आपको अतिरिक्त लाभ पहुँचाया है ;

(ख) इन परिपत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) मुख्य सचिवों को, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के हैं, बढ़ी हुई उपलब्धियां देने से सम्बन्धित परिपत्रों के बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान्। परिपत्रों का सम्बन्ध चयन ग्रेड पदों की न्यूनतम संख्या को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने और राज्यों के मुख्य सचिवों का वेतन भारत सरकार के सचिवों के समान करने से है। चयन ग्रेड पदों की न्यूनतम संख्या में वृद्धि अवरोध को दूर करने एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की चयन ग्रेड में पदोन्नति के अवसरों में सुधार लाने के लिए आवश्यक समझी गई। मुख्य सचिव पदों का दर्जा बढ़ाना आवश्यक इसलिए समझा गया क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया कि राज्यों में इन पदों का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है और वह भारत सरकार के सचिवों से कम बोझिल नहीं है। यह भी अनुभव किया गया कि इससे राज्य एवं केन्द्र सरकार के बीच भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारियों का परस्पर आदान प्रदान होगा।

(ग) मुख्य सचिवों के वेतन में वृद्धि के सुझाव का विरोध केवल एक राज्य सरकार ने किया है ; दो राज्य सरकारों ने कोई उत्तर नहीं भेजा है, जबकि अन्य सभी राज्य सरकारें इस सुझाव से सहमत हैं।

प्रधान मंत्री द्वारा काश्मीर का दौरा

2827. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 1970 में काश्मीर का विशेषकर उन स्थानों का दौरा किया जहां गत एक वर्ष में आग लगी थी और यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में कोई जांच कराई और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) क्या उन्होंने मुख्य मंत्री तथा अन्य राजनीतिज्ञों से हाल के जम्मू तथा काश्मीर सम्मेलन के बारे में बातचीत की थी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनको यह बताया गया था कि प्रतिनिधियों द्वारा पढ़े गये 80 प्रतिशत से भी अधिक 'पेपर' स्वतंत्र काश्मीर के पक्ष में थे ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) प्रधान मंत्री ने जुलाई 1970 के मध्य में श्रीनगर का दौरा किया। उन्होंने जम्मू व काश्मीर से संबंधित प्रशासनिक व विकासात्मक मामलों पर राज्य के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों, जनता के लोगों और राज्य सरकार के अधिकारियों से विचार विमर्श किया था।

कच्छार जिले में चीन के सचित्र और छपे इश्तहारों का बरामद होना

2828. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मणिपुर सीमा के समीप ही कच्छार जिले में लखीछोरा रिजर्व फोरेस्ट के आन्तरिक भाग में चीन के सचित्र तथा छपे इश्तहार और विश्वस्त रूप से उच्च ट्रान्समीटर संचार जुगत नामक एक विशिष्ट मशीनी उपकरण के पाये जाने से संबंधित प्रेस समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है कि (i) उपरोक्त वस्तुएं उस स्थान पर कैसे आयी ; (ii) उन इश्तहारों में क्या लिखा है ; तथा (iii) कथित विशिष्ट मशीनी उपकरण से क्या अभिप्राय है ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(ङ) भारतीय क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं के लाये जाने अथवा विमान द्वारा गिराये जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ङ) तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

दिल्ली में ब्लैक आउट अभ्यास का असफल होना

2829. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री न० रा० देवधर :
श्री मु० अ० खां :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 जुलाई, 1970 को नई दिल्ली में किया गया ब्लैक आउट अभ्यास पूर्ण असफल रहा और यहां तक कि केन्द्रीय वित्त मंत्री के बंगले के सारे आंगन तथा 14 विंडसर प्लेस पर स्थित नई कांग्रेस के कार्यालय में सभी बत्तियां जल रही थीं और यहां पर उत्सव जैसा दृश्य प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो असफलता के क्या कारण थे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) ब्लैक आउट की सफलता का मूल्यांकित प्रतिशत लगभग 70-80 था। अतः उतना सफल नहीं होने पर भी जितना सोचा गया था, यह पूर्णरूप से असफल नहीं रहा।

नागरिक सुरक्षा निदेशालय ने ब्लैक आउट अभ्यास के प्रभाव के बारे में रिपोर्ट देने के लिए अनेक मूल्यांकन दल और पर्यवेक्षक नियुक्त किये थे। निदेशालय ने इनमें से किसी मूल्यांकन दल या पर्यवेक्षक से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की कि वित्त मन्त्री के बंगले में या विन्डसर प्लेस पर स्थित नई कांग्रेस के कार्यालय में जलती हुई सभी बत्तियों से उत्सव जैसा दृश्य दिखाई दे रहा था।

(ख) पहले अभ्यासों में घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्य अहातों में बत्ती बुझाने और अभ्यास तक के समय के लिए काम बन्द करने की नीति थी। 3 जुलाई, 1970 को किए गए अभ्यास में लोगों को सलाह दी गई थी कि अन्दर की बत्ती बुझाने के बजाय वे उन पर अच्छी प्रकार से पर्दा कर दें जिससे कि काम न रुक सके। अधिक सफलता न मिलने का कारण यह नया प्रयोग और कुछ क्षेत्रों में साइरन का कम सुनाई देना था। लोगों की प्रतिक्रिया में और अधिक अभ्यासों और अनुभव के साथ-साथ सुधार होगा। अतिरिक्त साइरन लगाने के लिए और सड़कों की बत्तियों को बुझाने वाले प्रबन्धों में सुधार लाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

Prime Minister's Tour of Mysore State

2830. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether she recently undertook a tour of the Mysore State :

(b) whether the itinerary of her tour was fixed in consultation with the Chief Minister of the State ;

(c) the number of official functions and meetings attended by her there along with the names of places where such functions and meetings were held ; and

(d) the number of unofficial functions and meetings attended by her along with the names of places where they were held ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) Yes, Sir. The Prime Minister visited Mysore from 19th to 20th July, 1970.

(b) The Chief Minister of Mysore was kept in touch before the programme was finalised.

(c) The Prime Minister attended six official functions, one at Gadag and five at Banglore.

(d) The number of unofficial functions and meetings attended by the Prime Minister was fifteen. They were held one each at Bidar, Gulbarga, Raichur, Sindhnur, Gangawathi, Hospet, Challakir Hiriyur, Tumkur and Bellary, two at Mysore and three at Bangalore.

सीमा पर स्थित गांवों में पूर्वी पाकिस्तानियों द्वारा हमला

2831. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जून, 1970 को भारत-पाकिस्तानी सीमा पर जब पूर्वी पाकिस्तानियों के सशस्त्र गिरोहों ने धुलीहारी, गोवाली, यानबस्ती तथा ताइहारी सीमा-गांवों में डाका डाला तब एक व्यक्ति गोली से मारा गया था और 15 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए थे ;

(ख) क्या यह सच है कि घुसपैठी गांवों से 10 पशु उठा ले गये थे ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 26/27 जून, 1970 की रात को तालबाड़ी, थाना गोलपुकुर में चोरी का एक मामला हुआ और 28/29 जून, 1970 की रात को उसी ग्राम में चोरी का दूसरा मामला हुआ। उसी रात को अज्ञात व्यक्तियों के एक दल ने धुलियाबाड़ी अंचल, थाना गोलपुकुर में ग्राम अतिजला के एक मकान में छापा मारा और एक व्यक्ति को जो उस स्थान पर मजदूरी करने आया था, मार दिया। मामलों की जांच-पड़ताल की जा रही है। ये स्थान सीमा से 5 और 12 किलोमीटर के बीच की दूरी पर हैं। जांच पूरी होने पर इन अपराधों के कामों में किन्हीं पाकिस्तानी नागरिकों की सहापराधिता है या नहीं। गोवाली, यानबस्ती और ताइहारी के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

भारत में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिक

2832. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1970 को भारत के प्रत्येक राज्य में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या कितनी-कितनी थी और वे वहां किन उद्देश्यों से रह रहे थे ;

(ख) 1968-69 और 1969-70 में कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत के विरुद्ध जासूसी करने के अभियोग में पकड़े गये थे ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को जासूसी करने के कारण दण्ड दिया गया था और कितने व्यक्तियों को कैद की अवधि समाप्त करने से पूर्व छोड़ दिया गया था ; और

(घ) पाकिस्तान में पकड़े गये भारतीय नागरिकों के साथ कितने पाकिस्तानी जासूसों का आदान-प्रदान किया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : **(क) से (घ)** : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

विश्व भारती विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन

2833. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने 26 **अप्रैल**, 1970 को काम नहीं किया था और उन्होंने उस दिन प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या थी ; और

(ग) इस मामले को किस प्रकार सुलझाया गया था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : दो अध्यापकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की आशंका के कारण विश्वभारती विश्वविद्यालय की अध्यापक सभा के सदस्य 26 अप्रैल, 1970 को काम पर नहीं आए ।

(ग) मामला आपसी बातचीत के जरिए तय किया गया था ।

निर्यात किये जाने वाले लौह-अयस्क को बन्दरगाहों पर उतारना चढ़ाना

2834. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात किये जाने वाले लौह-अयस्क को बन्दरगाहों पर उतारने-चढ़ाने के लिये देश के विभिन्न बन्दरगाहों की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) उन बन्दरगाहों को भार-वहन क्षमता कितनी है जहां कि ऐसी वृद्धि करने का प्रस्ताव है और 1970-80 में उनकी क्षमता कितनी होगी; और

(ग) प्रत्येक बन्दरगाह में कितनी अधिकतम क्षमता वाले जहाजों को लाया जा सकता है और 1975 और 1980 में स्थिति क्या होगी ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) : जी, हां ।

(ख) : विभिन्न लौह-खनिज लदान पत्तनों का वर्तमान डुबाव निम्न प्रकार है :—

कलकत्ता पत्तन	—	24 से 28 फुट तक
मद्रास पत्तन		
जवाहर गोदी (पूर्व)	—	36 फुट
दक्षिण क्वेह 3	—	30 फुट
विशाखापत्तनम पत्तन		
पश्चिमी खनिज घाट	—	33 फुट
मारमोगाओ पत्तन	—	28 फुट
पारादीप पत्तन	—	37 फुट

चौथी पंचवर्षीय योजना काल (1973-74) में खनिज लौह की धरा उठाई के लिए पत्तन की क्षमता निम्न प्रकार से बढ़ाये जाने की संभावना है :—

	टन भार दस लाख में
कलकत्ता पत्तन	
हल्दिया गोदी पर – खनिज धातु	3
मद्रास पत्तन	
बाहरी बन्दरगाह में खनिज घाट	5
विशाखापत्तनम पत्तन	
बाहरी बन्दरगाह	10
मारमोगाओ पत्तन	8
पारादीप पत्तन	4
मंगलौर में नये बड़े पत्तन	0.5

इस समय यह दृष्टिगोचर करना कठिन है कि 1973-74 के बाद लौह खनिज की धरा उठाई के लिए पत्तनों की क्षमताएं क्या होगी।

(ग) : उपरोक्त प्रत्येक पत्तन पर जहाजों की अधिकतम क्षमता जो इस समय धरा उठाई की जा सकती है निम्न प्रकार है :

	(कुल टनभार में)
कलकत्ता	18,000
मद्रास	35,000
विशाखापत्तनम	36,000
मारमोगाओ	18,000
पारादीप	40,000

1975-80 के दौरान में स्थिति निम्न प्रकार होने की संभावना है :–

	कुल टन भार
कलकत्ता (हल्दिया)	80,000
मद्रास की बाहरी बन्दरगाह	70,000 आरम्भ में तथा 100,000 अंत में
विशाखापत्तनम की बाहरी बन्दरगाह	100,000 आरम्भ में तथा 200,000 अंत में
मारमोगाओ	60,000 आरम्भ में तथा 100,000 अंत में
पारादीप	60,000
मंगलौर	20,000

कम्प्यूटर द्वारा मौसम की पूर्वसूचना देने की पद्धति अपनाना

2835. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने हाल ही में परीक्षण के तौर पर कम्प्यूटर द्वारा मौसम की पूर्वसूचना देने की पद्धति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम्प्यूटर द्वारा मौसम की पूर्वसूचना देने की पद्धति नियमित रूप से कब तक आरम्भ की जाएगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां ।

(ख) जुलाई, 1970 से उत्तरी गोलार्ध विश्लेषण केन्द्र, नई दिल्ली तथा उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पूना में, सप्ताह में एक बार, कम्प्यूटरों पर संकलित किए गए मौसम पूर्वानुमान चार्ट तैयार किए जा रहे हैं जो हवाओं के, तथा 500 मिलीबार (6 कि० मी०) तक के 'सर्फेस' के 'कटरों' के, सम्बन्ध में भविष्यवाणी प्रदान करेंगे । यह योजना आयोग, नई दिल्ली तथा टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, बम्बई में उपलब्ध कम्प्यूटर सुविधाओं का प्रयोग करके परीक्षण के तौर पर किया जा रहा है ।

(ग) कम्प्यूटर द्वारा तैयार की गयी भविष्यवाणियों के नियमित रूप से 1972 तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है, जब तक कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अपना कम्प्यूटर प्राप्त कर लेने की आशा है ।

विद्रोही नागाओं द्वारा वफादार नागाओं का अपहरण

2836. **श्री कोलाई विरुआ :** **श्री दे० अमात :**
श्री नारायणन : **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री मयाबन : **श्री आदिचन :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 जुलाई, 1970 को छिपे विद्रोही नागाओं के एक गिरोह ने छः नागाओं का मनीपुर के फाईवंग खुलन ओवियो सब-डिवीजन में उनके घरों से अपहरण किया था;

(ख) वे अपहरण किये गए नागा विद्रोही थे जिन्होंने हाल ही में मनीपुर सरकार को आत्म-समर्पण कर दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार वफादार नागाओं को संरक्षण देने में असफल रही है; और

(घ) भविष्य में वफादार नागाओं को संरक्षण देने तथा उनकी सहायता करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योनिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (घ) : तथ्य मालूम किए जा रहे हैं तथा एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे का औचित्य

2837. **श्री कोलाई बिरुआ :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री नारायणन : **श्री दण्डपाणि :**

श्री मयाबन : **श्री बिभूति मिश्र :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी लेनिनवादी) की प्रथम कांग्रेस की बैठक में एक संकल्प द्वारा उत्तरी सीमाओं पर विशाल भारतीय क्षेत्र पर चीनी कब्जे को भारत सही जबाब के रूप में, उचित ठहाराया है;

(ख) क्या सरकार ने इस दस्तावेज के प्रकाशन के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भविष्य में ऐसे प्रकाशनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स, और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) कोई ऐसा विशिष्ट संकल्प सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) राज्य सरकारें देशद्रोह और अन्य किसी प्रकार के कानून की दृष्टि से आपत्तिजनक साहित्य के प्रकाशकों और मुद्रकों के विरुद्ध कानून के अधीन कार्यवाही कर रही है ।

पश्चिमी बंगाल में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की एकता-विरोधी नीति तथा राष्ट्रपति के शासन के विरुद्ध अभियान

2838. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री रा० को० अमीन :**

श्री नन्द कुमार सोमानी : **श्री कृ० मा० कौशिक :**

श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिमी बंगाल की भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार के आठ दलों ने

भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) की एकता-विरोधी नीति और राष्ट्रपति-शासन विरुद्ध राज्य व्यापी अभियान चलाया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : **(क) और (ख)** : लंदन में 7 अगस्त, 1970 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 299 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इ० पो० सी० के संघटकों का अन्य राजनैतिक दलों से व्यवहार जो सर्व-विदित है, सरकार से संबंधित नहीं है।

गैर-सरकारी युवकों के लिए राष्ट्रीय योजना

2839. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री रवि राय :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-विद्यार्थी युवकों के लिए राष्ट्रीय योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष में उक्त योजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) गैर विद्यार्थी युवकों के राष्ट्रीय कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार की गई है।

(ख) विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी० 3981/70]**

(ग) 35·02 लाख रुपये।

Scheme to Supply University Books at Cheaper Rates

*2840. **Shri Ramavatar Shastri :** **Shri Devindar Singh Garcha :**
Shri Chintamani Panigrahi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme to supply university books at cheaper rates ;

(b) whether it is also a fact that Government propose to give subsidy to authors and publishers of such books with that object in view ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the manner in which Government propose to implement this scheme in the States ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d) : A statement is attached. **[Placed in the Library See. No. LT 3982/70.]**

Transfer of Teachers of Central Schools

2841. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the details of the rules governing transfers of teachers working in the Central Schools being run by the Central Schools Organisation ;

(b) whether it is a fact that the result shown by the Central School at Danapur last year was cent per cent ;

(c) whether it is also a fact that some of the teachers of the said School have been transferred inspite of the fact stated above ; and

(d) if so, the reasons therefor and whether such transfers would not adversely affect the standard of teaching and the results of the School ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Normally, transfers of Principals/Teachers of Kendriya Vidyalayas are ordered after their stay in a particular place for a long time. However, transfer at an earlier date may also be made on administrative grounds or in public interest.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) These transfers were made in public interest. There is no reason why such transfers should adversely affect the standard of teaching and the results of the Vidyalaya.

Foreign Exchange required for development of Shipping Industry

*2842. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Shipping Board has approached Government for finding foreign exchange required for the speedy development of the shipping industry in the country ;

(b) if so, the details thereof, and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghu Ramaiah) : (a) No such request has so far been received by Government from the National Shipping Board.

(b) Does not arise.

(c) Government have always been endeavouriing to develop shipping industry in the country according to Plan targets.

गोआ में राजनीतिक संकट

2843. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ कांग्रेस (नई) के अध्यक्ष ने मांग की है कि गोआ में वर्तमान राजनीतिक संकट को हल करने का एक ही रास्ता है कि विधान सभा को भंग कर दिया जाये तथा वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) गोवा, दमन व दीव प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कुछ समय पूर्व ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया ।

(ख) इस समय किसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा की बैठक इस महीने की 20 तारीख को होने वाली है ।

राज्यों में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखना

2844. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री दिनकर देसाई :**

श्री नरसिम्हा राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के एक अध्यक्ष दल ने राज्यों में कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के बारे में केन्द्र से इस संबंध में अपना निश्चित प्रभुत्व रखने की मांग की है तथा उसने कहा था कि यह कार्य संवैधानिक उपबन्धों से संगत है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) : प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा गठित पुलिस प्रशासन संबंधी एक कार्यकारिणी दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि संविधान के कुछ उपबन्ध में उल्लेख है कि केन्द्र देश में कानून व व्यवस्था के मामलों में निश्चित तथा सक्रिय भाग लेता है । आयोग दल के प्रतिवेदन पर विचार नहीं कर सका और प्रतिवेदन पर की जाने वाली कार्यवाही की जाँच की जा रही है ।

दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति

2845. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री हेम बरुआ :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में इलेक्ट्रानिक्स, और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ऐसे आयोग की कोई आवश्यकता नहीं है ।

एयर इंडिया के जनरल मैनेजर का उसके कर्मचारियों द्वारा घेराव

2846. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री लखन लाल कपूर :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून 1970 में एयर इण्डिया के कर्मचारियों ने एयर इंडिया के जनरल मैनेजर का घेराव किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए प्रबन्धकों ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : 23 जून, 1970 की रात्रि को बम्बई से पालम पहुँचने पर एयर इंडिया के महा प्रबंधक एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ

के स्थानीय प्रतिनिधियों की इच्छानुसार उनसे मिले। इन प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे मामलों के बारे में आश्वासन की मांग की जिन पर कि उनके केन्द्रीय संघ के साथ पहले से ही बातचीत चल रही थी। महा प्रबन्धक ने सहमति प्रदान की कि वे मुख्यालय वापिस जाने पर शीघ्र ही इन मामलों की जांच करेंगे। परन्तु बैठक के बाद लगभग 11.30 बजे रात को अन्तर्राष्ट्रीय प्रवेशद्वार के निकट करीब 40 कर्मचारियों ने उनका लगभग 35 मिनट तक घेराव किया था। कर्मचारियों की एक मांग मान ली गई है तथा शेष माँगों के बारे में बातचीत चल रही है।

Land-Grab Campaign by S. S. P. and Peasats and Workers Party

2847. **Shri Deorao Patil :** **Shrimati Ila Palchoudhuri :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the S. S. P. and the Peasants and Workers Party have any plan to launch a drive to grab fallow land and the land belonging to Ministers in the country ; and

(b) if so, the details thereof and the steps taken by Government in this regard ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b) : The S. S. P. is known to have included forcible occupation of such lands in its "agitation" launched on 9th August, 1970. Firm action according to law is being taken by the State Governments concerned to deal with such unlawful activities. Information regarding any such plan of the Peasants and Workers Party is being collected.

Commission to Enquire into the Death of Netaji Subhas Chandra Bose

2848. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to appoint a Commission to enquire into the death of Netaji Subhash Chandra Bose; and

(b) if so, the scope of functions of this Commission and the time by which it is likely to submit its report ?

The Deputy Home Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) : Yes, Sir.

A notitification has been published in the Gazette of India Extraordinary dated 11th July, 1970, appointing one man Commission of Inquiry consisting of Shri G. D. Khosla, retired Chief Justice of the Punjab High Court to inquire into all the facts and circumstances relating to the disappearance of Netaji Subhas Chandra Bose in 1945 and the subsequent developments connected therewith. The Commission is expected to submitt its report by the 31st December, 1970.

कलकत्ता पुलिस एसोशिएशन द्वारा अपनाया गया संकल्प

2849. **श्री सरदार अमजद अली :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पुलिस एसोसिएशन ने इस आशय का संकल्प अपनाया है कि यदि उनके सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दी गई तो वे आन्दोलन आरम्भ करेंगे;

(ख) यदि हां, तो एसोशिएशन ने किस संदर्भ में उक्त संकल्प अपनाया है; और

(ग) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

गैर-विद्यार्थी युवकों पर नक्सलवाद और साम्प्रदायिकता का प्रभाव रोकने के लिए सलाहकार बोर्ड

2850. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-विद्यार्थी युवकों पर नक्सलवाद और साम्प्रदायिकता का प्रभाव रोकने के लिये एक सलाहकार बोर्ड बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका पहला प्रतिवेदन कब तक मिल जाने की आशा है और क्या इस बीच उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए कुछ उपाय किये जायेंगे जिससे युवक उपर्युक्त तत्वों के चुंगुल से बच सकें ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर वी० राव) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय युवक सलाहकार बोर्ड की स्थापना, युवक कल्याण और युवक सेवा कार्यक्रमों में लगे विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी अभिकरणों के बीच आवश्यक समन्वय की व्यवस्था करने तथा विभिन्न अभिकरणों के द्वारा प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में कार्यान्वयन के लिए युवक कार्यक्रमों को तैयार तथा प्रायोजित करने के लिए और युवक कल्याण तथा युवक सेवा कार्यक्रमों में लगे संगठनों को मान्यता देने के लिए हुई है । युवक कार्यक्रमों के उद्देश्य आमतौर पर ये हैं : आत्मभिव्यक्ति आत्म-विश्वास और सांस्कृतिक-उपलब्धि, कार्य और पारिवारिक जीवन की तैयारी और प्रशिक्षण के लिये गैर-विद्यार्थियों को सुविधाओं की व्यवस्था करना, उनको सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारियां वहन करने के योग्य बनाना उनमें भाई-चारे, देशभक्ति की भावना तथा सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित करना और सामुदायिक तथा राष्ट्रीय विकास के कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में उनके भाग लेने की सुविधाजनक बनाना । राष्ट्रीय युवक सलाहकार बोर्ड की बैठक शीघ्र होने वाली है ।

2. युवक सेवाओं से संबंधित कुछ प्रस्ताव, स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त हुए हैं । ये विचाराधीन हैं । इस समय यह कहना कठिन है कि इस प्रकार की प्रायोगिक परियोजनाएं, जिनको शुरू करने का विचार है, युवकों को नक्सलवाद और साम्प्रदायिकता के असर से हटा सकेंगें अथवा नहीं ।

युवक छात्रावासों की स्थापना

2851. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवकों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए देश में युवक छात्रावासों की स्थापना का कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) इन छात्रावासों की कितने स्थानों पर स्थापना की जायेगी तथा यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

(ग) प्रत्येक होस्टल की अनुमानित लागत तथा धारिता कितनी होगी; और

(घ) इन होस्टलों में प्रवेश करने की पात्रता का निर्धारण करने के नियम व शर्तें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावित 9 युवा होटलों के राज्य-वार स्थान जहां वे स्थित होंगे नीचे दिये गये हैं :-

1. राजस्थान	–	जयपुर
2. महाराष्ट्र	–	औरंगाबाद
3. तमिल नाडु	–	मद्रास
4. केरल	–	त्रिवेन्द्रम्
5. मैसूर	–	हाम्पी
6. जम्मू व काश्मीर	–	पटनी टाप
7. जिला दार्जिलिंग 8. उत्तर प्रदेश 9. हिमाचल प्रदेश	}	स्थान का अभी निर्णय किया जाना हैं ।

(ग) 2.50 लाख रुपये; 45 शय्याएं ।

(घ) होटलों का प्रयोग करने व उनमें रहने सम्बन्धी निगम अभी बनाने हैं । तथापित, इन नियमों के भारतीय युवा होस्टल संस्था द्वारा निर्धारित नियमों की तरह के ही होने की संभावना है ।

Titles and Prices of Publications of Central Government Brought out in Hindi and English

2852. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1656 on the 15th May, 1970, regarding the printing of Gazette and other publications in both Hindi and English and state" the titles and the prices of all publications of the Central Government and of the Gazette of India published in Hindi and English languages, as also the places from where they can be purchased?"

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): The information asked for is not available in the Ministry of Home Affairs. The collection of this data will involve time and labour which may not be commensurate with the results to be achieved.

Copies of the Gazette of India and other priced dublications can be had from the Manager, Publication Branch. The publications of the Ministry of Information and Broadcasting can be had from their Publicaiions Division.

Scheduled Castes and Scheduled Tribes Officers in Education Department of Delhi Administration

2853. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be peased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9055 on the 8th May, 1970

regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes Officers in the Education Department of the Delhi Administration and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the Delhi Administration ; and

(b) if not, the reasons for the inordinate delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir. The required information is given in the enclosed statement. [**Placed in the Library. See. No. L. T. 3983/70**]

(b) Does not arise.

Promotion in Education Department of Delhi Administration

2854. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9051 on the 8th May, 1970, regarding promotion in the Education Department of the Delhi Administration and state :

(a) whether the requisite information from all the schools called for by the Delhi Administration vide their letters of 4th November, 1969 and 22nd January, 1970 has since been collected ; and

(b) if so, the details thereof, item-wise, and the further action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : **(a) and (b)** : The requisite information is still awaited from the Delhi Administration znd will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible after it is received.

Teaching of Socioliogy in Higher Secondary Schools in Delhi

2855. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 9054 on the 8th May, 1970 regarding teaching of Sociology in Higher Secondary Schools in Delhi and state :

(a) whether the Delhi Administration has given their consent to include Sociology in the courses of the Higher Secondary Schools to create social awareness in the mind of the students ; and

(b) if so from which date?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The question of asking Delhi Adminisration to give their consent to the inclusion of Sociology in the Courses of Higher Secondary Schools does not arise as it is not considered to be a suitable subject for study at the school level.

(b) Does not arise.

चौथी योजना में पश्चिम बंगाल के लिए 'शिक्षा' शीर्षक के अन्तर्गत निर्धारित राशि

2856. **श्री गणेश घोष** : **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में 'शिक्षा' शीर्ष के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या निर्धारित राशि में बहुत अधिक कटौती कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर ; और

(घ) किस-किस पद के नियतन में कटौती की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) पश्चिमी बंगाल के लिये चौथी आयोजना के परिव्यय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन तथा बरहामपुर में काम का बंद होना

2857. **श्री गणेश घोष :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारो 'उनके विरुद्ध दमन' के विरोध में आन्दोलन करते रहे हैं ;

(ख) क्या 27 मई, 1970 को बरहामपुर तथा मुर्शीदाबाद में कोई घटना हुई थी जिसमें कई कर्मचारी घायल हुए थे और 10 पकड़े गये थे ;

(ग) क्या बरहामपुर के सभी कर्मचारियों (संख्या .में लगभग 500) जिन्होंने अपने विरुद्ध पुलिस कार्यवाही के विरोध में 27 मई से 6 जून, 1970 तक काम बन्द कर दिया था, ने अवकाश के लिये आवेदन पत्र दे दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो 27 मई, 1970 की बरहामपुर में हुई घटना का ब्यौरा क्या है और सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक वर्ग अपनी मांगों पर बल देने के लिए प्रदर्शनों आदि का सहारा ले रहा है ।

(ख) से (घ) : उपलब्ध सूचना के अनुसार 27 मई, 1970 को बरहामपुर के राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों ने जिलाधीश, मुर्शिदाबाद का करीब 6 घंटे घेराव किया था । जिलाधीश को बचाने के लिए पुलिस को अश्रु गैस का प्रयोग और लाठी प्रहार करना पड़ा । इस प्रक्रिया में कुछ व्यक्ति घायल हो गये थे । भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/332/342 के अधीन 10 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए थे । बरहामपुर में राज्य सरकार के कर्मचारियों में से अधिकांशों ने 27 मई से 6 जून तक अवकाश के लिए आवेदन पत्र दे दिए । गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों के बारे में वर्तमान स्थिति मालूम की जा रही है ।

24 परगना (पश्चिम बंगाल) में शरणार्थियों के लिये राहत कार्य

2858. **श्री गणेश घोष :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 रसैल स्ट्रीट, कलकत्ता-16 की एक 'क्रिश्चियन एजेंसी फार सोशिएल ऐक्शन, रिलीफ एंड डैवलपमैंट' नामक एजेंसी को नये आये शरणार्थियों के लिए जो पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिले में बारसाट, बसीरहाट और हस्नाबाद में बस गये हैं, राहत कार्य करते रहने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस एजेंसी के पूर्ववृत्तों का सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस एजेंसी को अमरीका से धन की प्राप्ति होती है ; और क्या इसका सी० आई० ए० से कोई संबंध है ;

(घ) इसकी गतिविधियां क्या है ; और

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित स्थानों पर राहत कार्यों में संलग्न राहत देने वाले अन्य गैर-सरकारी संगठनों का पूर्ववृत्त क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ङ) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, क्रिश्चियन एजेंसी फार सोशिएल ऐक्शन, हस्नाबाद, बसीरहाट, बोनगांव आदि के सीमावर्ती कस्बों में कल्याण-कार्य कर रही है । क्रिश्चियन एजेंसी फार सोशिएल ऐक्शन चर्चों की विश्व परिषद, जनेवा एवं अन्य अन्तर चर्च सहायता अभिकरण के साथ निकट संबंध में कार्य करती हुई बतलाई जाती है । क्रिश्चियन एजेंसी फार सोशिएल ऐक्शन सी० आई० ए० से संबंधित है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इन क्षेत्रों में राहत कार्यों में संलग्न रामाकृष्ण मिशन, श्री गुरु संघ, महिला संगठन, भारत सेवाश्रम संघ, रेडक्रास और कलकत्ता का गर्ल्स गाइड संगठन अन्य गैर सरकारी राहत संगठन हैं ।

वाहनों की नम्बर प्लेटों पर केवल संख्या लिखने का प्रस्ताव

2859. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री 27 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 968 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर गाड़ियों पर केवल संख्या वाली नम्बर प्लेट लगाने का जो प्रस्ताव किया गया था वह अब किस स्थिति में है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है ।

आकाश वाणी नई दिल्ली के यूववाणी कार्यक्रम में शिक्षा मन्त्रालय का सहयोग

2860. **श्री रामकिशन गुप्त :** **श्री कमलनयन बजाज :**

श्री स० ब० सामन्त :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी नई दिल्ली के 'युववाणी' कार्यक्रमों की रेडियो और टेलीवीजन के माध्यम से प्रसारित करने में उनके मंत्रालय ने सहयोग किया है ;

(ख) यदि हो, तो कैसा ; और

(ग) यदि कोई सहयोग नहीं दिया गया है तो युवक शिक्षा से सम्बद्ध और उनके मंत्रालय द्वारा युवकों के लिये प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रम में कोई योगदान न दिये जाने के क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) इस मंत्रालय के एक अधिकारी उस युव-वाणी सलाहकार समिति के सदस्य हैं, जो मुख्य रूप से इसके कार्यक्रमों को तैयार करने से सम्बन्धित हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

'बन्दों' में केन्द्रीय पुलिस का कार्य

2861. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री कमलनयन बजाज :**
श्री स० च० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में आयोजित 'बन्दों' के दौरान केन्द्रीय आरक्षित पुलिस अथवा केन्द्र की किसी अन्य पुलिस को कोई कार्य सौंपा गया है ;

(ख) गत 14 जुलाई को पश्चिम बंगाल में आयोजित बन्ध में इस बल ने क्या कार्य किया ; और

(ग) क्या इन 'बन्दों' की पुनरावृत्ति में कमी करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख) : केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के यूनिटों एवं दूसरे बल राज्य सरकारों की मांग पर केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं । इस प्रकार के यूनिट स्थितियों के साथ निपटने में असैनिक प्राधिकारियों की सहायता में प्रयोग किए जाते हैं जिसमें लोक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले बन्द भी शामिल हैं । इस प्रकार के यूनिटों के प्रयोग के ढंग के बारे में, राज्य प्राधिकारियों की आवश्यकता के अनुसार उनके द्वारा तय किया जाता है । पश्चिम बंगाल की सरकार ने लोक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए 14 जुलाई को इस प्रकार के यूनिटों का प्रयोग किया था ।

(ग) सम्बंधित राजनैतिक दलों की संयुक्त ईमानदारी और इनके कारण सामान्य जीवन में होने वाली गड़बड़ के विरुद्ध लोक मत के दबाव से ही बन्दों और अन्य ऐसे आन्दोलनों को होने से कम किया जा सकता है ।

बेरोजगार इंजीनियर

2862. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार इंजीनियरों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकनीकी पाठ्यक्रम में पढ़ाने

के लिये रोजगार के अवसर उपलब्ध करने हेतु सरकार ने क्यों विचार नहीं किया है और क्या सरकार ने राज्य सरकारों से ऐसे पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिये उनकी सहमति का पता लगायेगी और पूछेगी कि वे केन्द्रीय सरकार से क्या सहायता चाहते हैं ;

(ख) इन बेरोजगार इंजीनियरों की शाखा मार्गों में सुधार करने के लिये और सिंचाई के संसाधन उपलब्ध करने के लिये योजनायें बनाने और प्राक्कलन तैयार करने के लिए नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों द्वारा ये कार्य आरम्भ करने की अवस्था में इन कार्यों के लिये चौथी योजना के अतिरिक्त ऋण तथा अनुदान देगी क्योंकि केन्द्रीय सरकार की यह सहायता बेरोजगारी की समस्या को हल करने की दृष्टि से उचित सिद्ध होगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) शिक्षा आयोग ने हाई स्कूलों में 10 वर्ष के लिए सामान्य शिक्षा के परिवर्तित शैक्षणिक नमूने की सिफारिश की है। अतः राज्य सरकारों से उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तकनीकी पाठ्यक्रम आरम्भ करने के लिए नहीं कहा गया है । अतः इन स्कूल में इंजीनियरों के नियोजन का प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने मई, 1968 में इंजीनियरों के लिए अतिरिक्त नियोजन के अवसरों के बनाने के उपायों को आरम्भ किया । एक उपाय में राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों से चतुर्थ तथा उसके बाद की योजनाओं में शामिल किये जाने के लिए प्रायोजनाओं से सम्बन्धित प्रारम्भिक कार्य हाथ में लेने का अनुरोध किया गया है । कई राज्य सरकारों ने ऐसे अनुसंधानात्मक कार्य करने के लिए, इंजीनियरों के अतिरिक्त पद पहले ही बना दिये हैं । शाखा मार्गों में सुधार करने के लिए और सिंचाई के संसाधान फिर से उपलब्ध करने के लिए योजनाएं बनाने तथा प्राक्कलन तैयार करना अनुसंधानात्मक कार्य में सम्मिलित किये जायेंगे ।

(ग) राज्य सरकारों की चतुर्थ योजना स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता किन्हीं विशिष्ट स्कीमों से सम्बन्धित नहीं है बल्कि राष्ट्रीय परिषद् द्वारा बनाये गये कुछ मापदण्ड पर आधारित खण्ड-ऋणों तथा अनुदानों के रूप में होगी । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने 1969-70 में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 2 करोड़ रुपये की योजनेत्तर ऋण के रूप में सहायता की विशेष व्यवस्था की थी । इस सहायता का उद्देश्य बड़ी सिंचाई व बिजली प्रायोजनाओं के अनुसंधान व सर्वेक्षण की प्रगति को तेज करना था जिससे विशेषकर इंजीनियरों व अन्य तकनीकी कार्मिकों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकें ।

प्रशासनिक कार्य करने वाले भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी

2863. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों की वर्तमान संख्या कितनी है तथा प्रशासनिक कार्यों में भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों की संख्या क्या थी ;

(ख) क्या संख्या में वृद्धि होने से सेवा के स्तर में कमी आ गई है तथा क्या इसके कारण अत्यन्त मेधावी व्यक्ति इसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं ;

(ग) क्या भारतीय प्रशासन सेवा को, इसके आये पदों को सभी अन्य वर्गों से भर कर तथा भारतीय प्रशासन सेवा की प्रतियोगी परीक्षा में अन्य सेवाओं के उन उम्मीदवारों को जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो बैठने की अनुमति देकर लोकतंत्रात्मक नहीं बनाया जा सकता; और

(घ) क्या इससे सभी स्तरों पर स्थाई सुधार होगा तथा प्रशासनिक कैडर में तकनीकी सेवाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) : भारतीय प्रशासन सेवा अधिकारियों की कुल संख्या 1-1-1970 को 2587 थी। प्रशासनिक कार्यों में सिविल सेवा अधिकारियों से माननीय सदस्य महोदय का तात्पर्य अनुमानत: प्रशासनिक शाखा में, जो न्यायपालिका से भिन्न हैं, भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों से हैं। चूंकि उन्होंने उस समय अवधि का उल्लेख नहीं किया है जिसके लिए यह संख्या बतानी है, अत: यह सूचना देना सम्भव नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) भारतीय प्रशासन सेवा में चयन की प्राथमिक मापदंड योग्यता है, सीधे भर्ती से हो अथवा पदोन्नति से। सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा से की जाती है जिसमें न्यूनतम शैक्षणिक और आयु संबंधी अर्हता रखने वाले सभी व्यक्ति बैठ सकते हैं। सेवा-मुक्त आपात कमीशन प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिए कुछ प्रतिशत आरक्षित है जो एक अलग प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जाता है। राज्य सिविल सेवा अधिकारियों और गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की भारतीय प्रशासन सेवा में पदोन्नति योग्यता द्वारा चयन पर आधारित है। भारतीय प्रशासन सेवा की इस सामान्य व्यवस्था के अतिरिक्त जब कभी इस संवर्ग में संख्या बढ़ाने की विशेष आवश्यकता पड़ती है तो विशेष भर्ती पर आपातकालीन भर्ती का तरीका भी अपनाया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Underground Nagas in Manipur

2865. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the underground rebel Nagas have become more active in Manipur during the last two months and whether these rebel Nagas are being led by Col. Malipa Paru ; and

(b) whether the Government of India have formulated any long-term scheme to liquidate these rebel Nagas for immediate implementation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) :

(a) No, Sir. No such leader by the name of Malipa Paru has come to notice.

(b) Security measures and continuous vigilance are being maintained against activities fo unlawful elements.

कलकत्ता पत्तन पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का तैनात किया जाना

2866. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन में सामान की चोरी रोकने के लिये वहां पर औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या पत्तन पुलिस को वापिस बुलाया जा रहा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : कलकत्ता पत्तन पर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के आरम्भ करने के प्रश्न का जांच को जा रही है ।

स्वतंत्रता के पश्चात सेवा करने से इन्कार करने वाले

आई० सी० एस० के अधिकारी

2867. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आई० सी० एस० के कितने गैर भारतीय अधिकारियों ने नई भारतीय सरकार की सेवा करने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) क्या इन अधिकारियों को पेंशन (वार्षिकीय) भारतीय रुपयों अथवा पौंडों में दी गई ;

(ग) क्या इन वार्षिकियों का पूंजीकरण किया गया था तथा इनका भुगतान भारत से बिटेन के पास पौंड पावना से किया गया था ; और

(घ) अब तक इस पर कुल कितना व्यय हुआ ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारतीय सिविल सेवा के 247 गैर-भारतीय अधिकारियों ने सेवा निवृत होना चाहा । सेवा निवृति होने को कहा गया और भारतीय सिविल सेवा के 49 गैर-भारतीय अधिकारियों ने 1947 में पाकिस्तान में सेवा करने का विकल्प दिया था ।

(ख) सूचना सहज उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

विदेशियों से यात्री चेकों का ठगा जाना

2868. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशियों से उनके यात्री बैंकों के ठगने की जाल साजी करने वाले गिरोह के विरुद्ध जांच की गई थी और, 1970 में बम्बई में कोई गिरफ्तारी की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन अपराधियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : सम्बन्धित राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रखी जायेगी ।

केरल के एक मन्दिर के सन्दूक में पाये गये चीनी नोटों के सम्बन्ध में जांच

2869. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1970 में केरल के एक मन्दिर के सन्दूक में पाए गए चीनी नोटों के बारे में कोई जांच की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : 7 जुलाई, 1970 को राजस्व व व्यय मंत्री द्वारा दिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

Advertisement by Air India re. Service of beef on Air India travel

2871. **Shri Onkar Laj Berwa** : **Shri Sharda Nand** :
Shri Bansh Narain Singh : **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri Jagznnath Rao Joshi :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to an advertisement "Travel by Air India and take beef' that appeared in various newspapers published in England ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Air-India have reported that no such advertisement has ever been given by Air-India.

(b) Does not arise.

Discovery of Pre-Historic Caves at Narsingarh (Madhya Pradesh)

2872. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Shri Sharda Nand** :
Shri Bansh Narain Singh : **Shri Jagannath Rao Joshi** :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Archaeologists have discovered caves of pre-historic period at Narsingarh in Madhya Pradesh ;

(b) whether Government have detailed information of the caves discovered by the Archaeologists ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) the nature of information received in regard to the antiquity of the said caves ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d) : The Government of India have no information other than what has appeared in newspapers. However, necessary information is being collected for in this behalf from concerned authorities, and will be placed on the Table of the Sabha as early as possible.

Restrictions on Religious Preaching in Nagaland and NEFA

2873. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Shri Sharda Nand** :
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Bansh Narain Singh** :
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Jagannath Rao Joshi** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government or any other authority have imposed any restrictions on the non-Christian missionaries to preach their religion in Nagaland and NEFA ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ;

(c) whether Government would institute an enquiry to find out whether sometime back a group of Sadhu Samaj, which had gone to NEFA for religious preachings, was asked to go back by the authorities in NEFA ;

(d) whether these acts are not against the letter and spirit of the Indian Constitution ; and

(e) if so, the action being taken by Government in this regrd.

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) No, Sir.

(b) does not arise ;

(c) NEFA Administration have reported that there has been no such case ; and

(d) and (e) do not arise.

Affiliation of Colleges in Jullundur to University of Patiala

*2874. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Shri Ram Gopal Shalwale** :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the University of Patiala is compelling the Colleges in Jullundur etc., to get themselves affiliated to it ;.

(b) whether it is also a fact tht the affiliation of these Colleges with the Patiala University would affect the medium of instruction in these Colleges ;

(c) whether it is further a fact that the Colleges and the people of these districts have expressed resentment over it ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The jurisdiction of the Punjabi University, Patiala does not extend to Jullundur District. However, the colleges located in the districts of Patiala, Sangrur, Bhatinda and Rupar are affiliated to this University.

(b) to (d) : Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Khaksar Organisation

2876. **Shri Sharda Nand** : **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Hukam Chand Kachwai** :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have studied the constitution, aims, objects and principles of the Khaksar Organisation in the country ;

(b) whether Government recognise this organisation as a political party after the scrutiny of its constitution and principles ;

(c) whether it is a fact that this organisation is purely a Muslim organisation in which people of other religions have no place ;

(d) whether Government have sufficient proofs to show that this organisation is more loyal to some other country rather than to India ; and

(e) the present membership of this organisation in the various States of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Government have seen the constitution reported to have been adopted by the Khaksar Jamaat in 1961.

(b) In the absence of a law enabling regulation of the activities of associations, there is no question of Government recognising any organisation as a political party.

(c) Though the constitution of the organisation adopted in 1961 does not restrict membership on grounds of religion, Government have no information that persons belonging to different religions are members of the Jamaat.

(d) There is no such proof available.

(e) Information is being collected from the State Governments.

नक्सलवादियों का बनाया जाना

2877. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, अब तक कुल कितने नक्सलवादियों को बन्दी बनाया गया है;

(ख) बन्दी बनाये गए नक्सलवादियों में कितने व्यक्ति मैट्रिक बी० ए० और एम० ए० पास हैं और कितने व्यक्तियों के पास इससे अधिक योग्यता की डिग्रियां हैं ;

(ग) जेलों में इन्हें किस-किस श्रेणी में रखा गया है और राज्यों में श्रेणीवार उनकी संख्या कितनी है ; और

(घ) बन्दी बनाये गये महिला नक्सलवादियों की राज्यवार, संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

(ख) से (घ) : राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

विवरण

राज्य का नाम	गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	1641
असम	388
बिहार	625
केरल	163
तामिलनाडू	44
महाराष्ट्र	15
मैसूर	5
उड़ीसा	287
पंजाब	128
राजस्थान	3
पश्चिमी बंगाल	2291

उत्तर प्रदेश और जम्मू व काश्मीर राज्यों से सूचना प्रत्याशित है । गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश और नागालैण्ड की राज्य सरकारों ने शून्य सूचना दी है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में महिलाओं की नियुक्ति

2878. **श्री स० अ० अगड़ी :** **श्री विभूति मिश्र :**

श्री नरसिम्हा राव : **श्री न० रा० देवधरे :**

श्री मुरासोली मारन :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के महिला अधिकारी न भेजे जायें और भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में महिलाओं की भर्ती रोकने का भी अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली में भूमि पर कब्जा करने का आंदोलन

2879. **श्री बलराज मधोक :** **श्री यल दत्त शर्मा :**

श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि पर कब्जा करने का आन्दोलन राजधानी में भी प्रारम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे दबाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में, इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : **(क) और (ख)** : जी नहीं, श्रीमान् । किन्तु दिल्ली प्रशासन सतर्क है और कानून का कोई उल्लंघन किये जाने पर सख्ती से कार्यवाही करेगा ।

पर्यटन यातायात के लिए चम्बा से मिलाने वाली सड़क की आवश्यकता

2880. **श्री बलराज मधोक** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "छोटा काश्मीर" के नाम से ज्ञात भदरवाह के लोगों की लम्बे समय से यह मांग रही है कि पर्यटन यातायात को चालू करने के लिये उस स्थान को चम्बा से मिलाने वाली सड़क को पूरा किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी सड़क की स्थापना हो जाने से यह केवल भदरवाह तक ही नहीं अपितु पर्यटक यातायात को रावी की उच्च घाटी तक भी ले जायेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस सड़क के हिस्से को बनाने के लिये सहमत होने के बावजूद भी जम्मू और काश्मीर सरकार इस मामले में अनिश्चय की स्थिति में है ; और

(घ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में पर्यटन यातायात को प्रारम्भ करने के लिये इस महत्वपूर्ण सड़क को शीघ्रता से पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिये उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** : जी, हां ।

(क) और (घ) : हिमाचल और जम्मू व काश्मीर सरकारें इस बात पर सहमत हो गयी है कि इस सड़क के लिये वित्तीय व्यवस्था वित्तीय सहायता की नयी प्रणाली के अन्तर्गत की जाय जिसमें 100 प्रतिशत ऋण की ही व्यवस्था की गयी है । इस आवेदन पर परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय विचार कर रहा है ।

ग्रेड तीन के अशुलिपिकों की प्रवरता

2881. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रेड III के आशुलिपिकों की प्रवरता निर्धारित करते समय उनके लिपिकीय अनुभव को मान्यता दी गई और जो व्यक्ति 1969 में (31 जुलाई, 1970 तक) स्टैनो-टाइपिस्ट बने थे उनको ऐसे व्यक्तियों से प्रवर घोषित किया गया है जिन्होंने स्टैनोटाइपिस्ट के पद पर पांच वर्ष से अधिक सेवा कर ली है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन व्यक्तियों ने पहले ही विभागीय परीक्षा पास कर रखी है, उनसे भी यह आशा की जाती हैं कि वे सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल की परीक्षा पुनः पास करें ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रेड III (अर्थात् श्रेणी लिपिक के वेतन मान 130-280 में उनके वेतन निर्धारण की पदोन्नति न मान कर उसे अन्यथा परिवर्तित किया होता तो वे उंची दरों पर वेतन पाने के हकदार बन जाते ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : आशुलिपिक सेवा के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड III के 1-8-69 से आरम्भ होने से पूर्व स्टैनोटाइपिस्टों का कोई सामान्य संवर्ग नहीं था। अवर श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक होने के कारण वे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्य थे। केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा ग्रेड III में उनके प्रवेश के संबन्ध में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद निर्णय किया गया कि ग्रेड III आशुलिपिकों की वरिष्ठता, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखकर निर्धारित की जानी चाहिये।

(घ) 1-8-69 से पहले स्टैनोटाइपिस्टों की नियुक्ति के लिए 'प्रतियोगी' परीक्षा नहीं थी। जिन व्यक्तियों को मन्त्रालयों/विभागों ने अपनी विभागीय परीक्षा के आधार पर स्टैनोटाइपिस्ट नियुक्त किया है उन्हें अंग्रेजी/हिन्दी आशुलिपि में एक अर्हक परीक्षा 2 वर्ष के अन्दर 80 शब्द प्रति मिनट की गति से केन्द्रीय प्रशिक्षण स्कूल से पास करनी है। उसके लिए जिन्हें 4 अवसर दिये जायेंगे। तथापि निम्नलिखित श्रेणी के स्टैनोटाइपिस्टों को फिर कोई ऐसी परीक्षा पास करने से छूट दी गई है :—

(i) स्टैनोटाइपिस्ट जिन्होंने पहले ही सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा ली गई परीक्षा पास की हो।

(ii) वे जिन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत ली गई हिन्दी आशुलिपि परीक्षा पास की हो ; और

(iii) वे जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई आशुलिपिकों की परीक्षा 1965 और 1966 के परीक्षाफल के आधार पर स्टैनोटाइपिस्ट मनोनीत किए गए हैं।

(ग) स्टैनोटाइपिस्टों के पदो को 1-8-1969 से केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड III में परिवर्तित कर दिया गया है और तदनुसार इन पदों में नियुक्त स्टैनोटाइपिस्टों के वेतन को, उनके द्वारा निम्न श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक के पदों में लिये जा रहे विशेष वेतन को मूल वेतन का भाग समझकर मूल नियम 22 (क) (ii) के सादृश्य से परिवर्तन के आधार पर निर्धारित किया गया है।

जनमत संग्रह मोर्चे द्वारा भारत के विरुद्ध प्रचार

2882. **श्री कंवर लाल गुप्त :** **श्री जि० ब० सिंह :**

श्री रामावतार शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कश्मीर में जनमत संग्रह मोर्चे के कुछ नेता और कार्यकर्त्ता खुले आम भारत सरकार के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे भारत विरुद्ध पाकिस्तान की वकालत करते हैं ;

(ग) जनमत संग्रहै मोर्चे के कितने कार्यकर्त्ताओं को अब तक गिरफ्तार किया गया है ;

(घ) इस मोर्चे के नेताओं को अभी तक गिरफ्तार न करने के क्या कारण हैं ;

(ङ) वहां जनमत संग्रह पर प्रतिबन्ध न लगाने के क्या कारण हैं ; और

(च) पिछले दो वर्षों में कश्मीर में जनमत संग्रह मोर्चे से संबन्धित कुल कितने घुसपैठिये गिरफ्तार किये गये और उनमें कितने अभी भी हिरासत में हैं और उनमें से कितने जमानत पर हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) : जनमत संग्रह मोर्चे के नेता यह प्रचार कर रहे हैं कि भारत संघ में जम्मू व कश्मीर राज्य का विलय अंतिम नहीं है । हालांकि मोर्चे के नेता खुले रूप से पाकिस्तान की वकालत नहीं करते, उनमें से कुछ का पाकिस्तान की ओर सुझाव बतलाया जाता है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(घ) और (ङ) भारत की एकता को दुर्बल बनाने के उद्देश्य से की गई किसी भी कार्यवाही को निष्फल के लिए सरकार उपयुक्त समय पर उचित कार्यवाही करेगी ।

(च) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जम्मू व कश्मीर में सीमा पार करते समय पकड़े गए घुसपैठियों में कोई जनमत संग्रह मोर्चे से संबन्धित था ।

आंध्र प्रदेश के पंचायत चुनावों के समय मारे गये व्यक्ति

2883. **श्री प्र० के० देव :** **श्री एस० पी० राममूर्ति :**

श्री क० प्र० देव :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में हाल में 10 जून, 1970 के पंचायत चुनावों में 11 व्यक्ति मारे गये थे ; और

(ख) क्या भारत सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

लातीनी अमरीका और योरुपीय देशों से पर्यटकों को प्रोत्साहन देने की योजना

2884. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार लातीनी अमरीका और योरुपीय देशों के पर्यटकों को इस देश में आने के लिए प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन देशों के नाम क्या है जहां से अधिक संख्या में पर्यटक भारत आते हैं ; और

(घ) प्रत्येक देश से कितने पर्यटक पिछले वर्ष तथा इस वर्ष अब तक भारत आये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सरकार पिछले कई वर्षों से पर्यटकों को इस देश की यात्रा करने के लिये प्रोत्साहित कर रही है, जिनमें लैटिन अमेरिका तथा यूरोप से आने वाले पर्यटक भी सम्मिलित है। भारत सरकार का एक पर्यटन कार्यालय अप्रैल, 1969 में मैक्सिको शहर में खोला गया। पर्यटन विभाग तथा एयर इन्डिया द्वारा पर्यटन की संयुक्त अभिवृद्धि के लिए प्रारम्भ किये गये "आपरेशन यूरोप" नामक कार्यक्रम के द्वारा यूरोप में पर्यटन विषयक क्रियाकलापों का जुलाई 1968 में विस्तार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप, पैरिस तथा फ्रैंकफर्ट में पहले से मौजूद कार्यालयों के अतिरिक्त, जेनेवा, ब्रुसल्स, स्टाकहाम तथा मिलान में चार नये कार्यालय खोले गये। तब से लेकर लैटिन अमेरिका तथा यूरोप दोनों में प्रचार एवं अभिवृद्धि प्रयत्नों में काफी वृद्धि हुई है।

(ग) 1969 के दौरान यू०एस०ए० ने सबसे अधिक पर्यटक भेजे। उसके बाद क्रमश: युनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, जर्मनी, फ्रांस तथा आस्ट्रेलिया का नम्बर रहा।

(घ) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3948/70**]

पश्चिम बंगाल में गांधी साहित्य के विक्रय में कमी

2885. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों को कलकत्ता में हिंसा के फलस्वरूप गांधी साहित्य के विक्रय में भारी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा की जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

एडिनबरा में हुये नौवें राष्ट्रमण्डलीय खेल

2886. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1970 में एडिनवरा में नौवी राष्ट्र मण्डलीय खोजें हुई थीं;

(ख) उन खेलों में भारत की स्त्रियां कैसी रही; और

(ग) देश में खेलों के स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत 5 स्वर्ण पदक (सभी कुश्ती में), 3 रजत पदक (सभी कुश्ती में), तथा 4 कांसा पदक (ऐथेलेटिक्स, घूंसेबाजी, भार उठाना, तथा कुश्ती प्रत्येक में एकक) प्राप्त कर सका; तथा राष्ट्र मण्डलीय खेल कूदों में भाग लेने वाले 41 देशों में भारत का स्थान छठा रहा ।

(ग) यह तो मुख्यतया हर एक खेल के राष्ट्रीय खेल कूद संघ के लिए है कि खेलों का स्तर उठाने के लिये कदम उठायें । पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान और यह मंत्रालय भी इस संबन्ध में समय समय सलाह और सहायता देते रहते हैं ।

जम्बोजेट

2887. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्बो जेट विमान खरीदने के लिए किन फर्मों को क्रयादेश दिये गये हैं और उनका मूल्य कितना है;

(ख) जम्बो जेट विमान सेवा कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या आन्तरिक मार्गों पर उनके किराये कम करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो किराया कितना कम किया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) एयर इंडिया ने मैसर्स बोइंग कंपनी, सीटल यू० एस० ए० को जम्बो जेटों के लिए क्रय-आदेश दे दिये हैं । पहले दो विमानों का मूल्य 48.20 करोड़ रुपये हैं तथा तीसरे का मूल्य लगभग 27 करोड़ रुपये है ।

(ख) पहले दो विमानों का परिचालन मई '971 में तथा तीसरे का अप्रैल, 1972 में प्रारंभ हो जायेगा ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भारत-मूलक विदेशी छात्रों के अध्ययन के लिए भारत में सुविधायें

2888. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-मूलक विदेशी क्षात्रों को भारत में अध्ययन के लिए क्या सुविधाएं दी जाती हैं;

(ख) इंजीनियरिंग तथा औषधि आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश पाने हेतु भारत-मूलक विदेशी छात्रों को क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ग) क्या सरकार अब तक दी जा रही सुविधाओं को पर्याप्त समझती है ।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) से (ग) : भारत सरकार की सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उन विदेशी तथा भारत मूलक छात्रों को जो विदेशों में स्थायी रूप से बस गये हैं, एशियाई अफ्रीकी तथा कुछ अन्य विदेशों द्वारा ऐसे

पाठ्यक्रमों को, जिनकी सुविधायें प्रार्थी को अपने देश में उपलब्ध नहीं, अपितु भारत में प्राप्त हैं, जारी रखने के लिए भारत में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इनमें औषध तथा इंजीनियरी जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

2 भारत सरकार की राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत राष्ट्रमण्डलीय देशों के राष्ट्रिक, चाहे वे देशज हों अथवा भारत मूलक, को उपाधि/सनद/प्रमाण पत्र के लिए अध्ययन/प्रशिक्षण/अनुसंधान अथवा विभिन्न विषयों में जिनकी सुविधायें भारत में उपलब्ध हैं, के सामयिक छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

3 वित्तीय तौर पर आत्म निर्भर विदेशी छात्र तथा विदेशों में स्थायी रूप से बसे भारत मूलक छात्रों को, जो भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक स्तर की पूर्ति करते हैं, औषध तथा इंजीनियरी पाठ्यक्रमों को छोड़कर अन्य बहुत से पाठ्यक्रमों में भारतीय विश्वविद्यालयों और कालेजों में दाखिला दिलाने में शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय सहायता करता है।

4 स्वास्थ्य, परिवार, नियोजन, निर्माण तथा नगर विकास (स्वास्थ्य विभाग) और शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालयों के द्वारा क्रमश: रखे गये आरक्षित स्थानों को ध्यान में रखते हुये औषध तथा इंजीनियरी संस्थाओं में दाखिला दिलाने के मामले में विदेश मंत्रालय अपनी नाम-निर्देशन योजना के अन्तर्गत एक सीमित संख्या तक वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर विदेशी छात्रों तथा भारत मूलक छात्रों को जो कि स्थायी तौर पर विदेशों में बस गये हैं, सहायता करता है।

5 विदेशी छात्रों तथा विदेशों में स्थायी रूप से बसे भारत मूलक छात्रों के लिए औषध पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त सभी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षित रसायनों की संख्या प्रर्याप्त पाई गई है। तथापि औषध पाठ्यक्रम में स्थानों के लिए मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। क्योंकि भारतीय छात्रों की मांग पूरा करने के लिये औषध पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या अपर्याप्त है इसलिए राज्य सरकारें तथा विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों के लिए कोटा बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

केंदीय सड़क परिवहन निगम की मोटर गाड़ियां

2889. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम के पास सभी प्रकार की कुल कितनी मोटर गाड़ियां हैं,

(ख) निगम में श्रमिकों और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है,

(ग) क्या केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम कर्मचारी संघ, 36/11 ब, रोड वामामिगची, हावड़ा 96 की ओर से 8 मई, 1970 को प्रधान मंत्री को एक नया ज्ञापन दिया गया जो कि संसद् की सरकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर था जिसमें निगम को बन्द करने के लिये सिफारिश की गई थी,

(घ) यदि हां, तो इस ज्ञापन का विषय क्या है, और

(ङ) यदि सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 455 (जिसमें 174 उपहार में मिली गाड़ियां भी शामिल हैं)।

(ख) 1448

(ग) जी, हां।

(घ) ज्ञापन में केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम द्वारा निभाई गई भूमिका और चीनी आक्रमण के दौरान राष्ट्र की इसने जो सेवाएं की तथा युद्ध, अकाल, बाढ़ इत्यादि जैसे आपातकाल में जो प्रभुत भूमिका यह अदा कर सकता है पर जोर दिया गया है। यह राय व्यक्त की गई है कि निगम को बंद करने से इसके लगभग 1,400 कर्मचारियों को बेकार करने के अलावा यह एक स्थिर समाजवादी राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के निर्माण के लिए हानिकारक होगा।

यह भी जोर दिया गया है कि निगम को बंद करने के चरम कदम लेने की अपेक्षा इसके सक्षम एकक निर्माण के सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त उपचारी उपाय किये जाने चाहिये।

(ङ) ज्ञापन में व्यक्त की गई राय नोट कर ली गई है।

Compensation to Victims of Naxalites

2890. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any proposal to compensate the persons and their families who became victims of violent activities of Naxalites, various communist and other political parties, who were seriously injured, crippled or had to lose their lives, whose property was either looted or put on fire or destroyed during the President's rule in West Bengal is under consideration of Government and, if so, the details thereof ; and

(b) whether any proposal to compensate the parties, institutions and schools whose property was destroyed is also under consideration of Government and, if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State Department of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b) : Information is awaited from the State Government.

Association of Akhil Bhartiya Vidyarhi Parishad with foreign Institutions

2891. **Shri Shashi Bhushan**: Will the **Minister of Education and youth Services** be pleased to state:

(a) the name of the foreign institutions with which the Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad, being run by the Rashtriya Swayamsewak Sangh and recognised by the Education Department of the Government of India. is associated.

(b) the number of employees/office bearers of the said Parishad who have so far visited foreign countries; and

(c) the number out of them who visited Israel, Formosa and the U. S. A. and the reaction of Gavernment thereto?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) This Ministry do not have any rules for formal recognition of youth organisation either for general or for speific purposes. In this context, this Ministry have not granted any recognition to Akhil Bhaatiya Vidyarthi Parishad and have no information about its associatlon witn foreign institutions. This Ministry, however. convened a Confernce of youth organisations and youth service agencies having varied political affiliation, in April-May, in 1969 where 26 such organisations/agencies were invited which incluced the Akhil Bhartiya Vidyarthi Parishad also-

(b) and (c) This Minisrry have no information in this regard.

साम्प्रदायिक तनावों के सम्बंध में जिला प्रशासनों को सशक्त बनाना

2892. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक तनावों के संबंध में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को दिये गये आश्वासनों के अनुसरण में जिला प्रशासनों को सशक्त बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है;

(ख) क्या भूतपूर्व गृह मन्त्री द्वारा हाल में ही दंगाग्रस्त क्षेत्रों के दौरे के फलस्वरूप महाराष्ट्र के साम्प्रदायिक दंगों के बारे में कोई नये तथ्य प्रकाश में आये हैं; और

(ग) दंगा पीड़ित लोगों को अपने आवास तथा अन्य सम्बद्ध कार्यों के लिए कितनी धन राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है और कितनी राज्य सरकार द्वारा ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 23 मई, 1970 को साम्प्रदायिकता स्थिति के बारे में कुछ मुख्य मन्त्रियों के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श के दौरान जिला प्रशासन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर सामान्य रूप से सहमति थी। राज्य सरकार को विचार करने के लिये सुझाये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) साम्प्रदायिक अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में परखे हुये ऐसे अधिकारी, जो अपने ठोस निर्णय, सतर्कता और सांप्रदायिक स्थितियों के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने की योग्यता के लिये विख्यात हों, नियुक्त किये जाएं और ऐसी जिला नियुक्तियां अधिक से अधिक आकर्षक बनानी चाहिये ।

(ii) जिलों, उप-मंडलों और संबन्धित स्थानों में कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या को सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

(iii) गुप्त सूचना को एकत्रित करने, इसका तुरन्त मूल्यांकन करने और उपयोग करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये जाने चाहिये ।

(iv) सशस्त्र आरक्षित पुलिस इस प्रकार पर्याप्त मात्रा में रखी जानी चाहिये जिसस कि ये क्षेत्र बिना किसी विलंब के कुमक प्राप्त कर सकें ।

(ख) भूतपूर्व गृह मन्त्री ने हुई घटना के बारे में केवल प्रयत्क्ष जानकारी प्राप्त करने और दंगाग्रस्त क्षेत्रों में सामान्य स्थिति पैदा करने की तुरन्त आवश्यकता के बारे में संबन्धित अधिकारियों पर जोर डालने के लिये भिवन्डी और जलगांव का दौरा किया था। उन्होंने अपने अनुभव सदन को बतला दिये हैं ।

(ग) राज्य सरकार के पुनर्वास कार्यों के वास्ते केन्द्रीय सहायता के लिये कोई अनुरोध प्राप्त नहीं है । 1970 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बिहार के भूतपूर्व मन्त्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के बारे में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

2893. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो बिहार सरकार के कुछ भूतपूर्व मन्त्रियों के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों की जांच कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) आरोपों का स्वरूप क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) श्री कृष्ण बल्लभ सहाय, श्री जफ्फर इमाम, श्री महेश प्रसाद सिन्हा, श्री राघवेन्द्र नारायन सिंह, श्री अम्बिका शरण सिंह और श्री राम लखन सिंह यादव ।

(ग) जांच के अधीन आरोप, शक्ति और पद स्थिति के तथा कथित दुरुपयोग, पक्षपात और निजी पार्टियों की अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने, कानून की उचित कार्यवाही में हस्तक्षेप, सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग गैर-कानूनी पारितोषिक की स्वीकृति, आय के ज्ञात साधनों के अनुपातहीन में सम्पत्ति का अधिग्रहण आदि, से संबंधित है ।

दिल्ली में मैजिस्टेटों को विशेष भत्ते का दिया जाना

2894. श्री देविन्दर सिंह गार्चा : श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली प्रशासन से इस आशय का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त जिलाधीशों को 200 रुपये तथा सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेटों को 100 रुपये का विशेष भत्ता दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली में अतिरिक्त जिलाधीशों और सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों को विशेष वेतन देने के लिए 10 अगस्त, 1970 को निम्नांकित आदेश जारी किए गए थे :—

(i) अतिरिक्त जिलाधीशों को 150 रु० प्रतिमाह, जब ये पद कम से कम पांच वर्ष से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा संभाले हुए हों ; और

(ii) सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेटों को 75 रु० प्रतिमाह, जब ये पद कम से कम 6 वर्ष से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अन्डमान व निकोबार दीप समूह (धानी) सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा संभाले हुए हों ।

इस समय ये विशेष वेतन 2 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकार्य हैं, उसके बाद स्थिति का पुनरीक्षण किया जाएगा ।

पालम हवाई अड्डे पर नि:शुल्क डाक सुविधा को समाप्त करने का प्रस्ताव

2897. श्री देविंदर सिंह गार्चा : श्री सीताराम केसरी :

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पालम हवाई अड्डे पर यात्रियों को निःशुल्क डाक सुविधा न देने का निर्णय किया हैं यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किये गये हैं ;.

(ख) क्या निःशुल्क तल परिवहन को समाप्त करने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और सरकार क्या वैकल्पिक प्रबन्ध कर रही है ;

(ग) क्या यह सच भी है कि यात्रियों, विशेषकर विदेशी पर्यटकों को टर्मिनल की इमारत में भूमि पर टैक्सी ड्राइवरों और दलालों से अनेक कठिनाइयों तथा परेशानियों को सामना करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : सामान्यतः ये सुविधायें एयरलाइनों द्वारा प्रदान की जाती हैं । हवाई कम्पनियों के परिचालकों की समिति, दिल्ली, ने मुझे हाल ही में निःशुल्क सड़क परिवहन सुविधाओं के विषय में लिखा है परन्तु अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) : दिल्ली विमानक्षेत्र पर ऐसे मामले हो चुके हैं जबकि पर्यटकों को टैक्सी ड्राइवरों और उनके दलालों ने परेशान किया ।

(घ) : निम्न उपाय किये गये हैं :—

(i) टर्मिनल भवनों में प्रवेश का विनियमन टिकटों के आधार पर कर दिया गया है ।

(ii) यातायात पुलिस के सिपाही आठों पहर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं ।

पालम हवाई अड्डे पर पुलिस चौकी

2898. **श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री देविंदर सिंह गार्चा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन के महानिदेशक ने दिल्ली प्रशासन से देश में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तरह पालम हवाई अड्डे पर भी एक पुलिस चौकी स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : जी, हां । दिल्ली क्षेत्र के विमान क्षेत्रों के नियंत्रक ने इस संबन्ध में दिल्ली प्रशासन को लिखा है, तथा मामले की जांच की जा रही है ।

दिल्ली में नक्सलवादियों की गतिविधियां

2899. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नक्सलवादियों की गतिविधियों से सम्बन्धित समस्त फाइलें दिल्ली के उस पुलिस सुपरिन्टेडेंट द्वारा देखी जा रही हैं जिसका मादाम बिन्ह के स्वागत हेतु स्वागत समिति से सक्रिय सम्पर्क था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दक्षिण दिल्ली में हाल ही में हुए विस्फोटकों को दिल्ली पुलिस ने पटाखों का विस्फोट बता कर छोड़ दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नक्सलवादियों के इन मामलों को किन्हीं अन्य अधिकारियों को हस्तांतरित करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) : जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल द्वारा आन्दोलन

2900. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1970 को "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार के अपने अनुमान के अनुसार भारतीय साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के उग्रवादी शीघ्र ही जोरदार आन्दोलन करने जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो यह अनुमान किन बातों पर आधारित है ; और

(ग) क्या सरकार स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार समाचार के आधार से अवगत नहीं है ।

(ग) जी हां, श्रीमान् ।

बर्दवान हत्याकाण्ड की जांच

2901. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बर्दवान हत्याकाण्ड के मामले की जांच पूरी हो गई है ; और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : घटना से संबन्धित दर्ज मामले की अभी जांच पड़ताल हो रही है । राज्य सरकार द्वारा कराई गई अदालती जांच समाप्त हो गई है और आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है । रिपोर्ट की परीक्षा की जा रही है ।

आगरा में जवाहरलाल नेहरू पुल

2902. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जून, 1970 को एक युवक को आगरा में नवनिर्मित जवाहरलाल नेहरू पुल के नीचे 1 फुट लम्बी और पांच इंच मोटी कोई वस्तु रखते देखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो पाई गई वस्तु किस प्रकार की थी और उसे किस प्रकार हटाया गया ;

(ग) की गई जांच का परिणाम क्या है और बम रखने में शामिल व्यक्तियों के क्या नाम हैं ; और

(घ) 43 लाख रुपये की लागत के पुल की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : संबन्धित राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

नेफा का विकास

2903. **श्री दे० अमात** : **श्री अदिचन** :

श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा के दूत विकास हेतु ही उसे विशेष दर्जे के साथ संघीय क्षेत्र बनाकर केन्द्रीय सरकार के अधीन रखा गया था और उस पर कथित "भीतरी नियंत्रण रेखा" लगा दी गई ;

(ख) यदि हां, तो नेफा का अब तक कितना आर्थिक और सामाजिक विकास हो पाया है जिस उद्देश्य के लिए इस क्षेत्र को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था; और

(ग) किन परिस्थितियों में और कब सरकार इस क्षेत्र के विशेष दर्जे और कथित "भीतरी नियंत्रण रेखा" को समाप्त कर इसे पड़ोसी राज्यों के साथ मिलाना चाहती है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) संवैधानिक रूप से नेफा संघीय क्षेत्र नहीं है । इसका प्रशासन, राष्ट्रपति द्वारा, उनके एजेंट के रूप में कार्य करने वाले असम के राज्यपाल के माध्यम से, चलाया जाता है । बंगाल पूर्वी सीमा विनियम, 1873 में निर्धारित "भीतरी रेखा" नेफा के लोगों के शोषण को रोकने के लिए अनुसूचित की गई है ।

(ख) इस क्षेत्र के सामाजिक व आर्थिक विकास में संतोषजनक प्रगति हुई है ।

(ग) "भीतरी रेखा" और नेफा के विशेष दर्जे को समाप्त करने तथा इसको पड़ोसी राज्य के साथ मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

नई दिल्ली में सोवियत दूतावास की एक महिला से बटुआ छीना जाना

2905. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 जलाई, 1970 को नई दिल्ली में सोवियत दूतावास को एक महिला से एक अच्छी वेश भूषा वाले व्यक्ति ने बटुआ छीना था ;

(ख) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वह व्यक्ति सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी का पुत्र है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके पिता का नाम क्या है और इस व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ) बताया जाता है कि 9 जुलाई, 1970 को श्री जयपाल सिंह पुत्र लैफ्टीनैन्ट कर्नल के० एस० विर्क ने रूसी दूतावास की एक रूसी महिला कर्मचारी का पर्स छीन लिया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके विरुद्ध चाणक्यपुरी पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 379/356/411 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है और अभियुक्त जमानत पर मुक्त कर दिया गया है।

त्रिपुरा में विद्रोही मिजो

2906. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मिजो के विद्रोहियों ने अपने लूटमार का स्थान त्रिपुरा को बना लिया है क्योंकि वे यह समझते हैं कि वहां से वे अपनी गतिविधियां आसानी से जारी रख सकते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि त्रिपुरा में इन मिजो विद्रोहियों की गतिविधियों से नागा विद्रोहियों द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उनकी जघन्य गतिविधियों पर रोक लगाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से काम करने वाले मिजो विद्रोहियों द्वारा त्रिपुरा में इस प्रकार के लूटमार के स्थान बनाने के कुछ दृष्टान्त हुए हैं।

(ख) नागा और मिजो विद्रोहियों के बीच सम्बन्धों के बारे में सरकार की जानकारी है। तथापि त्रिपुरा में किसी हाल की घटना में नागा और मिजो विद्रोहियों के बीच सीधे गठबन्धन की कोई सूचना नहीं है।

(ग) सम्बन्धित क्षेत्रों में कड़ी गलत और विद्रोहियों की कार्यवाहियों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है।

एडिनवरा में राष्ट्रमण्डल खेल आयोजकों द्वारा भारतीय अधिकारियों के प्रति किया गया भेदभाव पूर्ण व्यवहार

2907. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय टीम के अधिकारियों द्वारा (अन्तर्राष्ट्रीय कुश्ती महासंघ की एशियाई समिति (फिल्म) तथा भारतीय खेलकूद महासंघ के सचिव--एडिनवरा (इंग्लैंड) में राष्ट्रमंडल खेल आयोजकों द्वारा उनके प्रति किये गये भेदभावपूर्ण व्यवहार के बारे में की गई शिकायतों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस बारे में कौन से उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं :

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) भारतीय आश्रित चैफ

डे मिशन द्वारा सरकार को पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार एडिम्बरा में राष्ट्रमण्डलीय खेलों के आयोजकों द्वारा भारतीय अधिकारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं दिखलाया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के पर्यटन विकास निगम का विकास

2908. **श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकीकृत पर्यटन के विकास के लिए भारत पर्यटन विकास निगम को एक शक्तिशाली संगठन के रूप में विकसित करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई ;

(ख) क्या पर्यटन के विकास के लिए इस निगम द्वारा कोई निश्चित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और कब तक इसको कार्यान्वित किया जाएगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : पर्यटन की अभिवृद्धि के लिये समेकित प्रयास की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिये, अशोक होटल्स लिमिटेड तथा जनपथ होटल्स लिमिटेड का मार्च, 1970 में भारत पर्यटन विकास निगम में विलय कर दिया गया था । कारपोरेशन की कोवालम श्रीनगर, गुलमर्ग, कलकत्ता विमानक्षेत्र, जयपुर तथा बंगलौर में होटल स्थापित करने की योजनायें है । बंगलौर के होटल की इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है । कारपोरेशन के माध्यम से अन्य पर्यटन सुविधाओं की अभिवृद्धि के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं जिनमें परिवहन, पर्यटन साहित्य, मनोरंजन आदि की व्यवस्था भी सम्मिलित है । ये स्कीमें विचार/क्रियान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं ।

जम्बो जेट विमानों के लिए कलकत्ता हवाई अड्डे में सुधार

2909. **श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा कलकत्ता हवाई अड्डे में सुधार के लिए एक योजना की स्वीकृति दी गई ताकि जम्बो जेट विमान और बोइंग 747 विमानों को वहां उतारा जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभावों के साथ योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निर्माण कार्य के कब प्रारम्भ होने तथा पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग) : कलकत्ता विमान क्षेत्र अभी भी बोइंग 747 विमान (जम्बो-जेटो) को लेने की स्थिति में है । तथापि, कुछ आवश्यक सुधार-कार्य किये जा रहे हैं तथा अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि आवश्यकताओं की अच्छी प्रकार से पूर्त्ति की जा सके । 2.0 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नये अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण पहले ही किया जा चुका है और उसे काम में लाया जा रहा है । 61 लाख रुपये की लागत से एक नये परिचालन ब्लाक का निर्माण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त, सेन्टर लाइन में

बत्ती लगाने, नये टर्मिनल भवन के सामने एप्रन को मजबूत करने, विकास कार्यों के लिये अपेक्षित भूमि का अभिग्रहण, आदि के साथ साथ, धावन-पथ को मजबूत एवं उसका विकास करने तथा समानान्तर टैक्सी-पथ के निर्माण का भी अनुमोदन किया जा चुका है, जिस पर लगभग 5.85 करोड़ रुपये का व्यय होगा ।

इन कार्यों के चालू योजनावधि में पूरा हो जाने की आशा है ।

विदेशों में पर्यटक कार्यालय

2910. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **पर्यटन तथा नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग द्वारा दक्षिण अमरीका के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मैक्सिको नगर में खोले गये कार्यालय द्वारा प्राप्त उत्साहजनक परिणाम को, जिसके परिणामस्वरूप अनेक चार्टर्ड उड़ानों से पर्यटक भारत आये, सरकार का अन्य देशों में भी इस प्रकार के कार्यालय खोलने का विचार है , और

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) और (ख)** : पर्यटन अभिवृद्धि विषयक आवश्यकताओं को लगातार ध्यान में रखा जाता है और जहां कहीं आवश्यक होगा उपयुक्त कार्यवाही की जायगी ।

ब्रिटेन से पौण्ड लाने वाला भारतीय नागरिक

2911. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने ब्रिटिश पासपोर्ट पर प्राय: भारत की यात्रा करने वाले उस भारतीय नागरिक के पूर्व-वृत्त की जांच कर ली है जो 2 जुलाई, 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) में प्रकाशित समाचार के अनुसार प्रत्येक यात्रा के दौरान पौण्डों की भारी राशि साथ लाता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किसी ऐसे मामले की जांच-पड़ताल नहीं की है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम राजनैतिक दलों और संगठनों से इमारत खाली कराने के बारे में वाराणसी के जनसंघ संगठन द्वारा अभ्यावेदन

2912. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कब्जे में इमारत को खाली करने के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति द्वारा कहे जाने पर, वाराणसी

के जनसंघ संग्इन और विद्यार्थी परिषद् ने केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ से इमारत खाली करने को कहे जाने से पूर्व, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्षेत्र के अन्तर्गत मुस्लिम राजनैतिक दलों और संगठनों के प्रभाव में कार्य करने वाले छात्रों द्वारा कब्जा की गई इमारत को भी खाली कराया जाय ;

(ख) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान से इस बारे में बम्बई में बातचीत की थी , और यदि हां, तो क्या उसका परिणाम निकला ; और

(ग) पारस्परिकता के इस मामले में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, हां, किंतु कोई भी ऐसा सौहार्दपूर्ण समझौता नहीं हो सका, जिसे कुलपति प्राप्त करना चाहते थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Grant of Scholarships to students in Rural Areas

2913. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme for the grant of scholarship to students of schools in the rural areas ; and

(b) if so, the amount allocated to the Government of Mahdya Pradesh under this scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shri A. R. Kisku) : (a) Yes, Sir.

(b) The Government of India will award two scholarships per community development block every year. The amount of each scholarship will be about Rs.1,000 per annum.

The grant-in-aid to the State of Madhya Pradesh will be regulated on the above basis.

Schemes for Development of Tourism in Madhya Pradesh

2914. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the details of the expenditure incurred on the schemes which have been sanctioned for the development of tourism in Madhya Pradesh and also of the schemes which have been postponed ; and

(b) how the rate of development of tourism which has been comparatively slow in Madhya Pradesh is likely to be accelerated ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) A statement giving details of expenditure on tourism schemes in Madhya Pradesh is attached. **[Placed in the Library See. No. LT 3985/70.]**

(b) Madhya Pradesh has numerous tourist attractions, but the flow of tourist traffic to these places is somewhat hampered by lack of easy aecessibility. Khajuraho, Sanchi and Kanha-Kisli National Park are important tourist centres where the Department of Tourism proposes to provide additional accommodation/transport facilities.

Excavation in cities and Towns on the Bank of River Narmada

2915. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that excavation work has been started by the Archaeological Department in the cities and towns situated on the bank of the river Narmada in Madhya Pradesh especially in Central India ; and

(b) if so, the results of the aforesaid excavations and the action taken to accelerate the excavation work in such places of historical importance in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) The Archaeological Survey of India has not conducted any excavation so far in the cities and towns situated on the banks of the river Narmada. However, it authorized the Deccan College Postgraduate and Research Institute, Poona and the M. S. University of Baroda to conduct excavations.

(b) They conducted excavations at Maheshwar and Navadatoli, situated on opposite banks of the river Narmada in District Nimar during the years 1952-53 and 1957-58. The sequence of cultural occupation obtained at the site extended from the Chalcolithic (1800-B. C.—1200 B.C.) to the medieval period. As regards the Chalcolithic period the finds were painted pottery, microliths and evidence of restricted use of copper or bronze. For the Iron-age period (900 B.C. to 4th or 5th century A.D.), the finds were black-red pottery, terracota figurines and one or two coins of 1st century A.D. The third period, namely, the medieval period and chiefly the Muslim-Maratha period of 14th, 15th and 16th centuries yielded glass bangles. Besides, there were some structural remains of that period.

Tne report on the excavations has already been published and the second one is expected to go to the press shortly.

The Archaeological Survey of India has taken up the question of the protection of the site by it with the State Government.

Provision of Guest Houses, Holiday Homes and Retiring Rooms in Madhya Pradesh

2916. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have considered the proposal of the Madhya Pradesh Government to provide a part of the funds required for the constructions of Guest Houses, Holiday Homes and Retiring Rooms for providing proper accommodation to the tourists ;

(b) if so, the details of the said proposal; and

(c) the decision taken thereon ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) : In September 1969, the Ssate Government suggested to the Department of Tourism that the following schemes be taken up by the Central Government for providing accommodation facilities for tourists :

(i) Annexe to Circuit House Khajuraho

(ii) Holiday Home at Khajuraho

(iii) 20 bed Tourist Bungalow at Gwalior

(iv) Holiday Home at Maihar

(v) 10 double rooms at Kanha

(vi) Tourist Bungalow with 10 double rooms at Shivpuri

(vii) Rest House at Bandhogarh National Park

(viii) Addition of 6 double rooms to Circuit Hose, Sanchi

(ix) Youth Hostels at Gwalior, Pachmari, Mandu, Shivpuri and Ujjain,

(x) Circuit House at Satna

(xi) Addition of 2 rooms at Rest Houses at Chachai falls in Rewa

(xii) Addition of 2 rooms in Rest House at Onkareshwar.

(xiii) Addition of 2 rooms at Maheshwar.

(xiv) Improvement of Rest House at Orcha.

In view of its limited resources, the Department of Tourism are in a position to provide additional accommodation only at Khajuraho, Sanchi and Kanha-Kisli National Park during the Fourth Plan period.

कलकत्ता में नक्सलवादियों द्वारा पुलिस कर्मचारी की हत्या

2917. **श्री एस० पी० राममूर्ति** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कलकत्ता में नक्सलवादियों तथा अन्य उग्रवादियों द्वारा अनेक सिपाहियों को मार दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

आंध्र प्रदेश में नक्सलवादियों द्वारा हत्याएं

2918. **श्री० एस० पी० राममूर्ति** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नक्सलवादियों ने हैदराबाद तथा आन्ध्र प्रदेश के अनेक भागों में कई लोगों की हत्याएं की हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त हुई हैं; और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) : (क) और (ख) : राज्य सरकार से नवीनतम तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

जलपाईगुड़ी में नक्सलवादियों के दो दलों के बीच संघर्ष

2919. **श्री एस० पी० राममूर्ति** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलपाईगुड़ी में हाल में हुए नक्सलवादियों के दो दलों के बीच हिंसात्मक संघर्ष में मरने वाले तथा गम्भीर रूप से घायल हुए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

नक्सलपंथियों द्वारा अपहरण तथा हत्या

2920. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोल्ला गाँव के एक उप-ग्राम नयाकम्पागुडा पर एक छापे में नक्सलपंथियों ने एक गिरोह द्वारा सवारा आदिमजाति का नयाकप्पा नामक एक महिला की हत्या कर दी गई और उसके भाई किचगाडू का अपहरण कर लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना की पृष्ठभूमि क्या है ; और

(ग) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क), से (ग) आंन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आदिम जाति की किसी ऐसी महिला की हत्या नहीं की गई थी । किन्तु 18 मार्च 1970 की रात्रि को जब उग्रवादियों ने श्रीकाकुलम जिले के पोल्ला गांव के एक उप-ग्राम, नायाकम्पागुड़ा पर छापा मारा तो उनके द्वारा नायाकम्पा नामक एक पुरुष की हत्या कर दी गई थी ! मृतक के भाई अरिका पिचाहिया (किचागुडु) का भी अपहरण उनके द्वारा किया गया था पुलिस ने शस्त्र अधिनियम की धारा 26 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 147, 148, 302 और 365 के अधीन एक मामला दर्ज किया है । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि श्री अरिका पिचाहिया घर वापिस आ गया है । राज्य सरकार आदिम जातियों में विश्वास उत्पन्न करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है ।

Post-Graduate Punjabi Language Teachers in Higher Secondary Schools, Delhi

2921. **Shri P. L. Barupal** : **Shri Kikar Singh** :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the names of the Higher Secondary Schools, run by the Delhi Administration, Delhi in which Punjabi was taught to the students of XI class during the year 1969-70.

(b) whether it is a fact that in the above mentioned schools most of the teachers were not Post-Graduate in Punjabi ; and

(c) the steps being taken to recruit the Post-Graduate Punjabi language teachers for those schools where Punjabi is taught to the students of XI Class ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) : The requisite information is being collected from the Delhi Administration and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

Teachers Working in Delhi Schools for more than Five Years

2922. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are such teachers in the Education Department of the Delhi Administration as have been working in the same school continuously for the last eighteen years ;

(b) if so, the number of teachers who have been teaching in the same school for more than five years ; and

(c) the reasons for not transferring them ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) : The requisite information is being collected from the concerned authorities and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कब्जे वाली इमारत का खाली किया जाना

2923. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से विश्वविद्यालय की इमारत को पुनः अपने कब्जे में ले लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर अन्तिम रूप से कब तक कब्जा कर लिया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं,

(ख) और (ग) : विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेताओं के साथ विभिन्न स्तरों पर इमारत को खाली कराने के लिये मैत्रीपूर्ण रीति से बातचीत की थी, किन्तु कोई समझौता नहीं हो सका। विश्वविद्यालय कार्य-कारी परिषद् ने 25 जुलाई, 1970 को हुई अपनी बैठक में, उस अनुमति को मंसूख करने का सर्व-सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया जिसके द्वाराराष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उस इमारत का उपयोग कर रहा है। कार्य-कारी परिषद् के प्रस्ताव को लागू करने के लिये विश्वविद्यालय द्वारा उचित कार्यवाही की जा रही है। इस स्थिति में वह समय ठीक-ठीक बताना सम्भव नहीं है कि कब इमारत का कब्जा लिया जायेगा ।

कोरके में एक प्राचीन पत्तन का पता लगना

2924. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु पुरातत्वीय विभाग ने तिरुनेलवेली जिले में तमबारापर्णी नदी के उत्तर में कोरके में एक प्राचीन पत्तन का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्र राज्य सरकार को कितनी मदद कर रहा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग ने कोरके नाम स्थान पर खुदाई का कार्य अपने हाथ में लिया है, जिसको पिटोलमी जैसे श्रेष्य भूगोल वेत्ताओं ने पत्तन के रूप में उल्लेख किया हैं। लगभग एक शताब्दी पूर्व इस स्थान पर सबसे पहले काल्डवेल ने खुदाई की थी, जिसने कुछ दफनाए हुए अस्थिकलशों का पता लगाया था। राज्य पुरातत्व विभाग ने इस स्थान पर वर्तमान खुदाई-कार्य के दौरान, ईसा की 8वीं शताब्दी पूर्व से लेकर अध्यकालीन आधिपत्य का पता लगाया है।

(ग) राज्य सरकार ने भारतीय पुरातत्व विभाग से अब तक कोई वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है ।

बम्बई के पत्तन में जहाजों की भीड़ भाड़ में वृद्धि

2925. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाविकों के वहिष्कार के कारण बम्बई के पत्तन में जहाजों की भीड़-भाड़ बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1970 के दूसरे सप्ताह में गोदी में कितने जहाज थे ;

(ग) नाविकों के बहिष्कार का क्या कारण है; और

(घ) क्या बहिष्कार इस बीच समाप्त हो गया है ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) 9 तथा 10 जुलाई 1970 को व्यापारी बेड़े के अधिकारियों तथा नाविकों द्वारा 'साइनिंग आन' तथा 'साइनिंग आफ' के वहिष्कार के कारण बम्बई पत्तन पर कुछ जहाजों को रोका गया था।

(ख) 9 तथा 10 जुलाई को जिन जहाजों की रवानगी तथा प्रवेश में विलम्ब किया गया उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

रवानगी में विलम्ब : क्रमशः 6 तथा 7

प्रवेश ,, ,, : ,, 2 तथा 3

(ग) अधिकारियों तथा नाविकों का वहिष्कार 27-6-70 से लागू होने वाले उस नये असवाव नियम, 1970 के विरोध में था जिसके अन्तर्गत विभिन्न सामान का आयात के लिए निशुल्क भत्ते का 1600 रुपया से घटाकर 500 रुपया कर दिया गया था।

(घ) जी हां। नये असवाव अधिनियम, 1970 को सरलता से परिचालनार्थ व्यवस्था करने पर संघ के प्रतिनिधियों से समझौता के अनुसरण में इसे 10 जुलाई को समाप्त कर दिया गया।

मनीपुर के कालेजों में विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश

2926. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में 1970 में मैट्रिक को परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) मनीपुर के कालेजों में विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम की 1970 की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है और जो विद्यार्थी पास नहीं हुए उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) मनीपुर के कालेजों में 1970-71 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों की संख्या कितनी है ;

(घ) मनीपुर के विभिन्न कालेजों में 1970-71 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त छात्रों की संख्या कितनी हैं ;

(ङ) जिन छात्रों को विश्वविद्यालय पूर्व पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं दिया गया उनकी संख्या कितनी है ; और

(च) स्थिति का सामना करने के लिए मनीपुर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (च) : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मणिपुर के सुरक्षा आयुक्त के कर्तव्य

2927. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर के सुरक्षा आयुक्त के कर्तव्य क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उसे अपने मुख्य सुरक्षा कार्यों के अलावा विभिन्न विकास संबन्धी और प्रशासनिक कार्य भी सौंप दिये गये हैं ;

(ग) क्या उसे ये कार्य और दायित्व राष्ट्रपति शासन के कारण सौंपे गये हैं ;

(घ) क्या सरकार को उसके द्वारा किये जाने वाले विभिन्न कार्यों और कार्यवाहियों की जानकारी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार एक अधिकारी द्वारा शक्ति के इस प्रकार प्रयोग को प्रोत्साहन देती है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सुरक्षा कार्य तथा ग्राम आत्म सुरक्षा के पर्यवेक्षण तथा समन्वय करने के लिए मनीपुर में सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) से (ङ) : एकीकृत आधार पर मनीपुर के हाल ही में बनाये गये चार पर्वतीय जिलों के शीघ्र विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से मनीपुर सरकार ने इन पहाड़ियों के विकासात्मक प्रशासन के समन्वय के कार्य को सुरक्षा आयुक्त को सौंपा है जो कबीले क्षेत्रों के कार्य में काफी विस्तृत अनुभव प्राप्त एक वरिष्ट अधिकारी है । किन्तु सुरक्षा आयुक्त सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों को छोड़कर नियुक्तियों तथा सेवाओं अथवा गृह विभाग से संबन्धित किन्हीं मामलों को हाथ नहीं लगाते । अतः एक व्यक्ति में शक्ति का केन्द्रीयकरण नहीं है न ही इस प्रबन्ध का राष्ट्रपति के शासन से कोई सम्बन्ध है ।

मैसूर में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की भर्ती

2928. **श्री एन० शिवप्पा :** **श्री जो० वाई० कृष्णन् :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर के कुल 169 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से 141 अधिकारियों की सीधी भर्ती की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रशासनिक सेवा के संवर्ग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन सेवाओं के लिये राज्य सेवाओं से जो पदोन्नति की जाती है उसके कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मैसूर के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों का वर्तमान प्राधिकृत संख्या 163 है, इसमें से सीधी भर्ती वाले पदों की संख्या 135 है ।

(ख) केवल सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए भारतीय प्रशासन सेवा में क्रमश: साढ़े $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाते हैं; आरक्षण राज्य-वार न होकर अखिल भारतीय स्तर पर किया जाता है । पिछले कुछ वर्षों के दौरान उनको उन सभी रिक्त स्थानों में भर्ती किया गया है जितने उनके लिए सुरक्षित किए गए । उनमें से मैसूर के लिए अनुपातिक संख्या निर्धारित की जा रही है ।

(ग) अखिल भारतीय सेवाओं समेत प्रथम श्रेणी सेवाओं में पदोन्नति के कोटे को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश विचाराधीन है ।

माउन्ट एवरेस्ट तथा नन्दादेवी नामक चोटियों पर चढ़ने वाले भारतीय पर्वतारोही

2930. **श्री जो० वाई० कृष्णन :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1960-70 के बीच भारतीय पर्वतारोही दलों द्वारा एवरेस्ट या 'नन्दादेवी' की चोटी पर चढ़ने का कोई प्रयत्न किया गया ;

(ख) क्या कोई दल इस वर्ष एवरेस्ट या 'नन्दादेवी' की चोटी पर चढ़ना चाहता है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां । भारतीय पर्वतारोहण प्रतिष्ठान ने 1960, 1962 और 1965 में एवरेस्ट पर्वत पर तीन अभियानों को तथा 1964 में नन्दा देवी पर एक अभियान प्रायोजित किया था ।

(ख) और (ग) : इस वर्ष एवरेस्ट पर्वत पर दूसरी बार जाने के लिए किसी भारतीय दल का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी, गुजरात राज्य खेल परिषद् ने इस वर्ष नन्दा देवी (25,645 फीट)

पर भेजने के लिए एक अभियान का आयोजन किया था। दल में दस सदस्य थे और नेतृत्व श्री नन्दलाल पुरोहित द्वारा किया गया था। दल मई, 1970 में पर्वतों पर गया था और जुलाई, 1970 को लौटा था। मौसम खराब होने के कारण लगभग 23,000 फीट ऊंचाई पर पहुंचने के बाद चढ़ाई बन्द करनी पड़ी थी।

शिक्षा को व्यवसाय-प्रधान बनाना

2931. **श्री हेमराज :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के बारे में 13 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2803 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने, शिक्षितों में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को व्यवसाय-प्रधान बनाने की अपनी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और क्या इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : कार्यानुभाव, और व्यावसायिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण क्षेत्र के चुने हुए भागों में प्रायोगिक परियोजनायें शुरू करने का विचार है। इस योजना के पूरे ब्यौरे राज्य सरकारों, आयोजना आयोग और वित्त मन्त्रालय के परामर्श से तैयार किये जा रहे हैं।

धार्मिक स्थानों पर पर्यटन की व्यवस्था का सुधार करने के लिए केन्द्रीय सहायता

2932. **श्री हेमराज :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धार्मिक स्थलों पर पर्यटन का विकास और उसकी व्यवस्था का सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य-क्षेत्रों को क्या सहायता देती है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में दी गई इस प्रकार की सहायता की राशि क्या है और चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार तथा संघ राज्य-क्षेत्रवार कितनी राशि दिये जाने का विचार है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : समिति साधनों के कारण केन्द्रीय सरकार फिलहाल इस प्रकार की स्कीमों को हाथ में लेने की स्थिति में नहीं है, यद्यपि पर्यटन विकास विषायक सामान्य योजनाओं में धार्मिक महत्व के कुछ स्थान अवश्य सम्मिलित रहते हैं।

पुरी से कोणार्क तक सड़क का निर्माण

2933. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के विकास के लिए पूरी से कोणार्क तक समुद्र तट के साथ साथ एक सड़क के निर्माण का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय होगा और क्या यह कार्य निकट-भविष्य में आरम्भ होगा?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : उड़ीसा सरकार का दो कारोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पुरी से कोणार्क तक एक 'मेराइन ड्राइव' बनाने का प्रस्ताव है । इस परियोजना पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है ।

मानचित्र को छापने का लाइसेन्स देना

2934. **श्री क० लकप्पा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मानचित्रों को छापने के लिए लाइसेंस जारी करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गैर-सरकारी प्रकाशन फर्मों द्वारा प्रकाशित मानचित्रों को नष्ट करना चाहती है जो विशिष्ट विवरणों एवं मूल प्रारुपों के अनुकूल नहीं हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो गैर-सरकारी प्रकाशन फर्मों द्वारा पहले ही छापे गए अशुद्ध मानचित्रों को सुधारने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारतीय प्रकाशकों को कहा गया है कि मानचित्रों या एटलसों को छापने से पहले, भारतीय सीमाओं तथा अन्य ब्यौरों को भारत के सर्वेक्षण को दिखा लें । साथ ही, राज्य सरकारों और दूसरे शैक्षिक प्राधिकारियों से निवेदन किया गया है कि वे केवल उन्हीं पुस्तकों तथा प्रकाशनों का अनुमोदन करें जिनमें भारत का सही मानचित्र दिखाया गया है ।

वायुयानों की सीटों तथा सुरक्षा पट्टियों के निर्माण के लिये देशी सामग्री का उपयोग

2935. **श्री पी० विशम्भरन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् से प्रार्थना की थी कि वे वायुयानों की सीटों और सुरक्षा पट्टियों के निर्माण में देशी सामग्री के उपयोग के बारे में अनुसंधान कार्य करें ;

(ख) क्या परिषद् ने इस बीच आवश्यक अनुसंधान कार्य किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : अक्टूबर 1968 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के माध्यम से राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूनो, राष्ट्रीय मौसमविज्ञान प्रयोगशाला, जमशेदपुर तथा अहमदाबाद वस्त्र उद्योग अनुसंधान संगठन, अहमदाबाद से प्रार्थना की गयी कि वे विमानों की सीटों और सुरक्षा पट्टियों के निर्माण में देशी सामग्री के उपयोग के बारे में अनुसंधान कार्य करें । अनुसंधान परिणाम अभी तक कारपोरेशन को उपलब्ध नहीं हुये हैं ।

सिंधिया हाउस, नई दिल्ली में एयर इन्डिया के प्रदर्शन तख्ते

2936. **श्री लखनलाल कपूर** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया ने सिंधिया हाउस, नई दिल्ली के अपने कार्यालय में एक बड़ा प्रदर्शन तख्ता लगाया है जिसमें मि० इनोच पवल, जो कि ब्रिटेन का एक विधायक है, को पंजाबी यात्रियों को दिल्ली के मुफ्त यात्रा के लिए आमंत्रित करते दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विज्ञापनों का क्या महत्व है ;

(ग) क्या एक सरकारी उपक्रम के लिए इस प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित करना उचित है ; और

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार इस विज्ञापन को हटाने पर विचार करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) : एयर-इन्डिया ने एक विनोदात्मक विज्ञापन में श्री इनोच पवल को एक पर्यटन अभिकर्त्ता के रूप में प्रदर्शित किया था। यह विज्ञापन अब एयर-इंडिया के सामान्य विज्ञापन कार्यक्रम के अन्तर्गत बदल दिया गया है ?

जन परिवहन में यात्रियों की वृद्धि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था की टिप्पणी

2937. **श्री मा० ला० सोंधी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने यह मत व्यक्त किया है कि 1981 तक दिल्ली में जन परिवहन में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 14. 60 लाख हो जायेगी और दिल्ली परिवहन उपक्रम इस बढ़ती हुई मांग का सामना करने की स्थिति में नहीं होगा ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने एक कुशल जन परिवहन पद्धति को विकसित करने के लिये क्या उपाय किये हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) योजना अयोग की महानगर परिवहन दल के अनुरोध पर केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये दिल्ली के प्रारम्भिक यातायात तथा परिवहन योजना अध्ययन में संस्थान ने यह मत प्रकट किया है कि वर्ष 1981 में दिल्ली में सामुहिक परिवहन यात्राओं में प्रतिदिन 14.6 लाख की वृद्धि होगी। संस्थान ने सुझाव दिया है कि इस भारी मांग की पूर्ति के लिए एक कुशल तीव्र सामुहिक परिवहन प्रणाली का विकास किया जाना चाहिये क्योंकि दिल्ली परिवहन उपक्रम अकेले इस आवश्यकता की पूर्ति करने के योग्य नहीं है।

(ख) जहां तक संभव है दिल्ली की यातायात आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिल्ली परिवहन उपक्रम और अधिक मोटर गाड़ियों की खरीद कर रहा है सामुहिक परिवहन प्रणाली के लिए यातायात कारोडोर को स्थापना करने हेतु दिल्ली महानगर क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा एक व्यापक यातायात तथा परिवहन का अध्ययन जारी है। इस अध्ययन के परिणाम

उपलब्ध होने पर संघ शासित क्षेत्र में तीव्र सामूहिक परिवहन की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली परिवहन बसों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की टिप्पणी

2938. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान इस निर्णय पर पहुंची है कि व्यस्ततम काल में दिल्ली परिवहन की बसें पूरी क्षमता के साथ चलती हैं और इसकी सामान्य क्षमता से अधिक यात्री उसमें सवार होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने व्यस्ततम काल में बस में चढ़ने वाले केन्द्रीय सचिवालय, जिसे केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था ने सबसे बड़ा रोजगार का केन्द्र कहा है, के कर्मचारियों को भीड़ वाले समय में समस्या का हल करने के लिए कोई कार्यवाही की है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली परिवहन उपक्रम जो दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में यात्री परिवहन सेवाओं की व्यवस्था करता है संघीय क्षेत्र में लघुकरण के परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये अतिरिक्त गाड़ियां खरीद रहा है ।

केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा दिल्ली क्षेत्र के लिये व्यापक यातायात और परिवहन अध्ययन इस समय चालू है । उक्त सर्वेक्षण के परिणाम के उपलब्ध होने पर उपयुक्त सामूहिक पार-गमन प्रणाली की व्यवस्था करने के प्रश्न पर दीर्घकालीन आधार पर विचार किया जायेगा ताकि दिल्ली में भीड़ वाले साथ समय में समस्या का हल किया जा सके ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

एयर जम्बो जेट विमानों के उतारने के लिए भारतीय हवाई अड्डों का विकास

2939. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया मार्च 1971 तक दो जम्बो जेट विमानों को और एक वर्ष बाद तीसरे जम्बो जेट विमान को खरीदेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एयर इंडिया के अध्यक्ष श्री जे० आर० डी० टाटा जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति के अध्यक्ष भी थे, ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि भारतीय हवाई अड्डे अभी तक इस स्थिति में नहीं हैं कि जम्बो जेट विमान उन पर उतर सकें ;

(ग) क्या यह भी सच है कि असैनिक उड्डयन के महानिदेशक एवं उपरोक्त टाटा समिति के सदस्य श्री जी० सी० आर्या का मत इससे भिन्न है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले पर आगे विचार करेगी और यह आश्वासन देगी कि जम्बो जेट विमान की सेवाएं शुरू होने से पहले पर्याप्त ग्राउण्ड सुविधाएं प्रदान की जाएं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : एयर इंडिया को दो जम्बो जेट विमान अप्रैल, 1971 में तथा तीसरा मार्च 1972 में प्राप्त हो जायेंगे ।

(ख) : 24 अप्रैल, 1969 को दिल्ली में हुई प्रेस कान्फ्रेंस में श्री जे० आर० डी० टाटा ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र समिति के अध्यक्ष थे, कहा था कि यद्यपि जम्बो जेट विमानों के भारत में आने के समय धावन-पथ उनको लेने के लिये तैयार हो जायेंगे, उस समय तक नये विमान क्षेत्र टर्मिनल भवन तैयार नहीं होंगे । तथापि, उन्होंने कहा कि अतिरिक्त यातायात को सम्भालने के लिये इस बीच वर्तमान टर्मिनल भवनों में विस्तार एवं सुधार कार्य कर दिये जायेंगे ।

(ग) और (घ) : नागर विमानन के महानिदेशक की राय थी कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र अब भी जम्बो जेट विमानों को लेने की स्थिति में हैं । तथापि, आवश्यक सुधार कार्य किये जा रहे हैं तथा अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है जिससे कि आवश्यकताओं की अधिक अच्छी प्रकार से पूर्ति की जा सके ।

हवाई अड्डों के लिये इटली निर्मित राडार

2940. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक उड्डयन के महानिदेशक के अनुरोध पर पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक ने 1966 में नई दिल्ली, बंबई, मद्रास तथा कलकत्ता के हवाई अड्डों के लिए 3.90 करोड़ की लागत के इटली के अत्यधिक शक्ति प्राप्त वायु-पथ निगरानी वाले 4 राडारों का क्रय आदेश दिया था ;

(ख) क्या मई, 1968 और मई, 1969 के दौरान उपकरण के मुख्य हिस्से प्राप्त हुए है ;

(ग) क्या नई दिल्ली और कलकत्ता के हवाई अड्डों के लिए भूमि अर्जन करने की कार्यवाही को प्रारम्भ करने में विलम्ब करने के कारण अथवा बम्बई और मद्रास हवाई अड्डों के लिए प्राक्कलन की स्वीकृति देने में विलम्ब किए जाने के कारण राडार के दो या तीन वर्ष तक स्टोर में रखे रहने की सम्भावना है ;

(घ) क्या निर्माताओं द्वारा राडार लगाने की तिथि से दी गई गारण्टी की एक वर्ष अवधि अथवा इटली के पत्तन से लदान की तिथि से 15 महीने की गारन्टी की अवधि, जो भी पहले समाप्त होती हो, उक्त उपकरण के लगाने से पूर्व ही सामाप्त नहीं हो जायगी ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की स्थिति को अनुमति देने के क्या करण है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां । यह उपस्कर मूल रूप से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और नागपुर के लिये था । 1968 में नागपुर के स्थान पर मद्रास कर दिया गया ।

(ख) : जी, हाँ । मई 1968 और मई 1969 में मुख्य उपस्कर प्राप्त हो गया था ।

(ग) : दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई के सम्बन्ध में समस्त प्राक्कलनों को मंजूरी दी जा चुकी है तथा बम्बई और मद्रास में निर्माण कार्य प्रगति पर है । इन दो स्थानों पर उपस्कर के

1971 के अंत से पहले लगा दिये जाने की आशा है। दिल्ली और कलकत्ता में भूमि अभिग्रहण कार्यवाही चल रही है और इसके शीघ्र निपटारे एवं उपस्कर को यथा संभव जल्दी से जल्दी लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) : उपस्कार में कुछ कमी है जिसे निर्माताओं द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। गारण्टी की अवधि का प्रश्न विचाराधीन है।

वायुयानों की खरीद के लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के अध्यक्ष का वाशिंगटन जाना

2941. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के लिए सात बोइंग विमान की खरीद के लिए वित्त व्यवस्था 20 जून, 1970 को ही पूरी हो चुकी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष करार पर हस्ताक्षर करने के समय वहां उपस्थित रहने के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से वाशिंगटन गये थे ;

(ग) यदि प्रश्न के उपरोक्त भागों का उत्तर हां में है, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष की व्यक्तिगत उपस्थित वहां हस्ताक्षर के समय इतनी आवश्यक थी कि वे संभवतया इंडियन एयरलाइन्स के खर्चे पर वाशिंगटन गये ; और

(घ) उपरोक्त दौरे के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय कहां तक संगत है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : सात बोइंग 737-200 विमानों की खरीद के लिये वित्त व्यवस्था का प्रबन्ध मार्च, 1970 में पूरा कर लिया गया था तथा औपचारिक करार पर 18 जून को हस्ताक्षर किये गये।

(ख) : इंडियन एयरलाइन्स के अध्यक्ष करार पर हस्ताक्षर करने के लिए वाशिंगटन गये थे।

(ग) और (घ) : 'एक्सिम' बैंक का प्रतिनिधित्व बैंक के अध्यक्ष ने, तथा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमरीका में भारतीय राजदूत ने किया। अतः यह आवश्यक समझा गया कि इंडियन एयरलाइन्स की ओर से करार पर कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये जायें। कारपोरेशन के अध्यक्ष ने इंडियन एयरलाइन्स के विमानचालकों को इस नये विमान के चालन में प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में बोइंग कम्पनी के उच्चाधिकारियों से भी विचार विमर्श किया।

विदेशी फर्मों के सहयोग से होटलों का निर्माण

2942. **श्री रा० बरुआ** : **श्री चेंगलराया नायडू** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तियों/फर्मों ने विदेशी सहायता/विशेषज्ञों के सहयोग से देश में बड़े-बड़े होटलों के निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव रखने वाली पार्टियों तथा उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिनके सहयोग से होटलों का निर्माण किया जायेगा ; और

(ग) चालू वर्ष में अब तक विदेशी सहायता से होटल निर्माण के लिए जिन व्यक्तियों/फर्मों को लाइसेंस दिये यये हैं उनके नाम क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : एक विवरण संलग्न है ।

(ग) : 1970 के दौरान विदेशी सहायता से होटलों के निर्माण के किसी प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया है ।

विवरण

भारतीय पक्ष	विदेशी पक्ष	अनुमोदन का वर्ष
1. इंडियन होटल्स कं० लि०	इन्टर कांटिनेटल होटल्स कारपोरेशन, यू० एस० ए०	1967
2. ईस्ट इंडिया होटल्स लि०	शेराटन इंटरनेशनल, यू० एस० ए०	1969
3. मैट्रोपोलिटन होटल्स लि०	हिल्टन होटल्स इंटरनेशनल, यू० एस० ए०	1969
4. आलम्स अडवानीज़ होटल्स प्रा० लि०	हालिडेइंज इंक०, यू० एस० ए०	सहयोग प्रस्ताव हाल ही में प्रस्तुत किये गये हैं परन्तु प्रायोजना की रूप रेखा को सम्बन्धित पार्टी से प्रतीक्षा की जा रही है ।

साहू जैन सेवा आलोकोद्योग सेवाओं द्वारा एक विदेशी फर्म के सहयोग से होटल का निर्माण

2943. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहू जैन सेवा अथवा आलोकोद्योग सेवाओं ने कुछ विदेशी फर्मों के सहयोग से एक होटल बनाने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस विषय में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

नर्मदा नदी तट से रेत का हटाया जाना

2944. **श्री द० रा० परमार :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नर्मदा नदी के मुहाने पर भड़ौंच के निकट रेत की तह जमा हो गयी है जिसके हटाये जाने की आवश्यकता है,

(ख) यदि हां, तो इस रेत को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ताकि बड़ी संख्या में नौवहन सेवा की, जिसे तल में मिट्टी भर जाने के कारण रोक दिया गया था, पुन: चालू करने में सहायता मिल सके; और

(ग) यदि इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सरदार इकबाल सिंह) : (क) से (ग) : उस पर जलमार्ग तथा यातायात की व्यवस्था करने का सम्बन्ध मुख्यत: राज्य सरकार का है गुजरात सरकार, जो प्रश्न के विषय वस्तु से सम्बन्धित है से अपेक्षित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है । उसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

केरल के प्राचीन मन्दिरों की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता

2946. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन देवस्वम् बोर्ड ने सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर आयोग की सिफारिशों के आधार पर केरल के प्राचीन मन्दिरों के मरम्मत कार्य के लिए उनके मंत्रालय से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसमें शीघ्रता लाने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अब तक इस मन्त्रालय द्वारा ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जनगणना आयुक्त

2947. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल जनगणना आयुक्त के पद का पदधारी कौन है;

(ख) क्या उस पदधारी के स्थान पर किसी और व्यक्ति को नियुक्त करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) श्री ए० चन्द्र शेखर, भारतीय प्रशासनिक सेवा ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय नौवहन निगम द्वारा दिया गया प्रतिवेदन

2948. **श्री मंगलायुमाडम :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से जयन्ती शिपिंग कम्पनो के प्रबन्धक एजेन्ट के रूप में भारतीय नौवहन निगम द्वारा दिये गये प्रतिवेदनों की संख्या क्या है, और

(ख) जहाजों के चलने से विशेष रूप से जयन्ती शिपिंग कम्पनी के जहाजों से निगम की आय में कितनी वृद्धि हुई है ?

संसद् कार्य नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) जून 1966 में जब से भारतीय नौवहन निगम की नियुक्ति जयंतो शिपिंग कंपनी के एजेन्ट के रूप में हुई है। भारतीय नौवहन निगम ने नियंत्रण बोर्ड, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार ने 1966 के अधिनियम 24 को धारा 3 (1) (प्रबन्ध अधिग्रहण) नियम 1966 के अंतर्गत की, को कार्य सूची कागजात के भाग के रूप में 13 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं।

(ख) चूंकि भारतीय नौवहन निगम तथा जयंतो शिपिंग कम्पनी अपने निजी बेड़े तथा संगठन रखने वाली दो पृथक-पृथक संत्ताएं है, जयंती शिपिंग कंपनी के कारण भारतीय नौवहन निगम की परिचालन कमाई में कोई वृद्धि होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री ज्योति बसु को हत्या के प्रयत्न के संबंध में की गई जांच का परिणाम

2949. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मार्च, 1970 को श्री ज्योति बसु को हत्या का प्रयत्न करने वाले व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस व्यक्ति से संबंधित विवरण क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका पता न चलने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मामले की छान-बीन अभी हो रही है।

भारतीय शैक्षणिक सेवायें

2950. **श्री न० रा० देवघरे :** **श्री हिम्मतसिंहका :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक भारतीय शैक्षणिक सेवा प्रारम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब क्रियान्वित किया जाएगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सेवा के लिए होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखने का है जैसा कि भारतीय आर्थिक सेवाओं और भारतीय सांख्यिकी सेवाओं के मामले में किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : संविधान के अनुच्छेद 312 (1) के अन्तर्गत मार्च, 1965 में, राज्य सभा में, अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय शैक्षणिक सेवा की रचना करने के सम्बन्ध में एक संकल्प पारित किया गया था। सिद्धांत रूप में इस संकल्प को सभी राज्यों ने स्वीकार किया था। किन्तु जब उसके बाद भारतीय शैक्षणिक सेवा के गठन की योजना का विस्तृत ब्यौरा राज्य सरकारों को उनकी स्वीकृति हेतु भेजा गया तो 5 राज्य सरकारों ने अपनी पूर्व राय बदल दी और सूचित किया कि वे उक्त सेवा में भाग लेने के लिए सहमत नहीं थे, अतः भारत सरकार ने फिलहाल इस सेवा के सृजन हेतु अखिल भारतीय सेवा अधिनियम का संशोधन करने की आगे की कार्यवाही न करने का निर्णय किया है। तदनुसार इस सेवा की रचना हेतु कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुर में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्य तथा उप प्रधानाचार्य की नियुक्ति सम्बन्धी नियम

2951. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने मणिपुर के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों तथा उपप्रधानाचार्यों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समय प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य के वेतममान क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) भर्ता नियमों के अनुसार प्रधानाचार्यों की नियुक्ति उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के उप-प्रधानाचार्यों में से पदोन्नति के द्वारा और हाई स्कूलों के मुख्याध्यापकों की नियुक्ति चयन प्रणाली द्वारा की जाएगी। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के उप-प्रधानाचार्यों की नियुक्ति उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के उत्तर-स्नातक डिग्रीधारी प्राध्यापकों में से पदोन्नति तथा चयन प्रणाली द्वारा की जाएगी।

(ग) प्रधानाचार्य-रु० 350-रु० 1000/- न्यूनतम रु० 450/- प्रारम्भिक वेतन से।

उप-प्रधानाचार्य-रु० 300-रु० 800/- विशेष वेतन रु० 50/- प्रति मास सहित।

मणिपुर में स्कूलों में स्नातक हेडमास्टरों के वेतनमान

2952. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री 3 अप्रैल 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5149 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर सरकार ने मणिपुर में एम० ई० तथा जे० बी० स्कूलों के स्नातक हेड मास्टरों को स्नातक वेतन मान (ग्रेजुएट स्केल) देने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या मणिपुर सरकार उन अध्यापकों को जो अब स्नातक हो गये हैं, यद्यपि जिनकी नियुक्ति स्नातक-पूर्व पदों के लिये की गई थी, अतिरिक्त वेतन वृद्धि देने अथवा स्नातक स्तर के वेतनमान देने के विषय में विचार कर रही है ;

(ग) क्या उक्त श्रेणी के स्नातक अध्यापक उनको स्नातक वेतनमान दिये जाने के लिये मणिपुर सरकार से अनुरोध कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस विषय में क्या कोई निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) : मणिपुर प्रशासन से अपेक्षित जानकारी की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है और इसके मिलने पर यथा-सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिमी बंगाल के अराजपत्रित अधिकारियों द्वारा की गई हड़ताल

2953. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्रीमती इलापाल चौधरी :
श्री गणेश घोष :
श्री शिवचंद झा :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 जून, 1970 को पश्चिमी बंगाल के 2 लाख से भी अधिक अराजपत्रित अधिकारियों ने राज्य भर में सांकेतिक हड़ताल की;

(ख) यदि हाँ, तो अराजपत्रित अधिकारियों को मांगें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उनकी कुछ मांगें स्वीकार की हैं;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मांग स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् । 25 जून, 1970 को पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकांश अराजपत्रित कर्मचारी हड़ताल पर थे ।

(ख) निम्नलिखित आधारों पर हड़ताल का नोटिस दिया गया था :—

(i) राज्य सरकार के कर्मचारियों और उनके संगठनों के विरुद्ध भारी संख्या में आक्रमण किये गये हैं :

(ii) बहरामपुर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा कर्मचारियों को अमानुषिक रूप से पीटा गया है; और

(iii) अन्य अनिवार्य विवाद हैं जिनके लिए काफी समय से कर्मचारी आन्दोलन कर रहे हैं ।

(ग) से (ङ) : (i) सरकारी कर्मचारियों पर आक्रमण का आरोप निराधार है । कुछ कर्मचारियों पर भूमि के सामान्य कानूनों के अन्तर्गत आपराधिक कार्यों के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है क्योंकि वे कानून की नजर में सामान्य नागरिकों जैसे हैं ।

(ii) बहरामपुर में पुलिस की ज्यादतियों का आरोप निराधार सिद्ध हो गया है । राज्यपाल ने मामले की अदालती जाँच कराने का प्रस्ताव रखा, किन्तु पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारियों की संघों तथा यूनियनों की राज्य समन्वय समिति ने इसके अलावा राजस्व बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्यकारी जांच का सुझाव दिया, जिसका राज्यपाल द्वारा आदेश दिया गया । समन्वय समिति

जांच से अलग हो गई, जिसका आदेश उनकी अपनी मांग पर दिया गया था। जांच अधिकारी का निष्कर्ष यह था कि पुलिस ने स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक न्यूनतम शक्ति का प्रयोग किया। अतः आरोप सही नहीं है।

(iii) समन्वय समिति ने अन्य अनिवार्य विवादों का स्पष्ट रूप से हवाला दिया है, किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे क्या हैं। यदि उनके विभाग में वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वियन है तो यह कहा जा सकता है कि वेतन आयोग ने अपना प्रतिवेदन अपनी नियुक्ति के $2\frac{1}{2}$ वर्ष बाद प्रस्तुत किया। आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन में राज्य पर प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये से अधिक आर्थिक भार पड़ेगा। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के कार्यकर्ता और इससे सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति

2954. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**
श्री उमानाथ :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री प० गोपालन :
श्री ई० के० नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के महासचिव श्री बाला साहेब देवरस के इस कथित बयान, की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के कार्य-कर्ता तथा इससे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 लाख से भी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व सरकार ने संसद को यह सूचना दी थी कि राष्ट्रीय स्वयं-सेवक संघ के कार्यकर्ताओं की संख्या 50,000 से कम ही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा दी गई यह सूचना गलत थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) : सरकार ने अखबारों में श्री देवरस के साक्षात्कार की रिपोर्ट देखी है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि देश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मित्रों, शुभचिन्तकों और सदस्यों की संख्या 20 लाख से अधिक है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्। इसके विपरीत लोक सभा में दिनांक 1-3-68 को अतारांकित प्रश्न सं० 2367 के उत्तर में दिये गए आश्वासन को पूरा करते समय (जम्मू व कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु और त्रिपुरा को छोड़कर) राज्य सरकारों / संघ क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की संख्या 2,76,191 बतलाई गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सलेम में हवाई अड्डे का निर्माण

2955. **श्री नम्बियार :**
श्री पी० राममूर्ति :
श्री के० रमानी :
श्री उमानाथ :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलेम में हवाई अड्डा बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई पूर्व सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण-कार्य के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : **(क) से (ग)** : इंडियन एयरलाइन्स ने 1968 में एक यातायात सर्वेक्षण किया था और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सलेम से यातायात संभाव्यता इतनी पर्याप्त नहीं थी कि नियमित परिचालन का औचित्य सिद्ध हो सके। तथापि इंडियन एयरलाइन्स का अगले कुछ महीनों में एक नया सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

पश्चिम बंगाल के कोयला खान वाले क्षेत्र में कानून भंग

2956. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के कोयला खानों वाले क्षेत्रों में बार-बार कानून भंग करने की कार्यवाहियों तथा वहां पर व्याप्त अशान्ति की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि ऐसी गतिविधियों से उद्योगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस उद्योग में शान्ति बनाये रखने के लिये सरकार की क्या नीति है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**) : **(क) से (ख)** : विभिन्न राजनैतिक दलों से सम्बन्धित श्रम संघों के बीच शत्रुता ने पश्चिम बंगाल के कोयला खानों वाले क्षेत्रों में हिंसक उपद्रव और कानून भंग करने वाली अन्य कार्यवाहियों को जन्म दिया है। सरकार इस प्रकार की प्रतिद्विन्द्विता एवं इसके फलस्वरूप हिंसा व कानून भंग करने की कार्यवाहियों का विरोध करती है। अपराधों के कार्यों में संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिए निवारक कार्यवाही भी की गई है।

पश्चिम बंगाल में साम्प्रदायिकता को उकसाना

2957. **श्री सरदार अमजद अली** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पश्चिम बंगाल में लोगों का एक विशेष समूह साम्प्रदायिक गतिविधियों को उकसाने में लगा हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसी गतिविधियों को उन स्थानों पर तथा उन स्थानों के आसपास फैल रही है जहां पूर्वी बंगाल से आये शरणार्थी रह रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (**श्री राम निवास मिर्धा**) :**(क) से (ग)** : राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

प्रधान मन्त्री को धमकी भरे पत्र

2958. **श्री दे० अमात** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रधान मंत्री को धमकी भरे कई पत्र प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनके स्त्रोत के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा इन धमकियों का आधार क्या है ; और

(ग) उनमें से कितने पत्रों के मामले में यह पाया गया है कि ये पत्र साम्प्रदायिक कारणों से बहुसंख्यक समुदाय वाले लोगों द्वारा लिखे गये थे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्टानिक्स और वैज्ञानिक तका औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**) : (क) और (ख) : जी हाँ, श्रीमान् । गत कुछ महीनों में इस प्रकार के कई पत्र प्राप्त हुए हैं । जब कभी ऐसे पत्र प्राप्त होते हैं, इन पत्रों के लिखने वालों की तलाश करने के लिए शीघ्र जांच पड़ताल की जाती है और जहाँ कहीं आवश्यक होता है उपयुक्त कार्यवाही की जाती है । इस प्रकार की जांच पड़ताल के ब्यौरे बतलाना लोक हित में नहीं होगा । साम्प्रदायिक मामले, सीमा विवाद जैसे राजनैतिक मामले, राज्य प्रशासन सम्बन्धी मामले और मूल्य वृद्धि जैसे आर्थिक मामले इस प्रकार के धमकी भरे पत्रों में बताये गये आधारों में से हैं ।

(ग) किसी विशेष समुदाय के सदस्यों से प्राप्त ऐसे पत्रों की संख्या बतलाना लोक हित में नहीं होगा ।

भुवनेश्वर, दिल्ली, बम्बई और मद्रास के बीच वायुयान सेवा

2959. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुवनेश्वर, दिल्ली, बम्बई और मद्रास के बीच सीधी वायुयान सेवा चालू करने के लिए केन्द्रीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/संसद सदस्यों तथा सामान्य जनता द्वारा निरन्तर मांग की जाती रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस वायुयान सेवा को चालू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (**डा० कर्ण सिंह**) : (क) उड़ीसा सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स को सुझाव दिया था कि दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच एक सीधी विमान सेवा परिचालित की जानी चाहिए तथा बहुत से संसद् सदस्यों ने भी इस विचार का समर्थन किया है ।

(ख) : इंडियन एयरलाइन्स ने सूचित किया है कि दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी यात्रा करने वाले यात्री प्रतिदिन 7 या 8 से अधिक नहीं हैं तथा, इसीलिये, फिलहाल इन दोनों स्थानों के बीच सीधी विमान सेवा चालू करने का कोई वाणिज्यिक औचित्य नहीं है । दिल्ली-कलकत्ता-दिल्ली की कारवेल विमान सेवा तथा कलकत्ता-भुवनेश्वर-विशाखापत्तनम् को एफ० 27 विमान सेवा की समय सारणियों का इस प्रकार सामंजस्य स्थापित किया गया है कि इन से कलकत्ता पर दोनों दिशाओं में तुरन्त अगली विमान सेवायें मिल सकें । तथापि, विमानों की स्थिति में सुधार होने के पश्चात् मामले पर समय-समय पर पुनः विचार किया जायेगा ।

अखिल भारतीय पर्यटक बस सेवा आरम्भ करना

2960. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में पर्यटन हेतु अखिल भारतीय पर्यटन बस सेवा प्रारम्भ करने के लिये कुछ कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ऐसी बस सेवा प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) फिलहाल पर्यटक बसों को अखिल भारतीय परमिट जारी करने की कोई प्रणाली नहीं है । तथापि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 'आदर्श (माडल) पर्यटक वाहन नियमों' का प्रसारण किया गया है जिसमें कि, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक राज्य द्वारा बिना प्रतिहस्ताक्षरों के देश व्यापी परिचालन के लिये 10 पर्यटक बसों को परमिट जारी करने की व्यवस्था की गई है । अखिल भारतीय पर्यटक बस सेवा आरम्भ करने के प्रश्न पर इन नियमों के अंगीकार किये जाने के पश्चात् ही विचार किया जा सकेगा ।

चौथी योजना में भिन्न भिन्न स्थानों पर होटलों का निर्माण करने का प्रस्ताव

2961. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये चौथी योजना में कितने होटल स्थापित करने का विचार है और ये कहां कहां खोले जायेंगे ;

(ख) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में भुवनेश्वर तथा कोणार्क में पर्यटक होटल खोलने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होगा ; और

(घ) इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तथा इनके पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (घ) : चौथी योजना के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के बंगलौर, श्रीनगर, गुलमर्ग, कलकत्ता विमानक्षेत्र, तथा जयपुर में होटल स्थापित करने तथा उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल का विस्तार करने के प्रस्ताव है । बंगलौर के होटल का निर्माण हो रहा है और इसके 1970 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है । सरकार की कोवालम में एक होटल तथा 40 कुटीर स्थापित करने की भी योजना है । एयर इंडिया को बम्बई में सान्ताक्रूज तथा जूहू समुद्रतट पर दो होटलों का निर्माण करने की योजनायें है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

असम तथा मेघालय में पर्यटन संबंधी विकास योजनायें

2962. **श्री किरत विक्रम देव वर्मन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय सहित असम में अब तक पर्यटन सम्बन्धी कोई व्यवस्था न होने के कारण यह घ्यानाकर्षी रहा है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक असम तथा मेघालय में क्रियान्वित और आरम्भ की गई पर्यटन सम्बन्धी विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मेघालय सरकार द्वारा उस क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए कोई नयी योजनायें प्रस्तुत की गयी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर कितना खर्च आयेगा तथा उनका क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा आसाम में दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं, तथा बाद की तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान हाथ में ले जाने वाली पर्यटन स्कीमों को दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

भाग I

1. गौहाटी में पर्यटक ब्यूरो	19,795.00 रु०

भाग II

1. गौहाटी तथा शिलांग में निम्न आय वर्ग के विश्राम गृहों का निर्माण	1,50,000.00 रु०
2. चिरापूंजी में विश्राम गृहों का सुधार ।	25,000.00
3. काजीरंगा वन्य जीव शरणस्थान का विद्युतीकरण ।	70,335.00 रु०
कुल	2,65,130.00 रु०

पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्रों की प्राप्ति

2963. **श्री मु० अ० खां** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनके भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्रों पर सरकार का अन्तिम निर्णय होना है ;

(ख) ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं, जिनके भारतीय नागरिकता के लिये दिये गए प्रार्थना-पत्र पांच वर्षों से अधिक समय से सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

गवर्नमेंट हिन्दी टीचर ट्रेनिंग कालेज, कलकत्ता

2964. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता के गर्वनमेंट हिन्दी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज में कुल कितने विद्यार्थी और कर्मचारी हैं और उक्त कालेज में विद्यार्थियों और कर्मचारियों का अनुपात क्या है :

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले 5-6 वर्षों से कालेज में कोई स्थाई पूर्णकालिक प्रिंसिपल नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक स्थाई प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाने की आशा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) सूची में अध्यापक वर्ग और विद्यार्थियों की संख्या क्रमश: 3 और 40 है । स्टाफ व विद्यार्थियों का अनुपात 1 : 13 का है ।

(ख) जी हां ।

(ग) पश्चिमी बंगाल जन-सेवा आयोग द्वारा कई बार प्रिंसिपल के पद को विज्ञापित किया गया था किन्तु कोई अहर्ता प्राप्त व्यक्ति न मिल सका । तब बातचीत द्वारा उपर्युक्त उम्मीदवार की सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न भी असफल रहे । इसके पश्चात् अहर्ताओं में छूट देने के बाद इस पद को पुनः विज्ञापित किया गया था किन्तु चुना हुआ व्यक्ति नहीं आया/उपयुक्त व्यक्ति के प्राप्त करने की कोशिशें बराबर की जा रही हैं । नियमित पूर्णकालिक प्रिंसिपल की अनिर्णित नियुक्ति के कारण, यह पद तदर्थ आधार पर भरा जा रहा है ।

भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने की सिफारिश

2965. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रशासन सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिये अधिकतम आयु सीमा को 24 वर्ष से बढ़ाकर 26 वर्ष कर देने की प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर कोई अंतिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो प्रशासनिक सुधार आयोग की उक्त सिफारिश पर कब तक विचार पूरा किये जाने तथा अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : सिफारिश अभी विचाराधीन हैं और उस पर निर्णय के शीघ्र घोषित किये जाने की सम्भावना है ।

शिक्षा का स्तर

2966. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में शिक्षा का सामान्य स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ;

(ख) क्या इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा कोई समिति नियुक्त की गई है और यदि हां, तो उसने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा सिफारिशें की हैं ; और

(ग) क्या उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पद्धति के स्थान पर हाई स्कूल पद्धति लाने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अ० कु० किस्कू) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा आयोग ने इस विषय पर तथा शिक्षा के गिरते स्तर पर निम्नलिखित मत व्यक्ति किया है :—

"हम यह स्वीकार करते हैं कि इस आलोचना में पर्याप्त बल है और हम इसकी गंभीरता को कम नहीं करना चाहते, किन्तु हम इस तस्वीर के दूसरे पहलू की ओर से भी आंखें नहीं मूंद सकते । यह स्मरण रखना होगा कि :—अधःस्तरी ज्ञानार्जन व गुणार्जन करने वाले छात्रों के संख्या की वृद्धि का कुछ अंश प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों के कारण भी है जो स्तरों को कुछ हद तक गिराते हैं किन्तु इतनी माध्यमिक स्कूलों और कालेजों में पर्याप्त संख्या में प्रविष्टि विशेषतया देहाती क्षेत्रों में, स्वयं प्रगति का चिह्न है ।

अनेक विषयों के अध्यापन में गत कुछ वर्षों में सुधार हुआ है ।

अच्छी संस्थाओं तथा प्रथम कोटि के छात्रों की संख्या भी पहले की अपेक्षा अधिक है और इनकी गुणता भी सदा के समान है ।

समाज में शिक्षा की कुल मात्रा पहले से कहीं अधिक नहीं है । कुल मिला कर स्थिति प्रकाश और अंधकार की सम्मिलित तस्बीर है जिसमें उत्थान और पतन, किन्हीं क्षेत्रों में स्तरों का सुधार तथा अन्य किन्हीं में स्तरों का पतन, यह सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है । जहां हम स्तरों के उत्थान की आवश्यकता का पूर्ण समर्थन करते हैं वहां गत कुछ वर्षों में शिक्षा प्रणाली द्वारा गुणतोपार्जन में सिद्धि भी प्राप्त की है, यह हम मानते हैं । इससे हमको प्रेरणा और मार्ग प्रदर्शन प्राप्त होता है जिससे हम आगामी कार्य को अधिक विश्वास के साथ कर सकेंगे ।

(ग) शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि शिक्षा की समस्त अवस्थाओं के स्तरों को निरंतर बढ़ाने के लिए ढांचे के पुनर्गठन, अवधि की वृद्धि गहन उपयोगीकरण, समयतिरिक अन्य प्रायोज्य वस्तुओं की गुणना व मात्रा के सुधार के विभिन्न कदम उठाने चाहिए । उसने हाई

स्कूल के 10 वर्षीय, उच्चतर माध्यमिक के 2 वर्षीय तथा (तीन वर्षीय डिग्री) पाठ्यक्रम के लिए सुझाव दिये हैं।

शिक्षा आयोग ने सिफारिश की है कि स्कूली शिक्षा के 10 वर्ष सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रम की ही व्यवस्था करेंगे न कि विशेषीकरण की। स्कूली शिक्षा के प्रचार में जो कक्षा 9 से प्रारम्भ होता है, उसे छोड़ देना चाहिए और दसवीं कक्षा के बाद विशेषीकरण दिशा में कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये सिफारिशों सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। आन्ध्र, केरल, और मैसूर ने इन सिफारिशों को पहले ही कार्यान्वित किया हुआ है।

Construction of Lateral Road Falling in District Champaran (Bihar)

2967. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that part of the lateral road, which falls in District Champaran (Bihar) is in a very bad state ; and

(b) if so, the scheme being drawn up by Government to improve the condition of the said road ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shippig and Transport (Shri Iqbal Singh): (a) No.

(b) Question does not arise.

भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में भरती किये जाने वालों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन

2969. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी अन्य सरकारी संगठन द्वारा देश में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं या अन्य किसी उच्च सेवाओं में भारती होने वालों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठ-भूमि का अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नेशनल अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वस्तुत: ऐसा अध्ययन किया गया था और उसे भारत सरकार का प्रकाशन विभाग प्रकाशित कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या संक्षेप में इसका सार और ठीक आंकड़े सदन में सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) : संघ लोक सेवा आयोग ने देश में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और अन्य उच्च सेवाओं में भारती होने वालों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का कोई अध्ययन नहीं किया है। किन्तु राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने प्रोफेसर वी० सुब्रामनियम के द्वारा, जो अकादमी के कर्मचारी-वर्ग में से थे, ऐसा एक अध्ययन किया था। यह अध्ययन प्रकाशन प्रभाग द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है और यह पुस्तक जनता को शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेगी। इस प्रकाशन की तीन प्रतियां संसद पुस्तकालय को भी दी जायेंगी अतः इसका कोई सार सदन के पटल पर नहीं रखा जा रहा है।

गोआ के स्वतन्त्रता संग्रामी संघ द्वारा गृह मन्त्री को ज्ञापन

2970. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ स्वतन्त्रता संग्रामी एसोसिएशन ने 11 अप्रैल, 1970 को पहले गृह मंत्री को एक ज्ञापन दिया था।

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या मागें रखी थीं ; और

(ग) इन मांगों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : ज्ञापन में पुनर्वास बोर्ड के पुनर्गठन का और स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता देने में सुधार करने का प्रश्न उठाया गया। मामला उचित कार्यवाही के लिए गोआ प्रशासन के ध्यान में लाया गया है।

बड़ी आयु के अशिक्षित लोगों को शिक्षा देने की राष्ट्रीय योजना

2971. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी आयु के अशिक्षित लोगों को वित्तीय सहायता देकर शिक्षित करने की कोई राष्ट्रीय योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री अ० कु० किस्कु) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

इन्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों द्वारा यात्रियों, माल तथा डाक का परिवहन

2972. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969 से जुलाई, 1970 तक इंडियन एयरलाइन्स के विमानों ने कुल कितनी लम्बी उड़ानें भरी और उस द्वारा कितने यात्रियों, माल तथा डाक का परिवहन किया गया ;

(ख) क्या अन्य देशों की वायु सेवा की तुलना में भारत की वायु सेवा अधिक मंहगी है तथा क्या देश की जनसंख्या की तुलना में विमान की उड़ानों की संख्या अपर्याप्त है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या देश की हालत के अनुसार सरकार का विचार किराये में कमी तथा विमान की उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने का है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1968-69 तथा 1969-70 के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	1968-69	1969-70
1. कुल राजस्व कि० मी० उड़ान (दस लाख में)	40,184	43,511
2. वाहित यात्रियों की कुल संख्या	1,959,417	2,245,511

	1968-69	1969-70
3. वाहित माल (कि० ग्रा०)	13,978,630	16,744,313
4. वाहित डाक (कि० ग्रा०)	10,206,482	10,706,342

अप्रैल से जुलाई, 1970 तक की अवधि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) : इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा लिये जाने वाले अन्तर्देशीय किराये पहले से ही विश्व में लिये जाने वाले न्यूनतम किरायों में से है और इन्हें और कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इण्डियन एयरलाइन्स के पास विमानों की कमी है । अतः यात्री तथा माल वहन की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति के लिये कारपोरेशन ने सात बोइन्ग-737-200 एवं दस एच० एस०-748 विमानों के लिये क्रयादेश दे दिये हैं ।

सीमावर्ती जिलों में कम्युनिस्ट पार्टियों की गतिविधियों में तीव्रता

2973. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने सीमावर्ती जिलों में विशेषक भारत-चीनी सीमा पर अपनी गतिविधि को तेज कर दिया है और वे यह प्रचार कर रही है कि (एक) सीमान्त क्षेत्रों की जनता दिल्ली की सरकार की गुलाम है (दो) चीनी उनकी युक्ति के लिये कटिबद्ध है और (तीन) इसलिये सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता द्वारा चीनियों को पूर्ण सहयोग दिया जाना चाहिये ; और

(ख) इन क्षेत्रों में अभी हाल के वर्षों में आरम्भ किये गये दैनिक समाचार पत्रों और साप्ताहिक पत्रिकाओं की संख्या क्या है और उन्हें किस भाषा में प्रकाशित किया जाता है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार साम्यवादी दलों की सीमा क्षेत्रों में कुछ गतिविधियां ध्यान में आई हैं यद्यपि भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी की ओर से ऐसा प्रचार जैसा कि प्रश्न में संकेत है, ध्यान में नहीं आया है । साम्यवादी दल (मार्क्सवादी लेनिनवादी) और चीन के बीच सैद्धान्तिक संबंध सर्व विदित हैं ।

(ख) तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

Murder of a waiter in New Delhi

2974. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a rich man of Golf Link murdered a waiter of a restaurant in Connaught Place, New Delhi recently and this case is being hushed up in collusion with the Police ;

(b) if so, whether Government propose to have an enquiry conducted into this case through the Central Intelligence Bureau so as to curb such tendencies in future ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State Departments of Electonics and Scientific and Industrial Research : (Shri K. C. Pant) : (a) Shri Anup Dhindsa, resident of 40 Golf Links, New Delhi, had an altercation with Shri Moti Lal, a waiter of Standard Restaurant, New Delhi, at a party on the evening of 25th July, 1970. He is alleged to have thrown Shri Moti Lal on the floor. Shri Moti Lal suffered grievous injuries and expired in a New Delhi Nursing Home on 27th July, 1970 at 4 a.m.

(b) and (c) : A case under section 302 I.P.C. has been registered against Shri Anup Dhindsa at Police Station Chanakya Puri. Government do not consider it necessary to entrust the case to Central Bureau of Investigation.

Aid to Colleges and Universities Running on Communal Basis

*2975. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the names and location of such Central Government aided colleges and Universities wherein students are admitted and teachers are appointed on the basis of caste and religion ;

(b) whether extention of assistance to such colleges and Universities does not run counter to Government's policy of secularism ;

(c) if so, whether Government propose to stop giving aid to such institutions until they change their communal character ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The Government is not aware of any Centrally aided University or College where the rules provide for admission of students and appointment of teachers on the basis of caste and religion.

(b) to (c) : Do not arise.

Intrusion of East Pakistani Muslims into Assam

2976. **Mahanta Vedya Nath** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Muslims from East Pakistan have been intruding into the territory of Assam ;

(b) whether it is also a fact that they are being helped by some leading politicians of that area ;

(c) if so, the steps being taken by Government to stop such intrusion ; and

(d) the number of such Muslims who intruded into the Indian territory during the last two years ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Ram Niwas Mirdha) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Ban on use of Hippy Dress by Students and Teachers in Delhi

2977. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the teachers and students of Schools and Colleges in the capital are seen in Hippy dress in these institutions ;

(b) if so, whether Government would consider imposing a ban on the use of such dress by teachers and students in schools and colleges run by his Ministry ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Questions do not arise.

राष्ट्रीय स्वस्थता दल के विकेन्द्रीकरण का पुनर्विलोकन

2978. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य सरकारों का रवैया राष्ट्रीय स्वस्थता दल विभाग के एन० डी० एम० प्रशिक्षकों को लेने के पक्ष में नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यों के इस प्रतिकूल रवैये को देखते हुए सम्पूर्ण मामले को मन्त्रि-मन्डल को निदिष्ट कर विकेन्द्रीकरण के निर्णय का पुनरीक्षण न कराने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : **(क) और (ख)** : एन० डी० एस० अनुदेशकों को लेने के संबंध में कई राज्य सरकारों के साथ बात चीत को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। एन० डी० एस० अनुदेशकों को औपचारिक रूप से लेने के लिए, मैसूर, महा-राष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा राज्य सरकारें और दिल्ली हिमाचल प्रदेश, गोवा, मनीपुर के संघीय क्षेत्र तथा त्रिपुरा प्रशासन, सहमत हो गए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा, दूसरे राज्य, बात-चीत के दौरान में अनुदेशकों को लेने के लिए मान गए हैं. और उनके औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है। जैसा कि 1965 के मूल रूप से मान लिया गया था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों पर स्टाफ लेने के लिए राजी किया जा रहा है ।

हाल ही में राष्ट्रीय स्वस्थता दल कर्मचारियों के संघ ने उनको राज्य सेवा में हस्तांतरण से पहले, स्थायी करने की घोषणा करने का प्रश्न उठाया है। श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा संघ को सूचित किया गया था कि उनके स्थाई बनाने के प्रश्न की जांच ऐसे स्थायीकरण के नियमों के अनुसार की जाएगी और सरकार भी, उनकी राज्य सरकार की स्थाई नौकरी में लेने के लिए और उनको, केन्द्रीय सरकार में की गई पिछली सेवाओं का काम दिलाने के लिए राज्यों को राजी करने का प्रयत्न करेगी। इस प्रकार की बात चीत राज्य सरकारों के साथ पहले ही शुरू की जा चुकी है।

इसलिए, विकेन्द्रीकरण के निर्णय के पुनरीक्षण के लिए सारे मामले को मन्त्रिमन्डल में भेजने का प्रश्न इस समय नहीं उठता ।

दिल्ली के स्कूल अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड में नियमित किया जाना

2979. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत आने वाले दिल्ली स्कूलों के, 1961-63 से काम कर रहे कुछ स्नातकोत्तर अध्यापकों को अभी तक नियमित (स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड में स्थायी) नहीं किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को, जिन्हें 1962-63 के बाद स्नातकोत्तर ग्रेड दिए गए थे, 1961-63 के स्नातकोत्तर अध्यापकों को छोड़कर (स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड) में स्थायी कर दिया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे स्नातकोत्तरों की (वर्षवार) संख्या कितनी है जिन पर इसका कुप्रभाव पड़ा है और ऐसे भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या उक्त असन्तुष्ट स्नातकोत्तर अध्यापकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त 1961-63 से काम कर रहे स्नातकोत्तर अध्यापकों को उनकी स्नातकोत्तर अध्यापक ग्रेड में हुई पदोन्नति की तारीख से 'नियमित (स्थायी) करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना सम्बन्धित अधिकारियों से एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली-आगरा विमान सेवा के लिए डकोटा चार्टर

2980. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डियन एयरलाइन्स को अपनी दिल्ली-आगरा विमान सेवा में और विमान लगाने के लिए विवश होकर एक प्रायवेट कम्पनी से डकोटा विमान चार्टर करने पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो चार्टर किये गये डकोटा विमानों की कुल संख्या क्या है और इसके लिए कितनी राशि दी गयी है ; और

(ग) जिस कम्पनी से ये डकोटा विमान चार्टर किये गये थे उस कम्पनी का नाम क्या है और उनके चार्टर करने के कारण क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा कर्ण सिंह) : (क) : 25 जून, 1970 से आगरा विमान क्षेत्र के आंशिक रूप से बन्द हो जाने पर, वहां वाइकाउन्ट तथा कारवेल विमानों का अवतरण संभव नहीं रहा । अन्य सेवाओं में व्यक्त होने के कारण इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े में परिचालित किये जा रहे डकोटा विमानों में से कोई भी विमान आगरा सेवा के परिचालन के लिये उपलब्ध नहीं कराया जा सका । अतः पहले से बुक किये गये विदेशी पर्यटकों के दलों को आगरा ले जाने के लिये इंडियन एयरलाइन्स के लिये एक विमान चार्टर करना अनिवार्य हो गया ।

(ख) : एक विमान चार्टर किया गया तथा 27 जून और 27 जुलाई, 1970 की अवधि के दौरान इस विमान से 20 उड़ानें परिचालित की गई ।

इन्डियन एयरलाइन्स ने विमान के मालिकों को 1,15,956/रु० की अदायगी की ।

(ग) : विमान भारतीय विमान परिवहन परिचालक संघ, कलकत्ता, से किराये पर प्राप्त

किया गया जिन्होंने अपने एक घटक सदस्य मैसर्ज जामएयर कम्पनी प्रायवेट लिमिटेड को विमान देने के लिये नामित किया ।

भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त करने के लिए कानून

2981. **श्री मधु लिमये** : क्या गृह-कार्य मन्त्री क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सिविल सेवा के उन भारतीय अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी जिन्होंने स्वाधीन भारत की नई सरकार की सेवा में रहना स्वीकार किया था ;

(ख) भारतीय सिविल सेवा के उन भारतीय अधिकारियों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्होंने नई सरकार की सेवा में रहना अस्वीकार नहीं किया था ;

(ग) इन अधिकारियों को पेंशन तथा वार्षिकी किस प्रकार अदा की जा रही है—क्या ये भारतीय रुपयों में दी जा रही है अथवा पौंड–स्टर्लिंग के रूप में ; और

(घ) सरकारी सेवा में रहने से इन्कार करने वाले तथा सरकारी सेवा में रहने वाले तथा 1956 तक सेवा निवृत्त हो जाने वाले भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के बीच पेंशन तथा वार्षिकी की भारतीय रुपयों में तथा पौंड–स्टर्लिंग के रूप में अदायगी के कारण होने वाले भेदभावों को देखते हुए, क्या सरकार संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उक्त अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त करने हेतु कानून बनाते समय सारी स्थिति का पुनर्विलोकन करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 400.

(ख) सन् 1947 में 88 भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों ने पाकिस्तान जाने की इच्छा व्यक्त की और 7 अन्य ने या तो अवकाश ग्रहण करना पसन्द किया था उन्हें ऐसा करने को कहा गया ।

इन भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों के नाम सरलता से उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) भारतीय सिविल अधिकारी जिनको अवकाश ग्रहण करने को कहा गया उनको उनकी सेवा समाप्त करने के कारण मुआवजा दिया गया था । भारतीय सिविल सेवा अधिकारी जो पाकिस्तान चले गये उन्हें पेन्शन देने का दायित्व पाकिस्तान सरकार पर है । भारतीय सिविल सेवा अधिकारी जिन्होंने अवकाश प्राप्त किया उनकी व्यवस्था भारतीय सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 561 के अधीन होती थी जैसा कि यह प्रश्न उस समय उनके वार्षिक वेतन के लिए प्रसंगानुकूल था । उन्होंने अनुदान अपनी इच्छानुसार भारतीय रुपयों या पाउंड स्टर्लिंग में लिया।

(घ) भारतीय सिविल सेवा अधिकारी, जिन्होंने 1947 में अवकाश ग्रहण किया उनमें और एक तरफ जिन्होंने भारत सरकार में लगातार सेवा की, परन्तु 1956 में अवकाश ग्रहण किया और दूसरी तरफ भारतीय सिविल सेवा अधिकारी, जो 1956 के बाद सेवा निवृत्त हुए उनके साथ भेदभाव के प्रश्न, पेन्शन के मामलों का विवाद अनेक न्यायालयों में चल रहा है ।

पश्चिम बंगाल में चौकीदारों तथा दफादारों को मजदूरी का भुगतान

2982. **श्री देवेन सेन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के चौकीदारों और दफादारों को मजदूरी का वह हिस्सा नहीं दिया जा रहा है जो कि ऐंचल पंचायतों की जिम्मेदारी है ;

(ख) पश्चिम बंगाल में चौकीदारों तथा दफादारों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार स्वयं इन चौकीदारों तथा दफादारों को महीने में निश्चित तिथि पर मजदूरी देने की जिम्मेदारी लेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में चौकीदार व दफादार सरकारी कर्मचारी नहीं हैं किन्तु वे ऐंचल पंचायतों के कर्मचारी हैं जो उनके वेतन के भुगतान के उत्तरदायी हैं ; तथापि सरकार कुछ पैमानों पर चौकीदारों व दफादारों के वेतनों के भुगतान के लिए आंशिक रूप में दायित्व को पूरा करने हेतु अनुदान देती है । साधनों की कमी के कारण कुछ मामलों में ऐंचल पंचायतें राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के बाद भी उनको पूरा वेतन भुगताने में असमर्थ होती है ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार चूंकि चौकीदार व दफादार, ऐंचल पंचायतों के कर्मचारी हैं न कि सरकार के, अतः राज्य सरकार सीधे उनके वेतनों का भुगतान करने का उत्तरदायित्व नहीं ले सकती । तथापि सरकार ने ऐंचल पंचायतों को अनुदेश जारी किए हैं कि चौकीदारों व दफादारों को प्रति माह निर्धारित तिथियों को भुगतान कर दिया जाना चाहिए ।

नाविकों के लिए वेतन आयोग की नियुक्ति

2983. **श्री देवेन सेन** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाविकों के वेतन तथा पारिश्रमिक के बारे में कोई वेतन आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या हाल ही में नियुक्त वेतन आयोग के क्षेत्राधिकार में नाविकों के वेतनमान तथा सेवा की शर्तें भी शामिल होंगी ;

(ग) इस समय नाविकों को कितनी न्यूनतम धनराशि, जिसमें समुद्र पारीय भत्ता शामिल है, दिया जाता है ;

(घ) क्या यह सच है कि नाविकों का कार्य एक मौसम में होता है और उसको वर्ष में बारहों महीने काम नहीं दिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो उपदान के लिए नाविक को सेवा की अवधि का किस तरह गणना की जाती है ?

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : (क) जी, नहीं । नाविकों के वेतन और भत्ते की दर और अन्य सेवा की शर्तें राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड जो पोत मालिकों और नाविकों के प्रतिनिधियों की एक द्विपक्षीय संस्था है द्वारा निश्चित की जाती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड समझौते के अनुसरण में 1 नवम्बर 1968 से निम्नतम श्रेणी को 230 रु० ।

(घ) नाविक शिपिंग कंपनियों के स्थायी कर्मचारी नहीं होते हैं । वे समझौते के शर्त पत्र के अनुसार यात्रा के आधार पर लगाये जाते हैं । यात्राएं 3 से 18 महीने तक की अवधि की हो सकती हैं । विभिन्न नाविक रोजगार कार्यालयों में बने रोस्टरों में दिखाये गये नाविकों को बारी बारी से रोजगार दिया जाता है ।

(ङ) उपदान देने के लिए पात्र सेवा काल की कुल प्रभावी सेवा के अनुसार गणना की जाती है जैसा कि लगातार सेवा के प्रमाण-पत्र (यानाविक के सेवा रिकार्ड) में अभिलिखित होता है और इसमें छुट्टी की अवधि भी शामिल होती है जिसके बदले नाविकों को मजदूरी दी जाती है या देय है ।

विश्वभारती विश्वविद्यालय में गतिरोध

2984. **श्री समर गुह :**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री क० हाल्दार :
श्री क० मि० मधुकर :
श्री झारखण्डे राय :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों से विश्वभारती विश्वविद्यालय में गतिरोध उत्पन्न हो गया है और यदि हां, तो इस गतिरोध के मुख्य कारण क्या है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिकांश छात्र विश्वविद्यालय को खोलने तथा कक्षाओं में जाने के लिए तैयार हैं किन्तु कुछ शिक्षकों के प्रतिकूल रवैये के कारण विश्वविद्यालय बन्द पड़ा है ;

(ग) क्या प्रधान मन्त्री इस विश्व विद्यालय की वर्तमान कुलपति हैं ; और

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय में इस शैक्षिक गतिवरोध को समाप्त करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) हालांकि कोई गतिरोध नहीं हुआ है, किन्तु विश्वविद्यालय के कार्य पालन के संबन्ध में संबन्धित व्यक्तियों द्वारा, जिनमें विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा गैर-शिक्षक कर्मचारी भी शामिल हैं कुछ शिकायतें पिछले कुछ महीनों में की गई हैं । विश्वविद्यालय के संबन्धित प्राधिकारियों ने कुछ मामलों का निपटान किया है तथा दूसरों की जांच की जा रही है ।

(ख) विश्वविद्यालय, सिवाय एक कार्य दिवस के जब कि उसे उपद्रवों के कारण बन्द करना पड़ा, सदैव खुला रहा है ।

(ग) जी हां, किन्तु अपनी व्यक्तिगत स्थिति में ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बर्दवान विश्वविद्यालय की इमारत में टाइम बमों का बरामद होना

2985. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्दवान विश्वविद्यालय की इमारत से हाल में अधिक शक्ति वाले दो टाइम बम बरामद किए गए ;

(ख) क्या इन बमों में इमारत के बहुत बड़े हिस्से को उड़ा देने की क्षमता थी और क्या ये बम विदेशों में बनाये गये थे ;

(ग) क्या नक्सलपन्थियों ने तिब्बत और पाकिस्तान में अपना अड्डा कायम किया है और उनके नेताओं ने इन देशों का कई बार दौरा किया है तथा क्या इन्हें चीन से इन देशों के द्वारा हथियार और गोला बारूद तथा धन मिलता है ; और

(घ) यदि हां, तो विदेशों के साथ नक्सलपंथियों के बढ़ते हुए संपर्क को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख) : जी नहीं, श्रीमान् । किन्तु, बिजली के तार से फिट की हुई दो वस्तुएं और एक छोटे आकार की बैट्री, जो बम की तरह दिखाई पड़ती थी, बर्दवान विश्वविद्यालय भवन के भीतर से पकड़ी गई । परीक्षण से पता लगा कि इन वस्तुओं में से किसी में भी कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं था ।

(ग) और (घ) : सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । किन्तु नक्सलपंथियों की गतिविधियों को रोकने के आवश्यक उपाय किए गए हैं और उन पर अत्यधिक निगरानी रखी जा रही है ।

राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की गतिविधियां

2986. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की स्थिति सुदृढ़ हो गई है और उसके सदस्यों की राज्यवार तथा संघ राज्य-क्षेत्र बार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ख) गत एक वर्ष में उनकी गतिविधियों से कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई और कितनी जाने गई ; और

(ग) जिन संगठनों की निष्ठा विदेशियों के प्रति है और जो संवैधानिक सरकार को हिंसा के आधार पर उखाड़ने में विश्वास करते हैं, उनके विरुद्ध वर्तमान विधियों के अन्तर्गत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाने वाली है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) : तथ्य मालूम किए जा रहे हैं ।

(ग) राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ऐसी संस्थाओं के सदस्यों की हिंसात्मक

तथा अन्य गैर-कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून के अधीन कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ और विधायी प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को पंजाब के वेतन-मान देना

2987. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री जून के मध्य में तत्कालीन गृह मंत्री से मिले थे और उनसे हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को पंजाब के वेतन-मान देने के लिये प्रार्थना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) : जी हां, श्रीमान्। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री तत्कालीन गृह मंत्री से मिले और अनुरोध किया कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (धानी) सिविल तथा पुलिस सेवाओं में आनीत हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों को पंजाब के वेतन-मान दिये जायें।

(ख) : इस संबंध में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने हेतु विभागीय समिति की नियुक्ति

2988. **श्री स० कुण्डु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने के लिये एक विभागीय समिति नियुक्त की गई है ;

(ख) क्या इस समिति ने प्रशासनिक सुधार आयोग के किसी प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस समिति ने किन विशिष्ट सिफारिशों को अस्वीकार किया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : **(क) से (ग)** : जी नहीं, श्रीमान्, किन्तु, सरकार द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदनों की जांच करने के लिए सचिवों की समितियां को नियुक्त करने की प्रथा है, विशेषकर यदि प्रतिवेदनों का सम्बन्ध बहुत से मंत्रालयों से हो। इन समितियों की कार्यवाहियों को बताना उचित तथा लोक हित में नहीं होगा क्योंकि ये केवल सरकार के आन्तरिक विचार के लिए हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये निर्णयों को समय-समय पर संसद के समक्ष रखा जाता है।

एरोफ्लोट और एयर इंडिया के बीच समझौता

2989. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्व के हिस्से से सम्बद्ध "एरोफ्लोट" और "एयर इंडिया" के बीच हुआ समझौता मार्च, 1965 में "एरोफ्लोट" ने एक तरफा तोड़ दिया और दोनों हवाई कंपनियों ने मार्च, 1968 में नये समझौते पर हस्ताक्षर किये;

(ख) क्या इस नये समझौते के अन्तर्गत "एयर इंडिया" के राजस्व की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है जिसके फलस्वरूप 1968-69 में 'एयर इंडिया' की 38.00 लाख रुपये की अपेक्षा 10.59 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ;

(ग) क्या रूस सरकार एयर इंडिया को सोवियत संघ से यात्री नहीं लेने देती और 'एयरोफ्लोट' को भारत से यात्री लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता है;

(घ) क्या 'एरोफ्लोट' भारत में विज्ञापन दे सकता है परन्तु "एयर इंडिया" सोवियत संघ में विज्ञापन नहीं दे सकता; और

(ङ) यदि हां, तो "एरोफ्लोट" को यह अनुचित सुविधायें देने के क्या कारण हैं विशेषरूप से यह दृष्टिगत रखते हुये कि उसने पुराने समझौते को एकतरफा तौर पर रद्द कर दिया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : एयर इंडिया तथा एयरोफ्लोट के बीच करार अप्रैल, 1965 से मार्च, 1968 तक की अवधि के दौरान लागू नहीं था क्योंकि एयरलाइनों में 'पूल राजस्वों' के बंटवारे के सम्बन्ध में समझौता नहीं हो सका था। मार्च, 1968 में एक नये करार पर हस्तक्षर किये गये जिसके द्वारा पहली अप्रैल, 1968 से लागू होने वाली पूल व्यवस्था को पुनः जारी कर दिया गया ।

(ख) : मार्च, 1968 में किये गए करार में यह व्यवस्था की गयी कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को की गयी अदायगी अदा करने वाले पक्ष द्वारा पूल में जमा किये गये राजस्वों के 5% से अधिक नहीं होगी। परन्तु, दिसम्बर, 1969 में हुये विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, पूल समंजन की उच्चतम सीमा को 1 नवम्बर, 1969 से लेकर अप्रैल, 1970 के अन्त तक की अवधि के लिये हटा दिया गया था। तत्पश्चात् 2 अप्रैल, 1970 को एक नये संधिपत्र के प्रारूप पर हस्ताक्षर किये गये जिसमें यह सहमति हुई कि भारत तथा सोवियत रूस के बीच किये जाने वाले परिचालन यातायात तथा राजस्वों के बराबर-बराबर वितरण के सिद्धान्त पर आधारित होंगे।

(ग) : एयर इंडिया तथा एरोफ्लोट दोनों को ही सोवियत संघ तथा भारत के बीच बिना किसी प्रतिबंध के यातायात ले जाने का अधिकार प्राप्त है। परन्तु सीधे यात्री यातायात के सम्बन्ध में दोनों एयरलाइनों पर प्रतिवर्ष 1000 यात्रियों से ऊपर की संख्या न ले जाने के प्रबन्ध की शर्त लगी हुई है।

(घ) और (ङ) : जी, हां। सोवियत संघ में न केवल एयर-इंडिया पर परन्तु सभी विदेशी एयरलाइनों पर विज्ञापन जारी न करने का प्रतिबन्ध लगा हुआ है। भारत में किसी भी एयरलाइन पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है।

बिहार में नक्सलपंथी नेतागण

2990. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नक्सलवादी नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल हाल ही में बिहार के मुंगेर जिले में उपस्थित थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्या चारू मजूमदार ने नक्सलवादी गतिविधियों को आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैलाने के लिये नक्सलवादी योजना बनायी है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों के विस्तार को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रानिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार को ऐसी सूचना नहीं है ।

(ख) सरकार को श्रीकाकुलम क्षेत्र में अवैध गतिविधियां जारी रखने के लिये किये गये प्रबोधनों की जानकारी है ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार उग्रवादियों की गतिविधियों से निपटने के लिये पूरी तरह कानूनी कार्यवाही कर रही है । आसूचना संबन्धी उपाय मजबूत कर दिये गये हैं और सशस्त्र पुलिस गश्त तेज करने का प्रबन्ध कर दिया है । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार से निकट सम्पर्क बनाये हुये हैं और ऐसी उचित सहायता जैसी राज्य सरकार को जरूरी हो, जुटायी जाती है ।

मध्य प्रदेश में उग्रवादियों की गतिविधियां ध्यान में आई हैं और राज्य सरकार कड़ी सतर्कता बरत रही है । अपराधों में अन्तर्ग्रस्त कुछ संदिग्ध व्यक्तियों पर अभियोग चलाया जा रहा है और उनके मामले न्यायालय में निर्णयाधीन हैं ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1898 दिनांक 1-8-1969 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 5133 दिनांक 3-4-1790 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले वक्तव्य

Correcting Statement to the Answers to U. S. Q. No. 1898 Dated 1-8-1969 and U. S. Q. 5133 Dated 3-4-1970

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : प्रश्न संख्या 1968 के भाग (क) का उत्तर प्रश्न संख्या 5133 के भाग (क) और (ख) के उत्तरों से संगत नहीं हैं । इन प्रश्नों के बारे में, इस नोट में पूरे पूरे तथ्य दिये गये हैं ।

2. राष्ट्रीय स्वस्थता और कार्यक्रम और अनुदेशकों को राज्य सरकारों को हस्तांतरण करने के निर्णय के बाद तथा वित्त मन्त्रालय की सलाह पर, तात्कालीन शिक्षा मन्त्री, अगस्त, 1967 को इस बात के लिये सहमत हो गये थे कि महानिदेशक राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के पद के अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वस्थता कोर में अन्य किसी पद पर नियुक्ति न की जाए; इसलिये शिक्षा मन्त्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन में रिक्त स्थानों पर नियुक्ति पर लगाई गई पाबन्दी, महानिदेशक, राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के पद पर लागू नहीं होती थी । राष्ट्रीय स्वस्थता कोर में रिक्त पदों पर नियुक्तियां न करने के बारे में राष्ट्रीय स्वस्थता कोर निदेशालय को 12-8-1967 को आदेश जारी किये गये थे । 24 अप्रैल, 1968 को शिक्षा-मन्त्रालय को संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी द्वारा लिए गये निर्णय के एक भाग के रूप में यह निर्णय किया गया था कि संगठन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए पर्यवेक्षीय तथा अन्य आवश्यक पदों को अभिन्न अंग समझा जा सकता है और नियमानुसार उन पर पदोन्नतियां की जा सकती हैं । संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी के इस निर्णय को दृष्टि में रखकर पाबन्दी के शिक्षितीकरण के कारण कुछ पदोन्नतियां की जानी थी । 2 अगस्त, 1967 के बाद राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन में जिन पदों पर नियुक्तियां की गई है, उनको कोटि मोटे तौर पर इस प्रकार है :—

(क) पाबन्दी को लागू करने के बाद रिक्त हुये आवश्यक वे पद जिन पर संगठन के कार्य को कुशलतापूर्वक चलाने के नियुक्ति की जानी थी—इस श्रेणी में ये आते हैं :

(i) राष्ट्रीय स्वस्थता कोर के निदेशक का पद जो सितम्बर 1968 में रिक्त हुआ था, उसे 1-2-1969 को भर्ती नियमों के अनुसार फिर भर दिया गया ।

(ii) लेखा परीक्षा कार्यालयों के एम० ए० एस० अधीक्षकों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भर गये सामान्यतया एस ए एस लेखाकारों के 6 पद, जिन्हें प्रतिनियुक्ति किये गये व्यक्तियों को हटा कर इस आधार पर भरा गया था कि उनके द्वारा किया गया कार्य विशिष्ट प्रकार का था ।

(iii) 5 मामलों में न भरे गये आनुषंगिक अवर श्रेणी लिपिकों के रिक्त स्थानों को ध्यान में रखते समय, अधिकारियों से संलग्न स्टेनोटाईपिस्टों के पदों के विरुद्ध, 20 रुपये मासिक विशेष वेतन वाले पद उपयुक्त अवरश्रेणी लिपिकों को दिये गये थे, और

(iv) चौकीदार का एक पद ।

(ख) वे पद जिन्हें संयुक्त सलाहकार मशीनरी के निर्णय के अनुसार जरूरी पदों के रूप में माने गये थे ।

इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं :

(i) हेडे क्लर्क के दो पद,

(ii) अवर श्रेणी लिपिक (लेखा लिपिक) के 4 पद;

(iii) ड्राइवर (चालक) का एक पद ।

(ग) समानता तथा न्याय के आधार पर पाबन्दी लगाने के बाद वास्तव में जो पदोन्नतियां की गयीं ।

वे इस श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं :—

(i) वरिष्ठ पर्यवेक्षक का एक पद, जिसको पदोन्नति का आदेश पाबन्दी से पहले किया गया था किन्तु उन्हें 15-9-1967 के बजाय 29-7-1967 को कार्यभार संभालने की अनुमति दी गयी थी क्योंकि वह लम्बी छुट्टी पर थीं ।

(ii) 3 पर्यवेक्षक, 10 वरिष्ठ ग्रेड । अनुदेशकों, 7 प्रवर ग्रेड II अनुदेशकों तथा 3 अवर ग्रेड I अनुदेशकों को प्रशिक्षण संस्थाओं में उनकी सेवा की सीमित अवधि के लिए तदर्थ पदोन्नतियां दी गयी थीं ।

(iii) एक प्रधान लिपिक, जिसे उपर्युक्त समय पर पदोन्नति नहीं दी गई थी, को प्रोफार्मा पदोन्नति देने पड़ी; और

(iv) निम्न श्रेणी के न भरे आनुषंगिक रिक्त स्थानों को भरते हुये लिपिक वर्गीय पदों के अल्पकालिक अवकाश के खाली स्थानों पर 14 मामलों में पदोन्नति ।

2-8-1967 को प्रतिबन्ध लागू होने के बाद राष्ट्रीय स्वस्थता कोर में केवल इन्हीं स्थानों को भरा गया । इसी अवधि में अगस्त, 1967 में 8,000 से ऊपर अनुमोदित पदों में से लगभग 1,200 रिक्त पदों को वापिस कर दिया था ।

3. यह देखा जा सकता है कि प्रश्न संख्या 5133 में उल्लिखित पांच वरिष्ठ पर्यवेक्षकों की वस्तुत: पाबन्दी लागू होने के बाद पदोन्नति नहीं की गई ? पहले जारी किये गये पदोन्नति आदेश के आधार पर उपरोक्त पैरा 2 (ग) (i) में बताये अनुसार इनमें से एक वस्तुत: 2-8-67 के बाद, वरिष्ठ पर्यवेक्षक का पद सम्हाला। उपलब्ध मनुष्य व्यक्ति के अधिक लाभपूर्ण उपयोग के विचार से कुछ उपाय निरन्तर किये जाते रहे थे। इन उपायों के अंग के रूप में इन 5 वरिष्ठ पर्यवेक्षकों का एक स्थान ऐसे से दूसरे स्थान को स्थानांतरण किया गया था। इसमें कोई पदोन्नति संबद्ध नहीं थी। ऐसे स्थानांतरण जिनमें पदोन्नति अथवा नई नियुक्तियां संबंधित न हो इस पाबंदी के अंतर्गत नहीं आतीं।

4. सामान्य स्थिति में ये सभी पदोन्नतियां शिक्षा मन्त्री, जिन्होंने प्रतिबन्ध लगाये थे, की पूर्व अनुमति द्वारा ही की जानी चाहिये थी। तथापि, दुर्भाग्य से इनमें से कुछ मामलों में इस धारणा पर कि इन पदों को भरने की आवश्यकता इतनी स्पष्ट है कि इसके लिये मन्त्री जी के विशेष अनुमोदन की कोई जरूरत नहीं है, निम्न स्तरों पर पदोन्नतियां की गई। कुछ मामलों में निम्न प्राधिकारियों ने यह भी समझा की उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित कुछ रिक्त स्थान पाबन्दी के क्षेत्र में नहीं आते हैं। अतारांकित प्रश्न संख्या 1998, जिसका उत्तर दिनांक 1-8-1969 को दिया गया था और सं० 5133, जिसका उत्तर 3-4-1970 को दिया गया था, दोनों के उत्तरों में अपूर्णता और अन्तर के लिये यही तथ्य मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।

5. पाबन्दी का उचित ध्यान रखते हुए और 24-4-1968 को संयुक्त सलाहकार मशीनरी के निर्णयों की भावना के अनुसार राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन में भविष्य में अनिवार्य रिक्त स्थानों का भरा जाना आश्वस्त करने के लिए अब निदेश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय स्वस्थता कोर संगठन में जब कभी किसी पद पर इस आधार पर कि वह एक मुख्य पद है, अथवा किसी अन्य आधार पर बदलना आवश्यक हो शिक्षा मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाय।

6. संयुक्त सलाहकार मशीनरी के निर्णयों में बताये गए अनिवार्य आधार पर नई पदोन्नतियों की संभावनाओं की शिक्षा मन्त्री भी जांच कर रहे हैं।

7. अन्त में उपरोक्त कारणवश उत्तरों में अन्तर के लिए शिक्षा मन्त्री खेद प्रगट करना चाहेंगे। वे यह भी कहना चाहेंगे कि संबन्धित अधिकारियों से भूल के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनका स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी।

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल में भीषण बाढ़

श्री अ० कु० गोपालन (कासरगोड) : श्रीमान मैं सिंचाई तथा विद्युत मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे इस सम्बध में एक वक्तव्य दें :

"केरल में, विशेषकर कण्णनूर और कालीकट जिलों में भीषण बाढ़, जिसके कारण मकानों तथा सम्पत्ति को बड़े पैमाने पर कथित क्षति पहुंची है।"

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा कु० ल० राव) : केरल में मानसून 25 मई को शुरू हो गई थी और वर्षा सामान्य रही है। कन्नानोर जिले में निम्नवर्ती क्षेत्र जलमग्न हो गये लेकिन अन्य स्थानों पर कोई गम्भीर नुकसान नहीं हुआ है। बाढ़ों से जो नुकसान हुआ है वह मुख्यत: घरों और फसली क्षेत्रों को हुआ है। जानी नुकसान को कोई सूचना नहीं मिली है। नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है। अब तक की सूचना के अनुसार यह नुकसान लगभग 75 हजार रुपये का हुआ है।

त्रिवेन्द्रम, विवलोन, अलेप्पी, एर्णाकुलम और कन्नानोर जिलों के कुछ क्षेत्रों में सक्रिय रूप से समुद्र-कटाव हुआ है। यह कटाव मुख्यतः अलेप्पी जिले में पुराक्कड, पुन्नपारा, वडक्कल, कारूर और अन्धाकराजी में, विवलोन जिले में श्रायीकड, चवारा और म्यानाद में, त्रिवेन्द्रम जिले में पुन्थुरा, पन्नथुराक़रा और कोवलम में, एर्णाकुलम जिले में वैपीन, चेल्लनम, मल्लीपुरम और पारूर में और कन्नानोर जिले में अजीकल तथा पडाना कड़प्पुरम, नीलेश्वरम और तलंगारा में सक्रिय रहा है। पलेप्पी जिले से भारी नुकसान की सूचना मिलो है।

लगभग 21 कीलोमीटर समुद्र-तट प्रभावित हुआ है और 750 झोपड़ियों तथा घरों को नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे नारियल के पेड़ भी उखड़ गये हैं। करीब 30 मीटर की औसतन चौड़ाई और 6 कीलोमीटर की लम्बाई में कटाव अत्यधिक हुआ है।

श्री० अ० कु० गोपालन : मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पादस्सेरी परियोजना की ओर अधिक ध्यान क्यों नहीं दिया गया। वर्ष 1961 में इस परियोजना को आरम्भ किया गया था किन्तु खेद है कि वह अब तक पूरी नहीं हो पाई है। क्या उन्हें यह समाचार प्राप्त हो गया है कि उसके बान्ध पानी में बह गये हैं? क्या यह सच है कि आगामी वर्षा ऋतु में वे पूरी तरह से बह जायेंगे? मैं यह भी जानना चानता हूँ कि क्या सरकार इस परियोजना को आगामी वर्षा काल से पहले पूरा कराने के सम्बन्ध में अधिक धन नियत करेगी?

मंत्री महोदय ने वक्तव्य में बताया है कि वहां पर स्थिति सामान्य है तथा कोई विशेष क्षति नहीं हुई है। वस्तु स्थिति यह है कि वहां पर 21 कीलोमीटर की दरार पड़ गई है तथा 750 झोपड़ी और मकानों को क्षति पहुँची है। इसके 6 किलोमीटर भूमि में लगभग 30 मीटर चौड़ा गम्भोर भूमि कटाव हुआ था। कह पहली घटना नहीं है वरन् प्रत्येक वर्ष वर्षाकाल में इसी प्रकार की घटनाएं वहां होती है।

इस वर्ष 6 कीलोमीटर अन्दर तक की भूमि कटाव में आ गई है तथा इसको चौड़ाई भी 30 मीटर के लगभग है। अतः मैं समझता हूं कि यह बहुत गम्भीर घटना है तथा यदि यही रहा तो समस्त केरल समुद्र, में डूब जायेगा। राज्य सरकार ने केन्द्र से निवेदन किया है कि इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की जाये। इस कार्य के लिये 2 करोड़ रुपया मंजूर किया जाना चाहिये। कन्नतूर तथा अन्य सभी तटीय क्षेत्रों की स्थिति बहुत चिंताजनक है तथा यह क्षेत्र भूमि कटाव में आ गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस सम्बध में कुछ कार्यवाही करेगो तथा क्या वह राज्य सरकार द्वारा मांगी गई राशि उसे प्रदान करेगी?

डा कु० ल० राव : खेद है कि मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। मैं जानकार प्राप्त करूंगा तथा यदि बन्द में दरार पाई गई तो उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगो। मुझे पता है कि यह परियोजना बहुत पहले आरम्भ की गई थी।

भूमिकटाव के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह सच है। केरल में यह समस्या बहुत गम्भीर है। प्रति वर्ष लगभग 200 मील का समुद्री तट भूमि कटाव के अन्तर्गत आता है। हमने अभी तक 40 मील लम्बे तट पर भूमि कटाव को रोकने के लिये कार्यवाही की है किन्तु अभी 160 मील लम्बे तट पर रोक थाम करनी शेष है। सरकार भूमि कटाव को रोकने के कार्य की बहुत महत्वपूर्ण मानती है किन्तु वित्तीय कठिनाइयों के कारण इन उपायों को कार्यान्वित करने में बाधा पड़ती है। सरकार के पास सभी तकनीकी डिजाइन उपलब्ध है किन्तु इस कार्य के लिये 40 करोड़ रुपयों की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह विषय राज्य सरकार के अधीन है। जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है वह केरल में एक अध्ययन दल भेज रही है जो इस बात का अनुमान लगायेगा कि राज्य सरकार को कितनी सहायता की आवश्यकता है।

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : केरल में राष्ट्रपति का शासन है अतः आप इस विषय को राज्य का विषय बताकर अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकते। मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य से स्पष्ट होता है कि आलीपी तथा कन्ननूर जिलों में भूमि कटाव हुआ है। समाचार पत्रों के अनुसार इलाथौर और कलश को तटीय पट्टी को अधिक क्षति हुई है। कलश जिले में 300 मील की तटीय पट्टी को भारी क्षति हुई है। कांग्रेस सरकार के 22 वर्ष के शासन-काल में यह स्थिति रही है। संयुक्त मोर्चा सरकार ने बाढ़ नियन्त्रण तथा भूमि कटाव के रोकने के लिये 15 करोड़ रुपये की मांग की थी किन्तु सरकार के पहली योजना ने अन्तर्गत कोई राशि नहीं दी, दूसरी योजना अवधि में केवल 41 लाख रुपये दिये तथा तीसरी योजना में केवल 366-69 लाख रुपयों की राशि दी। वार्षिक व्यौरे के हिसाब से वर्ष 1966-67 के लिये 90 लाख रुपये व्यय किये गये, 1967-68 में 75 लाख रुपये तथा 1968-69 में भी 75 लाख रुपये व्यय किये गये। स्थिति यह है कि जब बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि होती है तो राशि कम दी जाती है। केरल की मांग पर सरकार भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाती है।

महोदय ! अगस्त, 1968 में केरल में आई बाढ़ में 63 व्यक्ति मारे गये थे तथा 1 करोड़ रुपयों के मूल्य को सम्पत्ति नष्ट हुई थी। केरल सरकार ने उस अवसर पर 3 करोड़ रुपयों की सहायता मांगी थी किन्तु सरकार ने केवल 1 करोड़ रुपयों की सहायता दी थी जो अत्यंत अपर्याप्त थी।

अगस्त और सितम्बर के महीनों में फसल की कटाई आरम्भ होती है किन्तु कालीकट और उसके आस पास के क्षेत्रों में फसलें पानी में खड़ी हैं। उस क्षेत्र के निवासी वहां से अपने कारबार छोड़कर बाहर जा रहे हैं तथा 700 मकान और झोपड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार केरल को क्या सहायता देना चाहती है। क्या सरकार भूमि कटाव को रोकने के कार्यों के लिये 50 करोड़ रुपयों की सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डा० कु० ल० राव : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि मुझे राज्य से जो जानकारी प्राप्त हुई है मैंने उसी का उल्लेख किया है। यह जानकारी मुझे कल 4 बजे प्राप्त हुई थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि केरल का अधिक क्षेत्र में भूमि कटाव हो रहा है। मैं निवेदन कर चुका हूं कि केरल के 200 मील लम्बे तटीय क्षेत्र में समुद्र में ज्वार आने से भूमि का कटाव हो जाता है। वास्तव में इसकी रोक थाम के लिये किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई नहीं है किन्तु आर्थिक कठिनाई अवश्य है। यह सुझाव दिया गया है कि केरल को राज्य योजना के अतिरिक्त केन्द्र के

अतिरिक्त कर में से 1.9 करोड़ रुपयों की राशि दी जायेगी। मैं केरल सरकार को यह सलाह देना चाहता हूँ कि वह इस राशि में से कुछ राशि इन कार्यों पर व्यय करे।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह बताया है कि बाढ़ के कारण लगभग 75,000 रुपयों की सम्पत्ति के नष्ट होने का अनुमान है। मलयालम के समाचार पत्रों के अनुसार केवल कलश जिले में ही बाढ़ तथा भूमि कटाव के कारण लगभग 300 मकान पूर्णतः नष्ट हो गये हैं तथा 3,000 व्यक्ति बे-घर हो गये हैं। बहुत सी मुख्य सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और हजारों एकड़ भूमि में आलू की फसल नष्ट हो गई है। इसके अतिरिक्त पयास्सी परियोजना की मुख्य नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मैं यह नहीं समझ सकता कि माननीय मंत्री ने केवल 75,000 रुपयों की सम्पत्ति के नष्ट होने का अनुमान कैसे लगाया है। मुझे आशंका है कि राज्य सरकार के अधिकारियों के तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर उपस्थित किया है।

कई माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि धीरे-धीरे केरल का सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र समुद्री जल से कट जायगा। सामान्यतः केन्द्र सरकार भूमि कटाव को रोकने के कार्यों के लिये ऋण के रूप में सहायता देती है जो राज्य सरकार को वापस देना होता है। इस प्रकार की अन्नोत्पादक योजनाओं के लिये ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उचित नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार केरल के तट को भूमि कटाव से रोकने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेगी ?

मंत्री महोदय ने अध्ययन दल भेजने की चर्चा की है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस दल में संसद-सदस्यों और राज्य के विधायकों को भी सम्मिलित किया जायेगा ? यह अध्ययन दल किन-किन बातों की जांच करेगा तथा कितने समय तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा ?

इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार ने अथवा राज्यपाल ने बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला करने के लिये केन्द्र सरकार से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी है ?

डा० कु० ल० राव : मैं निवेदन कर चुका हूँ कि मैंने जो जानकारी की है वह राज्य द्वारा दी गई जानकारी पर पूर्णतः आधारित है। सम्भव है इस क्षति का पूरा अनुमान नहीं लगाया गया है और इसके लिये हमें अन्य जानकारी की प्रतीक्षा करनी होगी।

समुद्री जल से भूमि का कटाव रोकने के कार्यों के लिये वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्य सरकार विचार कर रही हैं। इस सम्बन्ध में कई बैठकें हुई हैं तथा लोक लेखा समिति ने अपने 47वें प्रतिवेदन में यह सुझाव दिया था कि इस कार्य को केन्द्र सरकार अपने हाथ में लें। अतः इस बात पर कुछ विचार किया गया है। किन्तु केन्द्रीय सहायता की नई योजना के अन्तर्गत इस कार्य के लिये अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

जहां तक अध्ययन दल का सम्बन्ध है यह सरकारी समिति है तथा माननीय सदस्य इसे सारी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं।

केरल सरकार ने इस वर्ष 2 करोड़ रुपयों की सहायता की मांग की है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकार को 1.9 करोड़ रुपयों की जो अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने वाली है वह उसमें से कुछ अंश इस कार्य पर व्यय करे।

श्री सी० के० चक्रपाणि (पोन्नानि) : मन्त्री महोदय के वक्तव्य तथा प्रश्नों के उत्तरों से स्थिति का स्पष्ट पता नहीं लगता है। जून से सितम्बर महीने तक केरल में बाढ़ का आंतक विद्यमान है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्षा भी बहुत हुई है तथा मालापुरम और त्रिचूर के क्षेत्रों में भारी क्षति हुई है। नाहिका, चाकघाट तथा पोन्नानि जैसे स्थानों का भूमि का कटाव हुआ है तथा नीची भूमि में पानी भर गया है। केरल में राष्ट्रपति शासन होने से अब केन्द्र का विशेष उत्तरदायित्व हो गया है।

गत कुछ वर्षों से केरल को उचित सहायता भी नहीं मिली है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये क्या मन्त्री महोदय वहां का दौरा करेंगे तथा इस बात का पता लगायेंगे कि केरल को कितनी सहायता मिलनी चाहिये ?

डा० कु० ल० राव : इस उद्देश्य से मेरा वहां जाना आवश्यक नहीं है। वैसे मैं इदिक्की परियोजना के सम्बन्ध में वहां सितम्बर में जाऊंगा। इसी अवसर पर मैं उस क्षेत्र का दोरा करूंगा।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : मैंने आपको कार्मिक संघ के कार्यकर्ता की हत्या के बारे में एक पत्र लिखा था क्या मैं इस बात का फिर उल्लेख कर सकता हूँ ?

श्री स० कुन्दू (बालासौर) : इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं कराई गयी और न ही कोई वक्तव्य दिया गया है। श्री हेम बरुआ को इस बात को उठाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढ़का) : 'मॉनीटर' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कामेरड मोहन कुमार मंगलम को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जायेगा। प्रधान मन्त्री महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां करने में पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही हैं। अतः मैं यह आश्वासन चाहता हूँ कि पुरानी परिपाटी के अनुसार सेवा निवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नये मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करेंगी।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : क्या पश्चिम बंगाल में पी० एम० पी० के कार्यकर्ता की हत्या पर उसके परिवार को कोई मुआवजा दिया जायेगा ? मन्त्री महोदय कृपया इस सम्बन्ध में हमें आश्वासन दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको इस सम्बन्ध में सूचित कर दूंगा।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मन्त्री महोदय यथाशीघ्र श्री मोहन कुमार मंगलम की नियुक्ति के सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

श्री हेम बरुआ : सरकार इस बात की जांच करे तथा सदन को जानकारी दे। मन्त्री महोदय से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये कहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं कह चुका हूँ कि उन्हें यह सूचना दे दी जायेगी।

श्री क० लकप्पा : *

श्री लखनलाल कपूर :*

श्री समर गुह : *

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके अतिरिक्त कुछ रिकार्ड में नहीं जायेगा। (**व्यवधान**)

* सभा की कार्यवाही वृंतात में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not Recorded.

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

Report etc. on National Library, Calcutta

The Minister of State in the Ministry Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : I beg to lay on the Table of the House a copy each of the following papers.

(1) A copy of Report of the Reviewing Committee (headed by Dr. V. S. Jha) on the National Library, Calcutta. [**Placed in Library See. No. LT 3958/70**].

(2) A copy of statement showing action taken on the recommendations of the Reviewing Committee on National Library, Calcutta. [**Placed in Library See. No. LT 3959/70**].

(3) A copy of Report of the Chief Labour Commissioner on the National Library, Calcutta regarding strained relations between Administration and Employees. [**Placed in Library. See No. LT 3960/70**].

(4) A copy of report of the Committee (G. D. Khosla Committee) to enquire into the strained relations among the members of staff of the National Library, Calcutta. [**Placed in Library. See No. LT 3961/70**].

(5) A copy of Statement showing action taken on the recommendations of the Khosla Committee on National Library, Calcutta. [**Placed in Library. See No. LT 3062/70.**]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1970 का आठवां संशोधन, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1075 में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3963/70**]

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा भर्ती) तीसरा संशोधन विनियम, 1970, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारतके राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1076 में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3964/70**]

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा भर्ती) तीसरा संशोधन विनियम, 1970, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1077 में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3964/70**]

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) संशोधन विनियम, 1970, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1079 में प्रकाशित हुये थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3664/70**]

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1970, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1080 में प्रकाशित हुये थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1970 का नवां संशोधन, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1081 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3965/70]

पश्चिम बंगाल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत, अधिनियम

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं पश्चिमी बंगाल राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1970 का राष्ट्रपति का अधिनियम, संख्या 17) की एक प्रति जो दिनांक 16 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था सभा-पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3972/70]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गतअधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) जी० एस० आर० 1033, जो दिनांक 11 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1095, जो दिनांक 25 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3966/70]

मोटर गाड़ी अधिनियम आदि के अन्तर्गत पत्र तथा पत्तन न्यासों के वार्षिक लेखे

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा प्रटल पर रखता हूँ :

(1) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 जुलाई, 1970 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 3 (54)/6970-टीपीटी में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3967/70]

(2) पश्चिमी बंगाल, राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत कलकत्ता ट्रामवेज कम्पनी (प्रबन्ध का अर्जन) संशोधन अधिनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1970 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 15) की एक प्रति, जो दिनांक 9 जुलाई, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3968/70**]

(3) मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1968-69 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3969/70**]

(4) बम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1968-69 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। **ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3970/70**]

(5) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1968-69 के वार्षिक लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3971/70**]

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

सचिव : मैं संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पास किए गये तथा अनुमति प्राप्त उच्चतम न्यायालय (आपराधिक अपीली क्षेत्राधिकार का परिवर्धन) विधेयक, 1970 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

आठवां प्रतिवेदन

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : मैं समाज कल्याण विभाग--भारत में अध्ययन के लिये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिये मैट्रिक--उत्तर छात्रवृति योजना--के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद्-कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री पी० पार्थसारथी) : मैं आपकी अनुमति से आज

सभा में घोषणा करता हूँ कि मंगलवार, 18 अगस्त, 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्न-लिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :—

(1) अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास संबन्धी एलाय-पेरुमल समिति के प्रतिवेदन और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 के क्रमशः 16वें, 17वें तथा 18वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्तावों पर आगे चर्चा।

(2) पश्चिमी बंगाल के वर्ष 1970-71 के संशोधित बजट पर सामान्य चर्चा।

(3) वर्ष 1970-71 के लिये अनुदानों की मांगों (पश्चिमी बंगाल) पर चर्चा तथा मतदान।

(4) वर्ष 1970-71 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(5) वर्ष 1970-71 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

(6) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1970 के निरनुमोदन के लिये सांविधिक संकल्प पर विचार।

(7) दिल्ली विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1970, राज्य-सभा द्वारा पास किए गये रूप में।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, Sir, it may be recalled that it was decided in the meeting of Business Advisory Committee that the question of Russian Maps will be discussed in the next week. You had also agreed to this arrangement. But we are sorry to note that Government is trying to avoid this discussion because it does not suit them. I would request you to see that the issue is included in the Business of the House for next week.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, the Hon. Deputy Minister has declared the Business of the House for the next week but I do not find that any time has been allotted for the discussion of the motion relating to violent and disruptive activities in the country. It seems that Government is trying to avoid it deliberately. I would like to request the Deputy Minister of Parliamentary Affairs through you that time and day may be allotted for this discussion.

I may also point out that Shri Chagla, when he was Education Minister, had given an assurance that there will be uniform legislation for Banaras Hindu University and Aligarh Muslim University. The Bill pertaining to Banaras Hindu University has already been passed whereas the Bill pertaining to Aligarh Muslim University is not being intoroduced due to certain pressure. This Bill should be introduced because it is also a central University.

I would request the hon'ble Minister of Finance to assure the House that the practice being followed in the past in regard to the appointment of Chief Justice of Supreme Court will continue and there will be no change in that procedure.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ था कि आगामी सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के बारे में चर्चा की जायेगी। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। परन्तु इसको कार्य-सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि प्रधान मन्त्री आज भूमि सुधार आन्दोलन के सम्बन्ध में एक

वक्तव्य दें ताकि हमें तथा देश को उनके विचार मालूम हो जायें। इसके साथ ही गृह-कार्य मन्त्री को दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में भी एक वक्तव्य देना चाहिये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : नेशनल लाइब्रेरी, कलकत्ता के बारे में काफी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। अतः इस विषय पर और खोसला समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये कुछ समय नियत किया जाना चाहिये।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : It seems that Government is trying to postpone the introduction of the Bill for abolition of Privy Purses. May I know when the said Bill would be introrduced in the House ? I feel that Government is trying to postpone the discussion on Fourth Five Year Plan also. Before concluding I may point out that the practice being followed in connection with the appointment of Chief Justice should not be discontinued.

श्री न० रा० पाटिल (भीर) : मराठी में बोले।*

अध्यक्ष महोदय : यह भाषण पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किया जा रहा है। इसको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : वह किसी स्थान विशेष पर मेडिकल कालेज स्थापित किये जाने के बारे में स्वास्थ्य मन्त्री से एक वक्तव्य देने के लिये अनुरोध कर रहे हैं।

Mr Speaker : He should have some prior notice if he wanted to speak in a language in which there is no arrangement for simultaneans interpretation.

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मैसूर तथा आन्ध्र के कई भागों में सूखे की स्थिति बहुत गंभीर है। क्या सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई समय नियत करेगी ?

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : प्रत्येक दल के प्रतिनिधि कार्य मन्त्रणा मिति में है। इसलिये ये माननीय सदस्य इन मामलों को कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में उठ के लिए अपने प्रतिनिधियों को कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है। माननीय सदस्य इन मामलों को य पर उठाने के बजाय अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में उठा सकते ।

श्री पी० पार्थसारथी : मैंने बहुत सी महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में दि गये विभिन्न सुझावों को नोट कर लिया है और मैं उनको सम्बन्धित मन्त्रियों के पास आवश्यक व वाही के लिए भेज दूंगा। सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या सभी विषयों पर इस सीमित समय में चर्चा की जा सकती है या नहीं। (**व्यवधान**)

जर्मन गणतन्त्र संघ और सोवियत रूस के बीच हुई संधि के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : TREATY SIGNED BETWEEN FEDERAL REPUBLIC GERMANY AND U. S. S. R.

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जर्मन गणतन्त्र संघ के नये चांसलर हर बाइली ब्रां

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
Not recorded.

ने अक्टूबर 1969 में पद-ग्रहण करते समय यह घोषणा की थी कि उनकी विदेशी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य यह होगा कि वह सोवियत रूस के साथ युद्ध-वर्जन के सम्बन्ध में संधि करेंगे। मास्को में दिसम्बर 1969 में बातचीत शुरू हुई और कई बैठकों के बाद दोनों देशों के वैदेशिक कार्य मन्त्रियों ने अगस्त 1970 को मास्को में और अध्यक्ष श्री कोसीलिन तथा चान्सलर वाइली ब्रां ने 12 अगस्त 1970 को मास्को में संधि के प्रारूप पर हस्ताक्षर किये।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : इस संधि पर 7 अगस्त को हस्ताक्षर किये गए थे और आज 14 अगस्त है। अब इसका क्या लाभ है ? फिर यह कार्य सूची में भी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : सरकार बातचीत करके अपनी नीति निर्धारित करती है।

श्री स्वर्ण सिंह : इस सन्धि में दोनों देशों की सरकारों ने संयुक्त रूप से पारस्परिक संबंधों तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के विषय में बल प्रयोग या बल प्रयोग करने की धमकी न देने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने योरोपीय राज्यों की समस्त वर्तमान सीमाओं की अखंडता का सम्मान करना भी स्वीकार किया है।

श्री कंवर लाल गुप्ता : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस संधि के साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : यह अनुचित बात है। आप एक ऐसे विषय पर चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं जिस पर सात दिन पहले हस्ताक्षर किये गये थे। आपने आज यह वक्तव्य देने की कैसे अनुमति दे दी ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें वक्तव्य देने का अधिकार है **(व्यवधान)**

Shri Kanwar Lal Gupta : Our country has nothing to do with this treaty. It would create wrong precedent if statements are made about the Treaties of other countries.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें वक्तव्य देने का अधिकार है।

श्री कंवर लाल गुप्ता : आप हमें व्यवस्था का प्रश्न उठाने की भी अनुमति नहीं देते हैं। हम उन्हें वक्तव्य नहीं देने देंगे। यह भारतीय संसद है, रूसी संसद नहीं **(व्यवधान)**

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : हमारी सरकार का इस सन्धि के साथ क्या सम्बन्ध है ? यदि यह वक्तव्य विश्व शान्ति की दृष्टि से दिया जा रहा है तो यह संयुक्त राष्ट्र नहीं है। यदि इस वक्तव्य की अनुमति दी गई तो विश्व में किन्हीं दो देशों के बीच हुई संधि के बारे में यहां वक्तव्य दिये जायेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, you have allowed the hon'ble Minister to give a statement on an agreement signed between Germany and Russia. This is a dangerous precedent. May I know whether Government will go on giving statement on mutral ageements amongst two countries or in same cases the statements will be issued and in other cases there will not be any statement. It will be discriminatory. Whatever has been said by the hon'ble Miniser should be expunged.

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं कहना चाहता हूं कि यदि विश्व शान्ति से सम्बन्धित कोई बात होती है तो क्या इस सभा में उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय सभी वर्तमान विदेशी मामलों के बारे में वक्तव्य दे सकते हैं **(व्यवधान)** मैंने मन्त्री महोदय को अनुमति दी है।

श्री स्वर्ण सिंह : महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख करना हमारी संसद की परम्परा के अनुकूल है और इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के अधिकार को हम छोड़ नहीं सकते। अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में वक्तव्य देने का हमें अधिकार हैं।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : हम एक वैदेशिक कार्य मन्त्री के विचार सुनना चाहते हैं।

श्री स० कुन्दू (बालासोर) : हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम किशन गुप्त, श्री हरदयाल देवगुण तथा कुछ अन्य सदस्य सभा की कार्यवाही में निरन्तर बाधाएं डाल रहे हैं। मुझे खेद है कि मुझे उनसे सभा से बाहर जाने के लिये कहना पड़ेगा।

मन्त्री महोदय वर्तमान विदेशी मामलों के बारे में किसी भी समय वक्तव्य दे सकते हैं। इस सभा की यह परम्परा है।

श्री राम सुभग सिंह : मैं इस सभा में वर्ष 1950 से हूं और किसी भी समय अन्य देशों के बारे में बिना कार्य-सूची में सम्मिलित किये किसी ऐसे मामले को नहीं उठाया गया जिसके साथ भारत का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष किसी भी समय अनुमति दे सकता है।

श्री स्वर्ण सिंह : भारत योरुप में सुरक्षा तथा शान्ति की दिशा में लिये गये इस कदम का हृदय से स्वागत करता है और आशा करता है कि यह संधि योरुप के देशों में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य भागों में भी शान्ति और प्रगति के लिये कई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय समझौतों के लिये सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में अग्रदूत सिद्ध होगी।

श्री राम किशन गुप्त (हिसार) : यह राष्ट्र विरोधी है; समस्त वक्यव्य को सभा के कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल देना चाहिये। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता है कि मध्याह्न भोजन के लिये स्थगत के पश्चात सभा एक घण्टे के बाद पुनः समवेत होगी। इस संबन्ध में विशेष रूप से बताया जाना आवश्यक नहीं है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बज कर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fifteen minutes past fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर अठारह मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Eighteen minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR]

पश्चिम बंगाल बजट 1970-71 प्रस्तुत किया गया

WEST BENGAL BUDGET, 1970—71 PRESUTED

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं पश्चिम बंगाल राज्य की वर्ष 1970-71 की अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय का एक संशोधित विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

सदन को मालूम ही है कि पश्चिम बंगाल पर 19 मार्च 1970 से राष्ट्रपति का शासन लागू है और उसका 1970-71 का बजट पिछले सत्र में पेश किया गया था । सदन द्वारा बजट पर विस्तृत विचार-विमर्श किये जाने तक, राज्य का प्रशासन चलाने के लिए चार महीने के लिए 'लेखानुदान' प्राप्त किया गया था । पिछले महीने, संविधान के अनुच्छेद 357 के अन्तर्गत राष्ट्रपति का एक आदेश जारी किया गया था, जिसके जरिये अगस्त 1970 के लिये राज्य की समेकित निधि से उस समय तक के लिये खर्च करने का प्राधिकार दिया गया था जब तक कि संसद द्वारा इस खर्च के लिये मंजूरी नहीं दे दी जाती । बजट पत्रों के साथ, इस आदेश की प्रति भी परिचालित की जा रही है ।

मार्च में राज्य का जो बजट पेश किया गया था वह वही था जो इससे पहले राज्य के विधानमण्डल में प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि जो थोड़ा सा समय उपलब्ध था उसके दौरान इस बजट में कोई संशोधन करना सम्भव नहीं था । माननीय सदस्यों को याद होगा कि मार्च में प्रस्तुत किये गये बजट में कुल मिला कर 15.51 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था, जिसकी पूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गयी थी । बजट के सम्बन्ध में 26 मार्च को दिये गये वक्तव्य में बताया गया था कि यदि आवश्यक हुआ तो राज्य की बजट सम्बन्धी स्थिति पर फिर से विचार किया जायगा । अब ऐसा कर लिया गया है और कुछ परिवर्तन, जो आवश्यक समझे गये हैं, कर दिये गये हैं । अब संसद के सामने एक संशोधित वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जा रहा है । मुख्य परिवर्तनों का सारांश भी परिचालित किया जा रहा है । बजट के "अनुपूरक" में इन परिवर्तनों को और अधिक विस्तार से व्याख्या की गयी है; यह अनुपूरक भी बजट-पत्रों के साथ परिचालित किया जा रहा है ।

संशोधित बजट में, केन्द्र को देय रकमों और परिवर्तनों को हिसाब में लेने के बाद, अब कुल 11.08 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है जबकि पहले 15.51 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया था ।

संक्षेप में, स्थिति यह है कि चालू वर्ष में अब 290.81 करोड़ रुपये राजस्व-प्राप्तियां होने का अनुमान है और राजस्व से किया जाने वाला व्यय 311.16 करोड़ रुपये आंका गया है । व्यय के अनुमानों में, सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारियों के वेतन-मानों में संशोधन करने के लिए की गयी 9 करोड़ रुपये की तदर्थ व्यवस्था को, इस सम्बन्ध में अन्तिम फैसला होने तक, कायम रखा गया है ।

अब बाजार से लिये जाने वाले ऋणों सहित स्थायी ऋणों के अन्तर्गत 7.63 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है और केन्द्रीय सरकार से 82.82 करोड़ रुपये के ऋण प्राप्त होने का अनुमान है । राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋणों की 9.10 करोड़ रुपये की रकम की वसूली होगी और अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत 9.76 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां दिखायी गयी हैं । पूंजीगत खाते से अब 29.67 करोड़ रुपये का खर्च होने का अनुमान है । केन्द्रीय सरकार को ऋणों के परिशोधन के रूप में 43.45 करोड़ रुपये अदा करने का अनुमान है और राज्य सरकार द्वारा 26.92 करोड़ रुपये के अग्रिम दिये जाने का अनुमान लगाया गया है ।

जैसाकि ऊपर बताया गया है अब कुल मिला कर 11.08 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इसमें से 1.66 करोड़ रुपये तक की रकम इस वर्ष के प्रारम्भिक शेष से पूरी हो जायगी। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस घाटे को पूरा करने की व्यवस्था न होने से मैं खुश नहीं हूं। इसलिए, हमारा यह प्रयास रहेगा कि आयोजना-भिन्न व्यय को नियंत्रित रखा जाय तथा और कर-भिन्न राजस्वों से और अधिक रकम प्राप्त की जाय और जहां तक सम्भव हो अतिरिक्त साधन जुटाये जायें।

बजट में, राज्य की वार्षिक आयोजना के लिये 51.36 करोड़ रुपये के खर्च की व्यवस्था की गयी है जिसमें से केन्द्रीय सहायता की रकम 40.07 करोड़ रुपये होगी। केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये भी, 8.06 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं की वित्त-व्यवस्था पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।

माननीय सदस्यों को यह जानने में दिलचस्पी होगी कि कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए इस संबन्ध में हाल में बनाये गए अधिनियम के अधीन कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।

अभी, जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें नये करों से 6 करोड़ रुपये की प्राप्तियां होने का अनुमान लगाया गया है। इससे कलकत्ता निगम और अन्य स्थानीय निकायों के साधनों में आंशिक वृद्धि होगी और इस रकम का कुछ भाग, महानगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं पर खर्च किया जायेगा। महानगरीय क्षेत्र की विकास योजनाओं के खर्चे के लिए, राज्य के वजट में 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त अनुमान है कि कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण, बाजार, से भी 7 करोड़ रुपये का ऋण लेगा। इस प्रकार, महानगरीय क्षेत्र के विकास के खर्च के लिए कुल 20 करोड़ रुपये तक की व्यवस्था हो जायगी। जहां तक संभव होगा; इस व्यवस्था में और अधिक वृद्धि करने के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जायंगे।

जब बृहत्तर कलकत्ता की जल-पूर्ति, जल-मल-निकासी, आदि से सम्बन्धित विकास योजनायें क्रियान्वित की जाएंगी तब नागरिक सुविधाओं और विकास के बुनियादी ढांचे की दृष्टि से कलकत्ता के अन्दर और आसपास सर्वांगीण सुधार होगा। मुझे आशा है कि इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण राज्य का आर्थिक विकास करने की गति को तेज करने में सहायता मिलेगी।

पश्चिम बंगाल का 1970-71 का बजट (एक दृष्टि में)

	मार्च 1970 में प्रस्तुत किये गये बजट के अनुसार	अब प्रस्तुत किये गए बजट के अनुसार
	प्राप्तियां	
राजस्व प्राप्तियां	279.31	290.81
स्थायी ऋण (शुद्ध)	10.53	7.63
केन्द्रीय सरकार से ऋण	49.98	82.82
राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	5.13	9.10

अन्य ऋण (शुद्ध)		0.59		0.59
अन्य शीर्षक (शुद्ध)		5.67		9.17
जोड़-प्राप्तियां		351.21		400.12
			भुगतान	
राजस्व व्यय		285.42		311.16
पूंजीगत व्यय		29.17		29.67
केन्द्रीय सरकार को ऋण की वापसी		37.29		43.45
राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम		14.84		26.92
जोड़-भुगतान		366.72		411.20
प्रारम्भिक शेष	(–)	25.06	(+)	6.66*
अन्तिम शेष	(–)	40.57	(—)	9.42
राजस्व खाते का घाटा	(–)	6.11	(—)	20.35
पूंजी खाते का घाटा (–)/अधिशेष(+)	(–)	9.40	(–)	9.27
कुल घाटा	(–)	15.51	(—)	11.08

*मार्च 1970 में प्रस्तुत अनुमानों के आधार पर प्रारम्भिक शेष के रूप में (-)25.06 करोड़ रुपये की जो रकम दिखायी गयी थी अब वह कुछ केन्द्रीय ऋणों और ब्याज की अदायगियों को स्थगित किये जाने के कारण जमा शेष के रूप में 1.66 करोड़ रुपया हो गयी है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव संबन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव

MOTIONS RE : REPORTS OF THE COMMISSONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AND COMMITTEE ON UNTOUCHABILITY

श्री तुलसीदास जाधव (बारामती) : क्या मैं श्रीमान रामचन्द्र पाटिल को दो मिनट दिये जाने के लिए आप से अनुरोध कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : किस बात के लिए ? यदि आप चाहें तो आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं। इससे अस्वस्थ पृथा स्थापित हो जायेगी। आप इस समय किसी अन्य विषय पर नहीं बोल सकते।

श्री रणधीर सिंह : (रोहतक) : मेरा अनुरोध है कि उनको दो मिनट के लिए बोलने की अनुमति दे दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसी अन्य अवसर पर बोल सकते हैं।

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुंझनू) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य द्वारा अपना भाषण समाप्त कर लिए जाने के बाद उचित समय आयेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह इसी विषय पर नहीं बोलना चाहते तो उनके लिए यह उचित समय नहीं है ।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : श्री हनुमन्तैया को विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री नियुक्त करने के लिए प्रधान मन्त्री बधाई की पात्र है । श्री हनुमन्तैया ने मैसूर के मुख्य मन्त्री के नाते अच्छा कार्य किया था जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनको अनुसूचित जातियों की चिन्ता है । जब वह मैसूर के मुख्य मन्त्री थे तो उन्होंने एक वकील को जो कि पांच वर्ष से वकालत कर रहा था जिला न्यायाधीश बना दिया था । अब वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है । अतः हमें श्री हनुमन्तैया से बहुत आशा है कि वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए एक नया अध्याय आरम्भ करेंगे ।

विकसित देशों में बच्चों, बूढ़ों, शारीरिक तथा मानसिक तौर पर अस्वस्थ व्यक्तियों को सहायता दी जाती है परन्तु हमारे देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग आर्थिक तथा शैक्षिक तौर पर पिछड़े हुए हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बीस वर्ष बाद आज भी उड़ीसा में गान्द नामक कबीले के लोग बिना कपड़ों के अर्थात नंगे रहते हैं । नागालैंड में भी कुछ लोग नंगे रहते हैं । इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया है और न ही समस्या को अच्छी प्रकार समझा गया है । हिन्दू-मुसलमानों तथा अन्य प्रगतिशील सम्प्रदायों को सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाना चाहिये ।

जहां तक सामाजिक कल्याण का सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन लाया जाये और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि समाज के सभी वर्गों को, चाहे उनका धर्म अथवा जाति कुछ भी क्यों न हों, समान अवसर प्रदान न किए जायें ।

अधिक प्रगतिशील समुदायों को अधिक भाग मिल रहा है और जो समुदाय जरा कम प्रगतिशील है उनको वास्तव में कुछ भी नहीं मिल रहा है । सरकार प्रगतिशील को और प्रगतिशील बनाने की तथा उपेक्षित लोगों को और उपेक्षा करने की नीति अपना रही है ।

अमरीका में सफेद कालर नामक एक अपराध है । यह अपराध करने वाले लोग साफ बच जाते हैं क्योंकि वे समृद्ध और प्रभावशाली होते हैं और वे पुलिस एवं न्यायाधीशों को भी घूस दे देते हैं । भारत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार हो रहा है । हमें इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।

यह ठीक है कि इन जातियों के लिए सेवाओं में स्थानों का आरक्षण किया जाता है । परन्तु जो विज्ञापन निकलता है उसमें यह दिया जाता है कि यदि उक्त जातियों का उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला तो इन स्थानों को गैर-आरक्षित स्थान घोषित कर दिया जायेगा । क्या ऐसी बातों से आरक्षण के उपलब्ध को उचित ठहराया जा सकता है ? यह बात सदा सिद्ध की जा सकती है कि उक्त जातियों से उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं । अतः इस प्रकार का जो उपबन्ध है वह उचित नहीं है । यदि सरकार वास्तव में पिछड़े वर्गों के लोगों को सहायता करना चाहती है तो उसे इस प्रकार के उपबन्ध को समाप्त करना होगा । मान लो कि आरक्षित स्थान 18 प्रतिशत है और यदि किसी एक वर्ष विशेष में केवल पांच प्रतिशत पद ही भरे जाते हैं तो अगले वर्ष आरक्षित स्थानों की संख्या 31 प्रतिशत होनी चाहिए ताकि महसूस किया जाये कि कितना कार्य करना शेष है ।

संविधान के अनुच्छेद 335 में कहा गया है कि प्रशासन की दक्षता एवं रख रखाव के अनु-

रूप अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के दावों पर विचार किया जाना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार सदा यह कहा जा सकता है कि नियुक्ति प्रशासन की दक्षता के अनुरूप नहीं है। अनुसूचित जातियों के ऐसे अनेक लोग हैं जिनको पदोन्नति नहीं दी गई है अथवा उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया है। मेरा यह सुझाव है कि इन जातियों के कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदनों का पुनर्विलोकन उच्चत्तम स्तर पर अर्थात मन्त्री स्तर पर किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों को तीन अथवा कभी-कभी पांच वर्ष बाद सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन पर प्रतिवर्ष नियमितरूप से चर्चा होनी चाहिए। आयुक्त के 17 अधिकारियों को हटा दिया गया है और उसके कोई अधिकार भी नहीं रह गये हैं।

सभी राज्यों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों संबन्धी कल्याणकारी समितियां नियुक्त की जानी चाहिए जैसी कि एक केन्द्र में है ताकि उनमें उचित समन्वय स्थापित हो सके तथा बाद की कार्यवाही की जा सके। मैसूर में ऐसी एक समिति स्थापित हो चुकी है और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मनीपुर राज्य अपने-अपने राज्यों में ऐसी समितियां स्थापित करने के लिए सहमत हो गये है।

इस बात के बावजूद कि अनुसूचित आदिम जातियों की भूमि की रक्षा के लिये जोतदारी के विशेष नियम बनाये गये हैं और इस तथ्य के बावजूद कि सिविल तथा फौजदारी न्यायालयों को इनकी भूमि को हस्तान्तरण करने की मनाही है अधिकांश लोगों की भूमि छीन ली गई है। उनको पर्याप्तरूप से शिक्षित नहीं किया गया है जिसे वे अपने विशेषाधिकारों का दावा कर सकें। इन जातियों को अपने भूमि जो इनसे छीन ली गई थी वापस लेने का पूरा अधिकार है और इसके लिए हमें सरकार के सहयोग तथा संरक्षण की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की अनेक नकली सूचियां बन गई हैं। अनेक मैडिकल कालेजों में विद्यार्थियों ने अनुसूचित जातियों के झूठे प्रमाणपत्र प्राप्त कर दाखिला ले लिया है। मेरे पास उनकी सूची है।

पहले कभी भी मुसलमानों ने अनुसूचित जातियों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का दावा नहीं किया था। बिहार सरकार के नियुक्ति विभाग के श्री रोडरीग्यूज ने मुसलमान बने अनुसूचित जातियों के लोगों के बारे में व्याख्या देते हुए लिखा है कि अनुसूचित जाति निर्धारित करते समय धर्म को कसौटी नहीं बनाया जा सकता। अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है और इससे उसके अनुसूचित जाति के रुतबे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं लोगों के किसी भी धर्म का पालन करने के अधिकार को चुनौती नहीं देना चाहता। परन्तु इन धर्मों के बीच भेद-भाव तथा जातियों के बीच शत्रुता उत्पन्न हो जायेगी। मुझे नहीं मालूम कि श्री रोडरोग्यूज ने लेखा स्पष्टीकरण देने में पूर्व सम्बन्धित मन्त्री से अनुमोदन प्राप्त कर लिया था। अथवा नहीं। इससे अनेक अनुसूचित जातियां उत्पन्न हो जायेंगी।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : आदिम जातियों का कोई धर्म नहीं होता। अतः वे किसी भी धर्म को अपना सकते हैं।

श्री कार्तिक उरांव : नहीं ! यह गलत है। हरियाणा के रोहतक जिले के विफलान गांव के लोगों को कुछ कुएं दिये गये थे परन्तु अब उन पर पांच जमींदारों का कब्जा है। उस गांव के लोग

अब उन कुओं को हथियाने की बात कर रहे हैं। हम उन लोगों की इस कार्यवाही की निन्दा किस प्रकार कर सकते हैं ?

मैं नहीं जानता की सरकार समूचे देश के लिए समान नीति अपनाना चाहती है अथवा विभिन्न भागों के लिए अलग अलग नीति अपनाना चाहती है। यदि भारत के किसी भाग से अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति अन्दमान चला जाता है तो उसको अनुसूचित जाति का व्यक्ति वहां पर स्वीकार नही किया जाता है। इलयापेरुमल समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि ऐसे व्यक्तियों को अन्दमान में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिये। मैं नहीं जानता कि इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। मुझे आशा है कि सरकार समूचे देश के लिए समान नीति अपनायेगी।

किसी भी व्यक्ति को जिसका पिता यूरोप का हो अथवा भारत का न हो उसे एंग्लो-इंडियन कहा जाता है, परन्तु आदिम जाति के मामले में यदि मां अथवा बाप में से एक अमरीकी अथवा यूरोप का है तो उस व्यक्ति को आदिम जाति का ही व्यक्ति कहा जाता है। इस प्रकार के भेद-भाव से अस्वास्थ प्रथा स्थापित होती है।

अनेक मामलों में एंग्लो-इंडियन रक्षित स्थानों से चुनाव लड़ते हैं और उनको चुनौती नहीं दी जाती है। आदिम जाति के लिए रक्षित स्थान से एक एंग्लो-इंडियन चुना गया था क्योंकि उसको झाड़खण्ड के भूतपूर्व नेता द्वारा टिकट दिया गया था।

आदिम जाति के लोग अपने कबीले के अन्दर ही विवाह करते हैं। कबीले से बाहर विवाह करने वाले को कबीले का सदस्य नहीं समझा जाता। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि आदिम जाति के लोगों को अपनी परम्पराओं तथा योग्यता के अनुसार विकास करने दिया जाये। क्या इस परामर्श का पालन किया जायेगा ताकि आदिम जातियों का विकास हो सके।

यह बहुत अच्छी बात है कि छठी अनुसूची के अन्तर्गत आसाम में स्वायत्तशासी जिले बनाये गये हैं। परन्तु भारत के अन्य भागों में स्वायत्तशासी जिले स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं। प्रत्येक राज्य में ऐसे जिले बनाये जाने चाहिए।

आसाम को छोड़ भारत के अन्य भागों में आदिम जातियों का ठीक नेतृत्व नहीं हो रहा है। श्री स्वैल अपने लोगों के लिए लड़े और उन्होंने मेघालय राज्य प्राप्त कर लिया है। परन्तु भारत के अन्य भागों में आदिम जातियों का ऐसा कोई नेता नहीं है। आदिम जातियों के जो नेता यहां हैं उनको स्वयं को सभी आदिम जातियों के साथ सम्मिलित करना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। परन्तु मुझे खेद है कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं।

हमारा राज्य धर्म-निरपेक्ष है और किसी धर्म-विशेष को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। श्री फ्रेडरिक वी० मुरे० एस० जे० ने अपनी पुस्तक 'क्रिश्चियन इन इण्डिया' में लिखा है कि भारत में अनुदान देने की प्रणाली विभिन्न है। इस प्रणाली के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकार किसी भी जाति के स्कूल एवं कालेज को अनुदान देती है जिसका दाखिला सभी के लिए खुला है। सरकार अनुदान देने के पश्चात फिर स्कूल एवं कालेज के आन्तरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करती। भारत में इसी कारण कैथोलिक स्कूल अधिक है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूलों में आदिम जातियों तथा अन्य जातियों के प्रत्येक वर्ग को दाखिला मिले ताकि सभी में शिक्षा का समान विकास हो सके। हिन्दू अथवा सिख

अधिक स्कूल नहीं खोल सकते हैं इसी कारण उनको अधिक अनुदान भी प्राप्त नहीं होता है । अतः अनुदान का इस प्रकार वितरण मेरे विचार में उचित नहीं है ।

जहां तक मिशनों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों का सम्बन्ध है वहां 120 रुपये मासिक वेतन पाने वाले प्रत्येक अध्यापक को लगभग 105 रुपये सरकार की ओर से अनुदान के रूप में मिलते हैं । यदि सरकार 105 रुपये दे सकती है तो और पन्द्रह क्यों नहीं दे सकती । मेरा निवेदन केवल इतना है कि यह लोग अनुदान का एक बड़ा भाग ले जाते हैं । मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जातियों के प्रत्येक वर्ग को अनुदान में उसका उचित भाग मिलना चाहिए ।

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मिशनों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल आदिम जातियों के विद्यार्थियों से भवन निधि के रूप में धन लेते हैं । शिक्षा शुल्क में जो धन प्राप्त होता है उसे वे सरकार को पूरा करने के लिए कहते हैं । अत: वे सरकार तथा विद्यार्थियों दोनों से धन प्राप्त करते हैं यह चीज ठीक नहीं है । इस प्रकार हमें अनेक प्रकार की योजनाओं पर धन का अपव्यय नहीं करना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त अनेक पादरी तथा भिक्षुणियां है जिनको धर्मपरिवर्तन करने में प्रशिक्षण दिया जाता है । अब उनको विद्यार्थियों के रूप में कालेजों में दाखिल किया जा रहा है । उनको केवल निर्वाह भत्ता मिलता है । वे रजिस्टर में छात्रवृत्ति के लिए हस्ताक्षर कर देते हैं और सारा धन मिशन के पास जमा हो जाता है और उनको कुछ नहीं मिलता । किसी धर्म विशेष की प्रगति के लिए सरकारी धन का उपयोग नहीं किया जा सकता । यह संविधान के अनुच्छेद 29 के विरुद्ध है ।

जो लोग साम्प्रदायिकता की बात करते हैं वही सबसे अधिक साम्प्रदायिक हैं । हमें ऐसे तरीके ढूंढ़ने होंगे जिससे धर्म निरपेक्षता का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त हो सके । प्रत्येक धर्म में सहन शीलता तथा सह-अस्तित्व की भावना होनी चाहिए । परन्तु ऐसा हो नहीं रहा है । अधिक साधनों वाले लोग अपने धर्म को ही और बढ़ाने पर लगे हुए हैं । मेरा निवेदन है कि किसी धर्म विशेष को बढ़ाने के लिए सरकारी धन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

जहां तक सामाजिक कल्याण का सम्बन्ध है प्रगतिशील वर्गों के लोगों को दूसरों के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाना चाहिए । अमीर लोगों को गरीबों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को पूरी सहायता देनी चाहिए । अत: उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिये । कुछ प्रगतिशील लोगों में इस प्रकार की भावना उत्पन्न हो रही है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को सदा के लिए छात्रवृत्तियां नहीं दी जानी चाहिए । क्या कारण है कि हम लोगों के दिलों में गरीबों के लिए सहानुभूति की भावना उत्पन्न नहीं कर सके ? मेरे विचार में पिछड़ा वर्ग संबन्धी कल्याणकारी निधि बनाई जानी चाहिए । मुझे एक मित्र द्वारा बताया गया है कि कुछ समय पूर्व पंजाब में हरिजन कल्याण फन्ड बनाया गया था और उसमें 3.86 करोड़ रुपये एकत्र हो गये थे; इसके पश्चात राज्य द्वारा उसमें 1.14 करोड़ रुपये और जोड़ दिये गये थे । इस प्रकार उसमें पांच करोड़ रुपए जमा हो गए थे और केन्द्रीय सरकार द्वारा भी पांच करोड़ रुपये दिए जाने थे । यदि समूचे भारत में यह अपील की जाये कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसको हल किया जाना है तो मेरे विचार में 150 करोड़ रुपये एकत्र हो सकते हैं केन्द्रीय सरकार से भी हम 150 करोड़ रुपये की मांग कर सकते हैं । इससे यह भी सिद्ध हो जायेगा कि देश के प्रगतिशील वर्ग पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए किस हद तक रुचि लेते हैं । यह मेरा सुझाव है और यदि माननीय मन्त्री इस

बारे में कुछ कर सकें तो इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 अभी तक लम्बित है। इसको संयुक्त समिति को सौंपा गया था। इस विधेयक को शीघ्र सभा के समक्ष चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि कुछ जातियों को गलती से सूची में शामिल कर लिया गया है। इसी प्रकार कई जातियों को गलती से इसमें शामिल भी नहीं किया गया है।

संविधान में दी गई परिभाषा के अनुसार अनुसूचित आदिम जाति का कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति का सदस्य बन सकता है परन्तु अनुसूचित जाति का कोई भी सदस्य अनुसूचित आदिम जाति का सदस्य नहीं बन सकता। ऐसा एक मामला हुआ है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के प्रयासों को रोका जाना चाहिए।

यदि मैं समाज कल्याण मन्त्री होता तो मैं सभी योजनाओं को खत्म कर सारा धन उनकी शिक्षा पर ही व्यय करता क्योंकि शिक्षा से ही राष्ट्रीय एकता उत्पन्न की जा सकती है। शिक्षित लोग ही राष्ट्र का भाग्य बनाते हैं। यही बात समुदायों पर लागू होती है। अतः जब तक अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किये जाते तब तक शिक्षा का फैलाव समान रूप से नहीं हो सकता यदि इन लोगों को शिक्षित नहीं किया जाता तो आप लोग राष्ट्रीय एकता की बात सोच भी नहीं सकते। उनको शिक्षा तथा रोजगार के अवसर दिये जाने चाहिए और उनकी भूमि की रक्षा की जानी चाहिए।

यदि आप वास्तव में इन लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो इनके लिए एक पृथक मन्त्रालय बनाया जाना चाहिये। अतः मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए गम्भीर रूप से कार्य किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक माननीय सदस्यों ने यह अनुरोध किया है कि श्री ना० रा० पाटिल को बोलने के लिए दो मिनट का समय दिया जाये। वह अब तक सभा में एक बार भी नहीं बोले हैं। यदि आप सब की अनुमति हो तो मैं उनको बोलने का अवसर दूं।

***Shri N. R. Patil (Bhir)** Mr. Depnty Speaker, Maharashtra Government has decided, to open three medical colleges during Fourth Five year plan. It is purposed to open a college at Marathwara. The people of district Beed along with people of Marathwara have demanded that this college be openad in Amhajogai. This demand should be conceded. A T. B. sanitorium and a hospital are already there and the climate of this place is also good. The central Government should help the Maharashtra Government in establishing this college at Amhajogai.

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 74 का संशोधन तथा नये अनुच्छेद 74 क, 74 ख आदि का रखा जाना

श्री हरिदयाल देव गुप्त (पूर्व दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को प्रास्थापित करने की अनुमति दी जाये।

---

* * * मराठी में दिये गये भाषण के हिन्दी अनुवाद का संक्षिप्त अंग्रेजी रूपान्तर

Summarised Translated version based on Hindi Translation of speech delivered in Marathi.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री हरिदयाल देव गुण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

नये अनुच्छेद 23 क, 23 ख और 23 ग का जोड़ा जाना

श्री हरिदयाल देव गुण (पूर्व दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दो जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री हरदयाल देव गुण : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 370 का प्रतिस्थापन

श्री हरदयाल देव गुण (पूर्व दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वालेविधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।'

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने के वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री हरदयाल देवगुण : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

अनुच्छेद 330 तथा 332का संशोधन

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री सूरज भान द्वारा 30 जुलाई, 1970 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार आरम्भ करेंगी :

"भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

Shri Abdul Gani Dar (Gurgaon) : Mr. Deputy Speaker, Sir Hindu, religion is the largest religion of the world with largest adoptability. Its religious philosophy has been admired by the world and it has given the most valuable books like Ramayana and Gita to world culture. But I am at a loss to understand how it has ignored Harijans and Scheduled Castes. It was the dream of Gandhiji that the daughter of a Harijan should become the Prime Minister of India. But what has been done for the upliftment of these people since independence ? What is their percentage in I. C. S. and I. A. S. services ? It is zero percent. No Harijan is employed in Supreme Court of India. That means they are not being given their due.

The mover of this Bill Shri Suraj Bhan has suggested that if the Government has got little sympathy with Harijans and felt that something had been done to them then the representation of these castes should be increased in Parliament and State Legislatures according to their population, Their number in the State Legislatures is less than what it should have been. The present bill has a laudable objective and should be supported by whole house. In the present bill also we are paying lips sympathy only to the Schedule Castes and Tribes. Till today it has not done anything for the betterment of these classes. Even for the other minorities such as Muslims and Christians this Government has done precious little to see that they got their due share in the services.

If this injustice continues, there may be bloodshed in this country and we people will be thrown in the dust bins of history like Ravana and Aurangzeb.

Shri B. N. Kureel : (Ramsanehight) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the Bill moved by Shri Suraj Bhan is a simple one without any complication. It has been provided in our Constitution that there will be reservation for seats in Lok Sabha and State legislatures for Scheduled Castes and Scheduled Tribes according to their population. But now it has ben desired in the Bill that the seats should be reserved after taking into account the entire population of the Scheduled castes and tribes in that area. I think by doing so there will not be much difference in the number of seats ; the number may increase by a few more. The Government shall have no difficulty in accepting this Bill and at the same time I will request all the Members to support the Bill.

Some people have expressed the fear that if it is done, our Parliament and State Legislatures will be flooded with the members of Scheduled Castes. But it is not so. The Scheduled castes are not having as concentrated population as Scheduled Tribes. So even, if few more people from Scheduled Tribes come, why should they worry so much. There is no complication in this Bill and I wish the House should accept it.

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the Bill moved by Shri Suraj Bhan, which is now being discussed by the House. I have got substantial grounds in support of this Bill. I have gathered the impression that the Government wants to oppose this Bill. There are so many bills of private Members which were supported by Government on various occasions. Why the Government is reluctant to support the Bill which relates to Scheduled Castes. If the Government thinks that the decision in regard to the issue on the basis of Majority votes, then no justice can be expected for Harijans and Scheduled Castes. Therefore this decision should be taken without any party feeling and it shauld be unanimous.

Secondly, I want to say that Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be given representation in all fields whether it is legislature or Government Service in accordance with their population. In states where there is no population of Scheduled Castes, the seats reserved for them should be given to scheduled Tribes and *vice versa*.

Whenever any question of Harijan welfare was taken up with the Government such as Scholarship etc., it was argued that there were financial difficulties. The Government considers family planning to be the only solution of all the problems. A huge amount is being spent on this department. I think it will be worthwhile if some useless expenditure on this department is cut down and the money thus saved is utilized for the welfare of these people.

[श्री क० ना० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARI IN THE CHAIR]

The tenure of the Administrative Reforms Commission was put to an end even before it could study the important issues entrusted to it. It should have given some important findings about administrative agricultural reforms. I think that Government should immediately appoint a commission to study agricultural reforms which will go a long way in solving the problems of Harijans. With these words I support the Bill. I think there is no justification or argument to oppose this Bill.

Shri P. L. Barupal (Ganganagar) : Mr. Chairman, Sir I support the Constitutional Amendment Bill moved by Shri Suraj Bhan. It is a pity that Hindu Society and Religion has not given its due to the downtrodden classes who served them for centuries together. On the other hand it has called them as the untouchables and outcastes. Now, the Bill which has been brought for giving representation to the Scheduled Castes and Tribes in legislatures on the basis of their population, deserves all support. Not only this but the quota reserved for them in the services should also be increased. At the same time I will suggest that the communities who were not recognised as Scheduled Castes in 1952 but were recongonised in 1957, their reservation tenure should be extended for another five years. Similarly those who were recogonised in 1962, their tenure should be extended for 10 years. I have got nothing more to say but my suggestions and feelings should be accepted and valued by this House.

Shri Ram Charan (Khurja) : Mr. Chairman Sir, we remember to-day Dr. Ambedkar who has suggested for political reservation and made a provision in the Constitution for the uplift of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which are socially, politically and economically backward. But since the adoption of the Constitution we noticed that the quota for reservation in respect of services for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes had not been fulfilled. To-day the percentage of their reservation is like this : 2 per cent for Class I, 3 per cent for Class 2, and nine per cent for Class 3. There has been no improvement in their economic condition. The reservation for these castes has twice been extended in this House. because the required uplifiment of these castes had not been done till now.

If this Bill be passed and we become a little advanced then our quota can be raised from 12 per cent to 15 per cent. If the people of this country and the Government really want that there should be development in the country then our rights should be given to us. If the weaker section of society continues to be weaker then no problems would be solved and law and order situation will be worsened and the Naxalites and Communists will create trouble in the country unless this weaker section is protected and their condition is socially and ecomically developed.

The Bill moved by our hon. friend Shri Suraj Bhan is a wise step. The people belonging to Scheduled castes want reservation in the seats in legislatures according to the proportion of their population. The seats must be provided on the basis of the population. We want only political protection.

After all why this Bill was needed ? It appears that this Constitution has not so far

been promulgated in Jammu and Kashmir. There is no M. P. of Scheduled castes from there. The population of Scheduled Castes in Jammu and Kashmir is 2,84,171. Similarly no seat has been provided to them in Himachal Pradesh despite their population of 22,326 there. So far as Manipur is concerned, 13,376 people from Scheduled Castes and 2,49,049 from Scheduled Tribes live there. This can be estimated from these figures that the demand for seats has been put in order to receive the Minimum reservation of seats for Scheduled Castes on the basis of population. This was the object at which Dr. Ambedkar aimed. He wanted to see all the political, social and economical. distinctions to be eradicated from the country. I would like to suggest to the hon. Minister to provide full protection for Scheduled Castes and to fulfill their quota. If it takes 10 or 50 years in execution then they will have to allow them 100 per cent reservation.

The quota of services must be fulfilled in every respect. If the Government have to hold any special examination and to import them training then they must do so; so that their quota in Class 1 and Class 2 can be fulfilled. Four lakhs of Matriculates and higher qualified boys from Scheduled Castes are unemployed. They must be employed. **(Interruptions)**. The Ministers, the Ambassodars, the Governors, from these castes must be more in number and the President and the Vice-President from these castes should also come. I request the Government to support the Bill. This Bill should also be applicable to Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Manipur and other Union Territories.

The Minister of Law and Social Welfare (Shri K. Hanumanthaiya) : Say that 75 per cent of seats must be reserved seats.

Shri Ram Charan : If you can make 75 per cent reservation of seats then do that. The Hon. Minister and his friends should support the Bill because it does not go against any section. This Bill would prove beneficial to all if it is passed.

As I have already said the only aim and object of this Bill is that the seats shoud be provided to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the basis of population. With these words I support the Bill.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Chairman, Sir, I have already spoken on this Bill. I want to add only one point by your permission. **(Interruption)**. The Bill moved by Shri Suraj Bhan is so simple that it does not need long discussion. The only object of this Bill is that the seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliament, Legislative Assemblies and Legislative Councils must be reserved on the basis of population of these castes, I think nobody will have any objection to this Bill. The Hon. Minister should also not object.

The whole House agree to the Bill. If a seat is raised for the poor persons from these castes who have always been crushed, for thousands of years then we must be pleased with that.

I support the Bill and request the hon. Minister to accept it and find out a way to implement it.

Shri B. P. Mandal (Madhepura) : Mr. Chairman, Sir, I support this Bill. The hon. member Shri Suraj Bhan wants only this thing through this Bill that in the Article 330 of the Constitution "as nearly as may be, the same proportion" must be replaced with "a proportion not less than". He says in his statement of Objects and Reasons that due to present phraseology less seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are decided. It would have been better if the hon. member clarified the number of seats to be raised if his Bill was passed. If alittle portion of seats is raised, nobody should have objection to that.

During the period of twenty-three years of freedom no move has been made to remove the distinction of castes. No improvement has been made in the condition of Harijans and Adivasis by reserving five-six more seats for them. The Government assumed that they have provided few seats and that is enough.

It is sad that the Harijans and the Adivasis do not get reservation in proportion to their population. There are certain fortunate castes in this country whose population is only two percent but they are having 70 per cent seats in higher services. I had said once in this House that 5 per cent of seats should have been reserved for them who had 60, 70 per cent of seats and if any movement to degrade those seats had been started, that would have been a right type of movement but no political party gave attention towards this because the persons from the same caste which is two or three per cent are the leaders of each and every political party. Having in mind the ideas expressed by Dr. Ram Manohar Lohia for 60 per cent reservation in services for these castes, a law must be enacted for their uplift. I would like to say that the persons who get their daughters married with the boys of Scheduled Castes should be taken in the Ministry. We cannot become first grade nation unless we remove social exploitation. The history of India shows that due to caste distinction. India always remained weak. Shri Jagjiwan Ram is the Minister of Defence, but he forgets to show his loyalty towards Scheduduled Castes. There are certain regiments in the Military viz. Rajput Regiment, Jat Regiment etc. I have suggested to create Yadav Regiment, Ahir Regiment. During the tenure of his office of Ministry of Defence a Naga Regiment has been created but he does not show his sympatty towards Harijans. It is necessary for the persons who call themselves socialists to remove casteism from India. Unless it is removed, no socialism can take place. This is not only the problem of Scheduled Castes but of Backward Classes too. Tractors have been provided to big farmers but no loan is given to a Harijan. The talk of equal opportunity is quite wrong. The Children of Harijans have not been allowed adminssions in Schools for the last 5 thousand years. According to an hon. member the children of Harijans are not intelligent. How will he become intelligent ? He reads in such a school where there is no roof on the building of that school. Where do the children of big leaders go to read ? They go to read in St. Xavier School, St.-Joan School. That is why I suggest that this bill should be accepted . The caste distinction has gradually been removing in the States of India. This distinction is not there in Bihar. Nobody could even imagine that a person from Scheduled caste could become a chief minister. A day is to come when people from these castes which have been crushed for thousands of years will continue to become the Prime Minister of India one after another. Once again I say that in other countries of the world economic exploitation is prevalent whereas in India double exploitation social as well as economical is prevalent. I would like to say to accept the Bill immediately.

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : यह एक ऐसा विधेयक है जिसे समस्त सदन द्वारा बिना किसी वाद विवाद के स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । अनुसूचित जाति आयुक्त के प्रतिवेदन चर्चा के लिये रखे हुये थे तथा उन पर चर्चा जारी रहेगी । पहले इस सदन में जनरल सीट से अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति का कम से कम एक सदस्य अवश्य होता था परन्तु गत आम-चुनाव में ऐसा हुआ है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का कोई भी सदस्य नहीं चुना गया है । इससे स्पष्ट है कि कई वर्षों बाद भी देश का वास्तविक एकीकरण नहीं हुआ है । अब तक सभी दल यह नहीं सोच पाये हैं कि एक-आधा दर्जन अधिक सीटें उन्हें दी जानी चाहिये तथा उन्हें जनरल सीटों से लोक-सभा में आना चाहिये । कुछ राज्यों में विधान परिषदें भी है । उन राज्यों में उन्हें जो सीटें दी जाती हैं वे निर्धारित सीटों से कहीं कम होती है । इनकी सीटों की संख्या इतनी थोड़ी है कि जनसंख्या का 15 प्रतिशत भी नहीं है । अतः इस विधेयक के द्वारा संविधान में संशोधन करने

की मांग उचित है। मैं श्री सूरज भान के ही प्रयास की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 में संशोधन करने के लिये यह संशोधन विधेयक पेश किया है।

वह इस विधेयक द्वारा इतना ही चाहते हैं कि उनका न्यायोचित भाग उन्हें दिया जाये।

मैं श्री मंडल द्वारा जाति-पांति तथा धर्म के भेद-भाव पर व्यक्त किये गये विचारों का भी समर्थन करता हूं। इन भेदभावों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये क्योंकि उन्हें दूर किये बिना देश में वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती है।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Mr. Chairman, Sir, the Bill moved by Hon. Shri Suraj Bhan is worth welcome.

According to 1961 census, population of Scheduled Castes and Scheduled is Tribes is about 10 crores but in the record it is shown less. There are certain areas of Scheduled Tribes which have not been included for census purpose. I read it for you —

> "Many tribals are deprived of the benefits on account of their being Scheduled under the Fifth Schedule of the Constitution. On this ground, one-third of the population of the tribals has been deprived of the facilities. A Bill for amendment is pending before the House. On account of this Bill, the area will be increased and the population of these people will be increased also."

If these areas are added for census purpose then their population will increase. Before the election of 1972 and on the basis of the increased population 20 more reserved seats will be increased for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in 1972. So far as their grievances are concerned it is learnt that their grievances are not to be removed by the Hindus. I think if the representatives of Scheduled Caste etc. put forward their grievances then it will be more useful and these grievances can be removed easily . Dr. Ambedkar did not take part in Independence Movement but after independence he had to be called to form the Constitution. It is evident from this that if a certain caste or people is depressed for thousands of years and could not do any important work then they or he is incompetent. They are competent and can do more useful and good work when they are called to do . I suggest that in such a situation it is needful to bring them to Parliament and Legislative Assemblies in large number so that they can show their worth. Not a single Member of Parliament ever put forword the injustices done to the Harijans in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Maharashtra, Only Shrimati Binimata of M. P. said something in this House. Therefore it is necessary to have more representatives of Scheduled Caste and Tribes in legislatures.

In 1939 when Gandhiji was in Yarwada Jail, Dr. Ambedkar told him that the real Hindu religion had perished and the human beings are not treated like human beings . He showed a new way to these people to come out of the false religious customs in the name of Hindu religion. I want to say to those who call themselves the Hindu religiouist to do something to improve their economic condition and to solve their problems like House and Water etc. If all of their problems are solved, they will not demand for more representation.

These people also demand their representation in services on the basis of the population. If the Government go through the reports of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commissioner, they will find that these people have not been provided seats in services on the basis of the population.

I want to quote some examples in regard to the injustice done towards the Harijans. In Gujarat, the sweepers are not allowed to come near other persons. The barber cannot shave

a Harijan. In Madhya Pradesh, Harijan men cannot keep moustaches and beard and women cannot wear ornaments. Similarly a woman in Maharashtra was beaten up after making her naked. The Harijans are not allowed to drink water in Bar-Association of Advocates in Rajasthan. A certain M. L. A. raised a voice in favour of them and his brother was shot dead. I mean to say that Harijans are being ill treated . It means that if the people of Scheduled Castes and Scheduled Tribes raise their voice and put their demand for getting more seats then they are right. If they have demanded 100 seats then it is necessary to give them more than that so that they can get this injustice and exploitation. removed **(Interruption)**. Gandhiji says about the Hindu religion—

> "Untouchability as it is practised in Hindusim to-day is, in my opinion, a sin against God and man is, therefore, like a poison slowly eating into the very vitals of Hinduism, In my opinion, it has no sanction whatsoever in Hindu *Shastras* taken as a whole." **(Interruption)**.

Mr. Chairman : Pleased speak relevant.

Shri Tulshidas Jadhav : We people who are imitators of the Hindu religion should think that if such injustices are done in the name of the Hindu religion then that is not the real Hindu religion.

Mr. Chairman : It creates controversy. **(Interruption)**.

Shri Tulshidas Jadhav : While concluding I want to qoute one sentence more :

> "As I have said repeatedly, if untouchability lives , Hinduism perishes and even India perishes."

The Christian religion, the Muslim religion went on spreading in the world but the Hindu eligion continues to perish. I request them to treat humans humanly. their due seats must be given to them. Let them rule over every Gram Panchayat, Taluka Panchayat Samiti, Zila Parishad and Assembly.

सभापति महोदय : श्री स० मो० बनर्जी ।

डा० रामसुभग सिंह : इस विधेयक पर चर्चा जारी रहने में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु अगला विधेयक आचार्य कृपलानी जी का है जो कि एक महत्वपूर्ण विधेयक है । उन्हें केवल एक मिनट अपना विधेयक पेश करने का अवसर दे दिया जाये ।

Mr. Chairman : Last time this question was raised but the rules do not permit and that is why, unless the discussionon on this Bill is over, the other Bill cannot be introduced.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Chairman, Sir, such thing happened so many times previously also when the Hon. Speaker gave ruling that the permission of the House for suspension of the rule may be taken and after the Bill was moved then the discussion may he continued on the previous Bill. Shri Kripalani is the senior most member of the House. Therefore it would be justified it you give ruling in this regard.

Mr. Chairman : We have asked and received information that no case to this effect happened.

Shri Prakash Vir Shastri : It happened. Ask your department.

Shri Sura Bhan : I have no objection.

Mr. Chairman : Still there is time. Let him speak first.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Mr. Chairman, Sir, I have no objection if, the Bill of Acharya Kripalani is at least allowed to be moved. I want to thank my young friend Shri Suraj Bhan who has proved by moving this Bill that the words given to the Harijans have not been kept. He has suggested in his Bill to raise the number of the seats and opposed a word— "as nearly as may be" if the statement of Object and Reasons may be seen, these are such words that due to phraseology some of the seats are always snatched.

The representation of those people who have got majority in the country must be comparatively more there whether it is the Lok Sabha or the State Assemblies. Last time I have indicated how do the people from higher castes behave with the Harijans. I do not say that there is no generosity in the Hindu religion but there is narrow-mindedness . I request all the Harijans to stand united to bring this narrow. mindedness to an end in the country. In Muslims this casteim is not there. They treat a man as a man. They are united.

If there is no distinction in Bengali and Bihari, then why there is distinction in Shrivastava, Nigam and Pandeya.

When Dr. Ram Manohar Lohia came as a member of the House, he made Shri Mani Ram Bagree the leader. He has said that he wanted to raise the standard of the people of the Scheduled Castes. His object was to eliminate casteism. Many of his views were objected but in this regard nobody has any objection. The welfare of the depressed persons in this country is not possible till this casteism prevails.

There is no estimation of the sins committed towards the Harijans by our ancestors. Is it not true that those who converted their religion or became Christians only, because the Christian Father sat with them and talked to them ? I toured the Chhota Nagpur area and talked to the people of Scheduled Tribes and asked them the reason of wearing a crorss. They informed me that they have freedom of speech. But if a person of Scheduled Caste comes to our house, the house wife will not take her meals **(Interruption)**.

श्री बसुमतारी (कोकराझार) : यह महत्वपूर्ण विधेयक है । हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं । हमें प्रसन्नता है कि इस विधेयक का प्रत्येक सदस्य समर्थन कर रहा है जिसमें श्री बनर्जी भी शामिल हैं । मेरा निवेदन है कि प्रत्येक को समय दिया जाना चाहिये ताकि वह अपने विचार व्यक्त कर सकें ।

सभापति महोदय : वह उचित है । यह भूमिका मात्र है ।

Shri S. M. Banerjee : We always kept them down trodden and this is why this unfortunate condition of the country has arisen. When they demanded their position then the leaders assured them that they would be the foundation of the building of the society.

To day the children of Harijans cannot read because they are not in a position to pay school fee and therefore their names are stricken off. from the school register. Then they have to do lower jobs . This is our India.

No matter if we get less seats but the seats for this class (Scheduled Castes) must be sufficient. They must be given proper representation so that all the laws which are enacted may prove beneficial to them.

With there words I support the Bill.

Shrimati Minimata Agam Dass Guru (Janjgir) : Whole of the house is supporting this Bill and the Government should also agree to its provisions. The Government should

esure exact and proper census of Scheduled Caste and Scheduled Tribes. The man found indulged in giving wrong figures, should be rightly punished.

The so called high class people declared Scheduled casts and Schedule Tribes as untouchables. After independence, there was an poooppportunity to our advancement, but Hindus proved an impediment and the advancement was obstructed to. The same evil is prevalent even to day. Scheduled castes people are being put to death. What I personally feel is this, that Scheduled castes and scheduled tribes people should front away the family planning arrangements and give an impetus to procreation of children.

I had been to the native place of Gandhji. There, I found people observing non-violence regarding birds and animals only. So far as the people of Scheduled Castes are concerned, the residents of native place of Gandhiji won't hesitate to kill them.

The political parties should not indulge in anti-Scheduled Castes propaganda, which is one of the obstructions to their advancement.

Shri Bhart Singh Chauhan (Dhar) : The Government had ignored the rights of Scheduled Castes and Adivasis and had adopted an indifferent attitude towards their interests during last 23 years, Hence, this bill has been brought forward. The failure of the house to pass the bill regarding the formation of a Adivasi State-Meghalya proves the indifference of the Government towards these classes.

Harijans would not tolerate exploitation any more and they would fight for their rights and seek justice. We would have to annihilitate the prevailing disparities towards in Harijans order to see India a prospersons and powerful country. In fact, the Government has not done much for the welfare and upliftment of these people so far.

The practice of naming Army regiments after the name of the communities should be stopped forthwith. These regiments should be named after mountains and rivers in our country such as, Kailash Regiment, Ganga Regiment, etc. Adivasis should be recruited in the Army since they could prove good soldiers. The Government should agree to these suggestions and take necessary steps towards implementing them.

The Government is responsible for their miserable conditions. The allegation levelled on Hindus is unjust. Who is to answer for their miserable lots ? Even after independence, the Government did nothing concrete towards their upliftment ; the laws framed for improving their lots are not being implemented.

Reference was made to reservation of seats in Panchayats and district Councils in Madhya Pradesh for Harijans and Adivasis. The position is that according to law there is reservation for Harijans in Panchayat and district Councils and there is no dicreimination observed at any level.

This problem of backward Communities is related to social set up and hence social reforms are needed to solve it. Although many laws about social reforms had been passed, but these are not being implemented properly. Efforts should be made to get the laws implemented, inorder to enable the nation to march towards prosperity and happiness.

श्रीमती शारदा मुकर्जी (राजगिरी) : मैं नियम 109 के अन्तरर्गत प्रस्ताव करती हूँ :

'कि सूरजभान द्वारा पेश किये गये संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन, पर चल रहे वाद-विवाद को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये निर्धारित अगले दिन तक के लिये स्थगित कर दिया जाये ।'

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्री सूरजभान द्वारा पेश किये गये संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 330 और 332 का संशोधन) पर चल वाद-विवाद को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिये निर्धारित अगले दिन तक के लिये स्थगित कर दिया जाय।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The Motion was Negatived

श्री सिद्दय्या (चामराज नगर) : इस समय लोकसभा और राज्य की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिये स्थानों का आरक्षण इन जातियों की जन-संख्या के आधार पर किया जाता है। जन-संख्या का ऐसा कोई अंश, जो आधे से कम होगा, छोड़ा जा रहा है। विधेयक में अनुच्छेद 330 और 332 में "यथाशक्य" शब्द के स्थान पर 'से कम नहीं, शब्दों के रखने का प्रयास किया गया है।

यदि यह विधेयक पारित हो जायेगा, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को कुछ स्थान और मिल जायेंगे। लोक सभा में अनुसूचित जातियों के लिये 9 स्थान तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये 10 स्थान और होंगे। विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिये 6 स्थान और होंगे तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिये 7 स्थान और होंगे केवल संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में कुछ कठिनाई होगी।

इन जातियों के लिये ऐसे महत्वपूर्ण विषयों में स्थानों का आरक्षण इसलिये किया गया था कि देश के प्रशासन में इस वर्ग के लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सके। यदि इन जातियों के लिये स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था न होती तो इनका कोई भी सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आ सकता था। देश के प्रशासन में भाग लेने से ये लोग अपनी जातियों के उत्थान के लिये सरकारी नीति तथा कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकते हैं।

श्री सूरजभान द्वारा अनुच्छेद 330 और 332 से संशोधन का जो सुझाव दिया गया है, यह कोई नई बात नहीं है। यदि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को कुछ ही अन्य स्थान और प्राप्त हों सकेंगे।

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
SHRI VASU DEVAN NAIR IN THE CHAIR]

*पाकिस्तान को रूसी हथियारों की सप्लाई

**SUPPLY OF SOVIET ARMS TO PAKISTAN

श्री समर-गुहा (कन्टाई) : रूस की विदेशी नीति की अत्याधिक प्रशंसा के लिये सरकार के बचनवद्ध होने तथा रूस द्वारा भारत को हथियारों की सप्लाई पर पूर्ण रूप से निर्भर होने से देश में तथा अधिकांश रूप से देश के बाहर लोगों की यह धारणा बन गई है कि भारत रूस के हाथ में एक कठपुतली बन गया है।

* आधे घन्टे की चर्चा।

* Half an hour discussion.

इसकी विदेशी नीति भारत की अपेक्षा पाकिस्तान की ओर अधिक खिच आई है जब वर्तमान विदेश मंत्री प्रतिरक्षा मंत्री थे तो उन्होंने इस सभा में कहा था कि रूसी हथियारों की पाकिस्तान को सप्लाई से यह स्पष्ट है कि रूस को विदेश नीति भारत की अपेक्षा पाकिस्तान की ओर अधिक झुकी है। वे दिन दूर नहीं हैं जब कि रूस की नीति भारत तथा पाकिस्तान के प्रति समान हो जायगी। भारत सरकार को रूस की बदलती हुई विदेश नीति की ओर ध्यान देना चाहिये। अन्यथा भारत को दूसरी बार इसी प्रकार का राष्ट्रीय अपमान सहना पड़ेगा जो कि उसे 1962 में सहन करना पड़ा था।

रूस द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किये गये हथियारों की मात्रा के बारे में सरकार ने विस्तृत विवरण नहीं दिया किन्तु दिनांक 15/12/68 के स्विटजरलैंड के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यूजर-चरजीगु में कहा गया है कि रूस ने पाकिस्तान को 100 मिग 19, 60 से 70 मिग–21, 30 से 40 इल्यूशिन–28 हल्के बमवर्षक 60–मिग–19 के लिए फालतू पुर्जे और 14 इल्यूशिन–28 हल्के बम-वर्षकों की सप्लाई की है ।

रूस से पाकिस्तान को सप्लाई किये गये हथियारों के अतिरिक्त पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमेरिका से पहिले ही भारी मात्रा में सैनिक सहायता प्राप्त कर चुका है। कुछ इस प्रकार के समाचार हैं कि रूस द्वारा पाकिस्तान को दिये गये हथियारों को दृष्टि में रखकर संयुक्त राज्य अमेरिका पाकि-स्तान को हथियारों की सप्लाई पर लगी रोक को हटाना चाहता है। फ्रांस चेकोस्लावाकिया और अन्य देशों से भी पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है। चीन के साथ भी उन्होंने सैनिक गठ-बन्धन किया है।

रूस की पाकिस्तान के साथ मित्रता है और पाकिस्तान की चीन के साथ, सभी एक दूसरे को आश्वासन देते हैं कि यह एक दूसरे को क्षति पहुंचा कर नहीं है। उसका अभिप्राय यह है कि इससे भारत को क्षति पहुंचेगी। रूस पकिस्तान और चीन की मित्रता का यह त्रिकोण बन रहा है। भारत को इसके प्रतिसजग रहना चाहिये।

पाकिस्तान को रूसी हथियारों की सप्लाई के पीछे वास्तविक उद्देश्य क्या है? सत्ताधारी कांग्रेस के सोवियत समर्थक कहते हैं कि यह सब पाकिस्तान को चीन से परे हटाने के लिये किया जा रहा है। उसमें तनिक भी सार नहीं है बल्कि यह एक जटिल समस्या का बचकाना राजनीतिक स्पष्टीकरण है। रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने से भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ेगा, इस उप महाद्वीप में अशान्ति पैदा होगी और पाकिस्तान के व्यवहार को भारत के प्रति और दुराग्रही बनायेगा तथा भारत और पाकिस्तान के बीच संतुलन को भी भंग करेगा। इससे भारतीय उपमहाद्वीप रूस चीन और अमेरिका के बीच होने वाले शीतयुद्ध का क्षेत्र बन सकता है।

यह पता चला है कि रूस सरकार ने प्रधान मंत्री को यह आश्वासन दिया है कि रूसी हथियारों को भारत के विरुद्ध प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अमरीका ने भी भारत को ऐसे ही आश्वासन दिये थे और भारत पाकिस्तान युद्ध के समय इन आश्वासनों के क्या परिणाम निकले उनसे हम भलिभांति परिचित हैं। प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री ने अपने भाषणों में कहा है कि रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने पर भारत सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है? रूस की इस प्रकार की विदेश नीति का जोरदार विरोध क्यों नहीं किया गया। इससे यह बात सिद्ध होती है कि भारत रूस के हाथों की कठपुतली बन गया है।

सरकार को यह बताना चाहिये कि रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के बारे में उनका क्या विचार है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को रूसी हथियार की सप्लाई होने से क्या महाद्वीप में तनाव नहीं बढ़ेगा और क्या बड़ी शक्तियों के बीच शीत-युद्ध का यह उप-महाद्वीप क्षेत्र नहीं बनेगा। यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि क्या पाकिस्तान को रूसी शस्त्रास्त्रों की सप्लाई से भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा संतुलन में गम्भीर रूप से गड़बड़ी पैदा हो जायेगी ? क्या सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष की स्थिति में रूस पर यह दबाव डालेगी कि रूस भारत के विरुद्ध अपने शस्त्रास्त्रों को प्रयोग करने से पाकिस्तान को रोके ?

हाल ही में प्रतिरक्षा मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में कुछ गम्भीर प्रश्न उठाये गये हैं कि रूस हमारे देश को पुर्जों और शास्त्रास्त्रों तथा गोला-बारूद की सप्लाई बन्द कर रहा है। इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन कर विभिन्न देशों से प्रतिरक्षा सम्बन्धी सहायता लेने के लिये प्रयास करेगी।

मंत्री महोदय को यह बात भी स्पष्ट करना चाहिये कि क्या सरकार रूस को हिन्द महासागर में कोई दिलचस्पी लेने से रोकेगी। इस सम्बन्ध में रूस को जो विरोध पत्र भेजे गये हैं, वे सभा पटल पर रखे जाने चाहिये।

सरकार को यह स्मरण रखना चाहिये कि रूस, अमरीका, चीन, या विश्व का अन्य कोई देश यह नहीं चाहता कि भारत एक महान राष्ट्र बने।

सभापति महोदय : श्री शिवचन्द्र झा।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : It is an undisputed fact that ever since the formation of Pakistan its administration is in the hands of outsiders. It is all the more strange that Pakistan is being supported by progressive Russia although there is no democracy. Besides, it is also getting military assistance from China and America. Why Pakistan is favourite of all ? What is its reason ? I think it is the incompletency and ineffectiveness of our foreign Policy. I would like to know how many armaments were given to Pakistan by Russia before and after Indo-Pak conflict in 1965 ? How much arms and ammunition has been given to India ?

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : The armaments are being supplied to Pakistan in three different ways, firstly in the form of gifts, secondly at throw away price and thirdly at market price. There is no dearth of Foreign Exchange in Pakistan as it is getting sufficient aid from Saudi Arebia and other countries. America is giving Military aid to Pakistan indirectly through Iran and Turki. Now Pakistan is getting armaments even from Russia. India is the only enemy of Pakistan, Russia is fully aware of the fact that any further armament aid to Pakistan will unbalance the balance of powers. This has been repeatedly pointed out by Government of India but in vain. I would like to know that whether there is any shift in Russian policy towards India ? Earlier, Russia used to prefer India but now she is treating India and Pakistan at par. I would like to know what is Russian policy at present.

Has not Government noticed a change in its policy on Kashmir ? Has a written answer been received from Russia for our protest notes ? If so, will the honourable Minister be kind enough to lay on the table of the House the copies of its last two or three communications ? I think Russia has taken India for granted and its protest notes are being ignored.

Secondly, I would like to know that the arms and ammunition being supplied to Pakistan

in the form of gift, or is being supplied at cheaper rates or at market price ? Is not Pakistan in an improved position as it was in 1965 ? Is it also a fact that Russia has given Pakistan an opportunity to establish its naval base in Persian gulf ?

Shri Om Parkash Tyagi (Moradabad) : Pakistan is spending eightty percent of its budget on defence preparations. In the light of this I would like to know if there is any possibility of Pakistan attacking India in near future ?

Secondly has the Government of India.asked Russia that what is its object of giving military assistance to Pakistan ? Does she want to endanger the economy and security of our country ? Thirdly, Russia is not giving sufficient help and ammunition to India. In the event of an attack by Pakistan these armaments may last only for fourteen or fifteen days. I would like to know what are the safe guards taken by Government to meet such a situation ?

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : आज हम जिस विश्व में विचरण कर रहे हैं उसमें यह समझ नहीं आता कि समाजवाद का क्या मानदण्ड है ? रूस द्वारा पाकिस्तान जैसे तानाशाही देश की सैनिक सहायता देने से समाजवाद के कौन से सिद्धांत की पूर्ति होती है । एक इतिहासकार ने ठीक ही कहा है कि आज कुछ देशों के राजनीतिज्ञ हिटलर तथा मार्क एन्थोनी से भी अधिक शक्तिशाली है । मैं मंत्री महोदय से केवल दो तीन बातें पूछना चाहता हूँ । गत वर्ष मंत्री महोदय ने इस सभा को बताया था कि पाकिस्तान ने फरवरी से मई 1969 तक रूस से 120 रूसी टैंक टी० 55; हैलीकाप्टर, रडार सैट और युद्ध सम्बन्धी और साजासोमान प्राप्त किया था । मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनके इस मई में दिये वक्तव्य से लेकर आज तक रूस ने पाकिस्तान की कुल कितनी सैनिक सहायता दी है ? दूसरे यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को शस्त्र या तो उपहार के तौर पर या बहुत सस्ती कीमत पर दिये गये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय की सूचना इसके बारे में क्या है ?

तीसरे यह कि जब रूस ने पाकिस्तान की सैनिक सहायता देनी आरम्भ की भी तो उस समय यह तर्क दिया गया था कि वह केवल उसे चीन से अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ऐसा कर रहा है । परन्तु अब तो पाकिस्तान और चीन के सम्बन्धों में और सुधार हो रहा है । क्या आप ने रूस से यह जानने का प्रयत्न किया है कि उसकी नीति में अब कोई परिवर्तन तो नहीं आ गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सबसे पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि रूस अमरीका तथा चीन आदि ने पाकिस्तान को जो शस्त्र सहायता दी है, सरकार ने इस सभा को समय-समय पर उससे अवगत करवाया है । मुझे यह सुनकर कुछ अचम्भा हुआ है कि इस जानकारी के सम्बन्ध में समाचार पत्रों का उल्लेख किया गया है जबकि तथ्य यह है कि यह सम्पूर्ण जानकारी प्रतिरक्षा मन्त्री ने सभा को 5 अगस्त 1970 को एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दी थी । इस उत्तर में चीन, फ्रांस, रूस जर्मन गणतन्त्र से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण सहायता का ब्यौरा दिया गया है । इसी प्रश्न के उत्तर में यह भी बता दिया गया है । कि पाकिस्तान को 1965 के संघर्ष से पूर्व अमरीका आपसी सुरक्षा समझौते के अन्तर्गत कितनी सशस्त्र सहायता दी गई । श्री झा ने यह प्रश्न उठाया है कि रूस ने 1965 से पूर्व पाकिस्तान को कितनी सैनिक सहायता दी थी । इस प्रश्न का उत्तर पहले भी कई बार दिया जा चुका है और यदि माननीय सदस्यों को याद न हो तो मैं इसे फिर दोहरा देता हूं । 1965 से पहले रूस ने पाकिस्तान को कोई सहायता नहीं दी थी । हमारी सूचना के अनुसार तो इस सशस्त्र सहायता का आरम्भ 1965 के बाद ही हुआ है ।

श्री समर गुह ने अपने विद्वतापूर्ण भाषण द्वारा सम्भवतः यही पूछने का प्रयत्न किया है कि

रूस, चीन, और पाकिस्तान की मित्रता भारत के लिए घातक है । आज की वस्तुस्थिति कुछ भिन्न ही है । आज जिस भी देश के पास धन है वह विश्व के किसी भी कोने से शस्त्र प्राप्त कर सकता है । यह एक आधारभूत बात है और हम इससे आंखें नहीं मूंद सकते । अगर हमारे पास भी धन हो तो हम भी रूस, फ्रांस, इगलैंड और यहां तक कि अमरीका से भी शस्त्र प्राप्त कर सकते हैं । सभा को मैं आज यह भी स्पष्ट कर दूं कि अब शस्त्रों के खरीदार अधिक नहीं है अतः जिसके पास भी धन है वह शस्त्र प्राप्त कर सकता है । वैसे धन के साथ-साथ शस्त्रों के देश परिवर्तन के कछ अन्य राजनीतिक कारण भी होते हैं । अतः हमें इस पूर्व स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये ।

आज विश्व की स्थिति क्या है ? अमरीका के अतिरिक्त सशस्त्र बनाने वाले पूर्व तथा पश्चिमी यूरोप के औद्योगीकृत देश है । जब इनके बनाये जो शस्त्रास्त्र हो जाते हैं तो वह इन्हें अन्य देशों को बेच देते हैं । आज वारसा और नाटो (N A T O) संधियों के देशों में शस्त्रों की अदला बदली का कार्यक्रम चल रहा है । जो कुछ भी इन देशों के पास फालतू होता है, वह इसे बेच देते हैं । विश्व की ऐसी स्थिति में भारत को क्या रवैया अपनाना चाहिये ? अतः ऐसी स्थिति में हमारा यही प्रयत्न रहता है कि हमें अपनी आवश्यक मांगों से सम्बद्ध शस्त्र किसी भी देश से खरीद लेते हैं । मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि वह हमें जहां से भी उपलब्ध हुये है हमने उन्हें वहीं से खरीद लिया है । हम अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं के लिए कभी एक देश पर निर्भर नहीं रहे । हमने योरुप के देशों से भी शस्त्र प्राप्त किये हैं ।

इसी सम्बन्ध में मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमने अपनी सुरक्षा से सम्बद्ध शस्त्रों को अपने ही देश में बनाने का निरन्तर प्रयत्न किया हैं । अपनी अर्थव्यवस्था तथा राजनीति को दृष्टिगत रखते हुये हमने निरन्तर इसी नीति का पालन किया है । कई बार देश से कोई सामान तैयार करने में अधिक समय लगता है और यदि सामान की आवश्यकता तुरन्त हो तो हम उसे विदेशों से मंगवा लेते हैं । इसके लिए हमने कभी एक देश पर निर्भर नहीं किया है । जो लोग बार-बार यह कहते हैं कि हम अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के लिए रूस पर ही निर्भर रहे हैं वह केवल किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जानबूझ कर ऐसा कहते हैं । ऐसा कहने से वह भारत की प्रतिरक्षा का उज्जवल चित्र प्रस्तुत नहीं करते ।

मैंने रूस द्वारा पाकिस्तान को सशस्त्र सहायता देने के उद्देश्य के बारे में कई बार सावधानी से विचार किया है । इसका अवलोकन उचित सन्दर्भ में किया जाना चाहिये । अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी एक देश को अपनी आलोचना का निशाना बना लेना उचित नहीं हैं । इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री पहले ही एक वक्तव्य दे चुकी हैं । मैंने भी अपने एक स्पष्ट वक्तव्य द्वारा समस्या के सभी पहलुओं की व्याख्या की थी । उस समय मेरे विरोधी मित्रों ने भी यह कहा था कि वक्तव्य पूर्णतया स्पष्ट है । अब मेरी यह समझ में नहीं आता कि फिर इस प्रश्न को क्यों उठाया जा रहा है । जहां तक हमें जानकारी है शस्त्रों की सप्लाई के बारे में रूस और पाकिस्तान के मध्य कोई नया समझौता नहीं हुआ ।

श्री कुण्डू ने मेरे उस वक्तव्य का उल्लेख किया है जोकि मैंने 1969 में दिया था जब कि मैं प्रतिरक्षा मंत्री था । अगर वह मेरे वक्तव्यों पर ही खोज करना चाहते हैं तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि मैंने इसी सम्बन्ध में अप्रैल 1970 में एक और वक्तव्य दिया था जिसका सम्बन्ध रूस द्वारा पाकिस्तान को 200 टैंक दिये जाने वाले निर्णय से था । इसके अतिरिक्त अभी इसी अधिवेशन में मेरे दूसरे साथी ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया है जिसमें रूस

तथा अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान को जाने वाले सारी शस्त्रास्त्र की सप्लाई का व्यौरा दिया है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमने सदन को तथा देश को सम्पूर्ण जानकारी से अवगत रखा है।

इसके साथ-साथ और भी बहुत सी बातों का उल्लेख किया गया है। एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि क्या रुस पाकिस्तान को शस्त्र देने के बाद उसे चीन से हटा कर अपनी ओर खींचने में सफल हुआ है या नहीं ? इस प्रश्न का उचित उत्तर तो रुस द्वारा ही दिया जा सकता है। वैसे हमने रूस के इस तर्क को कभी स्वीकार ही नहीं किया कि वह पाकिस्तान की सहायता उसे चीन से अपनी ओर खींचने के लिए कर रहा है।

"सुरक्षा संतुलन" के बारे में पहले भी एक बार कह चुका हूँ और अब फिर कहूंगा कि भारत और पाकिस्तान के मध्य संतुलन की बात करना बिलकुल गलत है। जहां तक भारत की सुरक्षा संबंधी मांगों का प्रश्न है, उनका पाकिस्तान से कोई सम्बन्ध नहीं है। आज हमारे सम्मुख सबसे बड़ा खतरा चीन है और जब पाकिस्तान को भी सशस्त्र सहायता दी जाती है तो हमारे सम्मुख पाकिस्तान और चीन दोनों का खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः इन दोनों के खतरे का सामना करने के लिए हमें बहुत अधिक तैयारी की आवश्यकता है अतः पाकिस्तान और भारत के मध्य शक्ति के किसी प्रकार के संतुलन की बात करना संभावित खतरे को कम महत्व देने वाली बात होगी। इस प्रकार के भ्रामक शब्दों का प्रयोग पाश्चात्य टीकाकारों द्वारा किया जाता है और हमें इस शब्द जाल से बचना चाहिये। हमारी समस्यायें भिन्न है और हमारा उत्तरदायित्व कहीं अधिक है।

श्री ओम प्रकाश त्यागी ने पूछा है कि क्या हमारे पास कोई ऐसी सूचना है कि पाकिस्तान अवश्य ही आक्रमण करने जा रहा है। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है और न ही हमारे विचार में अभी कोई ऐसा खतरा है जिसका सामना हमें आज ही करना है।

श्री कंवर लाल गुप्त ने अपने वक्तव्य के साथ-साथ कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। उन्होंने एक स्थान पर इस प्रश्न को भी उठाया है कि क्या रूस की कश्मीर सम्बन्धी नीति में कोई परिवर्तन तो नहीं आया। इस सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि हमने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यह हमारी चिंता का मामला है और इस सम्बन्ध में हम किसी भी समय किसी के दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

हमारे विरोध पत्रों और सोवियत संघ द्वारा उनके उत्तरों के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। आज प्रत्येक बात के बारे में यह कहना कि "क्या उन्हें लिख कर नोट भेजा था" या "क्या आप को उन्होंने लिखित उत्तर दिया था यह एक साधारण प्रथा सी बन गई है। सभी अन्तर्राष्ट्रीय मामले केवल लिखने मात्र से ही नहीं सुलझाये जा सकते तो फिर बात ही क्या थी। वैसे हमने इस के बारे में काफी कुछ लिखा है।

जहां तक हमें सूचना प्राप्त है उसके अनुसार तो पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता करार के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमरीका से पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र उपहार के रूप में प्राप्त हुये हैं। इसके बाद चीन से भी कुछ शस्त्रास्त्र पाकिस्तान को उपहार के रूप में प्राप्त हुये हैं। हमारी जानकारी के अनुसार अन्य देशों यथा रूस, फ्रांस, ब्रिटेन आदि से प्राप्त होने वाले शस्त्रास्त्र का भुगतान किया है। मैं श्री गुप्त जी को यह भी स्पष्ट कर दूं 1965 से 1970 तक

5 वर्ष बीत गये हैं और भारत मौन नहीं बैठा रहा। हमने न केवल स्वयं ही शस्त्रों का निर्माण किया है अपितु अन्य साधनों से भी उन्हें प्राप्त करके अपनी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाया है।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पूर्व मैं यह स्पष्ट कर दूं कि रूस से पर्याप्त उचित मूल्यों पर जिन शस्त्रों की हमें सप्लाई हुई है उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार न करना उचित नहीं होगा। इसके साथ ही यह सुझाव देना कि हमने पुर्जे व गोला बारूद प्राप्त नहीं किया, यह भी गलत होगा। जब कभी भी आवश्यकता हुई हम पुर्जों अथवा गोला-बारूद आदि की कमी से असफल नहीं रहेंगे। इस बात के सम्बन्ध में कोई भी सुझाव बिलकुल निराधार होगा। इस प्रकार के प्रश्न करना कि हमारे पास उचित गोलाबारूद आदि नहीं है, हमारी सेनाओं के हित में नहीं है।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 18 अगस्त, 1970/27 श्रावण, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, August 18, 1970/ Sravana 27, 1892 (Saka).

Printed at Law Publishing House, Allahabad.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok-Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]